त्रयोदश माला, खंड 39, अंक 4

FOR REFERNCE ONLY.

बुधवार, 4 फरवरी, 2004
15 माघ, 1925 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र (भाग-दो)
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 56
Dated 24/8/04

(खंड 39 में अंक 1 से 5 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 39, चौदहवां सत्र (भाग-दो), 2004/1925 (शक)]

अंक 4, बुधवार, 4 फरवरी, 2004/15 माघ, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-2
प्रश्नकाल के स्थगन के लिए प्रस्ताव	2-3
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 321 से 340	3-29
अतारांकित प्रश्न संख्या 3169 से 3286	29-174
तेरहवीं लोक सभा के चौदहवें सत्र के भाग-एक में किए गए विदाई उल्लेख के बारे में	174-175
सभा पटल पर रखे गये पत्र	176-197
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	197
शीतल पेयों, फलों के रस और अन्य पेय पदार्थों में कीटनाशी अवशिष्टों तथा उनके सुरक्षा मानकों संबंधी संयुक्त समिति	
प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	197-198
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
(एक) तैंतालीसवां से सैंतालीसवां प्रतिवेदन	198
(दो) विवरण	198-200
रेल संबंधी स्थायी समिति	
सोलहवां, सत्रहवां और अठारहवां प्रतिवेदन	200
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ अड़तालीसवां प्रतिवेदन	200
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ पैंतालीसवां प्रतिवेदन	201
कार्यमंत्रणा समिति के साठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	201

विषय	कॉलम
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) मध्य प्रदेश के सतना जिले के रीवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बडौरा गांव में कथित हिंसा से पीड़ितों को मुआवजा और सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में	208-213
(दो) मुम्बई की बीएआरसी साइंटिस्ट्स कालोनी में बड़े पैमाने पर फर्जी मतदाताओं के पंजीकरण के बारे में	213-214
अंतरिम बजट (सामान्य), 2004-2005—*सामान्य चर्चा* **लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 2004-2005** **और** **अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2003-2004.**	216-274, 276-310, 318-337, 337-411
श्रीमती सोनिया गांधी	237-240
डा. विजय कुमार मल्होत्रा	245-256
कुंवर अखिलेश सिंह	257-262
श्री प्रकाश परांजपे	264-267
श्री रूपचंद पाल	267-274
श्री गिरधारी लाल भार्गव	274
श्री किरीट सोमैया	276-288
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	289-308
श्री सालखन मुर्मू	308-310
डा. वी. सरोजा	318-323
श्री विनय कुमार सोराके	323-327
श्री राशिद अलवी	327-337
श्री त्रिलोचन कानूनगो	337-342
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	342-348
श्री खारबेल स्वाइं	348-353
श्री पवन कुमार बंसल	353-363
श्री रामजीवन सिंह	364-368
श्री प्रबोध पण्डा	368-371
श्री अनादि साहू	371-375
श्री पी.एच. पांडियन	375-377
श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर	377-379
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	379-380

विषय कॉलम

श्री के. फ्रांसिस जार्ज 380-384

श्री रतन लाल कटारिया 384-386

डा. महेन्द्र सिंह पाल 386-387

श्री जसवंत सिंह 387-409

उप-प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में बालिका के साथ बलात्कार और हत्या की घटना

श्री लाल कृष्ण आडवाणी 275-276

प्राक्कलन समिति

उन्नीसवां प्रतिवेदन 310

शहरी तथा ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

बावनवां से छप्पनवां प्रतिवेदन 311

नियम 377 के अधीन मामले 311-318

(एक) मध्य प्रदेश के सागर में ऐतिहासिक तालाब के संरक्षण और सौन्दर्यीकरण की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार 312

(दो) भुवनेश्वर हवाई अड्डे को गया से वाराणसी तक जोड़ने और राज्य में पर्यटन का संवर्धन करने के लिए इसका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्री अनंत नायक 312-313

(तीन) झारखण्ड के बोकारो, धनबाद, गिरीडीह और अन्य जिलों में अतिरिक्त मोबाइल फोन कनेक्शन और सिम कार्ड की मांग को पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 313

(चार) झारखण्ड के रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री रामटहल चौधरी 313-314

(पांच) महाराष्ट्र में गड़चिरोली-देसाईगंज रेल लाइन बिछाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री नरेश पुगलिया 314

(छह) उत्तरांचल राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य में रेललाइनों का आमान परिवर्तन कार्य आरंभ किए जाने और अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता

डा. महेन्द्र सिंह पाल 314-315

(सात) पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के गोलपोखर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 315-316

विषय	कॉलम
(आठ) राजस्थान और देश के अन्य भागों में वन भूमि पर बसे लोगों को कानूनी अधिकार दिए जाने की आवश्यकता	
श्री भेरूलाल मीणा	316
(नौ) सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने और "वन रैंक-वन पेंशन" योजना को क्रियान्वित करने की मांग को स्वीकार किए जाने की आवश्यकता	
श्री पवन कुमार बंसल	316-317
(दस) आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में झंझावती सिंचाई परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए शीघ्र अनुमति दिए जाने की आवश्यकता	
डा. डी.वी.जी. शंकर राव	317
(ग्यारह) बिहार के भोजपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-30 और 2 को जोड़ने वाले मार्ग का उन्नयन कर उसे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री राम प्रसाद सिंह	317-318
याचिका समिति	
कार्यवाही सारांश	337
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2004.	411-419
विचार करने के लिए प्रस्ताव	414
श्री जसवंत सिंह	414, 417-418
श्री बसुदेव आचार्य	415-417
खंड 2 से 4 और 1	418
पारित करने के लिए प्रस्ताव	418
विनियोग विधेयक, 2004.	419-420
विचार करने के लिए प्रस्ताव	419
श्री जसवंत सिंह	419
खंड 2, 3 और 1	420
पारित करने के लिए प्रस्ताव	420
वित्त विधेयक, 2004.	420-422
विचार करने के लिए प्रस्ताव	420
श्री जसवंत सिंह	420
खंड 2, 3 और 1	421
पारित करने के लिए प्रस्ताव	422

लोक सभा

बुधवार, 4 फरवरी, 2004/15 माघ, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, मुझे सभा को अपने दो भूतपूर्व सहयोगियों श्री लारंग साय और श्री आर.आर. सिंह देव के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्री लारंग साय मध्य प्रदेश के सरगुजा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जो अब छत्तीसगढ़ में है, से 1977 से 1979, 1989 से 1991 और 1998 से 1999 तक क्रमश: छठी, नौवीं और बारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

एक कुशल प्रशासक, श्री साय ने 1977 से 1979 तक श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया।

श्री साय 1967 से 1977 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के भी सदस्य रहे। वह 1980 में राज्य विधान सभा के लिए पुन: निर्वाचित हुए थे। उन्होंने 1968 में राज्य सरकार में राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

एक समर्पित सांसद, श्री साय 1990-91 के दौरान ऊर्जा मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य रहे। वर्ष 1998-99 के दौरान वह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, ऊर्जा संबंधी समिति तथा इसकी कोयला संबंधी उपसमिति और विद्युत मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य रहे।

एक सक्रिय सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्त्ता, श्री साय ने समाज के निर्धन तथा गरीब तबके के उत्थान के लिए कार्य किया।

श्री लारंग साय का निधन 6 जनवरी, 2004 को अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ में 68 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री आर.आर. सिंह देव उड़ीसा के बोलनगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 1967 से 1977 तक चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

एक कृषक, श्री सिंह देव एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। वे कौशल कला मंडल, बोलनगीर के सदस्य थे तथा उन्होंने उड़ीसा में 1965 के अकाल के दौरान तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

श्री सिंह देव यंग एसोसिएशन तथा वाई.एफ.ए. बोलनगीर; नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इंडिया; वाइल्ड लाइफ प्रिजरवेशन सोसायटी आफ इंडिया तथा फारन एफेयर्स एसोसिएशन आफ इंडिया के सदस्य थे।

श्री आर.आर. सिंह देव का निधन 24 जनवरी, 2004 को नई दिल्ली में 70 वर्ष की आयु में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से एवं सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों को संवेदनाएं प्रेषित करता हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नकाल के स्थगन के लिए प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णादास (पालघाट): महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव हेतु सूचना दी है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे स्थगन प्रस्ताव की अनेक सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं एक-एक करके उन पर विचार करूंगा। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष जी, बी.ए.सी. में दिए गए निर्णय के अनुसार मैं प्रस्ताव करती हूं कि आज नियमों में ढील देते हुए प्रश्नकाल स्थगित कर दिया जाये ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्नकाल स्थगित हो गया है। किन्तु उन्हें प्रस्ताव करना है।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया और कार्यसंचालन नियमों के नियम 32, जहां तक इसमें यह उपबंध है कि बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने के लिए उपलब्ध होगा, का निलंबन करती है, ताकि अनिवार्य सरकारी कार्य पर विचार किया जा सके।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया और कार्यसंचालन नियमों के नियम 32, जहां तक इसमें यह उपबंध है कि बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने के लिए उपलब्ध होगा, का निलंबन करती है, ताकि अनिवार्य सरकारी कार्य पर विचार किया जा सके।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम

***321. श्री शिवाजी माने:**
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक विशेषज्ञ समिति ने पोलियो उन्मूलन कार्यक्रमों के बारे में कतिपय सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश से पोलियो के उन्मूलन के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे कार्यक्रमों को चलाने के लिए किसी एजेंसी की सहायता ली है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) भारतीय विशेषज्ञ सलाहकार दल (आई ई ए जी) की 18 और 19 नवम्बर, 2003 को बैठक हुई और इसने देश में मौजूदा संचरण स्थिति का जायजा लिया और यह पाया कि भारत में अनियंत्रित (वाइल्ड) पोलियो वायरस संचरण को रोकने के लिए इससे बेहतर अवसर कभी नहीं रहा है। संचरण के लिए सबसे अनुकूल मौसमों में इसका संचरण अभी तक का सबसे कम रहा है। भारतीय विशेषज्ञ सलाहकार दल ने वर्ष 2004 के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियों की संस्तुति की है-

* वर्ष 2004 में जनवरी, फरवरी, अप्रैल, अक्तूबर और नवम्बर, 2004 में पांच राष्ट्रीय रोगप्रतिरक्षण दिवस तथा 12 राज्यों—उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मई में एक उप-राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाना।
* मार्च, 2004 से अनियंत्रित (वाइल्ड) पोलियो वाइरस का पता लगने पर इसके बड़े पैमाने पर समाप्ति (माप-अप) आपरेशन।
* जिन जिलों में काफी समय से कार्यनिष्पादन कम रहा है, वहां पर गुणवत्ता में सुधार करना।
* अगले छह माह का समय बहुत महत्वपूर्ण अवसर है और सभी स्तरों पर उच्च स्तर की मानीटरिंग करना आवश्यक है।
* उच्चतम स्तर पर, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में राजनैतिक वनचबद्धता होनी चाहिए।

भारत सरकार ने भारतीय विशेषज्ञ सलाहकार दल द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और वह 2004 के अन्त तक अनियंत्रित (वाइल्ड) पोलियो वाइरस संचरण को पूरी तरह से समाप्त करने तथा 2007 तक पोलियो मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने के लिए संस्तुत की गई कार्यनीति को 2004 के दौरान लागू कर रही है। तदनुसार, सघन पल्स पोलियो टीकाकरण का पहला राष्ट्रव्यापी दौर 4 जनवरी, 2004 को आयोजित किया गया। उसके बाद 22 फरवरी, 2004, 4 अप्रैल, 2004, 10 अक्तूबर, 2004 और 21 नवम्बर, 2004 के दौरान राष्ट्रव्यापी दौर आयोजित करने की योजना बनाई गई है। इन राष्ट्रव्यापी दौरों के अतिरिक्त अधिक खतरे वाले 12 राज्यों में 9 मई, 2004 को उप-राष्ट्रीय दौर भी आयोजित किया जाएगा।

इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्र और राज्य, दोनों स्तरों पर, गहन मानीटरिंग की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने जिलों में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है। देश में पोलियो उन्मूलन के लिए सभी स्तरों पर राजनीतिक वचनबद्धता है।

(ङ) और (च) पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यान्वित करने के लिए, सरकार शिक्षा और समाज कल्याण आदि जैसे अन्य विभागों की सहायता ले रही है। टीकाकरण दौरों के आयोजन में सामाजिक गतिशीलता और बच्चों को दवा देने के काम में शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं, सामाजिक स्वयंसेवकों आदि को सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है। यूनिसेफ तथा रोटरी इंटरनेशनल समुदाय में सामाजिक गतिशीलता के कार्य में सक्रिय रूप से शामिल होकर सरकार की सहायता कर रही है। पल्स पोलियो टीकाकरण के कार्यान्वयन में तकनीकी सहायता विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रदान की जाती है। धन की व्यवस्था दाता-अंशदान तथा विश्व बैंक के आई डी ए ऋण से की जाती है। दाता अभिकरण सामान्यतया अपनी वचबद्धता वार्षिक आधार पर करते हैं। वर्ष 2004-05 के लिए निम्नलिखित दाता-अभिकरणों द्वारा पल्स पोलियो टीकाकरण के लिए अनुदान सहायता देने का वचन दिया गया है-

दाता अभिकरण	मिलियन अमरीकी डालर में वचनबद्धता
सी डी सी	10
के एफ डब्ल्यू	10
जे आई सी ए	6.5
विश्व बैंक	70
डी एफ आई डी	19

[अनुवाद]

भारत द्वारा नियंत्रण रेखा के साथ-साथ बाड़ लगाना

***322. श्री अधीर चौधरी:**
डा. चरण दास महंत:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ-साथ बाड़ लगाए जाने का विरोध करते हुए संयुक्त राष्ट्र में कोई शिकायत दर्ज कराई है जैसा कि 10 जनवरी, 2004 के ''स्टेट्समैन'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने बाड़ लगाने के बारे में संयुक्त राष्ट्र के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) सरकार ने 10 जनवरी, 2004 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित समाचार देखा है। जांच से पता चलता है कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सी जी एच एस औषधियों की खरीद में कथित अनियमितताएं

***323. श्री शिवराज सिंह चौहान:**
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने हाल ही में सी.जी.एच.एस. औषधालयों के लिए दवाइयों की खरीद में कथित अनियमितताओं के संबंध में एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में कुछ अधिकारियों और कुछ अन्य निजी व्यक्तियों के घरों/परिसरों में छापे मारे थे और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 120-बी, 240 आई.पी.सी. और धारा 13(1) (घ) के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत दो प्रथम सूचना रिपोर्टें अर्थात् सी.बी.आई./ई.ओ.यू. VII/1 दिनांक 12.01.04 और सी.बी.आई./ई.ओ.यू. VII/2 दिनांक 12.01.04 दर्ज की है।

पहली प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपी को धन संबंधी अनुचित लाभ पहुंचाने और भारत सरकार को इतनी ही वित्तीय हानि पहुंचाने के लिए एक आपराधिक षडयंत्र में शामिल होने से संबंधित है। यह आरोप लगाया गया है कि कैमिस्ट ने अत्यधिक कीमतें और अत्यधिक विक्रय कर दर वसूली और दो आरोपी लेखाधिकारियों ने ये बिल पास किए।

दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि चिकित्सा भंडार संगठन के माध्यम से निर्माताओं से औषधियों की खरीद करने के बजाए अधिक से अधिक औषधें स्थानीय कैमिस्टों से खरीदी गई और स्थानीय कैमिस्टों के चयन और उनका पैनल बनाने के लिए आपराधिक षडयंत्र किया गया। यह आरोप भी लगाया गया है कि जब चयन समिति द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् वर्ष 2001 में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के लिए कैमिस्टों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा था तब तात्कालिक अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय) द्वारा स्वप्रेरणा से विभिन्न औषधालयों के लिए कतिपय कैमिस्टों के नाम डालकर मूल रूप से अनुमोदित सूची को बदल दिया गया।

चूंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो अभी भी इस मामले की जांच कर रही है, इसलिए जांच का परिणाम पता लगाने के पश्चात् आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तथापि, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई कार्रवाई से पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वतंत्र रूप से तात्कालिक अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय) डा. जवाहर लाल के विरुद्ध मेजर पेनल्टी देने के लिए विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी थी।

[अनुवाद]

प्रदूषण जांच प्रणाली

***324. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मौजूदा प्रदूषण जांच-प्रणाली त्रुटिरहित नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]: (क) से (ग) प्रदूषण जांच नियंत्रण और ऐसी जांच हेतु आवधिकता के लिए मानक, केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में निर्धारित किए गए हैं। इन प्रावधानों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन प्राधिकारियों की है। अपेक्षाकृत कठोर मानकों का निर्धारण और जांच के लिए और अधिक प्रदूषकों का शामिल किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है और यह कार्य मोटर वाहन प्रौद्योगिकी में निरंतर सुधार, उत्सर्जन मापक उपस्करों की उपलब्धता तथा प्रदूषण जांच केंद्रों पर आवश्यक अवसंरचना की उपलब्धता को विधिवत् ध्यान में रखकर किया जाता है।

मधुमेह के उपचार हेतु औषधि

***325. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:**
डा. मन्दा जगन्नाथ:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक भारतीय अनुसंधानकर्त्ता द्वारा मधुमेह के उपचार के लिए एक नई चमत्कारिक औषधि का विकास किया गया है जैसाकि दिनांक 20 जनवरी, 2004 के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस चमत्कारिक औषधि को अमेरिका में पुरस्कार मिला है;

(घ) क्या मार्च, 2004 के दौरान इसे विश्व बाजार में उतारे जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकर ने इस औषधि को देश के बाजार में उतारे जाने की स्वीकृति दे दी है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार का विचार इस औषधि को देश के बाजार में उतारे जाने की स्वीकृति कब तक देने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (छ) बंगलौर स्थित फर्म मेसर्स जर्मन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने टाइप-2 डाइबटीज मेलिटस से पीड़ित भारतीय रोगियों पर डायबटीज इनटाक्सिन-एन उत्पाद की नैदानिक जांच करने की अनुमति के बारे में सितम्बर, 1999 में औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय से संपर्क किया था। यह उत्पाद जर्मन से आयात किया जाना था। चूंकि मधुमेह के उपचार के लिए इस उत्पाद का उल्लेख किसी भी मानक चिकित्सा पुस्तकों में नहीं है, इसलिए फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रोटोकाल के अनुसार देश में डायबटीज मेलिटस में डायबटीज इनटाक्सिन-II से नैदानिक जांच करने के बारे में अनुमति प्रदान करने की अनिवार्यता एवं वांछनीयता पर विशेषज्ञ राय हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रोटोकाल सहित इस प्रस्ताव को फरवरी/मार्च, 2000 में निदेशक, केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को भेजा गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद सितम्बर, 2000 में फर्म से उनकी रसायन (केमिस्ट्री) निदान पूर्व विषविज्ञान और प्रभावकारिता के संबंध में संगत आंकड़ा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

इसके उत्तर में मार्च, 2003 में आवेदक ने सूचित किया कि उन्होंने डायबटिक्स फाउण्डेशन के लिए अमेरिकन प्रोस्थेटिक्स के जरिए इस जर्मन फाइटो फार्मास्यूटिकल औषध पर अध्ययन किया है जिसकी सफलता दर 98.28% रही और यह कि इस औषध को विकसित करने वाले जर्मन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, बंगलौर के डा. ज्योति घोष को 0.5 मिलियन अमेरिकी डालर की पुरस्कार राशि प्रदान करने के लिए चुना गया है। इसके अतिरिक्त, डा. ज्योति घोष ने महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को सूचित किया कि यू.एस.ए. में पेटेंट आवेदन में आरोग्य II (जर्मनी में उत्पादन किया जा रहा है) के रूप में उल्लिखित उनका यह उत्पाद आधुनिक अनुपूरक दवा है जिसमें पांच जीवविज्ञानी सत्व और क्रोमियम वर्ग के पूरक तत्व हैं। तथापि, फर्म ने रसायन (केमिस्ट्री) निदान पूर्व विषविज्ञान और प्रभावकारिता के संबंध में अपेक्षित आंकड़े संलग्न नहीं किए।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अब यह सूचित किया है कि प्रस्तुत की गई सूचना के मूल्यांकन पर यह पता चला है कि भारत में मधुमेह के उपचार की क्षमता इस औषध में है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा गठित विशेषज्ञ दल द्वारा आगे की जांच के लिए पहले के नैदानिक जांच निष्कर्षों के ब्यौरे सहित फार्मूलेशन, निदान-पूर्व सुरक्षा एवं फार्माकालोजिकल आंकड़ा और नैदानिक जांच संबंधी प्रोटोकाल के बारे में विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा है। इसकी प्रतीक्षा है।

मधुमेह के उपचार के लिए औषध के रूप में इस उत्पाद का उपयोग विश्व भर में मार्च, 2004 से शुरू करने संबंधी कोई भी सूचना इस मंत्रालय को प्रकाशित साहित्य में नहीं मिली है।

12वां दक्षेस शिखर सम्मेलन

***326. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्तिः**
श्री चन्द्रनाथ सिंहः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इस्लामाबाद में हाल ही में 12वां दक्षेस शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इसमें क्या निर्णय लिए गए;

(ग) क्या पाकिस्तान भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि पर बातचीत करने के लिए सहमत हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या उक्त शिखर सम्मेलन के दौरान हमारे प्रधानमंत्री की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक हुई थी;

(छ) यदि हां, तो उक्त बैठक में किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई; और

(ज) इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी, हां। बारहवां सार्क शिखर सम्मेलन 4-6 जनवरी, 2004 को सम्पन्न हुआ। कई मसलों पर चर्चा हुई और आतंकवाद के प्रतिकार, दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग और व्यापार संवर्धित करने, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण, पर्यटन, संस्कृति, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार जैसे क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग संवर्धित करने के निर्णय लिए गए। सार्क सामाजिक चार्टर, आतंकवाद के दमन से सम्बद्ध 1987 का अतिरिक्त सार्क प्रोतोकोल, और दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र से संबद्ध करार सम्पन्न हुए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) से (ज) इस्लामाबाद में बारहवें सार्क शिखर-सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 4 जनवरी, 2004 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तथा 5 जनवरी, 2004 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की मुलाकात के बाद 6 जनवरी, 2004 को एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी किया गया। संयुक्त प्रेस वक्तव्य की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

संयुक्त प्रेस वक्तव्य

पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री इस्लामाबाद में सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान मिले।

भारतीय प्रधानमंत्री ने सार्क शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक समापन पर बोलते हुए मेजबान देश द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रबंधों की प्रशंसा की।

दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की ओर उठाए गए कदमों का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि विश्वासोत्पादक उपायों से जो माहौल बना है उसे बनाए रखा जाएगा।

प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा कि वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और जारी रखने के लिए हिंसा, शत्रुता और आतंकवाद को बंद करना पड़ेगा। राष्ट्रपति मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री वाजपेयी को पुनः विश्वास दिलाया कि वे पाकिस्तान के नियंत्रणाधीन किसी भी क्षेत्र को किसी भी रूप में आतंकवाद को सहायता के लिए उपयोग करने की इजाजत नहीं देंगे। राष्ट्रपति मुशर्रफ ने जोर दिया कि स्थायी और उपयोगी वार्ता से सभी मसलों के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे।

सामान्यीकरण प्रक्रिया को आगे जारी रखने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री संयुक्त वार्ता प्रक्रिया को फरवरी, 2004 में जारी रखने पर सहमत हुए। दोनों नेताओं को विश्वास है कि संयुक्त वार्ता के जारी रहने से जम्मू और कश्मीर सहित सभी द्विपक्षीय मसलों का दोनों पक्षों की आशानुसार शांतिपूर्ण हल निकलेगा।

दोनों नेता सहमत थे कि सकारात्मक वार्ता से हमारा जनता और भावी पीढ़ियों के लिए शांति सुरक्षा और आर्थिक विकास के साझे लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।

इस्लामाबाद,
6 जनवरी, 2004

विदेशी छात्रों की संख्या में गिरावट

***327. श्री रामजीवन सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में धीरे-धीरे गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान देश में वर्षवार कितने विदेशी छात्र आए;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां से आने वाले छात्रों की संख्या में गिरावट आयी है और उन पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जिनमें इन देशों से आने वाले छात्रों की संख्या में गिरावट आयी है;

(घ) सरकार द्वारा इस गिरावट के रुझान के क्या कारण पहचाने गए हैं; और

(ङ) देश में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विदेशों से आने वाले छात्रों की संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

परमाणु ऊर्जा का उत्पादन

***328. श्री उत्तमराव पाटील:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु ऊर्जा का उत्पादन लक्ष्य से पिछड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) लक्ष्य प्राप्त न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने परमाणु ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने और इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाये हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, परमाणु विद्युत उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन, मिलियन यूनिटों में निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्पादन मिलियन यूनिटों में	
	लक्ष्य	वास्तविक
2000-01	13012	17213
2001-02	15518	19481
2002-03	16498	19358

चालू वर्ष 2003-04 के दौरान, 12382 मिलियन यूनिट के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर, 2003 तक हुआ कुल उत्पादन 13399 मिलियन यूनिट रहा है। वर्ष 2003-04 के लिए निर्धारित लक्ष्य 17200 मिलियन यूनिट है और इसे मार्च, 2004 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। इस प्रकार, प्रत्येक वर्ष निर्धारित किए जाने वाले लक्ष्यों में उत्तरोत्तर रूप से वृद्धि हो रही है और वास्तविक उत्पादन सदैव ही निर्धारित लक्ष्यों से अधिक हुआ है।

(ग) ऊपर (क) तथा (ख) के मद्देनजर यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) 2770 मेगावाट की मौजूदा परमाणु विद्युत उत्पादन क्षमता को, निर्माणाधीन परियोजनाएं पूरी करके क्रमिक रूप से बढ़ाकर दसवीं योजनावधि के अंत तक 4120 मेगावाट और दिसम्बर, 2008 तक 6780 मेगावाट करने का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं पर कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है और परमाणु विद्युत क्षमता में वृद्धि करने के संबंध में निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए जाने की आशा है। तदनुसार, उत्पादन संबंधी वार्षिक लक्ष्यों को भी संशोधित करके बढ़ाया जाएगा। बिजलीघर को शटडाउन करने की योजना अत्यधिक सावधानी से बनाना और उसे निष्पादित करना, बिजलीघर को मजबूरी में बंद किए जाने के कारणों की मूल वजह का विश्लेषण करना, विस्तृत सेवाकालीन निरीक्षण और उपस्करों का रख-रखाव आदि, ऐसी निरन्तर चलने वाली क्रियाएं हैं जो लक्ष्यों को पूरा करने में काफी लाभप्रद सिद्ध हुई हैं। इन्हें जारी रखे जाने की योजना है।

नकली आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाएं

***329. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी:**
श्री कमलनाथ:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को नकली आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं की उपलब्धता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "डिपार्टमेंट आफ इंडियन सिस्टम्स आफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी" का विचार इस संबंध में कोई प्रभावी कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त सूचनाओं में राज्यों के कुछ भागों में आयुर्वेद और होम्योपैथी की फर्जी/नकली दवाइयों की उपलब्धता के मामले में जानकारी दी गई है। आंध्र प्रदेश में विश्लेषण हेतु भेजे गए 25 आयुर्वेदिक नमूनों में से तीन नमूने तीन फार्मेसियों द्वारा विनिर्मित एलोपैथिक और अल्कोहलयुक्त औषधियों में पाजिटिव पाए गए। होम्योपैथिक दवाओं के संबंध में 29 नमूनों की संवीक्षा की गई जिनमें से 9 अवमानक पाए गए। गुजरात में जूनागढ़ का एक व्यक्ति नकली "कायम चूर्ण" बेचता हुआ पाया गया और इस मामले पर राज्य अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 33 (ङङ) (गग)(ख) के अंतर्गत अभियोजन का मामला शुरू किया गया है।

(ग) और (घ) औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली के उपबंधों के अनुसार निर्गत अनुज्ञप्तियों के अधीन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त राज्य अनुज्ञापन प्राधिकरण आयुर्वेद और होम्योपैथी की दवाइयों का निर्माण कराते हैं। नकली/फर्जी औषधियों का विनिर्माण, बिक्री करने आदि के कारण दंड लगाने की विधिक व्यवस्था है। इस संबंध में आयुष (पूर्ववर्ती भा.चि.प. विभाग) विभाग द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:-

(1) आयुर्वेद और होम्योपैथी औषधियों के विनिर्माण करने के लिए भेषजसंहिताबद्ध मानकों को अनिवार्य बना दिया गया है;

(2) औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली में उपयुक्त ढंग से संशोधन करके आयुर्वेदिक दवाइयों के विनिर्माण के लिए उत्तम विनिर्माण प्रक्रियाएं (जी.एम.पी.) अपनाना अनिवार्य बना दिया गया है। होम्योपैथी दवाइयों के विनिर्माण में उत्तम विनिर्माण प्रक्रियाओं को आज्ञापक बनाने के लिए कदम उठा लिए गए हैं;

(3) केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वित्त सहायता प्रदान करके राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं और फार्मेसियों को सुदृढ़ किया जा रहा है;

(4) भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता प्रयोगशाला और होम्योपैथी भेषजसंहिता प्रयोगशाला को सुदृढ़ किया जा रहा है;

(5) राज्य सरकारों से समय-समय पर आग्रह किया जा रहा है कि वे औषधियों के वास्तविक गुणों के बारे में भ्रामक जानकारी देने वाले अथवा औषधियों के बारे में झूठे दावे करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए अपने संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारियों को सख्ती बरतने के लिए निर्देश दें।

महिला तथा बाल कल्याण

***330. श्री रतन लाल कटारिया:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा महिला अधिकारिता एवं बाल कल्याण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना में महिला अधिकारिता एवं बाल कल्याण, विशेषकर पोषण, शिशु-देखभाल, टीकाकरण और प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) इस बात को मानते हुए कि सकल घरेलू उत्पाद अथवा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ही राष्ट्रीय आयोजना का एकमात्र उद्देश्य नहीं है, दसवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं और बच्चों के विकास (मानव विकास) के लिए कतिपय अनुवीक्षण-योग्य लक्ष्य और संसूचक अभिनिर्धारित किये गए हैं, जो इस प्रकार हैं:-

बच्चे

1. कोई भी बच्चा निरक्षर, भूखा अथवा चिकित्सा सुविधाओं से वंचित न रहे-यह सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय बाल चार्टर।

2. राष्ट्रीय बालक आयोग के गठन के लिए एक विधेयक की पुरःस्थापना।

3. शिशु मृत्यु दर को घटाकर वर्ष 2007 तक 1000 जीवित जन्मों पर 45 तथा वर्ष 2012 तक 28 करना।

4. वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को स्कूल भेजना।

5. वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा आठ वर्ष की गुणात्मक शिक्षा सम्पन्न।

6. साक्षरता की दरों में महिलाओं और पुरुषों के बीच अन्तर को घटाकर वर्ष 2007 तक कम-से-कम 50% कम करना।

7. योजनावधि के भीतर साक्षरता दर को बढ़ाकर 75% करना।

8. सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के रूप में जानी जाने वाली एक विशेष घटक योजना।

पोषाहार

9. प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पोषाहार मिशन का गठन।

10. 3 वर्ष से कम आयु के कम वजनी बच्चों की संख्या को मौजूदा 47% से घटाकर 40% करना।

11. 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में गम्भीर कुपोषण के मामलों को 50% कम करना।

12. अन्नपूर्णा, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, समेकित बाल विकास सेवा, स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यक्रम जैसी कल्याण स्कीमों के अंतर्गत केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की आपूर्ति में वृद्धि करना।

13. टी.बी., डिफ्थीरिया, पोलियो, खसरा तथा टिटनस नामक छः बीमारियों के सभी को टीके लगाना।

महिलाएं

14. महिला सशक्तिकरण हेतु कार्य योजना तैयार करना।

15. लघु और छोटे क्षेत्रों में महिला उद्यमियों के लिए विकास बैंक की स्थापना के माध्यम से महिलाओं के लिए ऋण की सुलभता में वृद्धि करना।

16. महिलाओं की बेहतरी के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कल्याणी, प्रियदर्शिनी, आदि जैसी विशेष स्कीमें।

17. कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं, जैसे विधवाओं, जेलों में रिहा हुई महिलाओं तथा प्राकृतिक आपदाओं की शिकार महिलाओं आदि के लाभार्थ स्वाधार नामक एक नई स्कीम।

(ग) महिलाओं और बच्चों की देखभाल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों, जिनमें स्वास्थ्य, पोषाहार, टीकाकरण और शिक्षा शामिल हैं, के अंतर्गत 10वीं योजना आबंटन इस प्रकार है:

(रुपये करोड़ों में)

1.	प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत टीकाकरण	1410.00
2.	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सहित पोषाहार	5658.00
3.	महिला समाख्या	98.48
4.	प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम	1064.80
5.	समेकित बाल विकास सेवा	10391.75
	कुल	18623.03

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का स्तर

***331. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंहः**
श्री मान सिंह पटेलः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों तथा उनकी शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है तथा जड़ी-बूटियों पर आधारित भारतीय दवाओं के नए फार्मूले विकसित नहीं किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपर्युक्त चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों और उनकी शिक्षा के स्तरों में लगातार सुधार हो रहा है। नई औषधियों और औषध योग संग्रहों का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है। हाल ही में विकसित जड़ी-बूटियों पर आधारित नई औषधियों में आयुष-56, आयुष-64, आयुष-82, आयुर्वेदिक तेल-777 तथा यूनानी की यूनिम-151, यूनिम-102, यूनिम-105, यूनिम-001, यूनिम-401 शामिल हैं।

सरकार ने आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन और मानकीकरण के लिए बहुत से कदम उठाए हैं जिनमें राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विषयक विस्तृत नीति, उत्तम विनिर्माण पद्धति की अधिसूचना, आयुष अनुसंधान और शैक्षिक संस्थान विकास और बहिर्वर्ती अनुसंधान वित्त सहायता, राज्य आयुष औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं और फार्मेसियों का सुदृढ़ीकरण, स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान हेतु राज्य और राष्ट्र स्तरीय संस्थानों का विकास और आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने संबंधी विधिक व्यवस्थाएं शामिल हैं।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य मेले

***332. श्री किरीट सोमैयाः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जनवरी-फरवरी, 2004 के दौरान स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इससे ग्रामीण लोग किस प्रकार से लाभान्वित होंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) 15 जनवरी से 15 फरवरी, 2004 के बीच "स्वास्थ्य जागरूकता माह" मनाया जा रहा है। इस अवधि के दौरान प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लगातार तीन दिनों के लिए एक स्वास्थ्य मेला आयोजित करना प्रस्तावित है। संसद सदस्यों के परामर्श से जिलाधीश (डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर) स्वास्थ्य मेले के लिए स्थान और तारीख का चयन करेगा। स्वास्थ्य मेला आयोजित करने के लिए सांसदों, राज्य सरकारों और जिलाधीशों को दिशा-निर्देश उपलब्ध करा दिए गए हैं। अवसंरचना की व्यवस्था, प्रचार-प्रसार और आवश्यक औषधियों, दवाइयों आदि की लागत को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 8.00 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। सहभागिता दृष्टिकोण रखने के लिए स्थानीय संसद सदस्य और जिला प्रशासन से इन प्रयासों को पूरा करने हेतु स्थानीय रूप से और अपेक्षित वित्तीय तथा अन्य संसाधनों को जुटाने का अनुरोध किया गया है।

विभिन्न स्वास्थ्य विषयों पर लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए स्वास्थ्य मेला का आयोजन एक गहन प्रयास होगा। दृष्टिहीनता निवारण, कुष्ठ नियंत्रण, क्षयरोग नियंत्रण, कैंसर नियंत्रण, मलेरिया,

एच.आई.वी./एड्स संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम, परिवार नियोजन और आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी से संबंधित स्वास्थ्य विषयों पर सूचना देने के लिए प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी और सामग्री प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं के सभी पहलुओं के संबंध में मुफ्त जांच (चैक-अप), परामर्श और बुनियादी इकाइयां उपलब्ध की जायेंगी।

अभी तक पूरे देश में 453 निर्वाचन क्षेत्रों, जहां से जिला प्रशासन और संबंधित संसद सदस्यों से ब्यौरे प्राप्त हो गए हैं, को स्वास्थ्य मेलों के लिए अनुदान रिलीज किए गए हैं। यह देखा गया है कि अभी तक आयोजित किए गए ज्यादातर मेले ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आयोजित किए गए हैं। विभिन्न स्वास्थ्य विषयों पर जानकारी प्राप्त करने के अलावा, काफी संख्या में लोगों ने जांच (चैक-अप), उपचार और दवाइयों की मुफ्त सेवाएं प्राप्त की हैं। इस प्रकार, पूरे देश-भर में लोग स्वास्थ्य मेलों से लाभान्वित हुए हैं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी नीति

***333. श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्रीमती रीना चौधरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अनुकम्पा/मानवीय आधार पर शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पास उत्तरी क्षेत्र में शिक्षकों के अनुकम्पा/मानवीय आधार पर स्थानांतरण के कितने आवेदन लंबित पड़े हुए हैं;

(ग) इन आवेदनों के लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन लंबित आवेदनों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) स्थानांतरण दिशानिर्देशों में अनुकम्पा/मानवीय आधार पर शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु कोई स्पष्ट खंड नहीं है। स्थानांतरण संबंधी मामलों पर विचार करते समय निम्नलिखित आधारों को उपयुक्त महत्व दिया जाता है:-

(1) पति/पत्नी की मृत्यु

(2) चिकित्सा आधार

(3) ऐसे कर्मचारी जो आगामी तीन वर्षों के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हों।

उपरोक्त आधारों के तहत शामिल ऐसे शिक्षकों के नाम वरीयता सूची में सामूहिक रूप से अन्य आवेदकों के नामों से ऊपर रखे जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसे शिक्षकों को उनके इच्छित स्थानों पर स्थानांतरण हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा सके। ऐसे शिक्षकों को शारीरिक रूप से विकलांग शिक्षकों की तरह भावी स्थानांतरण से भी छूट मिलती है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया संपूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत है। निर्धारित प्रोफार्मा में स्थानांतरण हेतु आवेदन आमंत्रित करना एक वार्षिक प्रक्रिया है और तद्नुसार वरीयता सूची तैयार करके केन्द्रीय विद्यालय संगठन के वेबसाइट पर डाल दी जाती है ताकि संपूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। यह प्रयास किया जाता है कि साफ्टवेयर की सहायता से ये स्थानांतरण शैक्षिक सत्र के प्रथम दिन अर्थात् 1 अप्रैल से ही प्रभावी हो सकें। इससे यह प्रक्रिया संपूर्ण रूप से पारदर्शी तथा निष्पक्ष हो गई है और साल में मात्र एक बार की जाती है। न्यायालयों में लम्बित मामलों को छोड़कर संगठन के पास पूर्व के वार्षिक स्थानान्तरणों से संबंधित कोई भी आवेदन पत्र लम्बित नहीं हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन में भौगोलिक आधार पर क्षेत्रीयकरण नहीं होता है अत: संगठन में उत्तरी क्षेत्र नाम का कोई क्षेत्र नहीं है। आगामी शैक्षिक वर्ष 2004-05 हेतु अनुरोध पर स्थानांतरण के लिए लगभग 12500 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा इन सभी आवेदन-पत्रों पर स्थानांतरण दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

जम्मू व कश्मीर के बारे में परामर्श

***334. श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ देशों को अपने नागरिकों को जम्मू व कश्मीर न जाने के लिए दी गई सलाह को वापस लेने के लिये लिखा है ताकि वहां विश्व भर से पर्यटकों के आगमन को आसान बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विदेश स्थित भारतीय मिशनों द्वारा जम्मू व कश्मीर की अद्यतन स्थिति से विदेशियों को अवगत कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) सरकार अपने राजनयिक मिशनों और द्विपक्षीय क्रियाकलापों के जरिए समय-समय पर संबंधित सरकारों के साथ जम्मू और कश्मीर की यात्रा न करने संबंधी हिदायतों को वापस लेने के मामले को उठाती रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) हमारे उच्चायोगों और दूतावासों के अधिकारी ऐसी यात्रा हिदायतों को वापस लिये जाने के लिए स्थानीय सरकारों के साथ नियमित रूप से बातचीत करते हैं। वे नियमित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं से मिलते हैं और उन्हें जम्मू और कश्मीर की स्थिति के संबंध में अद्यतन जानकारी देते हैं।

हमारे मिशनों द्वारा प्रचार सामग्री और संबंधित प्रकाशन विशेष पतों पर नियमित रूप से भेजे जाते हैं ताकि वर्तमान छवि को प्रस्तुत किया जा सके। मिशन भी इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में साक्षात्कारों प्रेस विज्ञप्तियों तथा स्थानीय नेताओं, शिक्षाविदों, विचारकों और अन्य नीति निर्माताओं इत्यादि के साथ बैठकों के द्वारा जम्मू और कश्मीर की स्थिति पर निरंतर सूचना देते रहते हैं। मिशन भी स्वयं अथवा एयर इंडिया, भारत पर्यटन कार्यालयों इत्यादि के साथ मिलकर यात्रा संगठनों और सामान्य जनता के लिए पक्षकार सत्रों, संगोष्ठियों और पर्यटन संवर्द्धन गतिविधियों का आयोजन करते हैं जिसका उद्देश्य भारत में सुरक्षा स्थिति से संबंधित उनकी आशंकाओं को दूर करना होता है।

स्टिलवैल रोड को पुनः खोलना

***335. श्री पवन सिंह घाटोवार:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किं:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक स्टिलवैल रोड को पुनः खोलने हेतु भारत और म्यांमार के बीच कोई द्विपक्षीय वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डब्ल्यू.एल.एल. सेवाएं

***336. श्री के.पी. सिंह देव:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डब्ल्यू.एल.एल. (वायरलैस इन लोकल लूप) के विकास के लिए विभिन्न राज्यों में अव्यावहारिक क्षेत्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे अव्यावहारिक क्षेत्रों में डब्ल्यू.एल.एल. कनैक्शन कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां, डब्ल्यू.एल.एल. प्रौद्योगिकी नेटवर्क की योजना बनाई गई है जिसे 2648 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में अव्यवहार्य क्षेत्रों को कवर करने के लिए प्रदान किया जाएगा। तथापि, निम्नलिखित कारणों से कुछ क्षेत्र अव्यवहार्य बने रहेंगे:-

(1) भौगोलिक स्थितियां

(2) संसाधनों की सीमित उपलब्धता

(3) डब्ल्यू.एल.एल. उपस्कर की रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की सीमित पहुंच

(ख) राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) भारत संचार निगम लि. ने 2004-05 के दौरान 2648 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में डब्ल्यू.एल.एल. प्रौद्योगिकी नेटवर्क प्रदान करने की योजना बनाई है। फिर भी जो क्षेत्र अव्यवहार्य बने रहेंगे, उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार वहां और अधिक बीटीएस (बेस ट्रांस-रिसीवर स्टेशन) संस्थापित करके उन्हें उत्तरोत्तर रूप से कवर किया जायेगा। इसके अलावा, दुर्गम और कठिन भू-भागों को उपग्रह टेलीफोनों द्वारा कवर करने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्र.सं.	सर्किल का नाम	अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों की कुल संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार	2
2.	आंध्र प्रदेश	243
3.	असम	46

1	2	3
4.	बिहार	104
5.	छत्तीसगढ़	112
6.	गुजरात	161
7.	हिमाचल प्रदेश	33
8.	हरियाणा	54
9.	जम्मू और कश्मीर	34
10.	झारखंड	75
11.	केरल	58
12.	कर्नाटक	180
13.	महाराष्ट्र	304
14.	मध्य प्रदेश	249
15.	पूर्वोत्तर-1*	30
16.	पूर्वोत्तर-2*	56
17.	उड़ीसा	120
18.	पंजाब	58
19.	राजस्थान	258
20.	तमिलनाडु	129
21.	उत्तरांचल	38
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	167
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	64
24.	पश्चिम बंगाल	71
25.	कोलकाता टोडी (दूरसंचार जिला)	1
26.	चेन्नई, दूरसंचार जिला	1
	जोड़	2648

टिप्पणी : एसडीसीए—अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र

* पूर्वोत्तर 1 में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य शामिल हैं। पूर्वोत्तर 2 में मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्य शामिल हैं।

भारतीय शिष्टमंडलों का विदेश दौरा

***337. श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत महीने के दौरान तथा आज की तारीख तक विदेशों में गए भारतीय शिष्टमंडलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन अवसरों पर किन-किन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और इन समझौतों की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या विदेश मंत्री ने हाल में संयुक्त राज्य अमरीका का दौरा किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस अवसर पर की गई चर्चा और हस्ताक्षर किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) निम्नलिखित भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने पिछले महीने आज तक यात्रा की:-

पाकिस्तान

(क) प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ 4-6 जनवरी, 2004 के बीच इस्लामाबाद की यात्रा की और 12वें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

(ख) 12वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए:-

(1) सार्क सामाजिक चार्टर

(2) दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र पर समझौता

(3) आतंकवाद के दमन पर सार्क अभिसमय का अतिरिक्त प्रोतोकोल।

प्रधानमंत्री वाजपेयी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के बीच बैठक के पश्चात 6 जनवरी, 2004 को एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी किया गया। संयुक्त वक्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया कि दोनों नेता संबंधों को सामान्य बनाने की ओर उठाए गए कदमों का स्वागत करते हैं और उन्होंने आशा जताई कि सी बी एम द्वारा निर्धारित सकारात्मक कदमों का समेकन किया जाएगा। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा कि वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ने और उसे बनाए रखने के लिए हिंसा, शत्रुता और आतंकवाद पर रोक लगाई जानी चाहिए। राष्ट्रपति मुशर्रफ ने प्रधान मंत्री वाजपेयी को यह आश्वासन दिया कि वे पाकिस्तान के नियंत्रण वाले अपने क्षेत्र को किसी भी प्रकार आतंकवाद का सहयोग करने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। राष्ट्रपति मुशर्रफ ने इस बात पर जोर दिया कि सभी मुद्दों को संबोधित करने वाली सतत और सार्थक वार्ता से सकारात्मक परिणाम निकलेंगे ताकि सामान्यीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान के

राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने फरवरी, 2004 में समेकित वार्ता की प्रक्रिया को आरम्भ करने के प्रति अपनी सहमति व्यक्त की और इस बारे में विश्वास व्यक्त किया कि समेकित वार्ता को आरम्भ करने के परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर सहित सभी द्विपक्षीय मामलों का दोनों पक्षों की संतुष्टि पर शांतिपूर्ण समाधान हो जाएगा।

चीन

(क) एवं (ख) भारत चीन-सीमा प्रश्न पर भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री ब्रजेश मिश्र ने 11-15 जनवरी 2004 के बीच चीन में बीजिंग स्थित विशेष प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक के आयोजन हेतु एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस बैठक का आयोजन मैत्रीपूर्ण और सकारात्मक माहौल में हुआ। विशेष प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में राजनयिक चैनलों के माध्यम से पारस्परिक रूप से स्वीकार्य तारीखों पर दोबारा बैठक करने की सहमति व्यक्त की। इस यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए।

सऊदी अरब

(क) और (ख) श्री आर एम अभ्यंकर, सचिव (ए एन ए), विदेश मंत्रालय ने हज संबंधी व्यवस्थाओं के निरीक्षण के लिए 22-23 जनवरी, 2004 को सऊदी अरब का दौरा किया। किसी सऊदी प्राधिकारी के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

गुआडलू (फ्रांस)

(क) और (ख) विदेश मंत्रालय में सचिव (पी सी डी) श्री जे.सी. शर्मा ने 16 से 19 जनवरी, 2004 तक कैरीबियन क्षेत्र में फ्रांस शासित गुआडलू द्वीप की यात्रा, वहां पर भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ मनाए जाने के संबंध में की। इस यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

यूनाइटिड किंगडम

(क) और (ख) "सेन्टर फार पालिटिकल एण्ड डिप्लोमेटिक स्टडीज" द्वारा आयोजित "राजनय के लिए ई-लर्निंग कार्यशाला" में हिस्सा लेने के लिए 27 से 31 जनवरी, 2004 तक लन्दन की यात्रा की। यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

आयरलैण्ड

(क) और (ख) विदेश सचिव श्री शशांक ने 20 से 22 जनवरी, 2004 तक आयरलैण्ड की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

त्रिनिदाद एवं टोबैगो

(क) और (ख) सचिव (पी सी डी) श्री जे.सी. शर्मा ने 20 से 22 जनवरी, 2004 तक त्रिनिदाद एवं टोबैगो का दौरा किया। इस दौरे के समय किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

अमेरिका

(क), (ख), (ग) और (घ) विदेश मंत्री ने 19 से 21 जनवरी, 2004 तक वाशिंगटन डी सी की यात्रा की और अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कोंडालिजा राइस तथा विदेश मंत्री कोलिन पावेल के साथ बैठकें करने के साथ-साथ अनेक बैठकें की। इन बैठकों से 12-13 जनवरी, 2004 को घोषित "द्विपक्षीय सामरिक भागीदारी में अगले कदम" सहित परस्पर हित के अंतर्राष्ट्रीय, द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के अवसर मिले। इस यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

खाद्य और खाद्य उत्पादों के लिए मानक

***338. श्री अनिल बसु: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति (सीसीएफएस) ने बच्चों के दुग्ध चूर्ण सहित खाद्य और खाद्य पदार्थों के लिए विशेष मानक निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो सीसीएफएस द्वारा की गयी सिफारिशों के क्रियान्वयन के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी निगरानी हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) केन्द्रीय खाद्य मानक समिति (सीसीएफएस) के साथ परामर्श करने के बाद शिशु दुग्ध आहार (बेबी मिल्क पाउडर) सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के मानक खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के परिशिष्ट-ख के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं, जैसा कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (i) द्वारा अपेक्षित हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी देश में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों तथा उनके अंतर्गत बनी नियमावली, 1955 के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार

हैं। खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपमिश्रण रोकने के लिए सख्त निगरानी रखने हेतु समय-समय पर सलाह भी दी जाती है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु सामान्य प्रवेश परीक्षा

***339. डा. जसवंत सिंह यादवः**
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्यः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालय व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निदेशों की अवज्ञा कर रहे हैं तथा वर्ष 2004-05 सत्र में प्रवेश के लिए अपने स्तर पर परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) 17 दिसम्बर, 2003 को जारी किए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विनिर्दिष्ट व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश) अंतरिम विनियम, 2003 के अनुसार वर्ष 2004-05 के लिए देश के विनिर्दिष्ट व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय स्तर पर प्रवेश, सामान्य प्रवेश परीक्षा (परीक्षाओं) के माध्यम से निर्धारित योग्यता के आधार पर दिए जाएंगे और यह प्रक्रिया उन सभी संस्थाओं पर लागू होगी जो इस समय अपने सभी विद्यार्थियों अथवा उनमें से कुछ प्रतिशत विद्यार्थियों को अखिल भारतीय आधार पर प्रवेश दे रही है।

तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों-अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया और दिल्ली विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राधिकृत निकायों द्वारा संचालित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (परीक्षाओं) में शामिल होने से छूट के लिए अनुरोध संबंधी अभ्यावेदन भेजे हैं। सामान्य प्रवेश परीक्षा (परीक्षाओं) में सहभागिता से मना करने वाली संस्थाओं के अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति पहले ही गठित की जा चुकी है। समिति ने इन अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया कि जहां तक दिल्ली विश्वविद्यालय में एम.बी.ए. में प्रवेश का संबंध है, सामान्य प्रवेश परीक्षा में सहभागिता से एक बार छूट केवल इस शर्त पर दी जा सकती है कि विश्वविद्यालय वर्ष 2005-06 से सामान्य प्रवेश परीक्षा में शामिल होने का आश्वासन दे। जहां तक तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संबंध है, समिति द्वारा उनके अभ्यावेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया।

स्वास्थ्य नीति अनुसंधान संबंधी रिपोर्ट

***340. श्री बसुदेव आचार्यः**
श्री रामशेठ ठाकुरः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में दक्षिण एशिया में स्वास्थ्य नीति अनुसंधान संबंधी रिपोर्ट जारी की है;

(ख) क्या भारत, लोगों की स्वास्थ्य परिचर्या जैसे पोषण प्रति व्यक्ति व्यय, मृत्युदर आदि के संबंध में दक्षिण एशिया के कुछ देशों से पीछे चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विश्व बैंक ने हाल ही में दक्षिण एशिया में स्वास्थ्य नीति अनुसंधान पर एक रिपोर्ट जारी की है।

(ख) और (ग) इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान में नवजात शिशु मृत्यु दर से कम लेकिन बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका से यह अधिक है। बाल्यावस्था कुपोषण के संबंध में भारत का स्थान अफगानिस्तान और बांग्लादेश से थोड़ा ऊपर परन्तु भूटान से नीचे है। इस रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के देशों की व्यवस्था पर प्रति व्यक्ति व्यय की तुलना नहीं दी गई है। तथापि, विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, 2003 के अनुसार, भारत का स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान के स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय से अधिक लेकिन मालदीव और श्रीलंका के इस व्यय से कम है।

(घ) सरकार नागरिकों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाने के लिए हर-एक संभव प्रयास करती रही है। केन्द्र सरकार मलेरिया, क्षयरोग, दृष्टिहीनता, कुष्ठ और एड्स जैसी प्रमुख बीमारियों के नियंत्रण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहायता करने के लिए विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभिकरणों से बाह्य सहायता जुटा कर केन्द्रीय क्षेत्र के लिए संसाधनों में वृद्धि करने के भरपूर प्रयास किए जाते हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के अधीन निःशुल्क औषधें प्रदान की जाती हैं। सभी राज्यों में रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से रुग्णता दर और मृत्यु दर में कमी हुई है और देश में विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों में सामान्य सुधार हुआ है। ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं की कार्यात्मक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अधीन निधियां भी प्रदान की जाती हैं। इस समय द्वितीयक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में सुधार करने और उनका उन्नयन करने के उद्देश्य से विश्व बैंक सहायता से सात राज्यों में राज्य स्वास्थ्य पद्धति परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। कुछ अल्पसेवित राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर संस्थाओं की स्थापना करने और कुछ शेष अल्पसेवित राज्यों/क्षेत्रों में तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा संस्थाओं का उन्नयन करने के लिए प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भी शुरू की गई है।

बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं

3169. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलियाबोर की भूमि कटाव रोकने संबंधी परियोजना सहित कई बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं योजना आयोग के समक्ष स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजनाओं की लागत कितनी है; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं और परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग

3170. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग गठित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के कार्यान्वयन को देखने के लिए एक शक्ति प्राप्त कार्यदल गठित किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए, जिनमें जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रणीय सीमाओं तक लाने में पिछड़ रहे राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाना है, एक अधिकार प्राप्त दल का गठन किया गया है। इस समूह में आठ राज्य, अर्थात् बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल है।

(ग) अधिकार प्राप्त दल (ईएजी) वाले राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक कार्य योजना के आधार पर उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस समय चल रही तथा नई स्कीमों के लिए निधियां जारी की गई थी।

वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रुपए)
2001-02	25.00
2002-03	3.25
2003-04	43.27

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने आठ कार्य दलों का गठन किया था। इन दलों की रिपोर्टों/सिफारिशों का 10वीं पंचवर्षीय योजना की नीतियों और कार्यक्रमों में उपयुक्त रूप से समन्वय किया गया था।

भूकंप का अध्ययन

3171. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गुजरात जोन-5 में आता है जो कम तीव्रता वाले भूकम्पों से बहुत अधिक संवेदनशील है;

(ख) यदि हां, तो क्या मौसम विभाग के विशेषज्ञ इसके और इसके संभावित प्रतिप्रभाओं के अध्ययन हेतु गुजरात (राजकोट) में कार्य कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में विशेषज्ञों के क्या निष्कर्ष रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) जी हां, महोदया। गुजरात के कच्छ का रन क्षेत्र जोन-5 में आता है और गुजरात के शेष भाग जोन-3 एवं 4 में आते हैं। जोन-5 अत्यंत ही भूकंप की आशंका वाला क्षेत्र तथा हल्की तीव्रता के भूकंप का प्रवण क्षेत्र है।

(ख) और (ग) भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा दिसम्बर, 2002 अप्रैल, 2003 के दौरान राजकोट और सीमावर्ती क्षेत्रों का भूकंपीय सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण के आरंभिक निष्कर्ष से यह संकेत मिला है कि राजकोट के आस-पास होने वाली भूकंपीय गड़बड़ियां क्रस्टल दबाव के पुनर्समायोजन के कारण हैं जो 26 जनवरी, 2001 के भूकंप के बाद हुआ।

मीडिया लैब

3172. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य की एमआईटी कम्पनी को 500 करोड़ रुपए के पूंजीनिवेश से एक मीडिया लैब शुरू करने के लिए अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस उद्यम में 1000 करोड़ रुपए का पूंजीनिवेश करने का भी निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस उद्यम की प्रमुख विशेषताएं कौन-कौन सी हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

आई.टी.बी.पी. को अफगानिस्तान भेजना

3173. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.एच.ए.आई. और अन्य एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों को पुलिसिया दृष्टि से देखने हेतु भारत-तिब्बत सीमा पुलिस को अफगानिस्तान भेजने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शत्रु देश में ऐसे कार्यों को करने के बारे में आई.टी.बी.पी. की प्रासंगिकता के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ङ) भारत सरकार अफगानिस्तान में जारान्ज से देलराम तक के सड़क निर्माण का कार्य कर रही है। भारतीय संगठन के सदस्यों और परियोजना के कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, स्थल पर आई टी बी पी के सुरक्षा कार्मिकों के कोर दल की उपस्थिति का प्रावधान है।

ऐसा सुरक्षा स्थिति तथा अफगानिस्तान के अन्य भागों में इसी प्रकार के अनुभव और सुरक्षा के लिए स्थानीय संगठन और प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की गई सहायता को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

[हिन्दी]

कार्यों पर व्यय

3174. श्री महेश्वर सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार सी.जी.एम. (टी) ने वर्ष 2001 से सितम्बर, 2002 की अवधि के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए कुल कितनी धनराशि व्यय की थी;

(ख) राजस्थान सी.जी.एम. (टी) ने पिछले छह माह के दौरान विभिन्न कार्यों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की थी; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) वर्ष 2001 से सितम्बर, 2002 की अवधि के दौरान बिहार मुख्य महाप्रबंधक (दूरसंचार) द्वारा खर्च की गई कुल राशि का ब्यौरा निम्नवत् है:

क्र.सं.	अवधि	खर्च की गई राशि
1.	01.04.2001 से 31.3.2002 तक	679.39 करोड़ रु.
2.	01.04.2002 से 30.9.2002 तक	44.60 करोड़ रु.
	योग	723.99 करोड़ रु.

(ख) विगत छह महीनों अर्थात् जुलाई, 2003 से दिसम्बर, 2003 की अवधि के दौरान राजस्थान मुख्य महाप्रबंधक (दूरसंचार) द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए कुल 87.68 करोड़ रु. की राशि का व्यय किया गया।

(ग) उपर्युक्त धनराशि का व्यय दूरसंचार सेवाओं के विकास के लिए स्थिर लाइनों, डब्ल्यू एल एल और मोबाइल फोनों के अंतर्गत टेलीफोन प्रदान करने के लिए किया गया।

[अनुवाद]

साफ्टवेयर विकास हेतु पाकिस्तान को भारतीय सहायता

3175. **श्री के. येरननायडू:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने साफ्टवेयर विकास हेतु भारत से सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

डेन्टल कालेज

3176. **श्री अशोक अर्गल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान कितने नए डेंटल कालेजों को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) उनमें से कितने कालेजों का उनके स्थापना स्थल पर नियमित रूप से गिरीक्षण किया गया है;

(ग) क्या सरकार को किसी कालेज के कार्यकरण के खिलाफ कोई शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभ भाई कथीरिया): (क) और (ख) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा महाविद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने के पश्चात् की गई सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2001, 2002 और 2003 के दौरान देश के विभिन्न भागों में नए दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने के लिए 50 आवेदकों को केन्द्र सरकार की अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ) विनियमों के अनुसार भारतीय दंत चिकित्सा परिषद अनुमति के नवीकरण के सिफारिश करने और केन्द्र सरकार की मान्यता प्रदान करने के लिए दंत महाविद्यालयों का निरीक्षण करती है। इसके बाद ही यह परिषद मापदंडों के अनुरूप उनके उपयुक्त कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए दंत महाविद्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण करती है।

जब कभी भी दंत महाविद्यालय के कार्यकरण के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है, उसे जांच के लिए इस परिषद को भेज दिया जाता है। इस परिषद की सिफारिश के आधार पर अनुमति को रोकने/मान्यता वापिस लेने सहित दंत महाविद्यालय के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

सेल फोनों की संख्या में वृद्धि

3177. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान सेल फोनों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार सेल फोन उद्योग में भारत संचार निगम लि. का हिस्सा कितना है; और

(ग) सरकार ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में बी.एस.एन.एल. की कवरेज बढ़ाने हेतु इसे प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) वर्ष 2000 को आधार वर्ष मानकर, देश में 2001, 2002 और 2003 के दौरान सेल फोनों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रमश: 76.68%, 90.89% और 109.84% है।

(ख) 31 दिसम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार भारत में सेल फोन उद्योग द्वारा प्रदान किए गए 2,19,91,742 सेल फोनों में से भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा प्रदान किए गए सेल फोनों की संख्या 47,54,853 है।

(ग) बीएसएनएल ने अब तक विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सेवा प्रदान करने की गई योजना नहीं बनायी है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों के रास्ते में पड़ने वाले कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जिन्हें राजमार्गों को कवर किए जाने के कारण आनुषंगिक कवरेज का लाभ मिलता है।

सी.जी.एच.एस. सुविधाएं

3178. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** उड़ीसा और अन्य राज्यों में सी.जी.एच.एस. सुविधाओं के बारे में 27 नवम्बर, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1442 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-2004 के बजट में भुवनेश्वर, रांची और देहरादून में प्रत्येक नए सी.जी.एच.एस. औषधालयों के लिए कितना बजटीय प्रावधान किया गया है; और

(ख) इन औषधालयों के कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभ भाई कथीरिया): (क) और (ख) भुवनेश्वर, रांची और देहरादून में खोले जाने वाले नए स्वीकृत सी.जी.एच.एस. औषधालयों में से प्रत्येक को चालू वित्तीय वर्ष 2003-2004 में 1.95 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक इन औषधालयों को खोले जाने की संभावना है।

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम में संशोधन

3179. श्री जी.एस. बसवराज:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुराने गीतों के म्यूजिक रिमिक्स से संबंधित प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 में संशोधन पर विचार करने के लिए एक "कोर ग्रुप" का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ग्रुप द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन संशोधनों से म्यूजिक इंडस्ट्री को किस सीमा तक लाभ मिलने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) संगीत उद्योग से संबंधित प्रावधानों सहित विभिन्न प्रावधानों से संबंधित प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 में उपयुक्त संशोधन पर विचार करने और सुझाव देने के लिए सचिव, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक कोर ग्रुप गठित किया गया है।

(ख) से (घ) कोर ग्रुप ने आवश्यक संशोधनों पर सुझाव देने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी गठित की है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने संगीत उद्योग सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों से विस्तृत चर्चा की तथा उन्होंने कमेटी के समक्ष ब्यौरा प्रस्तुत किया। कोर ग्रुप ने अनेक बैठकें आयोजित करके ड्राफ्टिंग कमेटी के सुझावों पर विचार किया और संशोधन हेतु विभिन्न धाराओं की सिफारिश की। कोर ग्रुप की बैठकों में दिए गए सुझाव समेकित किए जा रहे हैं ताकि संशोधन के लिए सरकार को अन्तिम सिफारिशें की जा सके। सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के संशोधन हेतु उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग

3180. श्री प्रबोध पण्डा:
श्री के. येरननायडू:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अमेरिका ने दक्षिण एशिया में शांति सुनिश्चित करने के लिए आतंकवाद से लड़ने की बात कही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यू.एस.-इंडिया डिफेन्स पालिसी ग्रुप ने इस संबंध में कोई वक्तव्य जारी किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या अमेरिका ने कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह से लड़ने के लिए भारत को साजो-सामान की सहायता की पेशकश की है; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) आतंकवाद प्रतिरोधी संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत और अमेरिका ने अपने सहयोग को संस्थागत रूप दिया है। इस कार्य समूह की पांच बैठकें हो चुकी हैं। आतंकवाद प्रतिरोधी सहयोग के एक अंश के रूप में दोनों देश एक साथ मिलकर काम करते हैं और आतंकवाद के मुकाबले के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य देशों के साथ मिलकर भी कार्य करते हैं। भारत, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अनवरत रूप से यह सूचित करता है कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और जहां कहीं भी यह समस्या मौजूदा है वहां आतंकवाद के विरुद्ध व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की अपेक्षा है।

(ग) और (घ) जी हां। दोनों देशों की प्रतिरक्षा संस्थापनाओं के बीच वार्ता की एक विस्तृत सांस्थानिक संरचना के माध्यम से रक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। सहयोग के विशिष्ट पहलुओं को देखने के लिए इसमें उच्चतम स्तर पर प्रतिरक्षा नीति समूह और सैन्य सहयोग समूह, थल सेना, वायुसेना और नौ सेना का कार्यकारी संचालन समूह, सुरक्षा सहयोग समूह, संयुक्त तकनीकी समूह और अमेरिकी संयुक्त चीफ आफ स्टाफ तथा समेकित प्रति रक्षा स्टाफ वार्ता शामिल है।

(ङ) और (च) जी हां। 6-7 अगस्त, 2003 को वाशिंगटन डी सी में अपनी बैठक के बाद प्रतिरक्षा नीति समूह ने एक वक्तव्य जारी किया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सामरिक वातावरण में हुए परिवर्तनों पर ध्यान दिया गया। पिछले वर्ष में द्विपक्षीय प्रतिरक्षा सहयोग में प्राप्त उपलब्धियों को रेखांकित किया गया और अगले वर्ष के लिए अनेक द्विपक्षीय रक्षा सहयोग गतिविधियों को अनुमोदित किया गया।

(छ) और (ज) जी नहीं। तथापि, भारत और अमेरिका ने आतंकवाद रोधी एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की है जिसमें आतंकवाद का मुकाबला करने के क्षेत्र में सहयोग के बारे में सतत द्विपक्षीय वार्ता हेतु एक मंच का प्रावधान है। इस वार्ता के एक अंश के रूप में दोनों देश आतंकवाद रोधन के निवारक एवं संरक्षात्मक परिणाम प्रबंधन में क्षमता निर्माण में जुटे हैं और साथ ही आतंकवाद के मुकाबले के लिए आसूचना को परस्पर मिल बांटने, विधि प्रवर्तन सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को सुदृढ़ करने के कार्य में भी जुटे हुए हैं। अमेरिका ने भी देश के भिन्न-भिन्न हिस्सों में आतंकवाद की घटनाओं की अनेक बार निन्दा की है।

रिक्त पद

3181. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार क्षेत्र में लाइनमैन के कई पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने पद भरे गए और इनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थे?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) चूंकि दूरसंचार विभाग के पत्र सं. 27-4/87-टीई-2 दिनांक 11.7.1991 के अनुसार दूरसंचार मैकेनिक के संवर्ग के पुनर्गठन के कारण लाइनमैन संवर्ग को अनावश्यक संवर्ग घोषित कर दिया गया है, इसलिए गत तीन वर्षों के दौरान लाइनमैन के संवर्ग में कोई भी पद नहीं भरा गया है।

धन का आवंटन

3182. श्री सुनील खां: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के लिए इसी मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य को आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा वर्षवार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) और (ख) उपलब्ध अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-01

के दौरान विभिन्न राज्यों में संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की संख्या 799, 810 तथा 819 हैं जो क्रमश: 120.53 करोड़ रुपये, 140.79 करोड़ रुपये तथा 141.58 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत की है। आवंटित निधियों का उपयोग संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु किया गया है। इन वर्षों के लिए अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या और अनुमोदित लागत संबंधी विवरण संलग्न है।

विवरण

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं की राज्य-वार सूची

राज्य	1998-99		1999-00		2000-01	
	परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की कुल लागत (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
अण्डमान और निकोबार	2	54.76	3	75.12	0	0
आंध्र प्रदेश	48	822.47	73	1638.83	63	1043.36
अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	11.00	1	15.71
असम	14	175.16	7	91.29	14	271.43
बिहार	9	240.84	20	377.34	5	48.11
चण्डीगढ़	16	317.34	17	513.70	35	545.60
छत्तीसगढ़**	–	–	–	–	–	–
दिल्ली	109	177.64	93	1973.62	107	2446.60
गोवा	4	194.95	5	61.65	5	62.65
गुजरात	19	173.93	18	341.77	17	225.43
हरियाणा	8	178.65	11	126.39	6	56.48
हिमाचल प्रदेश	8	177.56	8	124.41	5	66.22
जम्मू और कश्मीर	8	159.27	5	82.49	2	35.92
झारखण्ड*	0	0	0	0	4	46.19
कर्नाटक	82	1717.16	93	1688.06	91	1918.70
केरल	25	310.88	24	384.13	32	462.16
मध्य प्रदेश	11	129.05	14	197.10	8	172.78
महाराष्ट्र	88	1315.46	71	1568.87	91	1941.59
मणिपुर	6	90.80	2	9.34	6	116.69

1	2	3	4	5	6	7
मेघालय	2	27.90	10	122.63	4	38.29
मिजोरम	0	0	0	0	1	29.82
नागालैंड	2	8.01	0	0	0	0
उड़ीसा	13	143.10	14	135.33	9	71.54
पाण्डिचेरी	2	6.46	3	38.50	2	26.64
पंजाब	17	148.16	17	139.31	17	195.89
राजस्थान	14	248.30	19	197.04	8	115.81
सिक्किम	1	10.18	1	25.65	1	32.20
तमिलनाडु	69	1235.37	79	847.99	78	1178.22
त्रिपुरा	1	7.93	1	9.38	0	0
उत्तर प्रदेश	127	1354.04	108	1879.78	84	1381.34
उत्तरांचल*	0	0	0	0	13	176.54
पश्चिम बंगाल	94	1029.57	93	1418.02	110	1436.37
कुल	799	12052.94	810	14078.74	819	14158.30

* वर्ष 1998-99 एवं 1999-00 के आंकड़ों को क्रमशः बिहार एवं उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया है।

**वर्ष 1998-99, 1999-00 और 2000-01 के आंकड़े मध्य प्रदेश में शामिल किए गए हैं।

नागालैंड के लिए वित्तीय पैकेज

3183. श्री अनन्त नायक: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नागालैंड के लिए किसी वित्तीय पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस वित्तीय पैकेज के तहत आने वाली परियोजनाओं के लिए धनराशि कब तक आवंटित किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) जी, हां। प्रधानमंत्री जी ने 27-29 अक्तूबर, 2003 को अपने नागालैण्ड के दौरे के दौरान नागालैण्ड के विकास के लिए एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. भारत सरकार राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से नागालैण्ड में युवकों के लिए 25000 रोजगार और स्व-रोजगार अवसरों के सृजन हेतु एक योजना तैयार करेगी। इस योजना को लागू करने के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाए।

2. कोहिमा को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एन.एच.डी.पी.) के अंतर्गत पूर्व पश्चिम गलियारे के साथ जोड़ा जाएगा। कोहिमा-दीमापुर हिस्से को 400 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से चार लेनों वाला बनाया जाएगा।

3. टुएनसांग, मान, किफायर और वोखा जिलों में सड़कों के निर्माण हेतु राज्य सरकार के प्रस्ताव को 75 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जाएगा।

4. भारत सरकार द्वारा लगभग 105 करोड़ रुपए की लागत से 23 मेगावाट की एक ताप बिजली परियोजना वित्तपोषित की जाएगी।

5. भारत सरकार द्वारा लुमामी में नागालैंड विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास हेतु 35 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कोहिमा परिसर के विकास हेतु 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

6. कोहिमा में एक नए सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

7. नागालैंड में 20 करोड़ रुपए की सूचना प्रौद्योगिकी हेतु एक क्षेत्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी।

8. विज्ञान की शिक्षा हेतु हायर सेकेण्डरी और हाई स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए और बालिकाओं की शिक्षा की सुविधा हेतु 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

9. मान और टुएनसांग सहित समस्त जिला मुख्यालयों में जिला अस्पतालों को 15 करोड़ रुपये की लागत से अपग्रेड किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

10. दीमापुर परामर्श अस्पताल को चालू नहीं किया गया है। निधियों की आवश्यकता का एक संयुक्त दल द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और जरूरी वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी।

11. स्व-सहायता समूहों के लिए और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए 15 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

12. तीन वर्षों की अवधि तक राज्य में झुम के नियंत्रण के लिए और बागवानी के विकास हेतु 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी।

13. दस करोड़ रुपए की लागत से बागवानी, पुष्पोत्पादन और औषधीय पादपों के विकास हेतु एक केन्द्र की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा स्थापित बांस मिशन को सहारा देने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

14. पर्यटन संबंधी एक संयुक्त कार्यबल सार्वजनिक-निजी साझेदारी पर आधारित एक कार्य योजना तैयार करेगा। उत्तरी नागालैण्ड, विशेषकर मान जिले में क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक पर्यटन सर्किट का विकास किया जाएगा जिसके लिए अगले तीन वर्षों के दौरान 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी।

15. दीमापुर, कोहिमा और अन्य शहरों में पारिस्थितिक-अनुकूल नगरीय कूड़ा-करकट के उपचार संयंत्रों के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

16. दो वर्षों की अवधि में कोहिमा में इन्दिरा गांधी स्टेडियम के शेष निर्माण-कार्यों को पूरा करने के लिए 18 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

17. टुली में नागालैंड पेपर एण्ड पल्प कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव पर फिर से विचार किया जाएगा जिसमें संबंधित मंत्रालय शामिल होंगे।

18. दीमापुर से कोहिमा तक रेलवे लाइन को बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण पूरा हो जाने पर इस परियोजना पर विचार किया जाएगा।

इस समय योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया सभी संबंधितों द्वारा लागू की जा रही है।

[हिन्दी]

पी.एम.जी.वाई. के अंतर्गत धनराशि का आवंटन

3184. श्री सुरेश चन्देल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को विशेषकर हिमाचल प्रदेश को कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) इसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्यों में विशेषकर हिमाचल प्रदेश में इसके अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) विगत दो वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश सहित प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) का राज्यवार आबंटन का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) पीएमजीवाई के अंतर्गत छः घटक, अर्थात् प्राथमिक स्वास्थ्य, रक्षा, सुरक्षित पेय जल, सार्वजनीन प्रारंभिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, पोषाहार और ग्रामीण विद्युतीकरण हैं। ये सामाजिक क्षेत्रक

कार्यक्रम मुख्य रूप से राज्य क्षेत्रक में हैं। जबकि योजना आयोग एसीए आबंटन के माध्यम से इन कार्यक्रमों के लिए राज्य के संसाधनों की कमी को पूरा करता है, पीएमजीवाई का कार्यान्वयन राज्य सरकारों पर निर्भर है। पीएमजीवाई के छः क्षेत्रकीय कार्यक्रमों में से किसी के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। फिर भी, राज्यों को पीएमजीवाई के अंतर्गत निधियां जारी किया जाना कार्यक्रम के कार्यान्वयन की संतोषप्रद प्रगति पर आधारित है। पीएमजीवाई के अंतर्गत वित्तीय और वास्तविक दोनों प्रगति की योजना आयोग द्वारा मानीटरिंग की जा रही है।

विवरण

वर्ष 2001-02 और 2002-03 के लिए पीएमजीवाई के अंतर्गत एसीए का राज्यवार आवंटन

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	एसीए आबंटन 2001-02	एसीए आबंटन 2002-03
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	15911.00	15644.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	6817.00	6500.00
3.	असम	20112.00	19000.00
4.	बिहार	24579.00	24173.00
5.	छत्तीसगढ़	3517.00	3435.00
6.	गोवा	87.00	72.00
7.	गुजरात	7256.00	7122.00
8.	हरियाणा	1879.00	1834.00
9.	हिमाचल प्रदेश	7908.00	7000.00
10.	जम्मू और कश्मीर	19217.00	18000.00
11.	झारखंड	7592.00	7446.00
12.	कर्नाटक	8415.00	8273.00
13.	केरल	7737.00	7608.00
14.	मध्य प्रदेश	9225.00	8500.00
15.	महाराष्ट्र	11103.00	10917.00
16.	मणिपुर	5439.00	4800.00
17.	मेघालय	4546.00	4112.00
18.	मिजोरम	5041.00	4300.00
19.	नागालैंड	4526.00	4526.00
20.	उड़ीसा	11038.00	10863.00
21.	पंजाब	4525.00	4442.00
22.	राजस्थान	10797.00	10611.00
23.	सिक्किम	3798.00	3000.00
24.	तमिलनाडु	11736.00	11547.00
25.	त्रिपुरा	7084.00	5000.00
26.	उत्तर प्रदेश	37671.00	37087.00
27.	उत्तरांचल	3907.00	7000.00
28.	पश्चिम बंगाल	18796.00	18490.00

[अनुवाद]

आई.टी.डी.सी. के होटलों का निजीकरण

3185. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटन विकास निगम ने आई.टी.डी.सी. के कुछ होटलों का निजीकरण कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे होटलों के नाम क्या हैं और उन कर्मचारियों की श्रेणी-वार एवं होटल-वार संख्या कितनी है जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुना है;

(ग) कितने रोजगार घटाए गए और इसके परिणामस्वरूप कितनी वार्षिक बचत हुई;

(घ) क्या सरकार का विचार कुछ और रोजगार घटाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संरचना के संदर्भ में अब तक भारत पर्यटन विकास निगम लि. की 18 होटल सम्पत्तियां विनिवेशित की जा चुकी हैं और एक होटल

सम्पत्ति को दीर्घकालिक पट्टा-सह-प्रबंधन अनुबन्ध कर दिया गया है। इन 19 होटल सम्पत्तियों में 9 होटलों में विनिवेश से पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आरम्भ की गई थी। इन 19 विनिवेशित होटलों का ब्यौरा, विनिवेश के समय इनमें कर्मचारियों की संख्या तथा उन होटलों में, जिनमें विनिवेश से पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आरम्भ की गई थी, उनमें ऐसे कर्मचारियों की होटल-वार संख्या, जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुना था, विवरण में दी गई है। उन होटलों जहां विनिवेश के पश्चात् नए प्रबंधन द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आरम्भ की गई थी, का श्रेणी-वार ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सम्यक समय में सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) चूंकि होटलों को पहले ही अधिकार से वंचित कर दिया गया था अत: इन होटलों में श्रम शक्ति के यौक्तिकरण के परिणामस्वरूप सरकार अथवा भारत पर्यटन विकास निगम को कोई बचत नहीं होगी।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अतिरिक्त श्रम शक्ति के यौक्तिकरण के प्रयोजन के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना एक सतत् प्रक्रिया है। भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का एक नया दौर 1 दिसम्बर, 2003 को घोषित किया था। इस घोषणा की प्रतिक्रिया में 215 कर्मचारियों (58 व्यवस्थापकीय तथा 157 गैर-व्यवस्थापकीय) ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना है।

विवरण

(क) ऐसे मामले, जहां विनिवेश से पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आरम्भ नहीं की गई थी और विनिवेश के समय सभी कर्मचारियों को नए प्रबंधन द्वारा अधिकार में ले लिया गया था:-

क्र.सं.	होटल का नाम	विनिवेश के समय कर्मचारियों की कुल संख्या
1.	होटल बंगलौर अशोक (एयरपोर्ट रेस्तरां सहित)	396
2.	एलवीपीएच, उदयपुर	87
3.	कुतुब, नई दिल्ली	176
4.	लोधी	222
5.	बोधगया	36
6.	हसन अशोक	31
7.	मदुरै अशोक	61
8.	टीबीएबीआर, मामल्लापुरम	57
9.	आगरा अशोक	84
10.	चण्डीगढ़ परियोजना	शून्य

(ख) ऐसे मामले, जहां विनिवेश से पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आरम्भ की गई थी और उन कर्मचारियों का ब्यौरा जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुना था:-

क्र.सं.	होटल का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या			उन कर्मचारियों की सं. जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुना था		
		व्यवस्थापकीय	गैर-व्यवस्थापकीय	कुल	व्यवस्थापकीय	गैर-व्यवस्थापकीय	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	होटल एयरपोर्ट अशोक, कोलकाता (एयरपोर्ट रेस्तरां सहित)	26	445	471	14	152	166
2.	कोवलम अशोक बीच रिसोर्ट	26	335	361	14	191	205
3.	होटल मनाली अशोक	2	17	19	4	2	6
4.	होटल खजुराहो अशोक	3	37	40	2	37	39
5.	होटल वाराणसी अशोक	9	105	114	5	25	30
6.	होटल औरंगाबाद अशोक (एयरपोर्ट रेस्तरां सहित)	6	66	72	3	57	60

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	होटल कनिष्का, नई दिल्ली	36	544	580	22	280	302
8.	होटल इन्द्रप्रस्थ, नई दिल्ली	22	351	373	10	157	167
9.	होटल रणजीत, नई दिल्ली	14	143	157	10	48	58

जिन कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प नहीं चुना था उन्हें विनिवेश के समय नए प्रबंधन को हस्तांतरित कर दिया गया था।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची

3186. श्री राजो सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में आज तक नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में कुल कितने आवेदक हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य में कितने नए कनेक्शन दिए गए और उक्त अवधि के दौरान विभाग को कितने आवेदन प्राप्त हुए; और

(ग) सरकार द्वारा प्रतीक्षा सूची समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) बिहार दूरसंचार सर्किल में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए, 31.12.2003 की स्थिति के अनुसार, प्रतीक्षा-सूची में कुल 1.21 लाख आवेदक दर्ज हैं।

(ख) गत दो वर्षों (2001-2003) के दौरान बीएसएनएल द्वारा रिलीज किए गए नए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या और इसी अवधि के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है:-

रिलीज किए गए कनेक्शनों की संख्या (लाख लाइनें)	प्राप्त आवेदनों की संख्या (लाख में)
2.55	2.50

(ग) वर्ष 2003-04 के दौरान, बीएसएनएल ने प्रतीक्षा-सूची को निपटाने के लिए कुल 2.5 लाख डीईएल (सीधी एक्सचेंज लाइनें) प्रदान करने की योजना बनाई है।

[अनुवाद]

जीवन रक्षक मशीनों की खरीद

3187. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में कुछ ऐसे केन्द्रीय अस्पताल हैं जिनमें जीवन रक्षक मशीन नहीं है;

(ख) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन मशीनों को खरीदने हेतु ऐसे अस्पतालों के लिए धनराशि स्वीकृत एवं जारी की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और और इन आवश्यक जीवन रक्षक मशीनों की खरीद हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभ भाई कथीरिया): (क) से (ग) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में जीवन रक्षक मशीनों की कोई कमी नहीं है। अद्यतन जीवन रक्षक उपकरणों सहित मशीनें/उपकरण रखने वाले केन्द्र सरकार के अस्पतालों का उन्नयन आवश्यकताओं और वित्तीय संसाधनों पर आधारित है और यह एक सतत प्रक्रिया है।

प्रमाण-पत्रों का अभिप्रमाणन

3188. श्री टी. गोविन्दन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौकरी चाहने वालों को मंत्रालय से प्रमाण-पत्र अधिप्रमाणित कराने में कठिनाई आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केरल ने राज्य में क्षेत्रीय अधिप्रमाणन केन्द्र स्थापित कराने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान: (क) और (ख) हाल ही में खाड़ी के कुछ देशों ने कार्य परमिट वीजा प्राप्त करने हेतु शैक्षिक प्रमाणपत्रों के अधिप्रमाणन को अनिवार्य कर दिया है। पिछले वर्ष (अर्थात् 2003) के मध्य से अधिकांश रोजगार प्राप्तकर्त्ताओं ने अपना कार्य स्थल खाड़ी देश को ही बताया है। इस कारण लोगों की भीड़ काफी बढ़ गई है। इन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु इस मंत्रालय ने नई दिल्ली में अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की है तथा एक अतिरिक्त काउंटर भी खोला है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) तिरूवनन्तपुरम में हाल ही में एक क्षेत्रीय अधिप्रमाणन केन्द्र खोला गया है और इस केन्द्र ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के लिए केंद्रीय आरक्षित निधि (सी.आर.एफ.) के अंतर्गत धनराशि

3189. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002-03 और 2003-04 के लिए मध्य प्रदेश में अंतर्राज्यीय और आर्थिक रूप से पिछड़े महत्वपूर्ण मार्गों के लिए केंद्रीय आरक्षित निधि के अंतर्गत कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है; और

(ख) शेष धनराशि कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व के अंतर्गत सड़कों के सुधार की स्कीम के तहत परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान संपूर्ण देश के लिए केंद्रीय सड़क निधि से 100.00-100.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था। प्रस्तावों को अनुमोदन पारस्परिक प्राथमिकता और यातायात की आवश्यकता के आधार पर दिया जाता है। मध्य प्रदेश हेतु इस धनराशि में कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया है।

संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना

3190. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार को संस्कृत शिक्षा के विकास, प्रसार और प्रोत्साहन देने के लिए 68 लाख रुपये और इससे संबंधित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए 14 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ अब तक प्रदान की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष धनराशि कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है और तत्संबंधी विलंब के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान: (क) जी, हां। मध्य प्रदेश राज्य सरकार और मध्य प्रदेश संस्कृत बोर्ड से प्राप्त प्रस्ताव का कुल मूल्य 14.89 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग) सहायता अनुदान समिति द्वारा अनुमोदित अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। प्रस्तावों की जांच तथा सिफारिश करने के लिए सहायता अनुदान समिति की समय-समय पर बैठक आयोजित की जाती है और इस समिति द्वारा सिफारिश किए जाने तथा निधियां उपलब्ध होने पर अनुदान दिए जाते हैं।

विवरण

क्र.सं.	मद	प्रस्तावित राशि (रु. में)	संस्वीकृत राशि (रु. में)
1	2	3	4
(क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार			
1.	संस्कृत छात्रवृत्ति हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक स्कूल	4,52,50,000/-	4,52,50,000/-

1	2	3	4
2.	हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत शिक्षकों की व्यवस्था	6,50,76,000/-	-
3.	संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण	1,31,00,000/-	1,31,00,000/-
4.	संस्कृत शिक्षक प्रबोधन कार्यक्रम	84,28,500/-	-
5.	कालिदास समारोह	12,29,000/-	12,29,000/-
	कुल	13,30,83,500/-	5,95,79,000/-
(ख)	मध्य प्रदेश संस्कृत बोर्ड		
1.	संस्कृत दिवस समारोह	7,73,000/-	-
2.	कालिदास नाट्य समारोह	11,03,250/-	-
3.	संस्कृत अनुसंधान वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन	50,000/-	-
4.	शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम	48,53,000/-	39,24,875/-
5.	संस्कृत पाठशालाओं में कम्प्यूटर शिक्षा	68,00,000/-	-
6.	अनुसंधान संगोष्ठी	2,00,000/-	-
7.	संस्कृत पुस्तकालय की स्थापना	7,20,000/-	-
8.	अखिल भारतीय संस्कृत महोत्सव	5,12,500/-	-
9.	आकाशवाणी और कम्प्यूटर के माध्यम से संस्कृत शिक्षण/कार्यक्रम	8,50,000/-	-
	कुल	1,58,61,750/-	39,24,875/-
	क और ख का कुल योग	14,89,45,250/-	6,35,03,875/-

[अनुवाद]

ग्रामीण डाक कर्मचारियों को प्रोत्साहन

3191. श्री परसुराम माझी:
श्री अनन्त नायक:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव गांवों में कार्यरत डाक कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या कार्यक्रम तैयार किये गये हैं और ये प्रोत्साहन किस वर्ष से दिये जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) और (ख) ग्रामीण डाक सेवक प्रणाली, उनके रोजगार की शर्तों, वेतन ढांचे आदि की जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति तलवार समिति (जेटीसी) ने इस संबंध में अनेक सिफारिशें की, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, उनके स्टेटस, पेंशन प्रदान करने, प्रसूति छुट्टी सहित अन्य छुट्टी आदि जैसे मुद्दे शामिल हैं। जेटीसी की इन सिफारिशों पर मंत्रियों के समूह (जी ओ एम) ने ध्यानपूर्वक विचार किया तथा तदनंतर सरकार द्वारा आदेश जारी

किए गए। उक्त आदेशों के जरिए ग्रामीण डाक सेवकों को प्रदान किए गए लाभों के पैकेज में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) ग्रामीण डाक सेवकों के भत्ते को 1.1.1996 से 28.2.1998 तक की अवधि के लिए 3.25 के घटक के द्वारा बढ़ाया जाना।

(2) कार्य भार से संबंधित मासिक भत्ते के स्थान पर समय संबद्ध निरंतरता भत्ते की अवधारणा की 01.3.1998 से शुरूआत करना।

(3) अनुग्रह उपदान राशि को 6,000/- रुपए से 18000/- रुपए तक बढ़ाना।

(4) आगे ले जाने अथवा नकदीकरण के प्रावधान के बिना प्रत्येक आधे वर्ष के लिए 10 दिन की दर से सवेतन छुट्टी की अवधारणा की शुरूआत करना।

(5) कार्यालय रख-रखाव भत्ते को 25/- रु. से बढ़ाकर 50/- रु. प्रति माह करना।

(6) 65 वर्ष की आयु होने पर नौकरी से कार्यमुक्त होने अथवा मृत्यु हो जाने पर जीडीएस को 30,000/- रुपए की एकमुश्त सेवा विच्छेद राशि प्रदान की जाएगी बशर्ते कि उसने 20 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी की हो। हालांकि, 15-20 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी करने वाले ग्रामीण डाक सेवकों के लिए यह सेवा विच्छेद राशि 20,000/- रु. होगी। 15 वर्ष की निरन्तर सेवा के बाद नियमित विभागीय पद पर विलयन होने पर यह सेवा विच्छेद राशि 20,000/- रु. होगी।

ग्रामीण डाक जीवन बीमा निगम के अंतर्गत, ग्रामीण पीएलआई के कारबार में कार्यरत ग्रामीण डाक सेवकों, शाखा पोस्टमास्टरों/उप-पोस्टमास्टरों को कुल बीमा राशि के प्रति 1000/- रु. पर 2.50 रु. की दर से प्रोत्साहन राशि/कमीशन भी प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें बाद में वसूले गए प्रीमियम का वास्तविक राशि पर 1% की दर से भी भुगतान किया जाता है।

ग्रामीण संचार सेवा नामक एक योजना है जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि ऐसे ग्रामीण डाक सेवकों को जो बीएसएनएल की मोबाइल पीसीओ स्कीम के लिए फ्रैंचाइज के रूप में स्वैच्छिक रूप से कार्य करते हैं और इसके योग्यता संबंधी मानदण्डों को पूरा करते हैं, उनको बीएसएनएल द्वारा अर्जित राजस्व का 20% तथा 5/- रु. प्रति इन कमिंग काल के हिसाब से कमीशन का भुगतान किया जाता है।

सरकार के पास इन मौजूदा सुविधाओं/प्रोत्साहनों को और बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्वर्णिम चतुर्भुज सड़कों के साथ-साथ अपवहन प्रणाली

3192. श्री अनिल बसु: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत सड़कों के दोनों किनारों के लिए अपवहन प्रणाली बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत सड़कों का निर्माण पर्याप्त जल निकासी व्यवस्था के साथ किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में सामान्यत: सड़कों के दोनों ओर जल निकासी व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है जबकि गैर-शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों से बरसात के पानी की निकासी पेवमेंट/शोल्डरों में उत्तलता से होती है। आवश्यकता और कार्यस्थल की स्थिति के अनुसार, माध्यिका नालियों, ढलान नालियों और आर-पार जल निकासी की व्यवस्था की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पश्चात् की स्थिति

3193. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राष्ट्रीय राजमार्गों और गलियारों के निर्माण के पश्चात् की स्थिति का प्रभावी ढंग से रखरखाव नहीं किया जाता और रखरखाव के कार्य को अलग बजट के साथ एक अलग डिविजन द्वारा नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए क्रमशः एक अलग डिवीजन और सड़क अनुरक्षण प्लाटून द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के पश्चात् की स्थिति का प्रभावी ढंग से रखरखाव किया जा रहा है। राज्य सरकारों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का भी संबंधित राज्य सरकारों के लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध धनराशि के अंतर्गत प्रभावी ढंग से रखरखाव किया जा रहा है।

इन्सुलिन के स्थान पर जड़ी-बूटी उत्पाद का उपयोग

3194. श्री बी. वेंकटेस्वरलु:
श्री राजैया मल्याला:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मधुमेह के रोगियों के लिए इन्सुलिन के स्थान पर जड़ी-बूटी उत्पाद के उपयोग का पता लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) सरकार मधुमेह के रोगियों के लिए इन्सुलिन के स्थान पर किसी जड़ी-बूटी उत्पाद के उपयोग से अवगत नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जल्दबाजी और नशे की हालत में वाहन चलाना

3195. श्री राम टहल चौधरी:
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दशक से जल्दबाजी, लापरवाही और नशे की हालत में वाहन चलाने और तत्काल मौत होने की घटनाएं 21-34 वर्ष के आयु समूह में तुलनात्मक रूप से बढ़ी हैं;

(ख) क्या भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार 100 मि.ग्रा. रक्त में अल्कोहल सान्द्रता 30 मि.ग्रा. होने की स्थिति में वाहन चलाना गैर कानूनी है जबकि अमरीका और यूरोप के कई देशों में यह सीमा 8 मि.ग्रा. है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार चूककर्ताओं को कठोर दंड देकर कानून को सख्त बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) इस मंत्रालय द्वारा इस प्रकार के विशिष्ट आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते हैं।

(ख) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 185 के अंतर्गत 100 मि.ग्रा. रक्त में अल्कोहल सान्द्रता 30 मि.ग्रा. होने की स्थिति में वाहन चलाना या वाहन चलाने का प्रयास करना अपराध है। मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत भारत में निर्धारित सीमा कनाडा, यू.के. और अन्य कई यूरोपीय देशों की सीमाओं से अधिक कठोर है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मोटर यान अधिनियम में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। जब भी ऐसी आवश्यकता होती है, अधिनियम में संशोधन किए जाते हैं।

डिग्रियों पर कम्प्यूटर माइक्रोचिप लगाया जाना

3196. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को जाली डिग्रियों के चलन को रोकने के लिए विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली डिग्रियों पर कम्प्यूटर माइक्रोचिप लगाने के दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जाली डिग्रियों के खतरे को रोकने के लिए अन्य क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान: (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में जाली विश्वविद्यालयी डिग्रियों से निपटने के उद्देश्य से सिद्धान्ततः एक सूक्ष्म लघु इलैक्ट्रानिक चिप लगाने का निर्णय लिया है जिसमें छात्र, आदि से संबंधित सभी संगत जानकारी होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को अपनी डिग्रियों में ऐसी सूक्ष्म चिप लगाने के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करने का परामर्श दिया है।

मस्तिष्क ज्वर रोधी टीकों की आपूर्ति

3197. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र की अन्तर्राष्ट्रीय बाल आकस्मिक निधि (यूनीसेफ) ने जापानी मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित लोगों के लिए टीके की आपूर्ति करने में अपनी असमर्थता जतायी है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश में जापानी मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित रोगियों के लिए अधिकांश गांवों की पहचान अत्यधिक खतरे वाले क्षेत्रों के रूप में की है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से कोई सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना अनुसार यूनिसेफ ने वर्ष 2001 में इस राज्य को जापानी इनसेफैलाइटिस वैक्सीन की 8,05,410 खुराकों की आपूर्ति की। तथापि, वर्ष 2002 में राज्यों की जापानी इनसेफैलाइटिस की एक मिलियन खुराकों की मांग के लिए यूनिसेफ, विश्व में वैक्सीन की अत्यधिक कमी के कारण कोई भी आपूर्ति करने में सक्षम नहीं था। इसलिए, राज्य सरकार ने वियतनाम से वैक्सीन की 8.9 लाख खुराकों की खरीद की। राज्य के लगभग 1008 गांवों (आवास क्षेत्र) की पहचान जापानी इनसेफैलाइटिस के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र के रूप में की गई है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली ने आंध्र प्रदेश सरकार को वर्ष 2002 में जापानी इनसेफैलाइटिस की 1.10 लाख खुराकों और वर्ष 2003 में 2 लाख खुराकों की आपूर्ति की। तथापि, 2 लाख अतिरिक्त खुराकों की आपूर्ति के लिए आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली से इस खर्च को अगले आदेशों तक आस्थगित रखने के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश सरकार को तकनीकी दिशानिर्देश और लार्वानाशक एवं कीटनाशक आदि जैसी सामग्री के रूप में सहायता प्रदान की गई है। क्षेत्र दौरों के लिए विशेषज्ञ दल भी भेजे गए हैं।

[हिन्दी]

गरीब रोगियों को वित्तीय सहायता

3198. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय चिकित्सालयों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और सफदरगंज अस्पताल आदि जैसे अति विशेषज्ञता वाले स्वास्थ्य केन्द्रों में गरीब रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई अनुदान आवंटित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(घ) प्रत्येक चिकित्सालय और संस्थान द्वारा आबंटित धनराशि में से खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय आरोग्य निधि (पहले राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि के रूप में जानी जाती थी) स्कीम के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और बड़े जानलेवा रोगों से ग्रसित रोगियों को सरकारी अस्पतालों में उपचार कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष	बजट के अंतर्गत आबंटित धनराशि (रुपए लाख में)	जारी की गई राशि (रुपए लाख में)
2000-2001	50.00	30.00
2001-2002	30.00	30.00
2002-2003	30.00	30.00
2003-04 (जनवरी, 04 तक)	130.00	100.00

[अनुवाद]

विज्ञान के अध्ययन के लिए संस्थाओं की स्थापना

3199. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने चालू वर्ष में विज्ञान के क्षेत्र में अनन्य रूप से समर्पित कुछ संस्थाओं की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है; और

(घ) इन संस्थाओं को कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान: (क) से (घ) देश में चार राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान

स्थापित करने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत धनराशि का वितरण

3200. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2003-04 के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत योजनाओं के लिए आबंटित धनराशि जिलों को वितरित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्यों को, राज्यवार, वास्तव में कितनी धनराशि वितरित की गई है;

(घ) उन संसद सदस्यों का ब्यौरा क्या है जिनकी धनराशि अभी तक नहीं भेजी गई है; और

(ङ) शेष धनराशि कब तक वितरित कर दिए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए चालू वित्तीय वर्ष (2003-04) में बजट में 1580 करोड़ रु. प्रदान किए गए थे। 1579.50 करोड़ रु. पहले ही जिला प्राधिकारियों को जारी किए जा चुके हैं।

(ग) वर्ष 2003-04 के दौरान जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जिला प्रशासनों से दिनांक 30.1.2004 तक प्राप्त सूचना के अनुसार पूर्व सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों सहित 50 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, धनराशि पाने के लिए पात्र हैं। ऐसे सांसदों की सूची संलग्न विवरण 2 में उपलब्ध है। धनराशि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांग की गई है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य	कुल (करोड़ रु.)
1	2	3
1.	नामित	22.0
2.	आंध्र प्रदेश	119.0
3.	अरुणाचल प्रदेश	6.0
4.	असम	45.0
5.	बिहार	105.5
6.	गोवा	8.0
7.	गुजरात	73.0
8.	हरियाणा	30.0
9.	हिमाचल प्रदेश	11.0
10.	जम्मू और कश्मीर	21.0
11.	कर्नाटक	83.0
12.	केरल	62.0
13.	मध्य प्रदेश	81.0
14.	महाराष्ट्र	123.0
15.	मणिपुर	6.0
16.	मेघालय	7.0
17.	मिजोरम	4.0
18.	नागालैंड	5.0
19.	उड़ीसा	64.0
20.	पंजाब	45.0
21.	राजस्थान	69.0
22.	सिक्किम	3.0
23.	तमिलनाडु	110.0
24.	त्रिपुरा	6.0
25.	उत्तर प्रदेश	226.0
26.	पश्चिम बंगाल	122.0

1	2	3
27.	अंडमान एवं निकोबार	3.0
28.	चंडीगढ़	2.0
29.	दादर एवं नागर हवेली	2.0
30.	दमन एवं दीव	2.0
31.	दिल्ली	18.0
32.	लक्षद्वीप	2.0
33.	पांडिचेरी	3.0
34.	छत्तीसगढ़	33.0
35.	उत्तरांचल	13.0
36.	झारखंड	45.0
	कुल	1579.5

विवरण II

लोक सभा

क्र.सं.	नाम	निर्वाचन क्षेत्र
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
1.	डा. एस. वेणुगोपाल चारी	आदिलाबाद
2.	श्री बोदाकुंती वेंकटेश्वरलु	वारंगल
असम		
3.	श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी	बारपेटा
बिहार		
4.	श्री दिग्विजय सिंह	बांका
5.	श्री नितिश कुमार	बाढ़
6.	डा. अरुण कुमार	जहानाबाद
7.	श्री शरद यादव	माधेपुरा
8.	डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	वैशाली
गुजरात		
9.	श्री पी.एस. गढवी	कच्छ
हिमाचल प्रदेश		
10.	श्री सुरेश चंदेल	हमीरपुर
जम्मू और कश्मीर		
11.	श्री अब्दुल रशीद शाहीन	बारामूला
केरल		
12.	श्री के. करूणाकरण	मुकुंदपुरम
मध्य प्रदेश		
13.	श्री जयभान सिंह पवैया	ग्वालियर
महाराष्ट्र		
14.	श्री प्रकाश अंबेडकर	अकोला
15.	श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे	चिमूर
16.	श्री विलास मुत्तेमवार	नागपुर
17.	श्री सुरेश प्रभु	राजापुर
उड़ीसा		
18.	श्रीमती कुमुदनी पटनायक	असका
19.	श्री पदमनवा बेहरा	फुलबनी
20.	श्री प्रसन्न आचार्य	सम्बलपुर
पंजाब		
21.	श्री रघुनंदनलाल भाटिया	अमृतसर
22.	श्री जगजीत बरार	फरीदकोट
23.	श्री विनोद खन्ना	गुरदासपुर
24.	श्री चरणजीत सिंह चन्नी	होशियारपुर
25.	श्री शमशेर सिंह	रोपड़
तमिलनाडु		
26.	श्री टी.आर. बालू	दक्षिणी चेन्नई
उत्तर प्रदेश		
27.	श्री राम रति बिंद	मिर्जापुर

1	2	3
पश्चिम बंगाल		
28.	श्री रानेन बर्मन	बलूरघाट
29.	श्री निखिल आनंद सार	बर्दवान
30.	कुमारी ममता बनर्जी	दक्षिण कोलकाता
31.	श्री अमर राय प्रधान	कूच बिहार
32.	श्री सामिक लहरी	डायमंड हार्बर
33.	श्री तपन सिकदर	डमडम
पांडिचेरी		
34.	श्री एम.ओ.एच. फारूख	पांडिचेरी
दिल्ली		
35.	श्री विजय गोयल	चांदनी चौक
36.	श्री मदन लाल खुराना	दिल्ली सदर
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह		
37.	श्री विष्णुपद रे	अंडमान निकोबार द्वीप समूह
छत्तीसगढ़		
38.	श्री रमन सिंह	राजनंदगांव

राज्य सभा

क्र.सं.	नाम	केंद्रक जिला
गुजरात		
1.	श्री केशुभाई एस. पटेल	जूनागढ़
हिमाचल प्रदेश		
2.	श्री अनिल शर्मा	मंडी
महाराष्ट्र		
3.	डा. (श्रीमती) नजमा हेपतुल्ला	मुंबई उप नगरी
4.	श्री सुरेश कलमाड़ी	पुणे
5.	श्री युसुफ सरवर खान उर्फ दिलीप कुमार	पुणे

1	2	3
उड़ीसा		
6.	श्री मन मोहन समल	भद्रक
पंजाब		
7.	श्री सुखबीर सिंह	मुक्तसर
राजस्थान		
8.	डा. (श्रीमती) प्रभा ठाकुर	अजमेर
तमिलनाडु		
9.	श्री आर. कामराज	थिरूवर
उत्तर प्रदेश		
10.	श्री शाहिद सिद्दीकी	सहारनपुर
नामित		
11.	डा. चंदन मित्रा	दिल्ली
पूर्व राज्य सभा		
12.	श्री सी.एम. इब्राहिम	शिमोगा (कर्नाटक)

निजी प्रैक्टिस पर एक समान नीति

3201. श्री राममोहन गाड्डे:
श्री वाई.वी. राव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय चिकित्सा संघ (आंध्र प्रदेश इकाई) से सरकारी चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निजी प्रैक्टिस करने के संबंध में एक समान नीति लागू करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) इंडियन मेडीकल एसोसिएशन (आंध्र प्रदेश यूनिट) से इस प्रकार का प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

महासागर संपदा का दोहन

3202. **श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महासागर संपदा का दोहन कर लाखों नवयुवकों को रोजगार देने हेतु कोई नीति बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी नहीं। इस संबंध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के माध्यम से रोजगार सृजन

3203. **श्री किरीट सोमैया:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्णिम चतुर्भुज उत्तर-दक्षिण पूर्व-पश्चिम राजमार्ग परियोजना के माध्यम से रोजगार का सृजन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस संबंध में कोई अध्ययन या सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के शुरू होने से आज की तिथि तक सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी हां।

(ख) से (घ) इस संबंध में कोई अध्ययन अथवा सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, अनुमान के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (स्वर्णिम चतुर्भुज तथा उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग) चरण-1 से ही लगभग 180 मिलियन श्रम दिवस रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

[हिन्दी]

सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों के लिए नेचुरोपैथी/योग

3204. **डा. रमेश चंद तोमर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी के एलोपैथी डाक्टर प्राय: मरीजों को नैचुरोपैथी और योग केन्द्रों पर नहीं भेजते हैं जबकि सी.जी.एच.एस. के ऐसे दो मान्यता प्राप्त संस्थान दिल्ली के अस्पतालों की रेफरल लिस्ट में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मरीज लाइन के लिए सीधे ऐसे केन्द्रों पर जा सकते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन केन्द्रों पर इलाज कराने का क्या प्रावधान है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) सी.जी.एच.एस. मान्यता प्राप्त प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग केन्द्रों में उपचार के लिए रेफर की अपेक्षा वाले सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों को सरकार के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमति प्रदान की जाती है। सी.जी.एच.एस. दिल्ली के अंतर्गत किसी भी लाभार्थी को अनुमति प्रदान नहीं करने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) उपर्युक्त (क) में सूचना दी गई है।

[अनुवाद]

मोबाइल फोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची

3205. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ महीनों से मध्य प्रदेश में मोबाइल फोन कनेक्शन उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य में अतिरिक्त मोबाइल फोन कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) 30 नवम्बर, 2003 तक की तारीख के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने व्यक्ति मोबाइल फोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(घ) उन्हें कब तक कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, नहीं। मध्य प्रदेश में निजी सेल्यूलर प्रचालक नाम्त: मै. रिलायंस टेलीकाम लि., मै. भारती सेल्यूलर

लि. और मै. बीटीए सेलकाम लि. जहां कहीं भी उनके नेटवर्क काम कर रहे हैं, मोबाइल फोन कनेक्शन प्रदान कर रहे हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड भी मध्य प्रदेश में जहां-कहीं उनका नेटवर्क काम कर रहा है, तीन महीने पहले तक सेल फोन प्रदान करता रहा है। तथापि, पिछले तीन महीनों से भारत संचार निगम लिमिटेड सेल्यूलर नेटवर्क क्षमता में गतिरोध के चलते अतिरिक्त कनेक्शन जारी करने की स्थिति में नहीं है।

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा अपने सेल्यूलर नेटवर्क के विस्तार के लिए, एक नई निविदा के जरिए, उपस्कर के प्रापण की कार्रवाई शुरू की गई है।

(ग) भारत संचार निगम लिमिटेड मोबाइल कनैक्शनों के लिए कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं करता है।

(घ) उपस्कर उपलब्ध होने पर बीएसएनएल द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के दौरान नए कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावना है।

आई बी पी में शेयरों की बिक्री

3206. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इंडो-बर्मा पेट्रोलियम लिमिटेड में अपने शेष 26 प्रतिशत शेयरों की बिक्री करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की यह 26 प्रतिशत हिस्सेदारी विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जनता को दी जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी बिक्री करने के क्या कारण हैं और अभी तक क्या कार्य प्रणाली, यदि कोई हो, अपनाई गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आई बी पी कम्पनी लि. के शेष बचे 26 प्रतिशत शेयरों की बिक्री सरकार की विनिवेश नीति तथा शेयरधारक करार के उपबन्धों के अनुसरण में ही है। इसमें अपनाई जा रही रूपात्मकता, बुक बिल्डिंग मार्ग के माध्यम से 'बिक्री की पेशकश' है जिसमें जनसाधारण भागीदारी करेंगे।

[हिन्दी]

इराक में भारतीयों को मुआवजा

3207. श्रीमती रीना चौधरी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका द्वारा इराक में हाल ही में समाप्त हुए युद्ध के दौरान कई भारतीयों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इराक सरकार द्वारा कितने भारतीयों को मुआवजा दिया गया और केन्द्र सरकार के पास अभी तक मुआवजे के कितने मामले लंबित हैं; और

(घ) उन्हें कब तक मुआवजा दिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) इराक के हाल के युद्ध के दौरान, सरकार को, किसी भारतीय राष्ट्रिक की सम्पत्ति के नुकसान की सूचना नहीं मिली है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मार्गों को पूरा करना

3208. श्री महेश्वर सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** 31 जुलाई, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2460 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 38 मार्गों का कार्य पूरा करने की अवधि क्या है;

(ख) क्या विभाग पूरे हुए कार्य से संतुष्ट है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) कुल 102.35 कि.मी. लम्बे मार्ग के लिए 38 आप्टिकल फाइबर मार्गों में से 34 मार्गों का कार्य पहले ही 31 जुलाई, 2002 तक पूरा किया जा चुका है। शेष चार मार्गों में से दो मार्गों का कार्य, जिन पर पहले से कार्य हो रहा था। 11 नवम्बर, 2002 और 26 मार्च, 2003 को पूरा कर लिया गया था। दो मार्गों का कार्य, जिनके लिए निविदाएं दुबारा आमंत्रित की गई थीं, भी 25 फरवरी, 2003 और 22 अगस्त, 2003 को पूरा कर लिया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) सभी 38 मार्गों का कार्य पूरा कर लिए जाने संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अनुभवहीन ठेकेदारों को दिया गया कार्य

क्र.सं.	दी गई स्कीम	मार्ग कि.मी.	स्थिति
1	2	3	4
1.	बेलखेड़ा तिराहा से नरसिंहपुर में सवानी ओएफसी ज्वाइंट तक	3.0	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
2.	श्रीनगर पुराना एक्सचेंज से जोतेश्वर तक	4.0	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
3.	टेलीफोन एक्सचेंज उमरिया से नरसिंहपुर के मुख्य एक्सचेंज ज्वाइंट तक	1.0	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
4.	खावसा एक्सचेंज से सेवनी मुख्य ओएफसी ज्वाइंट तक	1.1	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
5.	सिधी, बेबनी मार्ग ज्वाइंट सं. 40 तक	0.5	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
6.	चावी-मेहनवानी मार्ग	5.0	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
7.	कामहनपुर-जामुनी शोहडोल	1.3	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
8.	वेवहारी-बुधवा शोहडोल	12.0	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
9.	सुल्तानपुर-बिनेका	4.1	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
10.	बजानिया टीई से एम.एस. 4/2 तक	4.6	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
11.	सुखरस-खम्पाडना	5.5	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
12.	बालागांव टीई से एम.एस. तक	4.0	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
13.	रिजगांव टीई से आदमपुर टीई तक	6.5	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
14.	भेरूखेड़ा टीई से ज्वाइंट 19 तक	5.0	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
15.	पनडान्ना टीई से एम.एस. 6 के कि.मी.	4.6	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
16.	बोरगांव टीई से ज्वाइंट तक	1.2	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
17.	बरूड़ टीई से ज्वाइंट 11	4.8	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
18.	सिथल टीई से एम.एस. 4/0	4.0	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
19.	खिड़गांव टीई से ज्वाइंट	3.6	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
20.	पावड़ा पुराना एक्सचेंज से नए एक्सचेंज तक	2.5	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
21.	काम्पेल पुराना एक्सचेंज से नए एक्सचेंज तक	1.0	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
22.	राव पुराना एक्सचेंज से नए एक्सचेंज तक	0.8	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
23.	सिमरोल पुराना एक्सचेंज से नए एक्सचेंज तक	0.2	25.2.03 को पूरा किया गया
24.	भगोरा पुराना एक्सचेंज से नए एक्सचेंज तक	1.0	जुलाई 2002 में पूरा किया गया

1	2	3	4
25.	केलोड पुराना एक्सचेंज से नए एक्सचेंज तक	0.5	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
26.	कन्नोड पुराना एक्सचेंज से नए एक्सचेंज तक	0.2	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
27.	बिजवाड पुराना एक्सचेंज से नए एक्सचेंज तक	0.6	22.08.03 को पूरा किया गया
28.	कांटाफोडा पुराना एक्सचेंज से नए एक्सचेंज तक	0.2	26.3.03 को पूरा किया गया
29.	कुमारिया पुराना एक्सचेंज से नए एक्सचेंज तक	0.2	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
30.	फुलवाड़ी ओएफसी ज्वाइंट से फलवाड़ी एक्सचेंज तक	0.6	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
31.	नापाखेड़ा से पिपल्या तक	3.6	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
32.	बरवाहा से आस्तरया तक	3.8	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
33.	कोटरा बुजर्ग से कोट्टाबुओरग फाटा तक	3.5	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
34.	बरूड ओएफसी ज्वाइंट से ढाल्का तक	5.0	11.11.02 तक पूरा किया गया
35.	भीकागांव से पिपरोड तक	1.8	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
36.	सेमलिया चाली पुराना एक्सचेंज से नए एक्सचेंज तक	0.35	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
37.	कलारिया पुराना एक्सचेंज से नए एक्सचेंज तक	0.4	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
38.	लासुडिया पुराना एक्सचेंज से नए एक्सचेंज तक	0.3	जुलाई 2002 में पूरा किया गया
	जोड़	102.35	

[अनुवाद]

औषध नमूनों का पुनर्परीक्षण

3209. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री भास्कर राव पाटील:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यदि किसी सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट को चुनौती दी जाती है तो औषध और सौन्दर्य प्रसाधन नियमावली के अंतर्गत उपलब्ध सुरक्षोपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विनिर्माताओं की उपस्थिति में औषध नमूनों का पुनर्परीक्षण करने का कोई प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या औषध निरीक्षक प्रथम दृष्टया नमूनों को अन्य सरकारी स्वीकृत प्रयोगशालाओं में भेजने की बजाय केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कोलकाता को भेज रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में भारत के औषध नियंत्रक द्वारा क्या संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 25 औषधों के पुन: परीक्षण के लिए निम्नलिखित उपबन्ध निर्धारित करती है:

"(3) इस चैप्टर के अंतर्गत सरकारी विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित कोई दस्तावेज जो रिपोर्ट के लिए तात्पर्यित हो सकती है, उसमें उल्लिखित तथ्यों का प्रमाण होगा और ऐसा साक्ष्य तब तक निश्चायक होगा जब तक कि जिससे व्यक्ति से नमूना लिया गया अथवा वह व्यक्ति, जिसका नाम, पता और अन्य विवरण धारा 18-ए के अंतर्गत प्रकट किया गया है, उस रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने के 28 दिनों के भीतर लिखित में सूचित न करे कि वह ऐसे निरीक्षक अथवा न्यायालय जिसके समक्ष नमूने के लिए कोई कार्रवाई लम्बित है, में वह इस रिपोर्ट के विरोध में प्रमाण प्रस्तुत करने का इरादा रखता है।

(4) जब तक कि केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला में नमूने का पहले ही परीक्षण अथवा विश्लेषण न कर दिया गया हो जहां व्यक्ति ने उप-धारा (3) के अंतर्गत सरकारी विश्लेषक की

रिपोर्ट के विरोध में प्रमाण प्रस्तुत करने की अपनी इच्छा की सूचना न दी हो, न्यायालय अपने आदेश अथवा अपने विवेक से शिकायतकर्त्ता अथवा आरोपी के अनुरोध पर धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया औषध अथवा प्रसाधन सामग्री का नमूना उक्त प्रयोगशाला में परीक्षण अथवा विश्लेषण के लिए भेज सकता है जो उसका परीक्षण अथवा विश्लेषण करेगा तथा केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला के निदेशक के द्वारा हस्ताक्षरित अथवा के प्राधिकार के अंतर्गत लिखित में उसके परिणाम की सूचना देगा और ऐसी रिपोर्ट उसमें बताए गए तथ्यों का निश्चायक प्रमाण होगी।''

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) संबंधित राज्य में परीक्षण सुविधाओं के अभाव और उनके अपर्याप्त होने के कारण विशिष्ट श्रेणियों की औषधों के परीक्षण के लिए कुछ राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला के अधिकारियों को सरकारी विश्लेषकों के रूप में नियुक्त किया जाता है। सरकारी विश्लेषक द्वारा केवल ऐसी औषधों के नमूने ही प्रथमत: परीक्षण के लिए केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला को भेजे जाते हैं। केन्द्रीय औषध निरीक्षक भी प्रथमत: किसी भी एक केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला में औषधों के नमूने भेजते हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका की फौज में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती

3210. श्री टी. गोविन्दन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इराक में संयुक्त राज्य अमरीका की फौज के अधीन कार्य करने हेतु भारत के भूतपूर्व सैनिकों को भर्ती करने के किसी प्रस्ताव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) सरकार को इराक में सुरक्षा ड्यूटी संबंधी संभावित कार्य के लिए एक निजी भर्ती फर्म मैसर्स ए एन इन्टरनेशनल आफ कोचि द्वारा भूतपूर्व सैनिकों/पुलिस कार्मिकों की भर्ती से संबंधित मीडिया रिपोर्ट की जानकारी है।

(ग) सरकार आमतौर पर भारत या विदेशों में अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार अर्थोपार्जन के अवसर ढूंढ़ने से किसी नागरिक को रोकती नहीं है। तथापि, कानून के प्रावधान के अंतर्गत तथा इराक की वर्तमान सुरक्षा स्थिति को देखते हुए सरकार इस समय इराक में कार्य करने के जोखिमों को रेखांकित करने सहित आवश्यक कदम उठा रही है।

नेशनल प्रतिरक्षण योजना के अंतर्गत टीके

3211. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय प्रतिरक्षण योजना के अंतर्गत लगाए जा रही टीकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस योजना में और प्रभावी टीकों को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत लगाए जा रहे टीके हैं: बी.सी.जी. (बेसीलस कालमेट, ग्यूरिन), डी.पी.टी. (डिफ्थिरिया, पर्टुसिस एवं टेटनस), ओ.पी.वी. (ओरल पोलियो वैक्सीन), खसरा, डी.टी. (डिफ्थिरिया एवं टेटनस) तथा टी.टी. (टेटनस टाक्साइड)।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत लगाए जाने वाले टीके प्रभावी हैं तथा ये भारतीय औषध कोश के मानक एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के मानदण्डों को पूरा करते हैं। 15 नगरों एवं 32 जिलों के शहरी स्लमों को कवर करने के लिए हैपेटाइटिस-बी की प्रायोगिक परियोजना शुरू की जा चुकी है।

जवाहर नवोदय विद्यालय में स्थानांतरण नीति

3212. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जवाहर नवोदय विद्यालय में पति/पत्नी को एक ही स्थान पर अथवा एक-दूसरे के निकट पदस्थापित करने की नीति का अनुपालन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो स्थानांतरण नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत छह माह के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालय को दिल्ली स्थानांतरण करने से संबंधित कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और स्थानांतरण के आधार का ब्यौरा क्या है;

(घ) अब तक इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) जवाहर नवोदय विद्यालय में, विशेषकर दिल्ली में टी जी टी (हिन्दी) के कितने पद रिक्त हैं;

(च) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है; और

(छ) जवाहर नवोदय विद्यालय में नवनियुक्त शिक्षकों को दी गई सुविधाओं और छुट्टी का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान: (क) और (ख) जी, हां। नवोदय विद्यालय समिति में कार्यरत ऐसे नियमित शिक्षकों, जो उस विद्यालय में स्थानांतरण चाहते हैं जहां पर उसके/उसकी पति/पत्नी कार्यरत हैं, को स्थानांतरण

अनुरोध में प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे दम्पत्ति, वर्तमान स्थान पर उनकी सेवा अवधि चाहे कितनी भी हो स्थानांतरण अनुरोध करने के पात्र हैं।

(ग) और (घ) पूर्वी इम्फाल से दिल्ली में स्थानांतरण करने हेतु एक महिला प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (हिन्दी) से एक आवेदन-पत्र जनवरी, 2004 में इस आधार पर प्राप्त हुआ था कि उनके पिताजी का निधन काफी समय पहले हो चुका है और उनकी माता जी दिल्ली में अकेली हैं। चूंकि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (हिन्दी) का पद दिल्ली में रिक्त नहीं है, इसलिए उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका था।

सामान्यत: समिति केवल वार्षिक स्थानांतरणों के दौरान ही स्थानांतरण अनुरोधों पर विचार करती है। वर्ष 2004-05 के दौरान वार्षिक स्थानांतरण की प्रक्रिया हाल ही में शुरू हुई है और आवेदनपत्र अभी प्राप्त किए जाने हैं। स्थानांतरण के लिए आवेदनपत्र प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) अद्यतन स्थिति के अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (हिन्दी) के 27 पद रिक्त हैं। इस समय दिल्ली स्थित किसी भी जवाहर नवोदय विद्यालय में कोई पद रिक्त नहीं है।

(च) रिक्त पदों को अप्रैल, 2004 तक भरे जाने की संभावना है।

(छ) हाल ही में नियुक्त किए गए शिक्षकों को अवकाश इस संबंध में भारत सरकार के नियमों के अनुसार दिया जाता है। समिति के नियमों के अनुसार शिक्षक जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में आंशिक रूप से सुसज्जित, किराया मुक्त आवास, जवाहर नवोदय विद्यालय में उनके बच्चों को दाखिले की सुविधा तथा नि:शुल्क बोर्डिंग के भी पात्र हैं।

[हिन्दी]

झारखंड में दूरसंचार का विस्तार/आधुनिकीकरण

3213. श्री राजो सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपरोक्त कार्य हेतु नियत किया गया धन कितना है और अब तक कितना व्यय किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) सर्किलों के लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं और झारखंड में वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार/आधुनिकीकरण के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्ष 2004-05 की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) विस्तार/आधुनिकीकरण संबंधी कार्यों के लिए अब तक अभिनिर्धारित तथा खर्च की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	अभिनिर्धारित निधियां (करोड़)	खर्च की गई राशि (करोड़)
2002-03	242.37	265.88
2003-04	130.43	42.85*

*जनवरी, 2004 तक अनंतिम।

विवरण

दसवीं योजना अवधि के दौरान झारखंड सर्किल में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार/आधुनिकीकरण का ब्यौरा

क्र.सं.	मदों के नाम	निम्न वर्षों के दौरान उपलब्धियां	
		2002-03	2003-04*
1	2	3	4
	स्विचन क्षमता (लाइनें)		
1.	तारयुदा लाइन	99708	26128
	वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल)	31000	21500
	सेल्यूलर मोबाइल दूरसंचार सेवा (सीएमटीएस)	21000	49850
	कुल स्विचन क्षमता	151708	97478

1	2	3	4
	सीधी एक्सचेंज लाइनें (डीईएल)		
2.	तारशुदा लाइन	42649	12793
	वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल)	16115	6201
	सेल्यूलर मोबाइल दूरसंचार सेवा (सीएमटीएस)	31233	62175
	कुल डीईएल	89997	81169
3.	आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) रूट कि.मी.	895	75
4.	ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज क्षमता (टीएएक्स) सर्किट	17,300	3000
5.	खोले गए छोटे एक्सचेंज (संख्या)	16	2
6.	खोले गए बड़े एक्सचेंज/आरएसयू (संख्या)	13	5
7.	डब्ल्यू एल एल पर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) (संख्या)	7729	102
8.	एम ए आर एर पर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) (संख्या)	403	1430

*उपलब्धियां दिसंबर, 2003 तक की हैं।

एम.पी.एल.ए.डी. कार्यों का कार्यान्वयन

3214. श्री शिवाजी माने:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौकरशाही में लालफीताशाही से एम पी लैड योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा उपचारात्मक उपायों का प्रस्ताव किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) योजना के कार्यान्वयन पर सामान्य प्रतिपुष्टि, नौकरशाही में लालफीताशाही का कोई नकारात्मक प्रभाव होने का संकेत नहीं करती।

(ख) और (ग) सरकार नियमित रूप से धन के उपयोग पर निगरानी रखती है और योजना के कार्यान्वयन संबंधी रिपोर्टों को तत्परता से देखती है और समुचित उपचारात्मक उपाय करती है।

वन्दे मातरम् मातृत्व योजना

3215. श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री राजैया मल्याला:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मातृत्व देखभाल और सुरक्षा के संबंध में "वन्दे मातरम" नामक एक नई योजना आरंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने फेडरेशन आफ आब्स्टेट्रिक एंड गियानेकोलोजिस्ट सोसाइटी आफ इंडिया (एफ ओ जी एस आई) के सहयोग से प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को अपने क्लिनिकों में स्वास्थ्य जांच सुविधा प्रदान करने के लिए प्राइवेट क्षेत्र में प्रसूति एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञों को शामिल करने की एक स्कीम आरम्भ की है। स्वास्थ्य जांच में प्रसवपूर्व परिचर्या, प्रसवोत्तर परिचर्या और पोषण और परिवार नियोजन पर परामर्श प्रदान करना शामिल है। जिला मजिस्ट्रेटों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को फेडरेशन की स्थानीय शाखाओं के साथ इस स्कीम में समन्वय रखने और आवश्यक सहायता प्रदान करने तथा इस स्कीम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

विदेशों में कार्यरत भारतीय कामगारों से दुर्व्यवहार

3216. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:
डा. डी.वी.जी. शंकर राव:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों विशेषकर सिंगापुर में भारतीय कामगारों के साथ हुए दुर्व्यवहार के कुछ मामले आए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त घटनाओं का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) विदेशों में कार्यरत भारतीय मजदूरों के हितों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2003 के दौरान, सिंगापुर में कार्यरत लगभग 40,000 कामगारों में से भारतीय कामगारों के साथ दुर्व्यवहार के 55 मामलों की सूचना मिली। मलेशिया में, वर्ष 2003 के दौरान, दुर्व्यवहार के कुछ मामलों की सूचना मिली। इनमें से अधिकतर मामले, वेतन के भुगतान न किए जाने और कार्य अनुबंध को पहले समाप्त किए जाने से संबंधित हैं।

(ग) सरकार, विदेशों में कार्यरत भारतीय कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है। विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों को भारतीय कामगारों की इस प्रकार की शिकायतों को शीघ्र ही संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों के साथ उठाने और भारतीय कामगारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के अनुदेश दिए गए हैं।

असुरक्षित और अस्वास्थ्यकर सिरिंजों का उपयोग

3217. श्री रामजीवन सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ समय पूर्व विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को भारतीय शाखा "इंडियन क्लीन" द्वारा सरकार को प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के अनुसार देश में असुरक्षित और अस्वास्थ्यकर सिरिंजों द्वारा लगाए गए इंजेक्शनों का प्रतिशत बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी हां। भारत सी.एल.ई. नेटवर्क (नैदानिक जानपदिक रोग विज्ञान नेटवर्क) ने भारत में इन्जेक्शन पद्धतियों के मूल्यांकन के अध्ययन के बारे में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) इस अध्ययन के अनुसार सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत असुरक्षित इन्जेक्शन और कुल अनुमानित असुरक्षित इन्जेक्शन की मात्रा लगभग 68.8 प्रतिशत है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत इसकी मात्रा 59.9 प्रतिशत है।

(ग) सिरिंजों के उपयुक्त और वैज्ञानिक उपयोग तथा उनका निपटान करने के लिए जागरूकता उत्पन्न करना एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। भारत सी.एल.ई. नेटवर्क द्वारा किया गया अध्ययन इस प्रक्रिया का एक अंग है। भारत सरकार ने लोगों को इन्जेक्शन का जोखिम शून्य सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय शुरू किए हैं:-

(1) विभिन्न सरकारी अस्पतालों और क्लीनिकों में आगे प्रचार-प्रसार के लिए सभी राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों को अस्पताल संबद्ध संक्रमणों के बारे में मानक प्रचालनात्मक क्रियाविधियां उपलब्ध कराई गई हैं।

(2) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के जागरूकता संबंधी सभी अभियानों में विसंक्रमित सिरिंजों और सुईयों के उपयोग को शामिल करना।

(3) सुरक्षित इन्जेक्शन पद्धतियों सहित अस्पताल संक्रमण नियंत्रण उपायों के बारे में चिकित्सीय और अर्ध-चिकित्सीय कार्मिकों का प्रशिक्षण।

(4) राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों के माध्यम से विभिन्न सरकारी अस्पतालों को सुईयों के काटने वाले यंत्रों (कटर्स) की आपूर्ति।

(5) रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सिरिंज तथा सुई, प्रेसर कूकर, स्टेरिलाइजर, स्टोव के उपयुक्त विसंक्रमण को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और संघ क्षेत्रों के सभी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों को ईंधन की खरीद के लिए सहायता, शीशे के सिरिंजों और सुईयों की आपूर्ति की जा रही है।

(6) सभी स्वास्थ्य कार्मिकों को नियमित प्रशिक्षण के एक अंग के रूप में सुरक्षित इन्जेक्शन पद्धतियों के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(7) हेपाटाइटिस बी वैक्सीन को शुरू करने की प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत 15 शहरों और 32 जिलों की मलिन बस्तियों में स्व-डिस्पोजेबल सिरिंजों का उपयोग करते हुए सभी वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। सरकार रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए स्व-डिस्पोजेबल सिरिंजों को चरणवार ढंग से शुरू करने के लिए भी विचार कर रही है।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी केन्द्रों को बंद किया जाना

3218. **श्री सुन्दर लाल तिवारी:**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन केन्द्रों को बंद करने से योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार युवा दंपत्तियों को पोषाहार संबंधी सलाह/प्रशिक्षण देने के लिए इन प्रशिक्षण केन्द्रों का उपयोग करने पर विचार करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) और (ख) सभी आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र अस्थायी प्रकृति के हैं और राज्यों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं के आधार पर इन्हें वर्ष-दर-वर्ष जारी रखना होता है। राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र की क्षमता का पूरा उपयोग करे और इन केन्द्रों की आवश्यकता का विश्लेषण करने के पश्चात् राज्य इन्हें उचित अवधि का नोटिस जारी करने के बाद बंद कर सकता है। भारत सरकार आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों को बन्द करने के अनुदेश जारी नहीं करती है।

(ग) और (घ) विश्व-बैंक सहायता-प्राप्त आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम (परियोजना उदिशा) के अंतर्गत आई.सी.डी.एस. कर्मियों को प्रशिक्षित करना होता है, ताकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती व शिशुवती माताओं के पोषाहारीय और स्वास्थ्य दर्जे में सुधार लाया जा सके।

[अनुवाद]

चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित अनियमितताएं

3219. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मंत्रालय के कई अधिकारियों को उस धन का दुरूपयोग करने का दोषी पाया गया है, जिसका उपयोग महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण की खरीद में किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नवीन सड़क परियोजना का शुभारंभ

3220. **श्री उत्तमराव पाटील:**
श्री कमलनाथ:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल में प्रधान मंत्री भारत जोड़ो परियोजना नामक एक महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु बी ओ टी आपरेटरों का चयन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ''स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना'' से संबंधित पूरा किए गए कार्य का प्रतिशत कितना है और इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) जी हां। वित्त मंत्री के बजट भाषण 2003-04 के क्रम में मंत्रालय ने प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना के अंतर्गत बी ओ टी आधार पर 10,000 कि.मी. में चार लेन (एन एच डी पी से बाहर) बनाने का कार्य शुरू किया है। इस कार्यक्रमों के अंतर्गत अत्यधिक यातायात सघनता के कारीडोरों तथा पर्यटन और आर्थिक महत्व के स्थानों को जोड़ने वाले कारीडोरों को उनकी साध्यता के आधार पर बी ओ टी आधार पर चार लेन का किया जाना है। सभी राज्यों की राजधानियों जो एन एच डी पी नेटवर्क से बाहर हैं, को भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत चार लेन के राजमार्गों द्वारा एन एच डी पी नेटवर्क के साथ जोड़ने की परिकल्पना की गई है।

अभी तक मंत्रालय ने 4376 कि.मी. लंबाई (राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है) की पहचान की है। 622 कि.मी. (7 परियोजनाएं) के लिए बी ओ टी बोलियां आमंत्रित की गई हैं और लगभग 1050 कि.मी. के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी अग्रिम चरण में है। अन्य 1550 कि.मी. लंबाई के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी के लिए उपाय किए गए हैं। शेष खंडों की पहचान की जा रही है।

(ग) और (घ) अभी तक मंत्रालय ने बी ओ टी आधार महाराष्ट्र में पुणे-नासिक रोड (एन एच-50) पर 30 कि.मी. लंबाई का एक कार्य मैसर्स ए टी आर इन्फ्राचस्ट्रक्चर प्राइवेट लि., मुंबई को सौंपा है। इसके अतिरिक्त, अब टेंडर किए जाने वाले कुछ कार्यों के लिए प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 97 उद्यमियों को सूचीबद्ध किया गया है।

(ङ) ''स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना'' से संबंधित कार्य 41% पूरा कर लिया गया है और 31 दिसम्बर 2003 तक 14,169.77 करोड़ रु. व्यय हुए हैं।

विवरण

प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना के अंतर्गत 4 लेन बनाने के लिए अनुमोदित राज्यवार लंबाई

क्र.सं.	राज्य	प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की अनुमोदित लंबाई
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	22
3.	असम	700
4.	बिहार	55
5.	छत्तीसगढ़	128
6.	दिल्ली	0
7.	गोवा	292
8.	गुजरात	0
9.	हरियाणा	58
10.	हिमाचल प्रदेश	110
11.	जम्मू और कश्मीर	0
12.	झारखंड	265
13.	कर्नाटक	0
14.	केरल	30
15.	मध्य प्रदेश	392
16.	महाराष्ट्र	527
17.	मणिपुर	207
18.	मेघालय	230
19.	मिजोरम	150
20.	नागालैंड	85
21.	उड़ीसा	0
22.	पांडिचेरी	40
23.	पंजाब	223

1	2	3
24.	राजस्थान	186
25.	सिक्किम	90
26.	तमिलनाडु	55
27.	त्रिपुरा	195
28.	उत्तरांचल	119
29.	उत्तर प्रदेश	217
30.	पश्चिम बंगाल	0
	जोड़	4376

राजमार्गों की वर्तमान स्थिति

3221. **डा. मन्दा जगन्नाथ:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर में कश्मीर तथा दक्षिण में कन्याकुमारी और पश्चिम में गुजरात तथा पूर्व में असम को जोड़ने वाले राजमार्गों के निर्माण के संबंध में 2003 के कलैन्डर वर्ष के दौरान कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इन राजमार्गों के निर्माण को पूरा करने के लिए लक्षित तिथि क्या है; और

(ग) इन राजमार्गों के कब तक पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्गों की कुल लंबाई 7300 कि.मी. है। इन राजमार्गों की 565 कि.मी. को चौड़ा करने का कार्य दिसम्बर, 2003 तक पूरा कर लिया गया है। इसमें से 60 कि.मी. लंबाई कलैंडर वर्ष 2003 में पूरी की गई थी। इन महामार्ग पर 433 कि.मी. लंबाई में निर्माण कार्य और 5747 कि.मी. लंबाई परियोजना रिपोर्टों का कार्य चल रहा है।

(ख) और (ग) उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्गों को दिसम्बर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

दवाओं की आयात संबंधी पंजीकरण नीति

3222. **डा. चरण दास महंत:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दवाओं की आयात संबंधी पंजीकरण नीति उन्हीं मामलों पर लागू है जहां स्वदेशी थोक दवा आपूर्तिकर्त्ताओं को जारी अग्रिम लाइसेंस रद्द कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दवाइयों के निर्माण तथा अंततः उनके निर्यात पर सरकार की पंजीकरण नीति के प्रावधान लागू होते हैं जहां विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.) को दवाओं के निर्यात तथा 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों की स्थापना करने की अनुमति है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, नहीं। डी.जी.एफ.टी. द्वारा औषधों के आयात के लिए विभिन्न फर्मों को अग्रिम लाइसेंस उनके द्वारा प्राप्त निर्यात लाइसेंस के आधार पर तथा आयात-निर्यात नीति के अंतर्गत अपेक्षाओं को पूरा करने के बाद, जारी किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने संबंधित पत्तन अधिकारियों को दिनांक 15.07.2003 तथा 11.09.2003 को का.ज्ञा.सं. 6-2/2003-डीसी जारी किया है जिसमें औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबंधों तथा उनके अधीन नियमावली के अंतर्गत यथाअपेक्षित पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा आयात लाइसेंस प्राप्त किए बगैर कुछ श्रेणी के औषधों तथा अग्रिम लाइसेंस के अधीन आयातित औषधों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस.ई.जेड.) में पड़ने वाले एककों एवं 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों द्वारा आयातित औषधों के भी आयात की अनुमति प्रदान की गई है।

उड़ीसा में चालू परियोजनाएं

3223. **श्री के.पी. सिंह देव:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में चालू बाह्य क्षेत्र सड़क विकास परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ख) आज की तिथि के अनुसार इन परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि जारी की है;

(ग) अब तक प्रत्येक ऐसी परियोजना की वर्तमान प्रगति क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (घ) जी हां। संभवतः माननीय

सदस्य का आशय उड़ीसा में चल रही विदेशी सहायता प्राप्त सड़क विकास परियोजनाओं से है।

उड़ीसा में रा.रा. 5 को 0.00 कि.मी. (भुवनेश्वर) से 27.8 कि.मी. (जगतपुर) को चार लेन बनाने तथा इससे प्रभावित व्यक्तियों की पुनर्स्थापना और पुनर्वास की एक ही विदेशी सहायता प्राप्त सड़क विकास परियोजना चल रही है। सड़क विकास कार्य पहले ही पूरा कर लिए गए हैं। पुनर्स्थापना और पुनर्वास के लिए जगतपुर गोलचक्कर के समीप बाजार परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्य के लिए वार्षिक योजना 2002-03 में 634.25 करोड़ रु. का आबंटन किया गया था। तथापि, वर्ष 2002-03 में भूमि की लागत और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को भुगतान पर 82,59,026.00 रु. ही व्यय किए गए। वर्ष 2002-03 के दौरान राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा इस कार्य के लिए निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण शेष राशि का उपयोग नहीं किया जा सका। राज्य लोक निर्माण विभाग ने चालू वर्ष में इस कार्य के लिए अब न्यूनतम निविदा स्वीकार कर ली है जो स्वीकृत लागत से 7% अधिक है। स्वीकृति आदेश के अनुसार इस कार्य को अस्वीकृत किया जाना था क्योंकि निविदा 5% से अधिक है। तथापि, विशेष मामले के तौर पर इस प्राक्कलन को मंत्रालय द्वारा अस्वीकृत नहीं किया गया है और राज्य सरकार से निविदा दर के आधार पर संशोधित प्राक्कलन भेजने का अनुरोध किया गया है।

पाकिस्तान द्वारा भारत को नई बस सेवा की पेशकश

3224. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत को नई बस सेवा की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन पेशकशों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) 18 अप्रैल, 2003 को प्रधानमंत्री के प्रयासों के सिलसिले में, भारत ने 22 अक्तूबर, 2003 को भारत तथा पाकिस्तान के बीच जनता से जनता के बीच संपर्कों को संवर्द्धित करने के उद्देश्य से कई उपायों का प्रस्ताव रखा है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच बस सेवा और मुनाबाओ (राजस्थान) एवं खोकरापार (सिन्ध) के बीच एक बस अथवा रेल संपर्क आरंभ करने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों पर चर्चा करने की सहमति के समय पाकिस्तान ने अमृतसर और लाहौर के बीच बस सेवा का सुझाव दिया था।

मुनावाओं और खोखरापार और श्रीनगर एवं मुजफ्फराबाद के बीच क्रमशः 12 जनवरी और 19 जनवरी, 2004 के सप्ताह में बस संपर्क की स्थापना के लिए तकनीकी स्तर की वार्ता के लिए भारत के प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में पाकिस्तान ने इन वार्ताओं के लिए अब 8-9 मार्च, 2004 तथा 29-30 मार्च, 2004 की तारीखों का सुझाव दिया है।

राजमार्गों के साथ-साथ बोरो-पिट्स का उपयोग

3225. श्री अनिल बसु: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राजमार्गों को चार लेन/दो लेन बनाने के लिए राजमार्गों की लंबाई के दोनों ओर की बोरो-पिट्स का उपयोग किया है;

(ख) क्या बोरो-पिट्स के ऐसे उपयोग से सड़कों की लंबाई के साथ लगे खेतों की जल-निकासी प्रभावित हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) राजमार्गों को चार लेन का बनाने के लिए कुछ खंडों में पुराने विद्यमान बोरो-पिट्स का उपयोग (भराई) किया जा रहा है।

(ख) इन बोरो-पिट्स की भराई से जल निकासी व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई है क्योंकि जहां भी आवश्यकता होती है, पुलियों का निर्माण किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार और बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत

3226. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अक्तूबर, 2003 के अनुसार बिहार और बंगाल में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत या पुनर्निर्माण किया जाना है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों की कोई गारंटी अवधि है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) मंत्रालय में अक्तूबर, 2003 में किए गए आकलन के अनुसार, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल 1257 कि.मी. लंबाई और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल 195 कि.मी. लंबाई जो संबंधित राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपी गई है, की मरम्मत और उसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। उपर्युक्त के अलावा, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की 719 कि.मी. लंबाई और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों की 770 कि.मी. लंबाई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एन एच डी पी के अंतर्गत 4 लेन बनाने के लिए ली गई है।

(ग) और (घ) कोई गारंटी अवधि नहीं है किंतु इनकी उपयोगिता अवधि, किए गए सुधार की किस्म पर निर्भर करती है जो 3 से 5 वर्ष के बीच है।

हॉस्पिटल शिप की सेवाएं

3227. श्री विष्णु पद राय: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सोमपेन हॉस्पिटल शिप पोर्ट ब्लेयर कब पहुंचा था;

(ख) इसके आगमन से लेकर आज की तारीख तक आदिवासियों को उपलब्ध कराई गई चिकित्सा-सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कामराटो और नानकोवरी, जहां चिकित्सा अधिकारी नियमित रूप से दौरा नहीं करते हैं, को भी चिकित्सा-सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी): (क) अगस्त, 2001।

(ख) पोत ने आदिम जातीय क्षेत्रों/जार्वा क्षेत्रों के 18 चक्कर (ट्रिप्स) लगाए हैं, जिनमें गम्भीर रूप से अस्वस्थ लोगों को दूरस्थ द्वीपों से पोर्ट ब्लेयर लाने की दृष्टि से लगाए गए चक्कर (ट्रिप्स) शामिल है।

(ग) से (ङ) जी, हां। दक्षिणी समूह के द्वीपों में जलयान पहले ही लगा दिया गया है और वह उप आयुक्त, कार निकोबार के नियंत्रण में वहां चल रहा है।

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा

3228. श्री मानसिंह पटेल:
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में 765 किलोमीटर के तटीय राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उसका निर्माण करने और उसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करने के लिए विगत में प्राप्त सभी प्रस्ताव जिनमें गुजरात के प्रस्ताव भी शामिल हैं, धनराशि की कमी के कारण संबंधित राज्य सरकारों को वापस कर दिए गए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

3229. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में विशेषकर झारखंड और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और राजमार्गों को चार लेन का बनाए जाने के लिए कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है और कितनी परियोजनाएं लंबित पड़ी है और कितनी परियोजनाओं को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में राज्य-वार कितने राजमार्गों के निर्माण हेतु धनराशि आबंटित की गई है और इन परियोजनाओं की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ग) देश में विशेषकर झारखंड और बिहार में राज्य-वार कितने राजमार्गों का विकास किया जा रहा है और कितने राजमार्गों को विकास कार्यों में शामिल नहीं किया गया है;

(घ) क्या केंद्र सरकार राजमार्गों के विकास हेतु स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा करती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

	कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं की सं.		लंबित .परियोजनाओं की सं.		शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं की सं.	
	चार लेन बनाना	कुल	चार लेन बनाना	कुल	चार लेन बनाना	कुल
संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क	131	1062	0	184	7	205
बिहार	8	59	0	0	5	15
झारखंड	2	22	0	0	0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 11,358 कि.मी. में कार्य शुरू किए जाने का भी प्रस्ताव है जिसमें बिहार राज्य में 524 कि.मी. और झारखंड राज्य में 265 कि.मी. शामिल है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है और यह कार्य यातायात की सघनता, धनराशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के राज्यवार ब्यौरे और कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं की वर्तमान संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) मंत्रालय के विद्यमान नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजनाओं के निरीक्षण के दौरान केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा चालू कार्यों की गुणता की समीक्षा की जाती है। संबंधित निष्पादन एजेंसियों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकों में भी इन पहलुओं पर चर्चा की जाती है।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य-वार संख्या और कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं की कुल संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्गों की सं.	कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं की सं.
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4, 5, 7, 9, 16, 18, 43, 63, 202, 205, 214 और 219	12	55
2.	अरुणाचल प्रदेश	52, 52ए और 153	3	7
3.	असम	31, 31बी, 31सी, 36, 37, 37ए, 38, 39, 44, 51, 52, 52ए, 52बी, 53, 54, 61, 62, 151, 152, 153 और 154	21	39
4.	बिहार	2, 19, 28, 28ए, 30, 30ए, 31, 57, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 और 107	25	59
5.	चंडीगढ़	21	1	1
6.	छत्तीसगढ़	6, 12ए, 16, 43, 78, 200, 202, 216 और 217	9	58

1	2	3	4	5
7.	दिल्ली	1, 2, 8, 10 और 24	5	4
8.	गोवा	4ए, 17, 17ए और 17बी	4	2
9.	गुजरात	एन ई-1, 6, 8, 8ए, 8बी, 8सी, 8डी, 8ई, 14, 15 और 59	11	33
10.	हरियाणा	1, 2, 8, 10, 21ए, 22, 64, 65, 71, 71ए, 72 और 73	12	14
11.	हिमाचल प्रदेश	1ए, 20, 21, 21ए, 22, 70, 72 और 88	8	52
12.	जम्मू और कश्मीर	1ए, 1बी और 1सी	3	7
13.	झारखंड	2, 6, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 98, 99 और 100	12	22
14.	कर्नाटक	4, 4ए, 7, 9, 13, 17, 48, 63, 206, 207, 209, 212 और 218	13	62
15.	केरल	17, 47, 47ए, 49, 208, 212, 213 और 220	8	36
16.	मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 25, 26, 27, 59, 59ए, 69, 75, 76, 78, 79, 86 और 92	16	117
17.	महाराष्ट्र	3, 4, 4बी, 4सी, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 50, 69, 204 और 211	15	50
18.	मणिपुर	39, 53 और 150	3	11
19.	मेघालय	40, 44, 51 और 62	4	32
20.	मिजोरम	44ए, 54, 54ए, 54बी, 150 और 154	6	22
21.	नागालैंड	36, 39, 61 और 150	4	18
22.	उड़ीसा	5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 60, 200, 201, 203, 215 और 217	12	52
23.	पांडिचेरी	45ए और 66	2	0
24.	पंजाब	1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72 और 95	12	31
25.	राजस्थान	3, 8, 11, 11ए, 12, 14, 15, 65, 76, 79, 79ए, 89 और 90	13	45
26.	सिक्किम	31ए	1	0
27.	तमिलनाडु	4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45बी, 46, 47, 49, 66, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219 और 220	20	57
28.	त्रिपुरा	44 और 44ए	2	1
29.	उत्तरांचल	58, 72, 72ए, 73, 74, 87, 94, 108 और 109	9	21
30.	उत्तर प्रदेश	2, 2ए, 3, 7, 11, 19, 24, 24ए, 25, 25ए, 26, 27, 28, 29, 56, 56ए, 56बी, 58, 72ए, 73, 74, 75, 76, 86, 87 91, 92, 93, 96 और 97	30	120
31.	पश्चिम बंगाल	2, 6, 31, 31ए, 31सी, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 80 और 81	13	34
		जोड़		1062

निजी अस्पतालों हेतु दिशानिर्देश

3230. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का विचार सी.जी.एच.एस. के लाभार्थियों के निजी अस्पतालों में इलाज के संबंध में निजी अस्पतालों के पंजीकरण हेतु दिशानिर्देशों की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सी.जी.एच.एस. के पास पंजीकृत ऐसे अस्पतालों के नाम क्या-क्या हैं जहां लाभार्थियों का इलाज किया जाता है और सरकार द्वारा उनके बिलों की प्रतिपूर्ति की जाती है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन अस्पतालों में से प्रत्येक को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मलेरिया और कुष्ठ निवारण कार्यक्रम

3231. **श्री अनंत नायक:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मलेरिया और कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के क्षेत्र में कितने गैर-सरकारी संगठम कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कोई प्रशिक्षण और पुनर्वास कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त प्रयोजन के लिए इन गैर-सरकारी संगठनों को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(घ) कुष्ठ रोगियों की पहचान, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उक्त अवधि के दौरान इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) मलेरिया नियंत्रण कार्यकलापों में सहयोग देने हेतु जनजाति क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए 2003 में गैर-सरकारी संगठनों के नई दिल्ली में दो राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन और गुवाहाटी में एक बैठक आयोजित की गई थी। मलेरिया नियंत्रण के लिए गैर-सरकारी संगठनों का चयन और वित्त पोषण संबंधित राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। तथापि, गैर-सरकारी संगठनों को केवल निर्धारित जनसंख्या में कुष्ठ सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार (एस.ई.टी.) कार्य करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। देश में कुष्ठ के क्षेत्र में 290 गैर-सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एस.ई.टी. कार्य के लिए गैर-सरकारी संगठनों को दी गई कुल केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	केन्द्रीय सहायता (करोड़ रु. में)
2000-2001	1.20
2001-2002	0.93
2002-2003	0.99

गैर-सरकारी संगठन कुष्ठ रोगियों के लिए केवल पहचान और उपचार संबंधी कार्यकलाप कर रहे हैं।

नर्सरी स्कूल और क्रेच खोलना

3232. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ग्रामीण भारत में नर्सरी स्कूल अथवा प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में क्रेच खोलने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(घ) यह कार्य कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) प्रथम चरण में इस संबंध में किन-किन राज्यों का चयन किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान:) (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केंद्रीय सड़क निधि से आंध्र प्रदेश को निधियां

3233. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश ने केंद्र से राज्य में सड़कों का नवीकरण कार्य कराने के लिए केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 174 करोड़ रुपए जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब तक कोई निधियां जारी की गई हैं;

(घ) क्या शेष निधियां जारी करने के लिए राज्य सरकार से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत वर्ष 2003-04 के दौरान नवम्बर तक कुल 100.41· करोड़ रु. जारी किए जाने का अनुरोध किया है।

(ग) वर्ष 2003-04 में अब तक 62.38 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार मे राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति

3234. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग-77, 102, 103 और 104 जीर्णशीर्ण अवस्था में है;

(ख) क्या मंत्रालय ने सड़कों का निरीक्षण किया है और उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ग) क्या 2003-2004 के दौरान उक्त सड़कों की दशा सुधारने हेतु निधियां जारी नहीं की गई और क्या राज्य सरकार ने उक्त निधियां जारी करने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो सड़कों के सुधार हेतु बनी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और अभी तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन राजमार्गों की दशा सुधारने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) रा.रा. 77, रा.रा. 102, रा.रा. 103 और रा.रा. 104 के कुछ खंडों की स्थिति खराब है।

(ख) मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का निरीक्षण किया जाता है और मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी जाती है।

(ग) और (घ) किसी राज्य को धनराशि समग्र रूप में जारी की जाती है और कार्य पूरे हो जाने पर व्यय दर्ज किया जाता है। वर्ष 2003-04 के दौरान 45 से 48.2 कि.मी. (हाजीपुर-मुजफ्फरपुर खंड) में सुधार और रा.रा. 77 (मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी खंड) के 16 कि.मी. में कुल के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव है जो धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है और यह कार्य धनराशि की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।

सीमा क्षेत्र विकास निधि का अन्यत्र प्रयोग

3235. श्री हरिभाई चौधरी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सीमा क्षेत्र विकास निधि से वर्ष-वार कितनी निधियां जारी की गई हैं;

(ख) उपरोक्त में से उपयोग की गई राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त निधियों को अन्य कार्यों में लगाए जाने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) विगत तीन वर्षों, अर्थात् वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अंतर्गत जारी की गई निधियां क्रमश: 210 करोड़ रुपये, 194.17 करोड़ रुपये और 325 करोड़ रुपये हैं।

(ख) सभी बीएडीपी राज्यों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान 100 प्रतिशत निधियां उपयोग में लाई गई हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान जारी

किए गए 325 करोड़ रुपये में से 215.38 करोड़ रुपये की राशि का राज्य सरकारों द्वारा उपयोग किया गया है।

(ग) और (घ) राजस्थान के मामले में, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी, संसद सदस्य (लोक सभा) से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने बाड़मेर ब्लाक में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम निधियों को दूसरे कार्यों में लगाये जाने और उनका दुरुपयोग किये जाने का आरोप लगाया था। जांच पड़ताल के बाद, जिन स्कीमों को बीएडीपी के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं पाया गया, उन्हें बंद कर दिया गया था।

[अनुवाद]

भारत वंशियों के बच्चों के लिए भाषा अध्यापक

3236. **श्री वाई.वी. राव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका ने भारत वंशियों के बच्चों के लिए भाषा अध्यापकों और शैक्षिक सामग्री की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो किन भाषाओं के लिए अध्यापक मांगे गए हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान:) (क) से (ग) जनवरी, 2004 में आयोजित द्वितीय प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर भारत में अपने दौरे के दौरान दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलु नैटल प्रांत के शिक्षा, संस्कृति एवं खेलकूद मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तथा मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री के साथ हुई बैठक के दौरान गणित, हिन्दी, तमिल तथा तेलुगु आदि के शिक्षकों तथा दक्षिण अफ्रीका के सामान्य स्रोतों से सस्ती शैक्षिक सामग्री के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। तथापि, दक्षिण अफ्रीका सरकार से इस संबंध में कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय की स्थापना

3237. **श्री बसुदेव आचार्य: क्या पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1994 में संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय (आईएमयू) स्थापित करने का निर्णय लिया था;

(ख) क्या विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक संकल्प भी स्वीकार किया था;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस मामले पर संसद में एक विधेयक लाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) प्रशिक्षण-संस्थानों को एक विश्वविद्यालय की संरचना की तरह की संरचना में लाने की व्यवहार्यता तथा वांछनीयता आंकने सहित, सामुद्रिक प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से संस्थागत ढांचे में उपयुक्त परिवर्तन करने हेतु भारत-सरकार ने अक्तूबर, 1991 में एक सामुद्रिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण-समिति (कोमेट) स्थापित की। उपर्युक्त समिति ने मई, 1992 में प्रस्तुत की अपनी रिपोर्ट में सरकार के नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहे सामुद्रिक प्रशिक्षण-संस्थानों का प्रबन्धन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने तथा उन्हें निदेश देने और मानीटर करने के लिए एक स्वायत्त निकाय स्थापित किए जाने की सिफारिश की थी। उपर्युक्त का आशय, समिति-पंजीकरण-अधिनियम, 1860 के अनुसार एक समिति बनाने का था। तदनुसार, भारतीय सामुद्रिक अध्ययन-संस्थान (आई आई एम एस) मुम्बई को 06 जून, 2002 को समिति-पंजीकरण-अधिनियम, 1860 के अनुसार एक समिति के रूप में पंजीकृत कर दिया गया है।

प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करना

3238. **श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार से प्रदेश में एक प्रौद्योगिकी पार्क जिसका बंगलौर में संपर्क हो स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) उक्त प्रस्ताव कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है और उसके लिए कितनी सहायता प्रदान की जाएगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

वसंत विहार में सी.जी.एच.एस. औषधालय खोलना

3239. डा. रमेश चन्द तोमर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकारी आवास परिसर (सीपीडब्ल्यूडी कालोनी) वसंत विहार, नई दिल्ली में एक सीजीएसएच औषधालय के निर्माण हेतु प्राथमिक प्राक्कलन प्राप्त हुए हैं जिसके संबंध में भवन का स्वीकृत नक्शा शहरी विभाग (निर्माण विंग), सीपीडब्ल्यूडी, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में काफी समय से लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है और सीजीएसएच औषधालय भवन का कब तक निर्माण किए जाने को संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं/ उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से वसंत विहार में एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय भवन के निर्माण के लिए 93,16,300/- रुपए का प्रारंभिक अनुमान प्राप्त हुआ है। वसंत विहार में एक नए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने के प्रस्ताव, जिसमें नए पदों का सृजन करना भी शामिल है, को 10वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है। औषधालय भवन के निर्माण की प्रशासनिक औपचारिकताएं औषधालय को मंजूरी मिलने के बाद ही शुरू की जा सकती हैं।

विदेशी जेलों में भारतीय

3240. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी जेलों में बंद भारतीय लोगों का उनके विरुद्ध अपराधों सहित देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गए है; और

(ग) सरकार द्वारा विदेशी जेलों में बंद निर्दोष भारतीय लोगों की सुरक्षा हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) विदेश की जेलों में बन्द भारतीयों की संख्या दर्शाने वाली एक देशवार सूची संलग्न विवरण में दी गई हैं। इनमें अवैध प्रवेश, अवैध तरीके से अधिक समय तक रूकने और सामान्य किस्म के अपराध जैसे कि धोखाधड़ी, चोरी, सेंधमारी, कुकर्म, अवैध औषधों को रखना, दुर्व्यवहार आक्रमण, हत्या इत्यादि जैसे अपराध शामिल हैं।

(ख) और (ग) विदेश स्थित भारतीय मिशन विदेशी जेलों में बन्द भारतीय राष्ट्रिकों को सभी संभव सहायता प्रदान करते हैं, इसमें जहां तक संभव हो, उनके शीघ्र भारत प्रत्यावर्तन, शीघ्र जांच, उचित व्यवहार तथा जीवनयापन की परिस्थितियों सहित यह सुनिश्चय करते है कि न्याय में कमी न हो।

विवरण

विदेशी जेलों में बंद भारतीय

क्र.सं.	देश	विदेशी जेलों में बन्द भारतीयों की संख्या
1	2	3
1.	अल्जीरिया	9
2.	अर्जेन्टीना	3
3.	अर्मेनिया	1
4.	आस्ट्रिया	शून्य
5.	आस्ट्रेलिया	1
6.	अजरवेजान	शून्य
7.	बहरीन	163
8.	बंगलादेश	738
9.	बेल्जियम	14
10.	बेलीज़	शून्य
11.	भूटान	30
12.	बोलीबिया	शून्य
13.	बोत्स्वाना	5
14.	ब्राजील	शून्य
15.	ब्रुनई	शून्य

1	2	3
16.	बुल्गारिया	शून्य
17.	बुर्किनाफासो	शून्य
18.	कनाडा	1
19.	मध्य अफ्रीकी गणराज्य	शून्य
20.	चिली	शून्य
21.	चीन	34
22.	कोलम्बिया	शून्य
23.	कम्बोडिया	1
24.	कोमोरोस	शून्य
25.	कोत द आइवर	शून्य
26.	क्रोएशिया	शून्य
27.	क्यूबा	4
28.	साइप्रस	49
29.	चैक गणराज्य	1
30.	डेनमार्क	9
31.	जिबूती	शून्य
32.	अल सल्वाडोर	शून्य
33.	इथोपिया	शून्य
34.	फिजी	शून्य
35.	फिनलैंड	1
36.	फ्रांस	190
37.	जर्मन	शून्य
38.	घाना	शून्य
39.	यूनान	198
40.	ग्वाटेमाला	शून्य
41.	गिनी	शून्य
42.	गयाना	शून्य
43.	होंडुरस	शून्य

1	2	3
44.	हांगकांग	39
45.	हंगरी	3
46.	इंडोनेशिया	3
47.	ईरान	4
48.	आयरलैंड	शून्य
49.	इजरायल	170
50.	इटली	39
51.	जमैका	2
52.	जापान	2
53.	जोर्डन	4
54.	लात्विया	शून्य
55.	लेबनान	160
56.	लाइबेरिया	शून्य
57.	लीबिया	11
58.	मेसोडेनिया	शून्य
59.	मेडागास्कर	2
60.	मलेशिया	568
61.	मालद्वीव	12
62.	मेक्सिको	शून्य
63.	मंगोलिया	शून्य
64.	मोजाम्बिक	शून्य
65.	म्यामां	50
66.	नामीबिया	शून्य
67.	नीदरलैंड	152
68.	निकारागुआ	शून्य
69.	नाइजर	शून्य
70.	ओमान	22
71.	पाकिस्तान	1182

1	2	3
72.	पनामा	3
73.	पपुआ न्यू गिनी	शून्य
74.	पेरू	शून्य
75.	पोलैण्ड	1
76.	पुर्तगाल	5
77.	कतर	21
78.	रूसी परिसंघ	120
79.	सऊदी अरब	1160
80.	सर्बिया एण्ड मोन्तेनग्रो	5
81.	सेशेल्स	शून्य
82.	सिअर लिओन	शून्य
83.	सिंगापुर	345
84.	स्लोवाक गणराज्य	12
85.	सोलोमन द्वीप समूह	शून्य
86.	दक्षिण अफ्रीका	3
87.	श्रीलंका	3
88.	सूडान	शून्य
89.	स्वाजीलैण्ड	शून्य
90.	स्वीडन	शून्य
91.	स्विटजरलैण्ड	4
92.	सीरिया	10
93.	ताजिकिस्तान	1
94.	तंजानिया	2
95.	थाईलैंड	31
96.	टोगो	शून्य
97.	ट्यूनेशिया	शून्य
98.	तुर्की	45
99.	संयुक्त अरब अमीरात	597
100.	यू.के.	233
101.	संयुक्त राज्य अमेरिका	101
102.	उगांडा	शून्य
103.	उक्रेन	231
104.	उजबेकिस्तान	शून्य
105.	वानुआतु	शून्य
106.	वियतनाम	शून्य
107.	यमन	शून्य
108.	जिम्बाव्वे	–
	कुल	6810

हाइब्रिड मेल सर्विसेज

3241. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कतिपय क्षेत्रों में गत वर्ष हाईब्रिड मेल सेवायें यथा ई-पोस्ट और ई-बिल पोस्ट शुरू की थीं;

(ख) यदि हां, तो इस सेवा के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया क्या है और इससे कितना राजस्व अर्जित किया गया; और

(ग) इन सेवाओं को कब तक पूरे देश में उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) ई-पोस्ट सेवा को दिनांक 02 अगस्त, 2001 को एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केरल राज्यों में शुरू किया गया। ई-बिल पोस्ट की शुरूआत एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में बेंगलूर और कोलकाता में दिनांक 31.1.2002 को की गई थी।

(ख) इन सेवाओं के प्रति जनता की प्रतिक्रिया संतोषजनक है। अब तक अर्जित राजस्व निम्नानुसार है:

ई-बिल पोस्ट	:	29,99,865.00 रु.
ई-पोस्ट	:	4,18,686.00 रु.

(ग) ई-पोस्ट सेवा का 30.1.2004 से देश भर में विस्तार किया गया है। ई-बिल पोस्ट सेवा समूचे देश में उपलब्ध है जिसका उपयोग किसी सेवा प्रदाता/बिल लेने वाले द्वारा किया जाना है।

[हिन्दी]

बिहार में सार्वजनिक दूरभाष बूथ

3242. **श्री राजो सिंह:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए सार्वजनिक दूरभाष बूथों की संख्या कितनी है;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या अनुसूचित जिलों में लगाए गए सार्वजनिक दूरभाष बूथों की संख्या राज्य के विकसित जिलों में स्थापित बूथों से बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 10141 पीसीओ लगाए गए हैं।

(ख) से (ङ) बीएसएनएल की मौजूदा नीति के अनुसार, 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी आवेदकों को तकनीकी व्यवहार्यता के अध्यधीन उनके पंजीकरण के अनुसार, उदारतापूर्वक पीसीओ आवंटित किए जाते हैं। अत: दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए पीसीओ लगाने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। उक्त अवधि के दौरान संस्थापित किए जाने वाले पीसीओ की संख्या मांग पर निर्भर करती है। पीसीओ लगाने के संबंध में अनुसूचित जिलों और विकसित जिलों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

केंद्रीय सड़क निधि का उपयोग

3243. **श्री शिवाजी माने:**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी रिपोर्ट है कि केंद्रीय सड़क निधि का न तो उचित उपयोग किया जा रहा है और न ही इसके अंतर्गत किया गया कार्य संतोषजनक है;

(ख) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस निधि का निर्धारित मानदंडों के अनुसार उपयोग किए जाने और काम को प्रभावी और सही ढंग से कराने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) मंत्रालय में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) केंद्रीय सड़क निधि से धनराशि उपभोग प्रमाणपत्र तथा निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्टों के आधार पर जारी की जाती है। संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ निर्माण कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है।

(घ) वर्ष 2002-03 में 980.00 करोड़ रु. के जमा राशि के मुकाबले में 950.28 करोड़ रु. जारी किए गए।

[अनुवाद]

भूकंप निगरानी प्रयोगशालाएं खोलना

3244. **श्री अधीर चौधरी:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में विद्यालयों में भूकंप निगरानी प्रयोगशालाएं खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेशनल स्कूल सीस्मोलाजी-प्रोजेक्ट (एन एस एस पी) ने भूकंप के लोगों तथा अवसंरचनाओं पर पड़ने वाले प्रभावों से निपटने के लिए रणनीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) और (ख) महोदय/महोदया विद्यालय भूकंप निगरानी प्रयोगशालाओं की शुरूआत दसवीं योजना की अवधि के दौरान भूकंप विज्ञान पर मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन हेतु चिन्हित की गई गतिविधियों में से एक है। इन सुविधाओं की शुरूआत और स्थापना का औचित्य छात्रों के बीच अपने आस-पड़ोस में भूकंप संबंधी

गतिविधियों के बारे में प्रेक्षणात्मक/मापक कौशल एवं जागरूकता की एक संस्कृति का संवर्धन करना है। भूकंप प्रवण क्षेत्रों में 100 विद्यालयों का चयन ऐसी प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु किए जाने की योजना है। इन क्षेत्रों में उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के भागों को शामिल किया जाएगा। इस प्रकार की सुविधाएं दिल्ली में भी कुछेक विद्यालयों में सृजित की जाएंगी।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान परियोजना (एन ए एस एस पी) एक परीक्षणात्मक परियोजना है जिसकी शुरूआत देश में पहली बार की जा रही है और इसके द्वारा लोगों तथा अवसंरचनाओं पर भूकंपों के प्रभावों का सामना करने हेतु प्रत्यक्षत: कार्यनीतियां तैयार करने की संभावना कम है। तथापि, जागरूकता एवं शिक्षण जिसे इस प्रयास के माध्यम से प्रदान करने का प्रस्ताव है, से भविष्य में निश्चित रूप से भूकंपों के प्रभावों को कम करने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश तथा बिहार में टेलीफोन कनेक्शन

3245. **श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2003 की अवधि के दौरान प्रति एक लाख आबादी पर टेलीफोन की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन राज्यों में स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने मध्य प्रदेश तथा बिहार को वरीयता सूची में शामिल नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) वर्ष 2000-2003 की अवधि के दौरान प्रति एक लाख आबादी पर टेलीफोनों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) वर्ष 2003-04 के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने प्रतीक्षा-सूची को निपटाने के लिए, बिहार के लिए 2.5 लाख टेलीफोन लाइनें और मध्य प्रदेश के लिए 1.76 लाख टेलीफोन लाइनें प्रदान करने की योजना बनाई है। जनसाधारण में दूरसंचार संबंधी जागरूकता पैदा करने हेतु खुले सत्रों/दूरसंचार प्रदर्शनियों/मेलों का आयोजन करके, मांग बढ़ाने हेतु सतत् रूप से प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/सर्किल	प्रति एक लाख आबादी पर टेलीफोनों की संख्या			
		1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार	6975	7634	9050	9598
2.	आंध्र प्रदेश	3165	4067	4926	5661
3.	असम	1064	1333	1669	1945
4.	बिहार	601	936	1084	1355
5.	छत्तीसगढ़	*	*	1221	1394
6.	गुजरात	4121	5370	6378	7771
7.	हरियाणा	3214	4247	5068	6211
8.	हिमाचल प्रदेश	4851	5309	7412	8504
9.	जम्मू और कश्मीर	1312	1723	2158	2483
10.	झारखंड	*	*	1394	1572

1	2	3	4	5	6
11.	कर्नाटक	3771	4695	5575	6670
12.	केरल	5769	7509	9506	11327
13.	मध्य प्रदेश	1537	1805	2493	3045
14.	महाराष्ट्र	5180	6598	7685	9154
15.	पूर्वोत्तर	1680	1924	2416	2701
16.	उड़ीसा	1197	1521	1855	2288
17.	पंजाब	5592	6950	9108	11762
18.	राजस्थान	2032	2571	3000	3474
19.	तमिलनाडु	4573	5912	6846	7950
20.	उत्तर प्रदेश	1321	1655	1864	2167
21.	उत्तरांचल	*	*	3624	3946
22.	पश्चिम बंगाल	2093	2669	3188	3757
23.	दिल्ली	15401	17705	22086	27381
	सम्पूर्ण भारत	2822	3584	4286	5109

टिप्पणी : पश्चिम बंगाल में सिक्किम राज्य शामिल है।
केरल में लक्षद्वीप शामिल है।
पूर्वोत्तर में मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश शामिल है।
तमिलनाडु में पाण्डिचेरी शामिल है।
महाराष्ट्र में गोवा शामिल है।
गुजरात में दमन और दीव तथा दादर नागर हवेली शामिल हैं।
* मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल और बिहार में झारखण्ड शामिल है। ये राज्य मार्च, 02 में बने थे।

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय दिवस

3246. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राममोहन गाड्डे:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में राजधानी में प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसमें प्रतिभागियों की संख्या कितनी थी;

(ग) उक्त आयोजना में प्रतिभागियों द्वारा कौन से मुख्य मुद्दे उठाए गए; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय मूल के लोगों (पी आई ओ) के लिए घोषित प्रोत्साहनों के संबंध में प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) जी, हां।

(ख) विदेश मंत्रालय और फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा दिनांक 9-11 जनवरी, 2004 को नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस 2004 का सह-आयोजन किया गया। इसका उद्‌घाटन माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम श्री भरत

जगदेव, राष्ट्रपति, गयाना सहकारी गणराज्य द्वारा किया गया जो कि मुख्य अतिथि थे। 61 देशों के 2266 प्रतिनिधिमंडलों ने इस समारोह में भाग लिया जिसमें से 1321 भारतीय डायस्पोरा के प्रतिनिधि थे। इस समारोह में पांच पूर्ण अधिवेशन, ग्यारह क्षेत्रवार/गोलमेज सत्र और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ आठ समानान्तर सत्र हुए। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 12 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रदान किए गए। दो सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया गया। जिनमें तीन डायस्पोरा दलों ने भाग लिया। इस अवसर पर पारम्परिक मीडिया की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा टिकट संग्रहण पर एक और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

(ग) प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे हैं:- जारी उदारीकरण प्रक्रिया में संवर्द्धन; लाल फीता शाही में कटौती; निवेशों के लिए बहु-अनुमोदनों की आवश्यकताओं में कटौती करना, निवेशकों के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं में व्याप्त दुविधाओं को समाप्त करना; अनिवासी भारतीयों के लिए मताधिकार; वायु-यात्रा बजट लागू करना, खाड़ी में अनिवासी भारतीयों के लिए पेंशन योजनाएं, डायस्पोरा देशों को उत्पादों का निर्यात करने के लिए क्षेत्र और भारतीय मूल के व्यक्तियों/अनिवासी भारतीयों के लिए दोहरे टैरिफ को समाप्त करना।

(घ) भारतीय निगमों/पंजीकृत भागीदारियों को अपने निवल मूल्य के 100% तक विदेशों में निवेश करने की अनुमति प्रदान करने, विदेश में निगमों द्वारा कृषि गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने और खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों के बच्चों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में विदेशी/भारतीय मूल व्यक्तियों के लिए निर्धारित विभिन्न विषयों में 15% अधिसंख्य सीटों के एक तिहाई आरक्षण की माननीय प्रधानमंत्री की घोषणाओं के प्रति उत्साह और सराहना का प्रदर्शन किया गया।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में आई.सी.डी.एस. योजना

3247. श्री सुन्दरलाल तिवारी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार मध्य प्रदेश के लिए आई.सी.डी.एस.-III के अंतर्गत राज्य परियोजना निगरानी इकाई और जिला-स्तरीय आई.सी.डी.एस. प्रकोष्ठ को स्वीकृति देने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) से (ग) जी, नहीं। मध्य प्रदेश में विश्व-बैंक सहायता-प्राप्त केन्द्र प्रायोजित आई.सी.डी.एस.-III परियोजना के अंतर्गत राज्य-स्तर पर परियोजना प्रबन्धन कक्षों अथवा जिला स्तर पर आई.सी.डी.एस. कक्षों का कोई प्रावधान नहीं है। परियोजना का कार्यान्वयन राज्य स्तर पर राज्य कक्ष/आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा किया जाना है, जो आई.सी.डी.एस. (सामान्य) स्कीम के कार्यान्वयन तथा आई.सी.डी.एस. (सामान्य) स्कीम की अवसंरचना के प्रयोग के लिए भी उत्तरदायी है।

[अनुवाद]

उल्फा को चीन द्वारा आश्रय

3248. श्री उत्तमराव पाटील:
श्री कमल नाथ:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि उल्फा संगठन ने अब चीन में शरण मांगी है जैसाकि 29 दिसम्बर, 2003 के स्टेट्समैन में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने चीनी सरकार तथा अन्य पड़ोसी देशों से उल्फा संगठन को कोई आश्रय नहीं देने के लिए इस मामले को उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में पड़ोसी देशों की प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) उल्फा द्वारा चीनी सरकार को संबोधित इस आशय के पत्र जिसमें बचाव चाहने वाले विद्रोही गुटों के सदस्यों के लिए चीनी प्रदेश के जरिए सुरक्षित मार्ग तथा भूटान की शाही सरकार द्वारा उनके विरुद्ध की जा हथियारों की कार्रवाईयों का अनुरोध किया गया है, से संबंधित मीडिया की खबरें नई दिल्ली स्थित चीन लोक गणराज्य के दूतावास के ध्यान में लायी गयी। दूतावास को उपयुक्त कार्रवाई के लिए इस सूचना से चीनी सरकार को अवगत कराने का अनुरोध किया गया है।

प्रत्युत्तर में नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने अवगत कराया है कि चीनी सरकार भारत के साथ अपनी मित्रता तथा सहयोगी संबंधों के विकास को अत्यधिक महत्व देती है, यह कि चीन ने हमेशा अन्य देशों के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति का

अनुपालन किया है तथा वह किसी को भी अन्य देशों के विरुद्ध कार्यवाहियों के लिए अपने प्रदेश के उपयोग की अनुमति नहीं देगा; यह कि चीनी पक्ष को मीडिया रिपोर्ट में उल्लिखित कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है; यह कि वह स्थिति की निकट से निगरानी करेगा; यह कि उनका मानना है कि चीन की सीमांत सेनाएं अपने सीमावर्ती क्षेत्रों की रक्षा तथा स्थिरता की सुरक्षा करने में सक्षम हैं; और यह कि चीनी पक्ष ने इस संबंध में भारतीय पक्ष की चिंता की ओर ध्यान दिया है और इन मसलों पर भारतीय पक्ष के संपर्क में रहेगी।

बंगलादेश में भारतीय विद्रोही गतिविधियों के मामले को विभिन्न स्तरों पर बंगलादेश की सरकार के साथ बार-बार उठाया गया है, हाल ही में महानिदेशक स्तर पर 5 से 9 जनवरी, 2004 तक सीमा सुरक्षा बल और बंगला देश राइफल्स के बीच इस मसले पर चर्चा हुई। इसी प्रकार, म्यांमा में भारतीय विद्रोही गतिविधियों के मामले को म्यांमा की सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाया गया है। दोनों देशों ने यह पुष्टि की कि वे अपने-अपने प्रदेश में ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं देंगे।

नेपाल के साथ हमारा द्विपक्षीय तंत्र है जिसमें आपसी हित के मामलों पर नियमित बैठकें/विचारों का आदान-प्रदान होता है। नेपाल हमारी हितचिंताओं को समझता है और सामान्यतः हमारे हितों को ध्यान में रख कर कार्रवाई करता है।

गठिया विज्ञान (रूमैटिलाजी) में नए पाठ्यक्रम शुरू करना

3249. डा. मन्दा जगन्नाथः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से नया पाठ्यक्रम यथा निजाम्स इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस (एन आई एम एस) हैदराबाद में रूमैटिलाजी में एम डी शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिए स्वीकृति दी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) निजाम आयुर्विज्ञान संस्थान, हैदराबाद से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें संस्थान में डी.एम. रूमेटोलाजी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमति मांगी गई है। भारतीय चिकित्सा परिषद ने निरीक्षण के समय संस्थान में पाई गई विभिन्न कमियों का उल्लेख करते हुए डी एम-रूमेटोलाजी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमति देने की सिफारिश नहीं की है। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के प्रावधान तथा उसके अंतर्गत बने विनियमनों के अनुसार परिशोधन हेतु कमियों के बारे में निजाम आयुर्विज्ञान संस्थान (एन.आई.एम.एस.) को सूचित कर दिया गया है। डी एम-रूमेटोलाजी शुरू करने के लिए एन.आई.एम.एस. को केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति दिया जाना कमियों के परिशोधन तथा भारतीय चिकित्सा परिषद के मानदण्डों के अनुसार आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

पूर्वी-पश्चिमी गलियारे का विस्तार

3250. श्री पवन सिंह घाटोवारः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिणी असम में स्थित सिलचर प्रस्तावित पूर्वी-पश्चिमी गलियारे के अंतर्गत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के पूर्वी भाग को नेटवर्क से बाहर रखा है;

(ख) क्या पूर्वी-पश्चिमी गलियारे को नगांव से जागुन तक जो भारत के मानचित्र पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तक बढ़ाए जाने की लोकप्रिय मांग बढ़ रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय मानचित्र के पूर्वी छोर तक पूर्वी-पश्चिमी गलियारे के ऐसे विस्तार को स्वीकृति देने का है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ग) पूर्व-पश्चिम कारीडोर को सिल्चर से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों की राजधानियों, जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना अर्थात् स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कारीडोरों से नहीं जुड़ी हैं, को प्रधान मंत्री भारत जोड़ो परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना नेटवर्क के साथ जोड़ा जाना है। नौगांव से जगुन तक चार लेन के राजमार्ग के निर्माण की मांग इस समय विचाराधीन नहीं है।

उत्कृष्ट विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना

3251. श्री के.पी. सिंह देवः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कुछ और विश्वविद्यालयों को 'उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय' के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दसवीं योजना के दौरान पांच और विश्वविद्यालयों को 'उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय' के रूप में घोषित करने पर विचार किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस विषय में अंतिम निर्णय इस उद्देश्य के लिए गठित की गई विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर लेगा। विशेषज्ञ समिति विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करके तथा विश्वविद्यालयों द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत विस्तृत अभ्यावेदनों के आधार पर अपनी सिफारिशें तैयार करती है।

विदेशी शिष्टमंडलों का दौरा

3252. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर, 2003 से आज की तारीख तक कितने विदेशी शिष्टमंडलों ने भारत का दौरा किया;

(ख) प्रत्येक शिष्टमंडल के साथ किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई;

(ग) क्या उनके साथ किसी द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): दिसम्बर, 2003 से आज तक निम्नलिखित विदेशी अधिकारियों ने भारत का दौरा किया:-

नेपाल

(क) महामान्य युवराज परस बीर बिक्रम शाह देव और महामान्या राजकुमारी हिमानी राज्य लक्ष्मी देवी शाह ने 18 जनवरी से 01 फरवरी, 2004 तक भारत का दौरा किया।

(ख) शिष्टचारवश राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिले।

(ग) जी, नहीं।

(घ) शून्य।

म्यामां

(क) और (ख) श्री यू विन ऑंग, विदेश मंत्री म्यामां ने बागान (म्यामां) के बरास्ता मोरेह (भारत) से माए सोत (थाइलैंड) को जोड़ने वाले भारत-म्यामां-थाइलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना की मंत्रालयी बैठक में भाग लेने के लिए 22-23 दिसम्बर, 2003 को भारत का दौरा किया। बैठक 23 दिसम्बर, 2003 को नई दिल्ली में हुई।

(ग) शून्य।

(घ) लागू नहीं।

श्रीलंका

(क), (ख), (ग) और (घ) श्री टाइरोन्नी फरनाडो, विदेश मंत्री ने 29 से 30 जनवरी, 2004 तक भारत का दौरा किया। दौरे के दौरान द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई।

सार्क

(क) सार्क महासचिव ने 16-18 दिसम्बर, 2003 तक भारत का दौरा किया।

(ख) महासचिव को 12वें सार्क शिखर सम्मेलन के संबंध में अनौपचारिक विचार-विमर्श हेतु आमंत्रित किया गया था। उनके दौरे के दौरान शिखर सम्मेलन की तैयारियों और शिखर सम्मेलन के दौरान उठाए जाने वाली कार्यसूची मदों पर विचार किया गया।

(ग) शून्य।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

थाइलैंड

(क), (ख), (ग) और (घ) डा. सुराकियार्त साथीरत्थाई, विदेश मंत्री थाइलैंड ने बागान (म्यामां) के बरास्ता मोरेह (भारत) से माए सोत (थाइलैंड) को जोड़ने वाले भारत-म्यामां-थालईंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना की मंत्रालयी बैठक में भाग लेने के लिए 21 से 23 दिसम्बर, 2003 तक भारत का दौरा किया। कोई द्विपक्षीय करार सम्पन्न नहीं किया गया।

सिंगापुर

(क) श्री ली हसीन लौंग, उपप्रधान मंत्री और वित्त मंत्री, सिंगापुर ने 10 से 17 जनवरी, 2004 तक भारत का दौरा किया।

(ख) उच्च अधिकारी के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर बातचीत की गई।

(ग) शून्य।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मंगोलिया

(क) मंगोलिया के प्रधानमंत्री श्री एन इन्खाबायर ने 14 से 19 जनवरी, 2004 तक भारत का दौरा किया।

(ख) दोनों पक्षों ने आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर विचार-विमर्श किया।

(ग) और (घ) पशु स्वास्थ्य और डेरी, अन्तरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग और बायोटैक्नोलाजी के क्षेत्रों में तीन करार/समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए। दौरे के बाद एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया गया।

कोरिया गणराज्य (आर ओ के)

(क) कोरिया गणराज्य के विदेश और व्यापार मंत्री डा. यून यंग-क्वान ने 21 से 23 जनवरी, 2003 तक नई दिल्ली का दौरा किया।

(ख) दौरे के दौरान भारत-कोरिया गणराज्य संयुक्त आयोग का दूसरा सत्र आयोजित किया गया। दोनों पक्षों ने आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर विचार-विमर्श किया।

(ग) और (घ) भारत-कोरिया गणराज्य संयुक्त आयोग के सहमत कार्यवृत्त हस्ताक्षरित किए गए।

बहरीन

(क) और (ख) महामहिम शेख खलीफा बिन सलमान अल-खलीफा, प्रधानमंत्री, बहरीन राज्य ने एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 11 से 14 जनवरी, 2004 तक भारत का राजकीय दौरा किया। दौरे के दौरान निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया:

(1) द्विपक्षीय संबंध

(2) अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं

(3) आतंकवाद

(4) गुट निरपेक्ष आंदोलन

(5) फिलिस्तीन राज्य की स्थापना

(6) इराक में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका

महामहिम बहरीन के प्रधानमंत्री ने फिक्की और सी आई आई द्वारा आयोजित एक व्यवसायी कार्यकलाप के सत्र में भी भाग लिया।

(ग) और (घ) बहरीन की प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान भारत और बहरीन के बीच निम्नलिखित करार संपन्न किया गये,

(1) विदेश मंत्रालयों के बीच सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन;

(2) नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में विधिक और न्यायिक सहयोग पर करार;

(3) प्रत्यर्पण संधि;

(4) आपराधिक मामलों में आपसी विधिक सहायता पर करार;

(5) द्विपक्षीय निवेश के संवर्द्धन और संरक्षण पर करार।

मारीशस

I (क) और (ख) मारीशस के माननीय उप-प्रधान मंत्री श्री प्रविन्द जदुनाथ ने डा. एल एम सिंघवी के आमंत्रण पर दूसरे प्रवासी भारतीय समारोह में भाग लेने के लिए 8-10 जनवरी तक भारत का दौरा किया।

(ग) और (घ) पहले से ही घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा की गयी।

II (क) मारीशस सरकार के विदेश मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग, श्री जय मिशन कुरारी ने 6-10 जनवरी, 2004 तक भारत का दौरा किया।

(ख) राजनैतिक मसलों, एस ए डी सी और कोमेसा के साथ भारत के सहयोग, आतंकवाद के क्षेत्र में सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी (सूचना प्रौद्योगिकी सहित), समुद्र विज्ञान और गैर-पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, पर्यावरण, संस्कृति नागर विमानन, आइटेक प्रशिक्षण, भारतीय व्यवसायियों के लिए वीजा सुविधाजनक बनाने सहित कोंसली मामले, मारीशस में नयी परियोजनाएं, द्विपक्षीय व्यापार और करार की समीक्षा, स्वापकों के विरोध सहित आपराधिक मामलों पर आपसी विधिक सहायता में सहयोग, मारीशस सरकार द्वारा तटीय पेट्रोल जहाज और हेलीकाप्टर की खरीद सहित रक्षा में सहयोग तथा उस देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की नौसैनिक निगरानी तथा व्यापक आर्थिक सहयोग करार संपन्न किया जाना।

(ग) और (घ) द्विपक्षीय व्यापार और निवेशों के दोतरफा प्रवाह बढ़ाने, उदार वीजा व्यवस्था स्वीकार करने तथा मुक्त श्रम नीति, व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के लिए संयुक्त वाणिज्य परिषद् के जरिए क्रियाकलाप को बढ़ावा देना तथा शीघ्र ही एक व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी करार (सी ई सी पी ए) संपन्न करने के लिए एक करार पर दोनों पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

रोमानिया

(क) रोमानिया के सीनेट के अध्यक्ष श्री निकोल बकारोड के नेतृत्व में 14-18 दिसम्बर, 2003 तक रोमानिया का एक संसदीय शिष्टमंडल भारत आया।

(ख) यात्रा के दौरान आर्थिक सहयोग और संसदों के बीच क्रियाकलाप सहित द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा की गयी।

(ग) शून्य।

स्वीडन

(क) स्वीडन के प्रधान मंत्री गोरान परसोन ने 9-11 जनवरी, 2004 तक भारत का दौरा किया।

(ख) आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर चर्चा हुई।

(ग) यात्रा के दौरान कोई करार संपन्न नहीं किया गया।

(घ) लागू नहीं।

ब्राजील

(क) ब्राजील के राष्ट्रपति महामहिम श्री लुइज इनसियो लूला डी सिल्वा ने 25-28 जनवरी, 2004 तक भारत का दौरा किया।

(ख) यात्रा के दौरान भारत और ब्राजील के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग से संबंधित व्यापक चर्चा हुई।

(ग) और (घ) निम्नलिखित द्विपक्षीय करार संपन्न किये गये:

(1) राजनयिक-पासपोर्टधारकों के लिए वीजा अनिवार्यता में छूट से संबद्ध करार;

(2) पर्यटन क्षेत्र में सहयोग करार;

(3) बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग से संबद्ध करार;

(4) इसरो और ब्राजील के अंतरिक्ष अभिकरण ए ई बी के बीच 2004 के लिए सहयोग कार्यक्रम।

(5) भारत और मरकोसर के बीच अधिमानी व्यापार करार;

(6) भारत और ब्राजील के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।

गुयाना

(क) गुयाना सहयोगी गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री भरत जगदेव ने प्रवासी भारतीय दिवस के लिए मुख्य अतिथि के रूप में 6-13 जनवरी, 2004 तक भारत का दौरा किया।

(ख) एक क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण, गुयाना में गन्ना की खेती के आधुनिकीकरण के लिए रियायती ऋण श्रृंखला के विस्तार सहित अन्य द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा की गयी। दोनों देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर भी चर्चा की गयी।

(ग) और (घ) कोई करार संपन्न नहीं किया गया।

पाराग्वे

(क) से (घ) पाराग्वे की विदेश मंत्री सुश्री लीला रशीद ने 25-26 जनवरी, 2004 तक भारत और मरकोसर के बीच अधिमानी व्यापार संपन्न करने के लिए मरकोसर के शिष्टमंडल के भाग के रूप में भारत का दौरा किया। उनकी विदेश मंत्री के साथ भी आपसी हित के मसलों पर बातचीत हुई। कोई द्विपक्षीय करार नहीं संपन्न किया गया।

एन.एच.ए.आई. अभियंताओं को वापस भेजना

3253. श्री अनिल बसु: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.एच.ए.आई. ने कुछ अभियंताओं को वापस भेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में की गई कार्रवाई तथा उसका ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में अधिकांश अभियंताओं की नियुक्ति केंद्र सरकार/राज्य सरकारों और केंद्र सरकार/राज्य सरकारों के अधीन संगठनों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाती है। प्रारंभ में प्रतिनियुक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिए होती है जिसे अधिकारी के कार्यनिष्पादन

के आधार पर बढ़ाया जाता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने पर अधिकारी अपने मूल संगठनों में वापस चले जाते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सड़क निर्माण परियोजनाओं में विदेशी कंपनियां

3254. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं और नौवीं योजना के दौरान राजमार्गों पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) भारतीय निविदाओं अथवा विश्वव्यापी निविदाओं के माध्यम से राजमार्ग निर्माण कार्य को बांटने हेतु राज्य और केंद्र द्वारा प्रयुक्त तंत्र क्या है; और

(ग) भारत में सड़क निर्माण परियोजनाओं में कार्य कर रही विदेशी कंपनियों के नाम क्या हैं तथा इन परियोजनाओं में कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) आठवीं और नौवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण पर 21,765.18 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए, ठेके, कार्यों के मूल्य और श्रेणी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली और स्थानीय प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के आधार पर सौंपे गए हैं। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए ठेके विदेशी वित्तपोषण एजेंसियों की शर्तों के आधार पर दिए जाते हैं।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं में लगे हुए विदेशी ठेकेदारों के संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विदेशी ठेकेदारों के नाम, उनकी राष्ट्रीयता और परियोजना लागत (31.12.2003 तक की स्थिति) का ब्यौरा

क्र.सं.	नाम	राष्ट्रीयता	परियोजना लागत (करोड़ रु.)
1	2	3	4
	विदेशी ठेकेदार		
1.	चीनी सीसीएएल कंस्ट्र. ग्रुप कारपो.	चीनी	261.22
2.	सेंट्राडोरस्ट्राय रूस	रूसी	372.40
3.	सेंट्राडोरस्ट्राय रूस	रूसी	288.00
4.	एल जी इंजी. एंड कंस्ट्र. लि.	कोरियाई	230.55
5.	गोमुडा मलेशिया-डब्ल्यूसीटी मलेशिया	मलेशियाई	350.00
6.	कंसोरटियम आफ गोमुदा (मलेशिया) और डब्ल्यूसीटी इंजी. (मलेशिया)	मलेशियाई	432.40
7.	एसवीबीटीजी कंसोरटियम आफ एआई डीसी ग्रुप (यूएसए), एसटी आरएडीसी (फिलीपींस)	फिलीपींस-यू एस ए	641.00
8.	आरबीएम-पीएटीई (सं.उ.)	मलेशियाई	393.00
9.	मे. बुमी हिवे	मलेसियाई	71.18
10.	सीआईडीबी मलेशिया	मलेशियाई	136.65
		जोड़	3176.40

1	2	3	4
	संयुक्त उद्यम में विदेशी ठेकेदार		
1.	मे. पी ए टी आई-बी ई एल	मलेशियाई-भारतीय	348.44
2.	आई टी टी एच ए आई एंड सोमदत्त बिल्डर्स इंडिया (सं.उ.)	थाई-भारतीय	323.62
3.	मे. पीसीएल-सनवे बरहद	भारतीय-मलेशियाई	467.93
4.	सांगयांग कोरिया-ओरियंटल एसई इंडिया	कोरियाई-भारतीय	242.61
5.	प्रोग्रेसिव कंस्ट्र. लि. एंड सनवे बरहद	भारतीय-मलेशियाई	399.75
6.	ईसीएसबी-जेएसआरसी	मलेशियाई-भारतीय	164.25
7.	मधुकॉन बीनापुरी	मलेशियाई भारतीय	161.20
8.	एल जी इंजी. एंड कंस्ट्र. कं. एंड नागार्जुन कंस्ट्र. लि.	कोरियाई-भारतीय	360.00
9.	एसकेईसी-डोडसाल	कोरियाई भारतीय	275.58
10.	एल जी कंस्ट्र.-पटेल इंजी.	कोरियाई भारतीय	174.59
11.	एल्सामेक्स-टीडब्ल्यूएस -शंकर नारायण शेट्टी	स्पेन-भारतीय	227.25
12.	शुंभर मित्रा जया-रोहित कुमार-श्री दुर्गा कंस्ट्रक्शन	इंडोनेशियाई-भारतीय	189.68
13.	प्रोग्रेसिव-एसटीआईसीसीओ	भारतीय-दक्षिणी अरबियन	225.00
14.	बुमी-हिवे-डीडीबीएल	मलेशियाई-भारतीय	266.55
15.	यू वन-महेरिया	दक्षिणी कोरियाई-भारतीय	171.97
16.	जीएमआर-तुनी-अंकापल्ली एक्सप्रेस लि.	भारतीय-मलेशियाई	283.20
17.	लीमक-सोमा	टर्की-भारतीय	323.35
18.	आई जे एम-जीएवाईएटीएन	मलेशियाई-भारतीय	319.21
19.	एच ओ-एच यू पी-सिम्प्लेक्स	मलेशियाई-भारतीय	321.41
20.	सताव कंस्ट्र. प्रा.लि. एंड देना रहसाज	भारतीय-इरानी	97.90
21.	सनवे कंस्ट्र. बरहद एंड आर एन शेट्टी एंड कंपनी	मलेशियाई-भारतीय	115.90
22.	सनवे कंस्ट्र. बरहद एंड आर एन शेट्टी एंड कंपनी	मलेशियाई-भारतीय	279.00
23.	यू ई एम-एस्सार	मलेशियाई-भारतीय	241.00
24.	यू ई एम-एस्सार	मलेशियाई-भारतीय	318.00
25.	डोलोमाइट बरहद-एल सुदर्शन	मलेशियाई-भारतीय	104.00
26.	यू ई एम-एस्सार	मलेशियाई-भारतीय	304.00
27.	यू वन-महारिया	कोरियन-भारतीय	71.00

1	2	3	4
28.	यू वन-महारिया	कोरियन-भारतीय	88.00
29.	हुंडई-एच सी सी	कोरियन-भारतीय	219.70
30.	ताम्बरम-टिंडीवनम एक्सप्रेसवे प्रा. लि. (जी एम आर कंस्ट्र. एंड यू सी मलेशिया का संघ)	भारतीय-मलेशियाई	376.00
31.	सी डब्ल्यू एच ई सी - एच सी आई एल	चीनी-भारतीय	273.00
		जोड़	7733.09

[हिन्दी]

शिक्षकों को उपदान

3255. डा. जसवंतसिंह यादवः
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्यः
श्री कालवा श्रीनिवासुलुः
श्री के. येरननायडूः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय दिया कि शिक्षक सेवानिवृत्ति के समय उपदान के हकदार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह निर्णय केन्द्रीय विद्यालयों तथा जवाहर नवोदय विद्यालयों के शिक्षकों पर लागू होगा; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक प्रभावी हो जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (घ) जी, हां। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन बनाम प्रशासनिक अधिकारी तथा अन्य के मामले में दिनांक 13 जनवरी, 2004 के निर्णय में यह व्यवस्था दी है कि ऐसे शिक्षक जो मुख्य रूप से शिक्षण कार्य में लगे हैं; वे उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अधीन उपदान जैसे लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। केन्द्र सरकारी संस्थाओं के माध्यम से अभिशासित विद्यालयों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 13.1.2004 को दिए गए निर्णय को लागू करने संबंधी मामले की जांच की जा रही है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वास्थ्य परिचर्या की सुविधाएं

3256. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली अस्त-व्यस्त है जिसके परिणामस्वरूप औसत आयु में कमी आ रही है जैसा कि 22 जनवरी, 2004 के हिन्दी दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं तथा इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इन राज्यों के स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) राज्यों में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की व्यवस्था करना संबंधित राज्य सरकारों का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। तथापि, भारत सरकार पूर्वोत्तर राज्यों सहित, विभिन्न राज्य सरकारों को स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली हेतु सहायता प्रदान कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का 10% बजट परिव्यय पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एच.आई.वी./एड्स, मलेरिया, क्षयरोग, दुर्व्यसन निवारण इत्यादि सहित) के क्रियान्वयन करने हेतु और स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना में वृद्धि करने हेतु केवल पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ही निर्धारित है। प्रधान मंत्री के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पैकेज के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की व्यवस्था में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, शिलांग में 35 स्पेशियलिटी/सुपरस्पेशियलिटी उपचार सुविधाओं के साथ 500 बिस्तर की क्षमता वाले पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान (नीग्रेम्स) की स्थापना की जा रही है। इसके वर्ष 2005 तक पूरा हो जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर विभाग द्वारा अव्ययगत पूल

में से विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए धनराशि प्रदान की जाती है, जिसमें स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली का सुदृढीकरण और उन्नयन करना भी शामिल है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा एल.ओ.सी. को स्वीकार न करना

3257. श्री नरेश पुगलिया:
श्री भास्कर राव पाटील:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए एल.ओ.सी. को सीमा के रूप में स्वीकार करने से इंकार कर दिया है जैसा कि 11 जनवरी, 2004 के स्टेट्समैन में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या कश्मीर समस्या के समाधान हेतु हाल ही में विदेश सचिव स्तर की वार्ता हुई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है; और

(घ) कश्मीर समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) सरकार ने यह समाचार 11 जनवरी, 2004 के स्टेट्समैन में देखा है, जिसमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि पाकिस्तान ने न तो नियंत्रण रेखा को स्थायी सीमा बनाने के विचार को कभी स्वीकार किया था और न ही भविष्य में इसे स्वीकार करने का ही कोई प्रश्न उठता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार का यह अटल दृष्टिकोण रहा है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत, शिमला समझौते और लाहौर घोषणा के अनुरूप द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से पाकिस्तान के साथ सभी बकाया मुद्दों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

3258. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में अशक्त बच्चों को शिक्षा तथा उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण का कोई विशेष प्रावधान है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) जी, हां। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत साधारण विकलांग तथा नाम मात्र के विकलांग बच्चों की शिक्षा के प्रावधानों में सामुदायिक सुग्राहयता के लिए निधियन, विकलांगता की यथाशीघ्र पहचान, शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण, संसाधन सहायता, सहायक सामग्री और यंत्र और प्राथमिक स्कूलों में अवरोध मुक्त प्रवेश शामिल हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संसाधन शिक्षकों के विकास के लिए 45 दिनों के विशेष प्रशिक्षण के साथ-साथ समेकित शिक्षा हेतु सभी शिक्षकों का सामान्य प्रबोधन शामिल है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले

3259. श्री हरिभाई चौधरी:
श्री प्रबोध पण्डा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष-वार कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच अधीन अब तक कितने मामले है;

(ग) इनमें कितने मामलों पर जांच की जा रही है;

(घ) आज तक कितने मामले लंबित हैं;

(ङ) उन मामलों में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं तथा उनसे क्या-क्या बरामद हुआ; और

(च) इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) सी बी आई ने वर्ष 2001, 2002 और 2003 में क्रमशः 1105, 1159 और 1068 मामले दर्ज किए।

(ख) 31.12.2003 की स्थिति के अनुसार, 1435 मामलों की जांच चल रही थी।

(ग) वर्ष 2001, 2002 और 2003 के दौरान विचारण के लिए भेजे गए मामले क्रमशः 606, 721 और 718 थे।

(घ) 31.12.2003 की स्थिति के अनुसार, विचारण के लिए लंबित मामले 6327 थे।

(ङ) वर्ष 2001, 2002 और 2003 के दौरान क्रमशः 5520, 3840 और 3455 व्यक्ति शामिल थे तथा क्रमशः लगभग 18.52 करोड़ रुपए, 32.24 करोड़ रुपए और 16.45 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की गई/का पता लगाया गया।

(च) विभिन्न राज्यों में विशेषतया सीबीआई मामलों को चलाने के लिए ही 28 विशेष न्यायाधीश तथा 7 मजिस्ट्रेट न्यायालय पहले से ही कार्यरत हैं। लंबित मामलों की संख्या को आधार मानकर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेषतया सीबीआई मामलों को चलाने के लिए 8 राज्यों तथा 1 संघ-राज्य क्षेत्र में 12 विशेष न्यायालयों और 6 मजिस्ट्रेट न्यायालयों की पहचान की गई है। विचारण न्यायालयों में अभियोजन चलाने के लिए 280 से अधिक विशेष काउंसल नियुक्त किए गए हैं।

एन.पी.सी. द्वारा शुल्क में कमी

3260. श्री वाई.वी. राव: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु ऊर्जा निगम का राज्य विद्युत बोर्ड के लिए शुल्क में कमी करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) शुल्क-दर में कटौती करने के उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

* अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) संबंधी उगाही समाप्त करना।
* नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आर एंड एम) संबंधी उगाही समाप्त करना।
* भारी पानी के मूल्य-निर्धारण की समीक्षा करना।
* सरकारी ऋणों की पूर्व-अदायगी करना।

उपर्युक्त के संबंध में भारत सरकार ने हाल ही में अधिसूचनाएं जारी की हैं। उपर्युक्त उपायों से परमाणु विद्युत की शुल्क दरों में औसतन लगभग 27 पैसे प्रति किलोवाट घंटा की कमी आने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, मूल्यह्रास की दर में कटौती करने संबंधी प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। इसकी वजह से, बिजलीघर के आधार पर, लगभग 12 से 26 पैसे प्रति किलोवाट घंटा की कमी आने की आशा है।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

3261. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्रीमती रीना चौधरी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए कुल कितनी राशि व्यय की गई है; और

(घ) विस्तार योजना कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2003-04 के दौरान उत्तर प्रदेश (पूर्व) दूरसंचार सर्किल में 42016 लाइनों द्वारा तथा उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूर संचार सर्किल में 69202 लाइनों द्वारा मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता का विस्तार करने का प्रस्ताव है। विस्तार किए जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंजों के ब्यौरे क्रमशः विवरण I और विवरण II में दिए गए हैं।

(ग) मौजूदा एक्सचेंजों के विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश (पूर्व) दूरसंचार सर्किल में लगभग 71.4 करोड़ रु. और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार सर्किल में लगभग 118 करोड़ रु. व्यय होगा।

(घ) प्रस्तावित विस्तार कार्य 31.3.2004 तक पूरा होने की संभावना है।

विवरण I

वर्ष 2003-04 के दौरान उत्तर प्रदेश (पूर्व) में विस्तार किए जाने वाले प्रस्तावित मौजूदा एक्सचेंजों के ब्यौरे

क्र.सं.	एसएसए का नाम	एक्सचेंज का नाम	विस्तार किए जाने की प्रस्तावित क्षमता
1	2	3	4
1.	बाराबंकी	बाराबंकी	1000
2.	बलिया	बलिया	4000
3.	बलिया	छितौना	816
4.	बलिया	मनयार	816
5.	बस्ती	कलवाडी	696
6.	बस्ती	परशुरामपुर	696
7.	देवरिया	भलौनी	664
8.	देवरिया	भटनी	816
9.	देवरिया	फाजिल नगर	100
10.	देवरिया	कुबेर स्थान	848
11.	देवरिया	रामपुर कारखाना	632
12.	फतेहपुर	बहुबा	56
13.	फतेहपुर	फतेहपुर	1000
14.	फतेहपुर	मलबान	696
15.	फतेहपुर	मोहम्मदपुर गोंती	56
16.	फैजाबाद	गोसाई गंज	1000
17.	फैजाबाद	सादतगंज	348
18.	गोंडा	श्रीदत्त गंज	348
19.	गाजीपुर	गाजीपुर	2000
20.	गाजीपुर	नानाहरा	848
21.	हमीरपुर	चरखरी	1000
22.	झांसी	भरारी	348
23.	झांसी	मदोरा	348
24.	जौनपुर	बुरईपार	140
25.	जौनपुर	जौनपुर	4000
26.	कानपुर	बेंझाबार	2000
27.	कानपुर	काकादेव	1000
28.	कानपुर	लाजपतनगर	1000
29.	कानपुर	रतनलाल नगर	1000
30.	कानपुर	श्यामनगर	1000
31.	लखनऊ	इंदिरानगर	3000
32.	लखनऊ	जानकीपुरम	1000
33.	लखनऊ	एलडीए सेक्टर (जी)	1000
34.	लखनऊ	रजाई पुरम	1000
35.	लखनऊ	सहारा स्टेट	1000
36.	मिर्जापुर	रेणु सागर	600
37.	प्रतापगढ़	नबाबगंज	176
38.	राय बरेली	राय बरेली	4000
39.	उन्नाव	बडारका	316
	जोड़		42016

विवरण II

उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) में मौजूदा एक्सचेंजों का ब्यौरा जिनका विस्तार 2003-04 के दौरान किया जाना प्रस्तावित है

क्र.सं.	एसएसए का नाम	स्टेशन का नाम	विस्तार किए जाने की प्रस्तावित क्षमता
1	2	3	4
1.	आगरा	एजी मधुनगर	750
2.	आगरा	एजी शालीमार	500
3.	आगरा	हजारीपुर	664
4.	आगरा	आगरा	0

1	2	3	4
5.	आगरा	बरौलीखीर	616
6.	आगरा	कलाखेरिया	696
7.	आगरा	खंडोली	1000
8.	आगरा	दिगनेर	164
9.	आगरा	खेरागढ़	400
10.	आगरा	टुंडला	500
11.	आगरा	अचनेरा	500
12.	आगरा	बाह	500
13.	आगरा	फतेहबाद	500
14.	आगरा	फिरोजाबाद	500
15.	आगरा	कागरोल	500
16.	बरेली	हशरपुर मटकली	316
17.	बरेली	बी आर-हार्टमान	500
18.	बरेली	पीतमबेरपुर	500
19.	बरेली	ओनला	500
20.	बरेली	बहेरी	500
21.	बरेली	बरेली	500
22.	मुजफ्फरनगर	चौसाना	616
23.	मुजफ्फरनगर	गढ़ी अब्दुल्ला	664
24.	मुजफ्फरनगर	खतौली	700
25.	मुजफ्फरनगरं	थानाभवन	500
26.	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	500
27.	मुजफ्फरनगर	बुढ़ाना	500
28.	मुजफ्फरनगर	जुईहाना	500
29.	मुजफ्फरनगर	खतौली	500
30.	बिजनौर	साओवाला	700
31.	बिंजनौर	पडली	0
32.	बिजनौर	वीनुवाला	500

1	2	3	4
33.	बिजनौर	चांदपुर	500
34.	बिजनौर	बिजनौर	500
35.	बिजनौर	धामपुर	500
36.	बिजनौर	नगीना	500
37.	सहारनपुर	चिल्काना	500
38.	सहारनपुर	अंबेटा	500
39.	सहारनपुर	तहारपुर	2000
40.	सहारनपुर	बहट	500
41.	सहारनपुर	गंगोह	500
42.	नोयडा	एम एस नगर	1000
43.	नोयडा	दनकौर	700
44.	नोयडा	नीमका	1000
45.	नोयडा	जी नोयडा-डेल्ला	1000
46.	नोयडा	नोयडा	10000
47.	एटा	अमापुर	132
48.	एटा	एटा	1000
49.	एटा	मालवां	152
50.	एटा	मोइनुदीनपुर	152
51.	एटा	नूहखेड़ा	152
52.	एटा	पिलुआ	152
53.	एटा	थाना दरियागंज	152
54.	एटा	सिरसा टिप्पू	152
55.	एटा	एटा	500
56.	एटा	कासगंज	500
57.	एटा	आहगंज	500
58.	एटा	जलेसर	500
59.	अलीगढ़	सासनी गेट	500
60.	अलीगढ़	उऐर-मीर रोड	500

1	2	3	4
61.	अलीगढ़	ससाई	500
62.	अलीगढ़	जरतारी	400
63.	अलीगढ़	बरला	152
64.	अलीगढ़	बाजिदपुर	152
65.	अलीगढ़	हाथरस	500
66.	अलीगढ़	अटरोली	500
67.	अलीगढ़	सिकंदरा राव	500
68.	अलीगढ़	जट्टारी	500
69.	गाजियाबाद	हापुड़	500
70.	गाजियाबाद	मोदीनगर	500
71.	गाजियाबाद	गढ़मुक्तेश्वर	500
72.	मथुरा	सदाबाद	500
73.	मथुरा	छंकारा	500
74.	मथुरा	बलदेव	500
75.	मथुरा	कुटवां	152
76.	मथुरा	लोहाई	152
77.	मथुरा	मथुरा	500
78.	मथुरा	सदाबाद	500
79.	मथुरा	चट्टा	500
80.	बदायूं	बिसौली	0
81.	बदायूं	बदायूं मेन	1000
82.	बदायूं	इस्लामिया आरएसयू	500
83.	बदायूं	बदायूं	500
84.	बदायूं	बिलसी	500
85.	बदायूं	गन्नौर	500
86.	बुलंदशहर	अगौटा	500
87.	बुलंदशहर	गुलौरबी	500
88.	बुलंदशहर	पलासु	500
89.	बुलंदशहर	शिकारपुर	500
90.	बुलंदशहर	औरंगाबाद	500
91.	बुलंदशहर	बीएसआर-भूर	0
92.	बुलंदशहर	बीएसआर मोतीबाग	0
93.	बुलंदशहर	खुर्जा	0
94.	बुलंदशहर	सिकंदरा	500
95.	बुलंदशहर	बुलंदशहर	500
96.	बुलंदशहर	देबई	500
97.	बुलंदशहर	सियाना	500
98.	बुलंदशहर	खुर्जा	500
99.	मेरठ	राठोरा खुर्द	152
100.	मेरठ	दौरजा	500
101.	मेरठ	परीक्षित गढ़	500
102.	मेरठ	बागपत	500
103.	मेरठ	बरौत	500
104.	मुरादाबाद	काठ	600
105.	मुरादाबाद	कैलसा	132
106.	मुरादाबाद	शरीफ नगर	164
107.	मुरादाबाद	संभल	500
108.	मुरादाबाद	अमरोहा	500
109.	मुरादाबाद	गजरौला	500
110.	मुरादाबाद	चंदौसी	500
111.	मुरादाबाद	ठाकुरद्वार	500
112.	पीलीभीत	पीलीभीत	2000
113.	पीलीभीत	बिलसांदा	616
114.	पीलीभीत	पूरणपुर	500
115.	पीलीभीत	पीलीभीत	500
116.	पीलीभीत	पूरणपुर	500

1	2	3	4
117.	पीलीभीत	बिलसांदा	500
118.	रामपुर	रामपुर	500
119.	रामपुर	बिलासपुर	500
120.	रामपुर	साहबाद	500
	जोड़		69202

फ्रांस में भारतीयों द्वारा विरोध

3262. श्री रामजीवन सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को फ्रांस में सिखों द्वारा पहने जाने वाली धार्मिक पगड़ी पर प्रस्तावित रोक के कारण वहां सिख समुदाय में बढ़ रहे असंतोष और विरोध की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित फ्रांसिसी अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) और (ग) फ्रांस की सरकार को नई दिल्ली तथा पेरिस दोनों जगह इस बारे में अपनी चिंताओं से अवगत कराया गया है। पेरिस स्थित भारतीय राजदूतावास भी इस मसले का समाधान निकालने के उद्देश्य से सिख समुदाय के प्रतिनिधियों और फ्रांस की सरकार से अन्योयक्रिया कर रहा है।

भारतीय चिकित्सा परिषद के बाध्यकारी विनियमों में संशोधन

3263. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का चिकित्सा शिक्षा, विशेषकर चिकित्सा महाविद्यालय खोलने हेतु न्यूनतम 25 एकड़ जमीन, 300 बिस्तर आदि की न्यूनतम आवश्यकता संबंधी भारतीय चिकित्सा परिषद के कुछ बाध्यकारी विनियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विनियमों में संशोधन में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) सरकार के पास इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार को केंद्रीय सड़क निधि से सहायता

3264. श्री राजो सिंह: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान बिहार द्वारा केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु कितने प्रस्ताव भेजे गए हैं; और

(ख) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) राज्य सरकार से वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत क्रमशः 397.91 करोड़ रु. के 49 प्रस्ताव और 374.17 करोड़ रु. के 32 प्रस्ताव प्राप्त हुए।

(ख) मंत्रालय ने वर्ष 2002-03 के दौरान 78.38 करोड़ रु. के 14 प्रस्ताव और 2003-04 के दौरान अब तक 3.25 करोड़ रु. के 1 प्रस्ताव को प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। यह राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए उपभोग प्रमाणपत्र के आधार पर है। केंद्रीय सड़क निधि कार्यों के लिए अनुमोदन एक सतत प्रक्रिया है तथा यह पहले से ही स्वीकृत कार्यों के संबंध में आबंटित धनराशि के उपभोग पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम

3265. श्री शिवाजी माने: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मानसिक रोगियों की कोई गणना/सर्वेक्षण करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डाक्टर, अस्पताल और औषधियों की उपलब्धता के संबंध में देश में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने मानसिक रोगियों की बढ़ती संख्या से निपटने हेतु कोई जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) विगत 40 वर्षों के दौरान या तो मनश्चिकित्सीय विभागों या संस्थानों द्वारा देश में 50 से अधिक जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किए गए थे। लगभग एक प्रतिशत जनसंख्या मनोविक्षिप्त विकृतियों जैसे गंभीर मानसिक विकृतियों से पीड़ित है और 0.5% जनसंख्या को गंभीर मानसिक विकृतियों के लिए सक्रिय उपचार की आवश्यकता हो सकती है। अनुमान है कि लगभग 5% जनसंख्या अवसाद, विक्षिप्तता, तनाव संबंधी और सामंजस्य (एड्जस्टमेंट) विकृतियों जैसी विभिन्न मनोवैज्ञानिक विकृतियों से पीड़ित है। 4 वर्ष से 16 वर्ष के आयु समूह के बीच, लगभग 1 से 2% का मानसिक मन्दन (रिटारडेशन) से पीड़ित होना जाना जाता है और इसी आयु समूह के 0.5% गंभीर मानसिक मन्दन (रिटारडेशन) से पीड़ित हैं।

(ग) मनश्चिकित्सीय रोगियों के लिए 18,000 से अधिक बिस्तर हैं जो 37 सरकारी मानसिक रोग अस्पतालों/चिकित्सा कालेजों से संबद्ध अस्पतालों में फैले हैं। देश में 3000 से अधिक मनश्चिकित्सक, 500 से अधिक नैदानिक मनोवैज्ञानिक, 300 से अधिक मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्त्ता और लगभग 600 प्रशिक्षित मनश्चिकित्सीय नर्सें हैं। साइकोट्रोफिक औषधियों की उपलब्धता संतोषजनक है और ऐसी औषधियों की कीमत उचित/वहनीय है।

(घ) और (ङ) सरकार ने देश भर में मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या को बढ़ावा देने हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाया है, इस कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक राष्ट्रीय स्तर पर सूचना शिक्षा और संप्रेषण कार्यकलापों को चलाना है जिसके लिए 10 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो समुदाय आधारित सेवाएं प्रदान करता है, में भी जिला स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक घटक है।

लाभ कमाने वाली कम्पनियों का विनिवेश

3266. श्री अधीर चौधरी:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सर्वाधिक लाभ कमाने वाली कम्पनियों विशेषकर ओ.एन.जी.सी. और 'गेल' में दस प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचने हेतु वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या संबंधित कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा इस विनिवेश प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह सुझाव देते हुए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को सरकार द्वारा धारित मौजूदा शेयरधारिता का विनिवेश करने के बजाए शेयर पूंजी का नया निर्गम जारी करना चाहिए और यह कि कम्पनी के कर्मचारियों को प्रस्तावित बिक्री की पेशकश में रियायती दर पर शेयर आवंटित करने चाहिए।

(घ) से (च) जी, नहीं। मौजूदा सरकारी इक्विटी में से जनसाधारण को बिक्री की पेशकश करने से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को आवश्यकता पड़ने पर पूंजी का नया निर्गम जारी करने में कोई बाधा नहीं आएगी। बिक्री की प्रस्तावित पेशकश में कर्मचारियों के लिए शेयरों का आरक्षण, भारतीय प्रतिभूति एंवं विनिमय बोर्ड के मौजूदा दिशा-निर्देशों द्वारा नियंत्रित होगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सरकार की 10 प्रतिशत तक की इक्विटी बेच देने के बाद भी वे सरकारी कम्पनियां बनी रहेंगी और यथावत कार्य करती रहेंगी। घरेलू बाजार में बिक्री की पेशकश के माध्यम से सरकारी इक्विटी में से 10 प्रतिशत तक की बिक्री इन कम्पनियों के शेयरधारक आधार को व्यापक बनाएगी और इन जाने-माने सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों में निवेश करने के लिए खुदरा निवेशक को अवसर प्रदान करेगी।

आतंकवादी संगठनों की सूची

3267. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पाकिस्तान से उन आतंकवादी संगठनों की व्यापक सूची देने का अनुरोध किया है जिन्होंने हाल ही में जम्मू व कश्मीर में घुसपैठ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पाकिस्तान की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) सरकार ने अनेकों अवसर पर पाकिस्तान को सम्प्रेषित किया है कि उसे सीमा-पार घुसपैठ को समाप्त करना होगा और पाकिस्तान में आतंकवाद को समर्थन देने की आधार-संरचना को विखंडित करना होगा। इस्लामाबाद में 6 जनवरी, 2004 को जारी किए गए एक संयुक्त प्रैस विज्ञप्ति में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधान मंत्री वाजपेयी को विश्वास दिलाया कि वे पाकिस्तान के नियंत्रण के अधीन किसी भी क्षेत्र को किसी भी रूप में आतंकवाद को समर्थन देने के लिए उपयोग में लाए जाने की अनुमति नहीं देंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विस्तारित महाविद्यालय योजनाओं को वापस लिया जाना

3268. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
डा. जसवंतसिंह यादव:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय हेतु विस्तारित महाविद्यालय योजनाओं को वापस कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समय दिल्ली में कितने महाविद्यालयों को दिल्ली विश्वविद्यालय के तहत विस्तारित महाविद्यालय का दर्जा दिया गया है;

(घ) इसका दिल्ली विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ङ) क्या सरकार को इसे पुनः बहाल करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो केंद्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अब तक दिल्ली विश्वविद्यालय के तीस महाविद्यालयों को विस्तारित महाविद्यालयों का दर्जा दिया गया है और वर्तमान विस्तारित महाविद्यालयों के लिए वित्तपोषण रोकने की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मंशा नहीं है।

नरसिंहपुर-हिंडोल सड़क का सुधार

3269. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में नरसिंहपुर-हिंडोल सड़क के सुधारहेतु सरकार से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) किए गए सुधार का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बाल्य विवाह

3270. श्री जी.एस. बसवराज:
श्री भास्करराव पाटील:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्रीमती मिनाती सेन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देर से शादी करने की विश्वव्यापी प्रवृत्ति के बावजूद भारत उन देशों की सूची में शामिल है जहां अभी भी लड़कियों की शादी अठारह से पहले की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा विश्वभर में जारी किए गए स्टेट आफ वर्ल्ड पापुलेशन 2003 के अनुसार विकासशील देशों में दस से सत्तरह साल के बीच की आयु की 82 मिलियन बालिकाओं की उनकी अठारहवीं वर्ष गांठ से पहले शादी कर दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या केन्द्र ने इस रिपोर्ट पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों पर क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) भारत में बाल विवाहों के संबंध में कोई आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि देश में विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

यूरो मानदंडों को लागू किया जाना

3271. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वैश्विक चुनौतियों से निपटने हेतु भारतीय भेषज उद्योग विकास की संभावना की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को यूरोपीय समुदाय के दवाओं, सामानों, पेय इत्यादि जैसी सभी मदों पर भारत में यूरो मानदंड लगाने के हाल के अभियान के बारे में जानकारी है;

(ग) क्या भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन और कोडेक्स मानदंड को स्वीकार कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप भारतीय निर्यात पर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, हां। भारत की विश्व में परिमाण के हिसाब से चौथे सबसे बड़े औषध उत्पादक के रूप में गणना की गई है और स्वदेशी रूप से उत्पादित औषध और औषध फार्मूलेशनों का निर्यात कई देशों को किया जा रहा है।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय को दवाइयों, उपयोगी वस्तुओं, पेयों आदि वस्तुओं के लिए भारत में यूरो मानक लागू करने के लिए यूरोपियन कम्यूनिटी के किसी भी अभियान की जानकारी नहीं है। तथापि, विभिन्न औषधियों संबंधी विषयों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकसित दिशानिर्देशों का औषध संबंधी विषयों पर भारतीय दिशानिर्देश अथवा प्रक्रियाएं बनाते समय सक्रिय रूप से उल्लेख किया जाता है। इसके अलावा, भारत कोडेक्स एलीमेल्टेरियस कमीशन का सदस्य है और यह कोडेक्स मानकों के विस्तरण में भाग लेता है। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अंतर्गत खाद्य वस्तुओं के लिए मानक निर्धारित करते समय विभिन्न खाद्य वस्तुओं के लिए कोडेक्स मानकों और विश्व स्वास्थ्य संगठन मानकों को ध्यान में रखा जाता है।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्यार्थियों के लिए बीमा

3272. **डा. जसवंतसिंह यादव**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को निःशुल्क बीमा प्रदान करने हेतु एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उन बीमा कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके साथ संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके पास अभी ऐसी कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

बी.ओ.टी. आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाला बनाना

3273. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय**: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बी.ओ.टी. आधार राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाला बनाने हेतु राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) केंद्र सरकार को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन-2, राष्ट्रीय राजमार्ग-33 का बरही से रांची तक तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-33 का बरही से बाराघोड़ा तक चार लेनों में परिवर्तित करने के कार्य के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ग) जी हां। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) से (च) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दिल्ली से कोलकाता तक संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को चार लेन का बना रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग-33 को बरही से रांची और रांची से बाराघोड़ा तक चार लेन का बनाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ब्यौरे अनुबंध में क्रम संख्या 10 और क्रम संख्या 11 पर दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना	राज्य	की गई कार्रवाई
1.	रा.रा. 9 की 210/0 से 241/0 कि.मी. पुणे-सोलापुर सड़क को चार लेन का बनाना	महाराष्ट्र	तकनीकी प्रस्ताव स्वीकृत
2.	द्वारका फ्लाईओवर सहित गोंडे-नासिक पिंपल गांव सड़क को चार लेन का बनाना	महाराष्ट्र	तकनीकी प्रस्ताव स्वीकृत
3.	रा.रा. 6 पर फिकरी के नजदीक 399/0 कि.मी. पर आर ओ बी का निर्माण	महाराष्ट्र	तकनीकी प्रस्ताव स्वीकृत
4.	नासिक सिन्नार रोड (एन एच 5) को चार लेन का बनाना	महाराष्ट्र	तकनीकी प्रस्ताव स्वीकृत
5.	रा.रा. 6 पर 113/800 कि.मी. पर पिंगलाई नदी पर पुल और इनके संपर्क मार्गों का निर्माण	महाराष्ट्र	कार्य सौंप दिया गया है
6.	रा.रा. 9 के 14/0 से 40/0 कि.मी. तक पुणे-सोलापुर रोड को चार लेन का बनाना	महाराष्ट्र	कार्य प्रगति पर है
7.	रा.रा. 50 को 12/200 से 40/0 कि.मी. तक चार लेन का बनाना	महाराष्ट्र	कार्य प्रगति पर है
8.	रा.रा. 9 (पुणे-हैदराबाद खंड) का 493/0 से 524/0 कि.मी.	आंध्र प्रदेश	भूमि अधिग्रहण प्राक्कलन स्वीकृत
9.	रा.रा. 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड) का 182/5 से 222/5 कि.मी.	आंध्र प्रदेश	भूमि अधिग्रहण प्राक्कलन स्वीकृत
10.	रा.रा. 33 का बरही-रांची खंड	झारखंड	इस खंड को प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना के अंतर्गत चार लेन का बनाने का प्रस्ताव है। कार्य के आबंटन के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।
11.	रा.रा. 33 का रांची बाराघोड़ा खंड	झारखंड	रांची से जमशेदपुर तक इस खंड के भाग को प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना के अंतर्गत चार लेन का बनाए जाने का प्रस्ताव है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

स्वास्थ्य पर प्रति-व्यक्ति व्यय

3274. श्री वाई.वी. राव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में स्वास्थ्य पर प्रति-व्यक्ति कितना व्यय किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत व्यय किया गया; और

(ग) नौवीं योजना अवधि में उपर्युक्त भागों (क) और (ख) के संबंध में निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त की गई उपलब्धि क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, 2003 के अनुसार, देश में 1999 तथा 2000 के दौरान स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय 23 यू.एस. डालर था और 2001 के दौरान यह मामूली रूप से बढ़कर 24 यू.एस. डालर हो गया। तथापि, स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक व्यय इन तीन वर्षों के दौरान 24 यू.एस. डालर पर स्थिर रहा।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट 2003 के अनुसार, देश में 1999 के दौरान स्वास्थ्य पर कुल व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की प्रतिशतता के रूप में 5.2 तथा 2000 एवं 2001 के दौरान 5.1 था।

(ग) नौवीं योजना के दौरान ऐसे कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में स्वास्थ्य क्षेत्र के कुल व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने की परिकल्पना की गई है जिसमें वर्ष 2010 तक जी.डी.पी. का 2 प्रतिशत सार्वजनिक निवेश के रूप में दिया जा रहा है।

एड्स से मुकाबला

3275. श्री अधीर चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में एड्स वायरस से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में कितने एड्स पीड़ित रोगी हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु विदेशी एजेंसियों से प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान देश में एड्स की रोकथाम के लिए खर्च की गई धनराशियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अब तक इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) जी, हां। देश में 31 दिसम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार, एड्स से ग्रस्त रोगियों की संचित संख्या 61210 है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए घरेलू सहायता सहित विदेशी अभिकरणों से प्राप्त सहायता और खर्च की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	प्राप्त निधियां	किया गया व्यय
2000-2001	180.00	179.64
2001-2002	229.70	228.49
2002-2003	242.00	240.00

(ङ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन

विषय: राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धियां

नीति

(1) एच.आई.वी./एड्स को एक विकासात्मक समस्या के रूप में और न कि केवल एक जन स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में देखते हुए एच.आई.वी./एड्स के निवारक और नियंत्रण के लिए एक अधिक समग्रतावादी दृष्टिकोण (एप्रोच) अपनाने के लिए राष्ट्रीय एड्स निवारण और नियंत्रण नीति तथा राष्ट्रीय रक्त नीति का अनुमोदन।

(2) तत्काल प्रभाव से विदेशी छात्रों सहित विदेशियों की अनिवार्य एच.आई.वी. जांच करने की अपेक्षा को छोड़ने का एक नीतिगत निर्णय लिया गया है।

जानपदिक रोग विज्ञान

(3) देश में एच.आई.वी./एड्स महामारी के भौगोलिक उत्तरोत्तर फैलाव का पता लगाने और इस रोग के रोग भार का आकलन करने के लिए प्रहरी निगरानियां की गई।

वर्ष	प्रहरी सेटों की संख्या
1999	180
2000	232
2001	320
2002	384
2003	455

(4) उपयुक्त उपचारात्मक उपाय करने के लिए एच.आई.वी. संक्रमण और यौन संचारित संक्रमणों के प्रति अति संवेदनशीलता का मूल्यांकन करने के लिए सामान्य जनसंख्या तथा अत्यधिक जोखिम वाले समूहों के बीच वर्ष 2001 के दौरान बेसलाईन व्यवहार संबंधी निगरानी सर्वेक्षण किया गया।

कार्यक्रम

(5) देश में एच.आई.वी./एड्स महामारी का सामना करने के लिए पहली अप्रैल, 1999 से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-II को 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में आरम्भ किया गया।

(6) पूरे देश में यौन संचारित संक्रमणों तथा एच.आई.वी./एड्स के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति के जरिए यौन संचारित संक्रमणों के लिए उपचार को सुकर बनाने हेतु परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया गया। एफ.एच.ए.सी. की कवरेज नीचे दी गई है:-

	परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान की उपलब्धियां					
	मई, 1999	दिसम्बर, 1999	जून, 2000	अप्रैल, 2001	फरवरी, 2002	मार्च 2003*
कवर किए गए जिलों की संख्या	100	266	418	515	556	384
लक्षित जनसंख्या (मिलियन में)	57.7	175.2	226.6	335.5	364.81	260.15
जनसंख्या जिसने वास्तव में शिविर में भाग लिया (मिलियन में)	55	44.98	42.7	71.2	52.65	34.70
आर.टी.आई./एस.टी.डी. के उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को रेफर किए गए रोगियों की संख्या (लाख में)	3.24	17.37	36.58	47.74	45.59	49.22
रेफरल के बाहर उपचार किए गए रोगियों की संख्या (लाख में)	1.68	11.12	18.66	30.59	38.05	38.54

*9 राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों से रिपोर्टें प्रतीक्षित हैं।

(7) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों के जरिए 835 से अधिक लक्षित कार्यकलाप (इन्टरवेंशन) परियोजनाएं कार्यान्वित की गई जिन में यौन कर्मियों, ट्रकर्स, इंजेक्शन के द्वारा नशीली औषधों के प्रयोगकर्त्ताओं और प्रवासी कामगारों आदि जैसे अत्यधिक जोखिम वाली जनसंख्या पर ध्यान केन्द्रित किया गया। लक्षित जनसंख्या को मुफ्त शिक्षा और परामर्श सेवाएं, यौन संचारित संक्रमण के उपचार के लिए औषधें, कंडोम आदि प्रदान किए गए।

(8) निरापद रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए देश के अधिसंख्य जिलों में 942 रक्त बैंकों, 154 जोनल रक्त जांच केन्द्रों और 80 रक्त घटक पृथक्करण सुविधा यूनिटों का आधुनिकीकरण। एच.आई.वी., हेपाटाइटिस बी और सी, मलेरिया और सिफिलस की प्रत्येक एकत्र किए गए रक्त को ऐसे रक्ताधान से संचारित होने वाले संक्रमणों से निरापद बनाने के लिए अनिवार्य जांच शुरू की गई है। व्यावसायिक रक्तदाताओं से रक्त दान लेने पर रोक लगा दी गई है।

(9) छह उच्च व्याप्तता वाले राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मणिपुर; नागालैंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मेडिकल कालेज अस्पतालों में मां से उसका नवजात शिशु को होने वाले एच.आई.वी. संचरण की रोकथाम करने के लिए 225 केन्द्रों के जरिए माता-पिता से बच्चे को होने वाले एच.आई.वी. के संचरण के निवारण का कार्यान्वयन।

(10) एच.आई.वी. संक्रमण के लिए परामर्श और जांच हेतु मेडिकल कालेज अस्पतालों, जिला अस्पतालों, में 540 स्वैच्छिक परामर्श एवं जांच केन्द्रों की स्थापना। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों में एच.आई.वी./एड्स रोगियों में क्षय रोग सहित सभी अवसरवादी संक्रमणों का मुफ्त उपचार। एच.आई.वी./एड्स से ग्रस्त लोगों के लिए घर आधारित समुदाय की सुविधा प्रदान करने के लिए 47 सामुदायिक परिचर्या केन्द्रों की स्थापना।

(11) एच.आई.वी./यौन संचारित रोग प्रशिक्षण ने विभिन्न राज्यों में 78355 डाक्टरों, 69346 नर्सों और 241078 अन्य परा चिकित्सीय स्टाफ को कवर कर लिया है।

हिमायत

(12) ए.बी.सी. एप्रोच पर जोर दे कर समग्रतावादी संदेश नीति का इस्तेमाल करते हुए जागरूकता में वृद्धि करने, व्यवहार संबंधी परिवर्तन लाने और कलंक तथा भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक समर्थ वातावरण बनाने हेतु देश में सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यकलाप चलाए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर क्रियान्वित की जाने वाली सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यनीति में जन प्रचार माध्यमों, अन्तर वैयक्तिक संप्रेषण, अनुसमर्थन, अन्तर-क्षेत्रीय सहयोग का इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रयोजन की प्राप्ति के लिए गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया जाता है।

(13) वर्ष 2001 में ग्रामीण और शहरी दर्शकों के बीच एच.आई.वी./एड्स से संबद्ध विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देने के लिए दो वार्ता शो अर्थात् हिन्दी में ''खामोशी क्यों'' और अंग्रेजी में ''टाक पाजिटिव'' प्रसारित किए गए।

(14) देश के अधिकांश भागों में दूरदर्शन और आकाशवाणी पर बी.बी.सी. वर्ल्ड सर्विस ट्रस्ट और प्रसार भारती के साथ एक अभिनव सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान शुरू किया गया है।

(15) युवाओं को एच.आई.वी./एड्स के बारे में सुग्राही बनाने के उद्देश्य से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को कवर करते हुए स्कूल-एड्स-शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। वर्ष 2003 तक 50,000 से अधिक स्कूलों को कवर किया गया।

(16) आम जनता द्वारा एच.आई.वी./एड्स के संबंध में की गई विभिन्न पूछताछों का जवाब देने के लिए 85 प्रमुख शहरों/कस्बों में टेलीफोन परामर्श केन्द्र स्थापित किए गए।

(17) माननीय प्रधानमंत्री की भागीदारी में हिमायती प्रयत्न:

* प्रधानमंत्री की मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक- प्रधानमंत्री ने दिनांक 22 मई, 2001 को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मणिपुर और नागालैण्ड के छः उच्च व्याप्तता वाले राज्यों के मुख्य मंत्रियों से मुलाकात की। यह बैठक इन राज्यों में एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम और नियंत्रण में व्यापक कार्यनीतियों के कार्यान्वयन में तादात्म्य स्थापित करने हेतु हुई थी।

* प्रधानमंत्री ने दिनांक 18 सितम्बर, 2001 को एच.आई.वी./एड्स के लिए इण्डियन बिजनेस ट्रस्ट की शुरूआत की। यह ट्रस्ट कार्य बल (वर्क फोर्स) हेतु मध्यस्थता (इंटरवेंशन) कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मजदूर संघों और श्रम मंत्रालय के साथ काम करेगा।

* प्रधानमंत्री ने दिनांक 11 मई, 2002 को एच.आई.वी./एड्स के विरुद्ध लड़ने हेतु सांसद (पार्लियामेंटेरियन) फोरम को शुरू करने की घोषणा की। इस फोरम ने तब नई ऊंचाइयां छू ली जब भारतीय लोकतंत्र के तीनों स्तर के सभी नेता जुलाई 26-27, 2003 को एच.आई.वी./एड्स पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के भारत के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में नई दिल्ली में एकत्र हुए, जो ऐसे स्तर पर विश्व में कहीं पर भी पहला प्रयास था। इस बैठक में प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, राज्यों के मुख्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, पंचायत के सदस्य, मेयर इत्यादि उपस्थित थे। इस बैठक में देश में एच.आई.वी./

एड्स से निपटने हेतु राजनैतिक नेतृत्व संबंधी घोषणा को अंगीकार किया गया।

* स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के नेतृत्व वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 25-27 जून, 2002 को हुए संयुक्त राष्ट्र आम सभा के एच.आई.वी./एड्स संबंधी विशेष सत्र में भाग लिया और संयुक्त राष्ट्र आम सभा की प्रतिबद्धता की घोषणा का समर्थन किया।

* स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के नेतृत्व वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बार्सिलोना में XIV अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन में भाग लिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत में एच.आई.वी./एड्स परिदृश्य और इस महामारी के फैलाव को रोकने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों के विषय में लगभग 12000 श्रोताओं को सम्बोधित किया और राजनैतिक दलों में महामारी से निपटने हेतु दृढ़ राजनैतिक प्रतिबद्धता भी व्यक्त की।

बहु क्षेत्रीय

(18) एच.आई.वी./एड्स के निवारण और नियंत्रण में रेल, रक्षा, श्रम, खेल एवं युवा कार्यकलाप, इस्पात, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और महिला एवं बाल विकास जैसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अपने-अपने क्षेत्रों में सहभागिता।

एंटि रिट्रोवायरल औषधें

(19) सरकार ने एंटि रिट्रोवायरल औषधों को एच.आई.वी./एड्स रोगियों के लिए वहनीय बनाने हेतु उक्त औषधों पर सीमा और उत्पाद शुल्क में छूट दे दी है। उन्हें एच.आई.वी./एड्स से ग्रस्त लोगों की परिचर्या और समर्थन संबंधी कार्यसूची का उसमें शुरू में छह उच्च व्याप्तता वाले राज्यों (तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर और नागालैंड) में 100,000 एच.आई.वी./एड्स रोगियों के लिए एंटि-रिट्रोवायरल उपचार के प्रावधान को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है। निम्नलिखित को प्राथमिकता दी जाएगी:-

* शिशु जीवन प्रत्याशा के हित में और परिवारों एवं समुदायों को बचाने के लिए एच.आई.वी. पाजिटिव माताएं;

* 15 वर्ष से नीचे की आयु के एड्स से ग्रस्त बच्चे; और

* पूर्ण रूप से विकसित एड्स से ग्रस्त लोग जो सरकारी अस्पतालों में उपचार प्राप्त कर रहे हैं।

अनुसंधान और विकास

(20) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में व्याप्त एच.आई.वी.-I के सब-टाइप 'सी' स्ट्रेन से बचाव के लिए देशी एड्स वैक्सीन विकसित करने के लिए इन्टर्नल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव के साथ एक करार किया है।

कार्यक्रम वित्त और प्रबंधन

(21) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम ने देश में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर किया है और इस कार्यक्रम को 38 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एड्स नियंत्रण सोसायटियों, जिन में नगर निगम स्तर की तीन सोसाइटियां शामिल हैं, के जरिए कार्यान्वित करने के लिए एक विकेन्द्रीकत दृष्टिकोण का अनुपालन करता है।

(22) एन.ए.सी.पी.-II के लिए एक कम्प्यूटरीकृत परियोजना वित्तपोषण प्रबंधन प्रणाली इस प्रकार की बनाई/विकसित और पूर्णतया संचालित की गई है जिससे कि विलम्ब और वित्तीय रूकावटों को कम करके वितरण में तेजी लाकर और परियोजना मानीटरिंग और नियंत्रण को सुकर बनाकर तथा व्यय को वास्तविक भौतिक प्रगति के साथ जोड़कर परियोजनाओं के बेहतर कार्यनिष्पादन में सहायता सुलभ कराई जा सके।

पत्तनों को विदेशी सहायता

3276. श्री के.पी. सिंहदेव: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना और दसवीं योजना के दौरान अब तक विकास के लिए विदेशी सहायता/ऋण प्राप्त करने वाले पत्तनों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक पत्तन द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त की गई है;

(ग) इन पत्तनों द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(घ) विदेशी सहायता से पत्तनवार कौन-कौन से विभिन्न विकास-क्रियाकलाप किए गये?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी): (क) से (घ) चार महापत्तनों अर्थात् मुम्बई पत्तन न्यास, चेन्नई पत्तन न्यास, पाराद्वीप पत्तन न्यास तथा तूतीकोरिन पत्तन न्यास ने नवीं तथा दसवीं योजनाओं के दौरान अपने विकास के लिये विदेशी सहायता/ऋण प्राप्त किये हैं। इस बारे में ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:-

(1) **मुम्बई पत्तन न्यास:** उपर्युक्त पत्तन न्यास ने पत्तन के मेरिन आयल टर्मिनल पर आयल हैण्डलिंग से संबंधित सुविधाओं के उन्नयन की परियोजना के लिये एशियन विकास बैंक से 187.12 करोड़ रु. का ऋण लिया। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त पत्तन न्यास ने आठवीं योजना के पहले के ऋण की शेष राशि के रूप में नवीं योजना के दौरान छ: परियोजनाओं अर्थात् पीर पाउ के प्रतिस्थापन, अग्नि-शमन-जलयानों के प्रतिस्थापन, जलयान-यातायात प्रबन्ध प्रणाली (वी टी एम एस) के संस्थापन, इन्दिरा डाक पर बारही लाक गेट के प्रतिस्थापन, ड्राई डाक पर केसन गेटों के प्रतिस्थापन तथा जहाज-मरम्मत-सुविधाओं के आधुनिकीकरण की परियोजनाओं के लिये 10.59 करोड़ रु. का ऋण भी लिया। उपर्युक्त ऋणों का उपयोग उन्हीं परियोजनाओं के लिए किया गया है जिनके लिए उन्हें लिया गया था।

(2) **चेन्नई पत्तन न्यास:** उपर्युक्त पत्तन न्यास ने नवीं योजनावधि के दौरान दो परियोजनाओं, अर्थात् पश्चिमी क्वे बर्थो तथा उत्तरी क्वे बर्थो के आधुनिकीकरण तथा दक्षिणी क्वे 03 और पूर्वी क्वे बर्थ के आधुनिकीकरण की एकीकृत योजना के लिए एशियन विकास बैंक से 18.39 करोड़ रु. का ऋण लिया। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त पत्तन न्यास ने इन्नौर पत्तन परियोजना के लिये नवीं तथा दसवीं योजना के दौरान एशियन विकास बैंक से 419.37 करोड़ रु. का ऋण भी लिया। उपर्युक्त ऋणों का उपयोग उन्हीं परियोजनाओं के लिए किया गया है जिनके लिए उन्हें लिया गया था।

(3) **पाराद्वीप पत्तन न्यास:** पाराद्वीप पत्तन न्यास ने नवीं योजना तथा दसवीं योजना के दौरान अपनी यंत्रीकृत कोल हैण्डलिंग परियोजना के लिये एशियन विकास बैंक से 459.36 करोड़ रु. का ऋण लिया है। उपर्युक्त धन राशि का उपयोग उपर्युक्त परियोजना के लिये ही किया गया है।

(4) **तूतीकोरिन पत्तन न्यास:** उपर्युक्त पत्तन न्यास ने नवीं योजना के दौरान अपनी मुख्य निकर्षण-परियोजना के लिये जापान बैंक आफ इन्टरनेशनल कोआपरेशन से 229.93 करोड़ रु. ऋण लिया है। उपर्युक्त धनराशि का उपयोग उपर्युक्त परियोजना के लिये ही किया गया है।

आहार में स्वीकार्य दैनिक अन्तर्ग्रहण

3277. श्री अनिल बसु: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय के आहार में स्वीकार्य दैनिक अन्तर्ग्रहण (ए डी आई) पर ध्यान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ए डी आई की ओर कौन-सा विनियामक प्राधिकरण ध्यान दे रहा हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत स्वीकार्य दैनिक अन्तर्ग्रहण (इनटेक) मात्रा निर्धारित नहीं है। स्वीकार्य दैनिक अन्तर्ग्रहण मात्रा की संकल्पना किसी पेस्टिसाइड की अधिकतम सहन सीमा को निर्धारित करने के लिए पर्यवेक्षित परीक्षणों के अंतर्गत सृजित अवशिष्ट आंकड़ा, औसत खाद्य खपत तथा औसत शारीरिक भार के साथ प्रयोग में लाई जाती है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और नियमावली, 1955 का संबंध मुख्य रूप से खाद्य निरापदता और उपभोक्ताओं की असुरक्षित, अशुद्ध और गलत ब्रांड के खाद्य से रक्षा करना है। कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित पंजीकरण समिति पेस्टिसाइड के पंजीकरण के समय स्वीकार्य दैनिक अन्तर्ग्रहण पर विचार करती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संकल्पना पत्र तैयार करना

3278. श्री वाई.वी. राव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा में नव-प्रवर्तन की सुविधा के लिए संकल्पना पत्र तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संकल्पना पत्र कुछ विवादों से घिर गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा में नवाचार को सुविधाजनक बनाने के लिए कोई संकल्पना दस्तावेज तैयार नहीं किया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

इंटरनेट सुविधाएं प्रदान करना

3279. **डा. चरणदास महंत:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सभी सेल्यूलर और बेसिक आपरेटरों से निर्धारित अवधि में अपने उपभोक्ताओं को इंटरनेट सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टेलीकाम आपरेटरों ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के निदेशों का पालन किया है;

(घ) क्या बेसिक आपरेटर ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अतिरिक्त धन ले रहे थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सभी सेल्यूलर और बुनियादी प्रचालकों को यह निदेश दिया है कि राष्ट्रीय नम्बरिंग योजना (एनएनपी) 2003 के अनुसार निदेश जारी होने (अर्थात् 29 दिसम्बर, 2003) से 45 दिनों के भीतर अर्थात् 13 फरवरी, 2004 तक इंटरनेट सेवाओं की अभिगम्यता उपलब्ध करायी जाए।

(घ) लागू डायल अप प्रभार के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लिया जाता। ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए, लागू प्रभार के अतिरिक्त राशि प्रभारित करने संबंधी किसी मामले की सूचना विभाग को नहीं मिली है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

त्रुटिरहित प्रवेश परीक्षा

3280. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिनांक 12 जनवरी, 2004 के ''स्टेट्समैन'' में प्रकाशित समाचार के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) द्वारा एम डी, एम एस और पी जी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए कराई गई अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में हाल ही में पता लगाई गई धोखाधड़ी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कुछ डाक्टर/अधिकारी प्रवेश परीक्षा के पर्चे लीक कराने में लिप्त पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) द्वारा त्रुटिरहित परीक्षा सुनिश्चित कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा सूचित किया गया है कि जयपुर के परीक्षा केन्द्रों में से एक परीक्षा केन्द्र पर प्रतिरूपण का मामला था जिसका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अधिकारी एवं निरीक्षक द्वारा पता लगाया गया था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के अधिकारी के अनुरोध पर इस केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक ने जयपुर पुलिस प्राधिकारियों के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी और जयपुर पुलिस प्राधिकारियों द्वारा इस मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। एम्स ने यह भी सूचित किया है कि प्रश्नपत्र लीक नहीं हुआ था और परीक्षा का मुक्त एवं उचित संचालन सुनिश्चित करने के लिए इस संस्थान की प्रणाली में पहले से ही अन्त:निर्मित जांच-पड़ताल शामिल हैं।

चोरी किए गए मोबाइल फोन के पुन: इस्तेमाल पर निगरानी

3281. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने चोरी किए गए मोबाइल फोन के पुन: इस्तेमाल करने पर रोक लगाने के लिए हाल ही में निगरानी व्यवस्था आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, नहीं। ट्राई ने केवल इस संबंध में विचार करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की है कि क्या मोबाइल चोरी को रोकने के लिए किसी निगरानी-तंत्र की आवश्यकता है।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार क्षेत्र के लिए पैकेज

3282. श्री चाडा सुरेश रेड्डी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक व्यापक पैकेज की घोषणा करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा पहलू के संबंध में किसी कार्यबल का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नए प्रस्ताविक व्यापक पैकेज के कब तक लागू होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) जी, हां। दूरसंचार सेवाओं के विस्तार कार्य को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से बुनियादी/सेल्यूलर/एकीकृत अभिगम सेवा के लाइसेंसधारकों के लाइसेंस शुल्क में 1 अप्रैल, 2004 से समायोजित सकल राजस्व के 2% की कमी करने का निर्णय किया गया है। इसके अतिरिक्त जिन सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लाइसेंसधारकों को सर्किल सेवा क्षेत्रों के लिए 1994-1996 में लाइसेंस दिए गए थे उनके लाइसेंस शुल्क में 1 अप्रैल, 2004 से 4 वर्ष की अवधि के लिए समायोजित सकल राजस्व के 2% की कमी करने का निर्णय भी किया गया है बशर्ते कि लाइसेंसधारक द्वारा समायोजित सकल राजस्व का कम से कम 5% लाइसेंस शुल्क के रूप में भुगतान किया जाए।

इसके अतिरिक्त 09.01.2004 से घटाया गया सीमा-शुल्क निम्नानुसार है:

बुनियादी, सेल्यूलर, इंटरनेट, वेरी स्माल एपर्चर टर्मिनल, सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा तथा रेडियों पेजिंग की सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक विशिष्ट दूरसंचार उपस्कर पर सीमा-शुल्क को 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

सेल्यूलर फोनों पर सीमा-शुल्क को 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। आईटीसी (एचएस) 8517 और 8525.20 के अंतर्गत आने वाले अन्य दूरसंचार उपस्करों पर सीमा-शुल्क को 15% से घटाकर 10% कर दिया गया है। 4% के विशेष अतिरिक्त शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) लाइसेंस शुल्क में कमी 1 अप्रैल, 2004 से लागू होगी जैसाकि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में उल्लेख किया गया है। सीमा शुल्कों में कमी 09.01.2004 से लागू है।

कामकाजी महिला होस्टल

3283. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल स्थापित करने के लिए वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान सरकार को कुछ अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा तथा उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 में कामकाजी महिला होस्टलों की स्थापना के संबंध में प्राप्त अनुरोधों एवं स्वीकृत राशि की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

कामकाजी महिला होस्टल स्कीम के अंतर्गत विचारार्थ प्राप्त प्रस्ताव

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि
1	2	3	4
	2002-03		
	आंध्र प्रदेश		
1.	महिला समाजम्, मालकपेट, हैदराबाद	अभिकरण से कुछ सूचनाओं/प्रलेखों की कमी के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।	
2.	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालयम्, तिरुपति	40,29,000/-	12,08,700/-
	असम		
1.	रोषरूटोक क्लब एण्ड लाइब्रेरी, करीमगंज	अभिकरण से कुछ सूचनाओं/प्रलेखों की कमी के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।	
	चण्डीगढ़		
1.	पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़	54,28,000/-	16,28,400/-
	कर्नाटक		
1.	वी.एम.वी.वी. संघ, हुंगुंड, बागलकोट, कर्नाटक	19,50,000/-	5,85,000/-
	केरल		
1.	श्री नारायणा चैरीटेबल सोसायटी, तिरूर	12,62,064/-	3,78,619/-
2.	सेंट मारिया गोरोथी भवन, पलक्कड़	प्रस्ताव परियोजना संस्वीकृति समिति द्वारा निरस्त कर दिया गया।	
3.	किनफ्रा इंटरनेशनल एपीरल पार्क लि., तिरूवनन्तपुरम	2,22,65,640/-	66,79,692/-
	मध्य प्रदेश		
1.	बाल निकेतन संघ, इंदौर	19,50,337/-	5,85,101/-
	महाराष्ट्र		
1.	न्यू जय भारत शिक्षण प्रसारक मंडल औरंगाबाद	82,74,700/-	24,82,000/-
2.	ओगावा सोसायटी, नागपुर, महाराष्ट्र	स्थानीय प्राधिकरण का अनुमति प्रलेख प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया।	
3.	महाराष्ट्र होम्योपैथिक फाउंडेशन संगमनेर, अहमदनगर	55,68,000/-	13,26,600/-
4.	महाराष्ट्र महिला उद्यम ट्रस्ट, पुणे	95,30,325/-	28,59,098/-

1	2	3	4
5.	महात्मा फुले शिक्षण संस्था, नागपुर	प्रस्ताव पर विचार नहीं किया, क्योंकि प्राक्कलन सही नहीं थे।	
	नागालैण्ड		
1.	ट्राइबल क्रिश्चयन गर्ल्स होस्टल, कोहिमा	अभिकरण से कुछ सूचनाओं/प्रलेखों की कमी के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।	
	तमिलनाडु		
1.	प्रियंका वीमेन रिसोर्स डवलपमेंट एसोसिएशन धर्मपुरी	अभिकरण से कुछ सूचनाओं/प्रलेखों की कमी के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।	
2.	सेंट जोसफ सोसायटी, मदुरई	अभिकरण से कुछ सूचनाओं/प्रलेखों की कमी के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।	
3.	श्री पोन्नय्या रामाजयथमल एजुकेशनल एण्ड चैरीटेबल ट्रस्ट, तंजावुर	52,00,000/-	11,70,000/-
4.	अन्नई जे.के.के. सम्पूर्णीयम्मल चैरीटेबल ट्रस्ट, इरोड	अभिकरण से कुछ सूचनाओं/प्रलेखों की कमी के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।	
	उत्तरांचल		
1.	कुमायूं सेवा संस्थान, बागेश्वर	27,03,607/-	8,11,082/-
	उत्तर प्रदेश		
1.	चन्द्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी फार एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलोजी, कानपुर	44,64,000/-	13,39,200/-
2.	सार्वजनिक शिक्षा उन्नयन संस्थान, हरदोई	33,20,250/-	9,96,075/-
3.	अखिल भारतीय महिला उद्योग कल्याण और शिक्षा समिति, नोएडा	अभिकरण से कुछ सूचनाओं/प्रलेखों की कमी के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।	
	पश्चिम बंगाल		
1.	काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ रूरल एण्ड डाउनट्रोडन पीपुल, बगनान, हावड़ा	39,83,373/-	11,95,019/-
2.	आल इण्डिया फैडरेशन आफ एस.सी., एस.टी. एण्ड माइनारिटीज, मिदनापुर	46,20,000/-	13,86,000/-

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
	2003-04	
	महाराष्ट्र	
1.	श्री भगवानबाबा सेवाभावी संस्था जिला बीड़	कार्रवाई की जा रही है।
2.	शिक्षण प्रसारक मण्डल, अखुज, जिला शोलापुर	
3.	कागल एज्युकेशन सोसायटी, कागल, जिला कोल्हापुर	
4.	ध्यानगंगा वाचानालय ट्रस्ट, जिला पुणे	
5.	अभय शिक्षण केन्द्र, विकरोली, मुम्बई	
6.	जीवन ज्योति चैरीटेबल ट्रस्ट, जिला परभनी	
7.	महात्मा फुले शिक्षण संस्थान, जिला नागपुर	
8.	महमूद शिक्षण और महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देश्यीय संस्था, जिला नागपुर	
9.	अंकुश शिक्षण संस्था जिला नागपुर	
10.	भारतीय विद्यापीठ, पुणे	
11.	आनन्द आश्रम ट्रस्ट, मुम्बई संचालित मंगल मंडित महिला आश्रम, मुम्बई	
12.	श्री सद्गुरुपंथ महाराज शिक्षण प्रसारक मण्डल, जिला कोल्हापुर	
	तमिलनाडु	
1.	अन्नई जे.के.के. सम्पूर्नियमल चैरिटेबल ट्रस्ट, इरोड	कार्रवाई की जा रही है।
2.	सेंटर फार रूरल एज्युकेशनल एण्ड इकोनोमिक डवलपमेंट चिदम्बरम	
3.	विश्वनाथन चैरिटेबल ट्रस्ट, कायम्बटूर	
4.	नियो फाउंडेशन एण्ड सोशियल ट्रांसफोर्मेशन ट्रस्ट पुडुकोट्टयी	
5.	सरस्वती एज्युकेशनल एण्ड हैल्थ ट्रस्ट पुडुकोट्टयी	
6.	अन्नई थेरेसा वेलफेयर एण्ड एज्युकेशनल ट्रस्ट, थेनी	
7.	सीथाकथी ट्रस्ट, रामनाथपुरम	
8.	परीची गाउन्डर मेमोरियल ट्रस्ट, कोयम्बटूर	
9.	राजापलेयम म्युन्सिपलिटी विरूधुनगर	
10.	गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट-डीम्ड युनिवर्सिटी, डिन्डीगुल	
	असम	
1.	शिवा सुन्दरी नारी शिक्षा आश्रम एण्ड एन्टीनेटल क्लीनिक, सिलचर	कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3
	हरियाणा	
1.	गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार	कार्रवाई की जा रही है।
2.	महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक	
	आंध्र प्रदेश	
1.	आंध्र प्रदेश वीमेन फाइनेंस डवलपमेंट कार्पोरेशन, कडपा	कार्रवाई की जा रही है।
2.	आंध्र प्रदेश वीमेन फाइनेंस डवलपमेंट कार्पोरेशन, ओंगोले	
	कर्नाटक	
1.	श्री धर्मस्थल एज्युकेशन ट्रस्ट, मंगलौर	
2.	रिजनल इंस्टीट्यूट आफ इंग्लिश, बंगलौर	
3.	वाईडब्ल्यूसीए, बंगलौर	
	केरल	
1.	पी. सरोजनी अम्मा स्मारक महिला समाजम, मनजेरी	कार्रवाई की जा रही है।
2.	नायर सर्विस सोसायटी, त्रिपुनित्रा	
3.	माता अमृतानंदमयी मठ, कोल्लम	
4.	मुस्लिम एज्युकेशनल सोसायटी, मलाप्पुरम	
	पश्चिम बंगाल	
1.	एल्महिर्स्ट इंस्टीट्यूट आफ कम्यूनिटी स्टडीज, शांति निकेतन, बीरभूम	कार्रवाई की जा रही है।
	चण्डीगढ़	
1.	चण्डीगढ़ वीमन एण्ड चाइल्ड डवलपमेंट कोरप. चण्डीगढ़	कार्रवाई की जा रही है।
	नागालैण्ड	
1.	ट्राइबल क्रिश्चियन गर्ल्स होस्टल, कोहिमा	कार्रवाई की जा रही है।
	मिजोरम	
1.	मिजो हीमशी तंगरूअल, आइजोल	कार्रवाई की जा रही है।

प्रधानमंत्री की प्रायोगिक परियोजना

3284. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 2002-2003 और 2003-04 के दौरान अल्पपोषित गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और किशोरियों को खाद्यान्न प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री की प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता जारी की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत कितनी महिलाएं लाभान्वित हुईं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2002-03 तथा वर्ष 2003-04 (31 जनवरी, 2004 तक) के दौरान राज्यों/

संघ राज्य क्षेत्रों को 53.96 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गयी।

(ग) प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या लगभग 12.17 लाख है, जिनमें कुपोषित किशोरियां तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाएं शामिल हैं।

आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण

3285. श्री सुरेश कुरूप:
श्री हरिभाई शंकर महाले:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश के विभिन्न जिलों में विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण रोकने हेतु क्या उपबंध किए जा रहे हैं;

(ख) क्या कुपोषण के कारण आदिवासी बच्चों की मृत्यु के कोई मामले महाराष्ट्र में हुए हैं;

(ग) सरकार द्वारा कुपोषण के नियंत्रण से संबंधित विभिन्न उपबंधों का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या अवसंरचना विकसित की गई है;

(घ) क्या इस मामले में गैर-सरकारी संगठनों की सहायता मांगी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) आदिवासी क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न जिलों में कुपोषण पर नियंत्रण पाने हेतु सरकार के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा पोषाहार संबंधी अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जैसे समेकित बाल विकास सेवा स्कीम, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना का पोषाहारीय घटक, पोषाहार संबंधी शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम, विटामिन ए की कमी से बचाव हेतु राष्ट्रीय रोग निरोधन कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहारीय हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्यांतर आहार स्कीम), लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्त्योदय योजना। आई.सी.डी.एस. पर आठवीं योजना के दौरान 2271.28 करोड़ रुपए तथा नौवीं योजना के दौरान 4556.52 करोड़ रुपए व्यय किए गए और दसवीं योजना हेतु योजना आबंटन 10391.75 करोड़ रुपए है।

(ख) इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) देश में 759 जनजातीय परियोजनाओं सहित 5652 परियोजनाओं में आई.सी.डी.एस. का विस्तार किया गया है। इसके अलावा, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 43 सामुदायिक खाद्य एवं पोषाहार विस्तार एकक स्थित हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा 48 आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रशिक्षण एवं जागरूकता विकास कार्यक्रमों तथा शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतलें तथा शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम के कार्यान्वयन में गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है।

कार्य स्थल पर महिलाओं की सुरक्षा

3286. श्री वी.एस. शिवकुमार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर कार्यस्थलों पर महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानून बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) और (ख) सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान राज्य तथा अन्य के मामले में दिये गये निर्णय में कहा है कि महिलाओं के कार्य स्थल पर यौन-उत्पीड़न हेतु उसमें निर्धारित दिशा-निर्देशों तथा मानदण्डों को तब तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत उक्त न्यायालय द्वारा घोषित कानून माना जाये, जब तक इस प्रयोजनार्थ कोई कानून नहीं बनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसे महिलाओं के लिए उपलब्ध संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षोपायों की समीक्षा करने का अधिदेश प्राप्त है, इस विषय पर मसौदा विधेयक तैयार कर रहा है।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

तेरहवीं लोक सभा के चौदहवें सत्र के भाग-एक में किए गए विदाई उल्लेख के बारे में

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय का सभा में दिया गया विनिर्णय सदैव सर्वोच्च होता है और किसी को इस पर प्रश्न नहीं करना चाहिए।

महोदय, आपका विनिर्णय मात्र विनिर्णय ही नहीं है बल्कि कार्य वृत्तांत का उचित रूप से रख-रखाव करना सभा का सम्मान है। आपकी ओर से कल विवाद के बारे में एक विनिर्णय दिया गया था कि क्या यह सत्र का प्रथम वर्ष है, प्रथम सत्र है अथवा सतत सत्र है *...(व्यवधान)* मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए *...(व्यवधान)* विनिर्णय की रक्षा और सभा के संरक्षक के रूप में अध्यक्ष के सम्मान में मुझे यह कहना है कि कार्यवाही को थोड़ा ठीक किया जाए क्योंकि आपने 23 दिसम्बर को दिए गए अपने विदाई भाषण में कहा था और मैं उसे उद्धृत करता हूं:

> "माननीय सदस्यो, अब हम तेरहवीं लोक सभा के चौदहवें सत्र का समापन करते हैं जो 2 दिसम्बर, 2003 को आरम्भ हुआ था।"

चूंकि आपका यह विनिर्णय है कि चौदहवां सत्र चल रहा है, इस भाग को ठीक किया जाए और संशोधन किया जाए, अथवा यह पूर्ण विनिर्णय के विरुद्ध हो जाएगी *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम इसकी जांच करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब श्री रामजी लाल सुमन बोलेंगे। मुझे अनेक नोटिस प्राप्त हुए हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): महोदय, एक सब-इंसपेक्टर ने एक अव्यस्क बालिका के साथ बलात्कार किया है *...(व्यवधान)* इस बलात्कार के पीछे अनेक शक्तिशाली लोग हैं। इसलिए मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। *...(व्यवधान)*

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक अव्यस्क बालिका के साथ बलात्कार किया गया है और वह भी एक सब-इंसपेक्टर द्वारा *...(व्यवधान)* यह अल्पसंख्यक लोगों के सांविधानिक अधिकारों के विरुद्ध है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आज हम बजट पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। किन्तु उससे पूर्व मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करूंगा। इसलिए कृपया बैठ जाइए। मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजी लाल सुमन, चूंकि मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है, उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, जीरो आवर से पहले पेपर्स ले कराकर फिर जीरो आवर करते रहिए। सभी मिनिस्टर्स यहां आए हैं, इसलिए आप पहले पेपर्स ले कराकर फिर जीरो आवर ले लें *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह: मेरे निवार्चन क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय की एक बालिका के साथ बलात्कार किया गया है और वह भी पुलिस के सब-इंसपेक्टर द्वारा किया गया है। उसके बाद पुलिस ने ऐसे अत्याचार किए कि जब लोग इस मामले के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हजारों लोगों को पीटा है। उन्होंने कचहरी का दरवाजा बंद कर दिया और कचहरी में ही लोगों को पीटा। जब मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम चल रहा था तो पुलिस ने कचहरी को बंद कर दिया और जलियांवाला बाग क़ी तरह उन्होंने हजारों शान्तिपूर्ण लोगों को पीटा।

यह मेरे क्षेत्र में जलियांवाला बाग में हुई घटना की तरह हुआ। इस बलात्कार के पीछे बहुत सारे लोग हैं और पुलिस मामले को छिपा रही है।

इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसकी सीबीआई से समुचित जांच कराई जाए क्योंकि जो कुछ प्रकाशित हो रहा है और जो तथ्य सामने आ रहे हैं वे बहुत थोड़े हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पहले मैं सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र की कार्यवाही करने जा रहा हूं और तत्पश्चात् मैं 'शून्य काल' शुरू करूंगा।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.10 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): महोदय, मैं श्री जसवंत सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (कोयम्बटूर डिविजन-2) लिमिटेड और तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (कोयम्बटूर डिविजन-1) लिमिटेड समामेलन आदेश, 2003 जो 30 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1476(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (कुम्बाकोणम डिविजन-2) लिमिटेड और तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (कुम्बाकोणम डिविजन-3) लिमिटेड, तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (कुम्बाकोणम डिविजन-4) लिमिटेड और तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (कुम्बाकोणम डिविजन-1) समामेलन आदेश, 2003 जो, 30 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1477(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (सेलम डिविजन-2) लिमिटेड और तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (सेलम डिविजन-1) लिमिटेड समामेलन आदेश, 2003, जो 30 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1478(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (विल्लुपुरम डिविजन-2) लिमिटेड और तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (विल्लुपुरम डिविजन-3) लिमिटेड और तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (विल्लुपुरम डिविजन-1) लिमिटेड समामेलन आदेश, 2003 जो 30 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. 1480(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8820/2004]

(पांच) तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (मदुरई डिविजन-2) लिमिटेड, तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (मदुरई डिविजन-3) लिमिटेड, तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (मदुरई डिविजन-4) लिमिटेड, तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (मदुरई डिविजन-5) लिमिटेड और तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (मदुरई डिविजन-1) लिमिटेड समामेलन आदेश, 2004 जो 6 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 16(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8821/2004]

(2) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003 जो 4 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सीए (7) 64क/2003 (198) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनका एक शुद्धिपत्र जो 15 दिसम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या 1-सीए (7) 64क/2003 (205) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8822/2004]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): महोदय, श्री अर्जुन चरण सेठी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8823/2004]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, श्री शत्रुघ्न सिन्हा की ओर से मैं महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 56(अ) जो 20 जनवरी, 2004 के भारत के

राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा न्यू मंगलोर पत्तन न्यास (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 2003 का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8824/2004]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, श्री अरुण जेटली की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ (कारबार का संव्यवहार और अन्य उपबंध) विनियम, 1998 जो चंडीगढ़ प्रशासन के 20 अप्रैल, 1998 के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसएलएसए/98/58 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8825/2004]

लघु उद्योग मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8826/2004]

(ख) (एक) नार्थ इस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नार्थ इस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8827/2004]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, श्री राजीव प्रताप रूडी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) पवन हंस हेलिकापटर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) पवन हंस हेलिकापटर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8826/2004]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8828/2004]

(3) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8829/2004]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, मोहन के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, मोहन का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8830/2004]

(3) (एक) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8831/2004]

(5) (एक) लाला राम स्वरूप इंस्टिट्यूट आफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजिजेज, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लाला राम स्वरूप इंस्टिट्यूट आफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजिजेज, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8832/2004]

(7) (एक) नई दिल्ली ट्यूबरक्लोसिस सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नई दिल्ली ट्यूबरक्लोसिस सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8833/2004]

(9) (एक) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8834/2004]

(11) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला जिवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8835/2004]

(13) (एक) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन आयुर्वेद एंड सिद्ध, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन आयुर्वेद एंड सिद्ध, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन आयुर्वेद एंड सिद्ध, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8836/2004]

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): अध्यक्ष महोदय, भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8837/2004]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत इम्यूनोलाजिकल एंड बायोलाजिकल कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत इम्यूनोलाजिकल एंड बायोलाजिकल कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8838/2004]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): अध्यक्ष महोदय, श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद की ओर से मैं चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत चीनी विकास निधि (पांचवां संशोधन) नियम, 2003 जो 18 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 953(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8839/2004]

[अनुवाद]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8840/2004]

(2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार ट्रेनिंग आफ हाईवे इंजीनियरिंग, नोएडा के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार ट्रेनिंग आफ हाईवे इंजीनियरिंग, नोएडा के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8841/2004]

(3) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (3) के अंतर्गत दमन और दीव वाहन (पहला संशोधन) नियम, 2003 जो 30 दिसम्बर, 2003 के दमन और दीव संघ राज्य प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एडीटीआर/डीएमएन/104/2003-04/27 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8842/2004]

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1387(अ) जो 3 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (हवेरी से बेलगाम बाईपास खंड तक) के निर्माण (चार लेनों वाला) के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(दो) का.आ. 1388(अ) जो 3 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य के हवेरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (हरिहर से महाराष्ट्र सीमा) के निर्माण (चार लेन वाला) के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1389(अ) जो 3 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य के हवेरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (हरिहर से महाराष्ट्र सीमा) के निर्माण (चार लेन वाला) के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चार) का.आ. 1390(अ) जो 4 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडिवनम-विल्लुपुरम-तिरिची खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1403(अ) जो 9 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 पर बाईपासों के निर्माण अथवा उनका पुनर्संरेखन सहित उन्हें चौड़ा करने के लिए अधिसूचना में उल्लिखित भूमि को अधिग्रहित करने हेतु अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारियों के रूप में करने के बारे में है।

(छह) का.आ. 1406(अ) जो 10 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खंड) को चौड़ा करने तथा उस पर बाईपासों का निर्माण करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सात) का.आ. 1407(अ) जो 10 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खंड) का निर्माण (चौड़ा करने) करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 1408(अ) जो 10 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद से बंगलौर खंड के येलाहंका तथा छंनासंद्रा स्टेशन) का निर्माण करने (चौड़ा करने) के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1409(अ) जो 10 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सैलम-मदुरै खंड से मदुरै-कन्याकुमारी खंड) के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(दस) का.आ. 1422(अ) जो 15 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खंड) पर बाईपासों के निर्माण सहित उसका निर्माण करने तथा उसे चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 1423(अ) जो 16 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 835(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) का.आ. 1431(अ) जो 17 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (पूना से सतारा खंड) के निर्माण (चार लेन वाला) के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 1460(अ) जो 24 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 830(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का.आ. 1461(अ) जो 24 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में कांचीपुरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 1462(अ) जो 24 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (चेंगलपट्टु-टिंडीवनम खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 13(अ) जो 5 जनवरी, 2004 के भारत कें राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै खंड) का निर्माण (चार लेन वाला), उसका अनुरक्षण प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 14(अ) जो 5 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै खंड) का निर्माण (चौड़ा) करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(अट्ठारह) का.आ. 29(अ) जो 8 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 30(अ) जो 8 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संक्या 46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खंड) का निर्माण (चार लेन वाला) करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बीस) का.आ. 31(अ) जो 8 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 फरवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 244(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्कीस) का.आ. 32(अ) जो 8 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 मई, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 570(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बाईस) का.आ. 33(अ) जो 8 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 5 पर चेन्नई बाईपास के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन करने हेतु विशेष जिला राजस्व अधिकारी (एलए) को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करने के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 34(अ) जो 8 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 मई, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 559(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौबीस) का.आ. 35(अ) जो 8 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 36(अ) जो 8 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (चेंगलपट्टु-टिंडिवनम खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि अर्जन करने के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 37(अ) जो 8 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (चेंगलपट्टु-टिंडिवनम खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि अर्जन करने के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 38(अ) जो 8 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (चेंगलपट्टु-टिंडिवनम खंड) के निर्माण (चार लेन वाला) के लिए भूमि अर्जन करने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ. 40(अ) जो 8 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1196(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नतीस) का.आ. 41(अ) जो 9 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7क (पलयमकोट्टई से थूथुकुडी खंड) के निर्माण (चौड़ा करना) के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तीस) का.आ. 42(अ) जो 9 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7क (पलयमकोट्टई से थूथुकुडी खंड) के निर्माण (चौड़ा करना) के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 42(अ) जो 9 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7क (पलयमकोट्टई से थूथुकुडी खंड) के निर्माण (चौड़ा करना) के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 1067(अ) जो 17 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड में इच्छापुरम से गंजम तक) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 1068(अ) जो 17 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 फरवरी, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 249(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौंतीस) का.आ. 1106(अ) जो 25 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड के गंजम से नारायणी जंक्शन तक) के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 1107(अ) जो 25 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य के खुर्द और नयागढ़ जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड के गंजम से नारायणी जंक्शन तक) पर बाईपास के निर्माण सहित उसे चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ. 1108(अ) जो 25 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य के खुर्द जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 1151(अ) जो 1 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79क (किशनगढ़ से नसीराबाद और नसीराबाद से बड़ाल) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 1152(अ) जो 1 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो

कर्नाटक राज्य के बंगलौर ग्रामीण जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (नेलमंगला से तुमकुर खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 1184(अ) जो 7 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (रतनपुर-गांधीनगर खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 1201(अ) जो 14 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (सिकन्दरा और भौंटी से दिल्ली-कानपुर खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ. 1228(अ) जो 23 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चेन्नई-विजयवाड़ा खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बयालीस) का.आ. 81(अ) 16 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 पर स्थित संगमनेर टाउन में बाईपास के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तैंतालीस) का.आ. 1395(अ) जो 5 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर सिरसा नदी पर स्थायी पुल के उपयोगकर्त्ताओं से पथकर का संग्रहण किये जाने के बारे में है।

(चवालीस) का.आ. 95(अ) जो 19 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (तिरूवनन्तपुरम-नेयात्तिनकारा संयुक्त बाईपास) पर अकुलम कयल पर स्थायी अकुलम पुल का प्रयोग करने के लिए यांत्रिक वाहनों से फीस का संग्रहण किये जाने के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ. 1009(अ) जो 1 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के करूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 पर रेल उपरिपुल के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में है।

(छियालीस) का.आ. 1457(अ) जो 23 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के उपयोगकर्त्ताओं से वसूल की जाने वाली मूल फीस की दरों के बारे में है।

(सैंतालीस) का.आ. 1466(अ) जो 26 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के उपयोगकर्त्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दर के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ. 91(अ) जो 19 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (कजली-मनौड़ खंड) के उपयोगकर्त्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दरों के बारे में है।

(उनचास) का.आ. 92(अ) जो 19 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-1 के उपयोगकर्त्ताओं से वसूल की जाने वाली मूल फीस की दरों के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8843/2004]

(5) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत जारी का.आ. 1356(अ) जो 25 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8844/2004]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य

मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8845/2004]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): महोदय, श्री अशोक प्रधान की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान की धारा 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2003 को समाप्त हुए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन-संघ सरकार (2004 का संख्यांक 5) (वाणिज्यिक)-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (दूरसंचार क्षेत्र), की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8846/2004]

(2) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दी टेलीकम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन यूसेज चार्जेज (पहला संशोधन) विनियम, 2003 जो 2 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 409-5/2003-एफएन में प्रकाशित हुआ था।

(दो) दी टेलीकम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन यूसेज चार्जेज (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003 जो 22 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 409-5/2003-एफएन में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8847/2004]

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन अधिनियम, 1993 की धारा 31 की उपधारा (3) के अंतर्गत पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति विभाग, कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई, (निदेशक) भर्ती नियम, 2002, जो 17 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 439(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनके शुद्धिपत्र जो क्रमश: 10 दिसम्बर, 2003 और 1 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1404(अ) और का.आ. 9(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8848/2004]

(2) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8849/2004]

(4) (एक) सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8850/2004]

(6) *राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8850ए/2004]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 39 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (संशोधन) सामान्य विनियम, 2003 जो 19 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलईजी-95 (378) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (संशोधन) सामान्य विनियम, 2003 जो 19 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलईजी-95 (379) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8851/2004]

(2) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 50 की उपधारा (4) के अंतर्गत निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य (संशोधन) विनियम, 2003 जो 29 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 213 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8852/2004]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 961(अ) जो 22 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/2002-के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2004 जो 8 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 35(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8853/2004]

(4) (एक) आचार्यकुल, वर्धा के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आचार्यकुल, वर्धा के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8854/2004]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेन्टर सर्विसिज इनकारपोरेटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेन्टर सर्विसिज इनकारपोरेटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8855/2004]

(3) (एक) सेन्टर फार डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

*राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे 4 अगस्त, 2003 को सभा पटल पर रखे गए थे।

(दो) सेन्टर फार डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8856/2004]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): महोदय, मैं गुट निरपेक्ष तथा अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली से संबंधित वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8857/2004]

पूर्वाह्न 11.12 बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री राम सजीवन (बांदा): अध्यक्ष महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 18 दिसम्बर, 2003 को हुई पंद्रहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

पूर्वाह्न 11.12½ बजे

शीतल पेयों, फलों के रस और अन्य पेय पदार्थों में कीटनाशी अवशिष्टों तथा उनके सुरक्षा मानकों संबंधी संयुक्त समिति

प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री शरद पवार (बारामती): महोदय, मैं शीतल पेयों, फलों के रस और अन्य पेय पदार्थों में कीटनाशी अवशिष्टों तथा उनके लिए सुरक्षा मानकों संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

(एक) तैंतालीसवां से सैंतालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): महोदय, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

1. परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 43वां प्रतिवेदन।
2. अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 39वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 44वां प्रतिवेदन।
3. विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 45वां प्रतिवेदन।
4. कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 41वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 46वां प्रतिवेदन।
5. कोयला मंत्रालय से संबंधित "कोयला खानों में सुरक्षा" के बारे में 47वां प्रतिवेदन।

(दो) विवरण

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

1. कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1999-2000) के बारे में 18वें प्रतिवेदन (12वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही

संबंधी 20वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा और आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

2. परमाणु ऊर्जा की अनुदानों की मांगों (2001-2002) के बारे में 14वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 21वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा और आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

3. अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2001-2002) के बारे में 15वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 22वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा और आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

4. 'परमाणु विद्युत उत्पादन-लक्ष्य और उपलब्धियां' के बारे में परमाणु ऊर्जा विभाग के 25वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 32वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा और आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

5. 'लघु जल विद्युत कार्यक्रम—एक मूल्यांकन' के बारे में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के 26वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 33वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा और आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

6. परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में 27वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 34वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा और आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

7. अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में 28वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 35वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा और आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

8. अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में 30वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 37वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा और आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

सोलहवां, सत्रहवां और अठारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद): महोदय, मैं रेल संबंधी स्थायी समिति (2004) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'संसाधन जुटाना' के बारे में सोलहवां प्रतिवेदन;

(2) 'रेलवे भर्ती नीति' के बारे में सत्रहवां प्रतिवेदन;

(3) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2003-2004)' के संबंध में तेरहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.15 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

एक सौ अड़तालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. रंजीत कुमार पांजा (बारासाट): महोदय, मैं स्वास्थ्य विभाग की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में समिति के 135वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के की-गई-कार्यवाही संबंधी 148वें प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

पूर्वाह्न 11.15½ बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

एक सौ पैंतालीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस्पात की खरीद में लघु उद्योगों (लघु उद्योग मंत्रालय) के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति का 145वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

पूर्वाह्न 11.16 बजे

कार्यमंत्रणा समिति के साठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करती हूं:-

"कि यह सभा 3 फरवरी, 2004 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 60वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 3 फरवरी, 2004 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 60वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने प्रश्न काल के निलम्बन संबंधी आपकी सूचना को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन मैं आपको अपनी बात कहने के लिए दो मिनट का ही समय दूंगा।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा): अध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं थोड़े टाइम के बाद आपको बोलने की इजाजत दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, झाबुआ, मध्य प्रदेश में चर्च परिसर में एक क्रिश्चियन बालिका के साथ बलात्कार हुआ। जो लोग उसके लिए दोषी थे, बजरंग दल के लोग, विश्व हिन्दू परिषद के लोग, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के स्थान पर क्रिश्चियन्स को ही धमकाए जाने का काम किया गया कि वे अपनी शिकायत वापिस लें और यह कहें कि उन्हीं का हाथ है। 30 जनवरी को यह सवाल श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने उठाया था। गृह मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी सदन में मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि वे राज्य सरकार से इस संबंध में आवश्यक जानकारी हासिल करने के बाद सदन में वक्तव्य देंगे। आज 4 फरवरी है। गृह मंत्री जी ने उस सिलसिले में अभी तक कोई बयान नहीं दिया। यह गंभीर मामला है। पूरे देश के क्रिश्चियन्स पर दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के बजाए उनको परेशान करने का काम कर रही है। भारत सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि गृह मंत्री जी जो बयान देने वाले थे, वे बयान कब देंगे। आप सरकार से कहें। गृह मंत्री जी का इस हाउस में कमिटमैंट था कि हम तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद इस संबंध में सदन में बयान देंगे। आज चार-पांच दिन गुजर जाने के बाद भी गृह मंत्री जी ने इस संबंध में कोई वक्तव्य नहीं दिया है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप सरकार को कहें कि गृह मंत्री जी इस संबंध में बयान दें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप यह बात मेरे ध्यान में लाए हैं और मुझे इस विषय में मालूमात है। गवर्नमैंट ने कबूल किया है कि उसे बयान देना पड़ेगा। मैं गवर्नमैंट को कहूंगा।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: सरकार कब बयान देगी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आज या कल दो ही दिन हैं।

श्री रामजीलाल सुमन: यह बहुत गंभीर मामला है। सरकार कब बयान देगी। *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेशानुसार मंत्री जी को सूचित कर दूंगी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ): अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी ने कहा था कि झाबुआ के मामले में 3 तारीख को बयान देंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैंने इसलिए गवर्नमैंट से कहा है कि वह इस विषय में निवेदन करे। सरकार निवेदन करेगी, अब आप बैठिए।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने यह कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर वक्तव्य देगी। आज या कल करें। आप कृपया बैठ जाइए। श्री राम विलास पासवान, कृपया।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः आज या कल कोई निर्णय होगा। बाद में बोलिए। अब आप बैठिए। कोशिश होगी कि आज ही हो।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आप कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः क्या आप शून्य काल आरंभ करना चाहते हैं या नहीं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः मैं आपकी बात समझ गया हूं। बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री कांतिलाल भूरियाः अध्यक्ष महोदय, उन पर आज भी हमला हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज तक केन्द्र सरकार ने कोई सार्थक जवाब नहीं दिया। *...(व्यवधान)* राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी है और कोई नहीं सुन रहा है। महिलाओं पर *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः जब आपका मौका आएगा तब बोलिए। जो कुछ भी आपको बोलना है, तब आप बोलिएगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): महोदय, उन्हें सभा में वक्तव्य देना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः राम विलास पासवान जी, आप बोलिए।

श्री कांतिलाल भूरियाः अध्यक्ष महोदय, उसकी रिपोर्ट भी नहीं की। केन्द्र सरकार से हम तत्काल जवाब मांगना चाह रहे हैं। *...(व्यवधान)* आज हालत बड़ी खराब हो गई है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मुमकिन होगा तो तत्काल ही जवाब देंगे।

...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनारिटी करैक्टर को समाप्त करने की जो सरकार की साजिश है, उस संबंध में इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। आपकी रूलिंग भी हुई थी। सरकार ने जवाब भी दिया था कि सरकार इस संबंध में देखेगी लेकिन सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है। उल्टे यूनिवर्सिटी की आटोनामी में इंटरफेअरेंस हो रहा है। इससे लोगों में काफी गुस्सा है। वहां के शिक्षक लोग आज अभी यहां बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे जो माइनारिटी करैक्टर्स हैं, उनकी एग्जिसटेंस पर खतरा उत्पन्न हो गया है और मैं समझता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी, वह एक विशेष क्लाज के तहत की गई थी और इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सदन का कल अंतिम दिन है, और सत्र का भी अंतिम दिन है। *...(व्यवधान)* इसीलिए सरकार ने जो वादा किया था, मैं चाहता हूं कि सरकार अपने वादे के मुताबिक इस सदन में वक्तव्य करे कि इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमनः अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था की थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर को बुलाकर सरकार बात करेगी। *...(व्यवधान)* आपने यह रूलिंग दी थी। *...(व्यवधान)* लेकिन फिर भी उसको पूरा करने का काम नहीं किया गया। *...(व्यवधान)* वह सरकुलर वापस होना चाहिए। *...(व्यवधान)* आपकी रूलिंग की अवहेलना हुई है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देशों का उल्लंघन कैसे किया जा रहा है? जब मैंने यह मामला उठाया, मंत्री जी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर को शास्त्री भवन में बुलाने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने और मामले का समाधान करने के लिए सहमत हो गए थे। लेकिन आज की तिथि तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है। यह सभा और आपके निर्देशों का अपमान है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी कि संबंधित मंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर को बुलाकर बात करेंगे और समस्या का हल निकालेंगे। लेकिन वह सरकुलर अभी तक वापस नहीं हुआ। *...(व्यवधान)* यह सरकुलर वापस होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मुझे यह अच्छी तरह याद है। पिछली बार मैंने इस सदन में कहा था कि मंत्री जी संबंधित मैम्बर्स को बुलाएंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे और वह इस विषय का निर्णय करेंगे। कृपया आप इसे मंत्री जी के ध्यान में लाएं। आप मंत्री जी के ध्यान में यह लाना कि वह इस मामले में निर्णय करें।

...(व्यवधान)

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: सर, आपके आदेशानुसार मैं संबंधित मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाऊंगी।

अध्यक्ष महोदय: कृष्णदास जी, आप बोलिए। रामजीलाल सुमन जी, अभी जरा दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलने दें। यहां दूसरे भी माननीय सदस्य हैं। उनको भी मौका देना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, सरकार कब करेगी? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसा नहीं होगा। सरकार कल करेगी।

...(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, आप आदेश दे दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: दे दिया। आपके कहने पर आदेश दे दिया।

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): अध्यक्ष महोदय, केरल राज्य के सम्पूर्ण डाक क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से कोई कार्य नहीं हुआ है। केरल में स्पीड डाक क्षेत्र के निजीकरण के संबंध में केरल में उत्तरी क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा जारी एक आदेश को लेकर सभी कर्मचारी हड़ताल पर गये हुए हैं।

महोदय, यह पहला मौका है जब एक अधिकारी ने ऐसा आदेश दिया है। इस आदेश के खिलाफ सारे डाक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। अत: मेरा यह आरोप है कि इस आदेश पर सरकार की भी सहमति नहीं है।

आज से सभी डाक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यह काफी गंभीर मामला है क्योंकि पूरे विभाग का काम ठप्प हो गया है।

इसलिए मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वह संबंधित अधिकारी से आदेश को तुरन्त वापस लेने को कहे। सरकार को इस मामले में आगे आना चाहिए क्योंकि यह काफी गंभीर मामला है। गत एक सप्ताह से डाक सेक्टर का काम ठप्प है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: सुन्दर लाल तिवारी जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: महोदय, मैंने इस संबंध में नोटिस दिया है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने सुन्दर लाल तिवारी जी का नाम पुकारा है।

श्री सुन्दर लाल तिवारी: अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र रीवा के अंतर्गत रामपुर बघेलान विधान सभा क्षेत्र है, जो कि सतना जिले में आता है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसी विषय पर श्री रमेश चेन्नितला को बोलने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

मैं आपको रमेश चेन्नितला जी के बाद मौका दूंगा।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, यह काफी गंभीर मामला है। केरल राज्य में डाक विभाग पूर्णत: पंगु हो गया है और इसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे ऐसा करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें।

महोदय, मैंने नई नागर विमानन नीति के बारे में एक नोटिस दिया था जिस पर आज कैबिनेट द्वारा विचार किया जाना है। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने नागर विमानन मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में इस प्रकार का मामला नहीं उठाया। सलाहकार समिति की बैठक में हमने नरेश चन्द्रा समिति की रिपोर्ट का पुरजोर विरोध किया था क्योंकि यह एक दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट थी। यह निजी आपरेटरों की सहायता कर रही है, यह हमारी एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को समाप्त करने जा रही है। यह काफी गंभीर मामला है।

अत: सरकार को इस पर पुन: विचार करना चाहिए और इस मामले को स्थगित करना चाहिए क्योंकि इस लोक सभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। यह काफी गंभीर मामला है और सरकार को इस नई नागर विमानन नीति पर रोक लगानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, आप मंत्रालय से यह पूछ सकते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। मंत्रालय की सहमति के बिना संबंधित अधिकारी ने ऐसा आदेश दिया है।

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, यह काफी गंभीर मामला है ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): महोदय, नागर विमानन के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पहला उद्योग था जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसे चलाने वाले निजी उद्योग से परामर्श करने के बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। जब उनसे उस उद्योग को विकसित करने के लिए और धनराशि लगाने के लिए कहा गया तो उन्होंने असहमति प्रकट की और कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। इसके बाद ही इसका राष्ट्रीयकरण किया गया।

अब, जबकि लोक सभा दो दिन में भंग होने जा रही है, यदि भारत सरकार ऐसे बड़े मामले में निर्णय लेगी तो ऐसा उचित नहीं होगा, यह ठीक नहीं होगा और यह एक प्रकार से संसद और लोगों के साथ खिलवाड़ होगा।

अत: हम इस सभा में इस बात पर बल देना चाहते हैं कि नागर विमानन क्षेत्र का ऐसी सरकार द्वारा निजीकरण न किया जाए जो एक अथवा दो दिन के भीतर चुनाव लड़ने जा रही है। हम यह बात रिकार्ड में लाना चाहते हैं कि यदि सरकार सदस्यों से और देश को चर्चा की अनुमति दिए बिना ऐसा करती है तो यह गलत होगा और सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, हम कार्यपालकों को यह चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, सारे डाक सेक्टर का काम ठप्प हो गया है ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैंने इस संबंध में एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया पीठ के साथ सहयोग करें।

पूर्वाह्न 11.30 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) मध्य प्रदेश के सतना जिले के रीवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बडौरा गांव में कथित हिंसा से पीड़ितों को मुआवजा और सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा): वहां पर बडौरा नामक गांव में पिछली 23 दिसम्बर को करीब 50 लोग गम्भीर हथियार जैसे बंदूक, बल्लम, बर्छी आदि लेकर चुनावी रंजिश के कारण दो ड्रम डीजल लेकर उम्मेद शुक्ल के घर को आग लगा दी। इसके साथ-साथ उन्होंने सात और घरों को भी आग लगा दी। जब घर की महिलाओं ने विरोध किया तो दो महिलाओं के साथ उन अपराधियों ने बलात्कार किया। उन महिलाओं में एक लड़की थी जिसकी उम्र 15 साल थी और एक महिला जिसने 15 दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया था, उसके साथ भी बलात्कार किया गया। अपराधियों ने आठ घरों में आग लगाई और घरों को खाक कर दिया। आठ बच्चों को पेटी में बंद करके जब जलाने का प्रयास ये अपराधी कर रहे थे तभी पुलिस ने आकर हस्तक्षेप किया तभी वे बच्चे बच सके। रामपुर बगेलान थाने में उनके खिलाफ अपराध कायम हुआ और आठ अपराधी पकड़े गये। जिनमें स्थानीय विधायक के लड़के का नाम भी था। लेकिन नेताओं और राजनीतिज्ञों से प्रभावित होकर उन्होंने थाने को जांच करने से मना कर दिया और केस सीआईडी जांच को दे दिया। जो सीआईडी अधिकारी जांच कर रहा था

उन्होंने उसे पुनः बदला। जिन घरों में आग लगी, उनके लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार ने कंपनसेशन के रूप में एक रुपया भी इन लोगों को नहीं दिया है। ये गरीब लोग हैं, गरीबी से पीड़ित लोग हैं। मैं सरकार से उम्मीद करती हूं कि इस घटना की जांच के लिए यहां से कोई समिति जाए जिससे उन गरीब लोगों को न्याय मिल सके। ...*(व्यवधान)* आज भी वहां चारों तफ आग फैली हुई है। क्या सरकार चुप रहकर ऐसे ही मुंह देखती रहेगी। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, दो महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। हम सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि केन्द्र से कोई समिति वहां जाए और इस घटना की जांच करे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः सुधीरन जी, अब आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः प्रो. ए.के. प्रेमाजम, कृपया अपनी सीट पर बैठिए। मैं श्री वी.एम. सुधीरन के बाद आपका नाम पुकारूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री, कृपया इस पर ध्यान दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य, कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर ने सीबीआई की जांच करवाई है। हम और तथ्य लेकर इसकी जांच करवाएंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): सदन की कार्रवाई के दौरान न तो माननीय प्रधान मंत्री जी मौजूद हैं न उपप्रधान मंत्री जी मौजूद हैं। माननीय वित्त मंत्री जी को छोड़कर सारी बैंचेज खाली पड़ी हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य, हमने आज सामान्य बजट पर चर्चा शुरू करने का निर्णय लिया था।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया मेरी बात सुनिये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः रेणूका जी, आपने आते ही तुरन्त बोलना शुरू कर दिया थोड़ा टाइम दें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य, हमें सामान्य बजट पर चर्चा शुरू करनी है। विपक्ष की माननीय नेता चर्चा शुरू करने जा रही है। किंतु चूंकि माननीय सदस्यों ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने का अनुरोध किया है, मैं उन्हें बोलने की अनुमति देने जा रहा हूं। किंतु यदि आप इस तरीके से यह करना चाहते हैं तो फिर 'शून्य काल' को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और मैं सीधे सामान्य बजट पर चर्चा शुरू कर दूंगा। अतः कृपया सहयोग करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया अब बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः तिवारी जी, आपने अपना वक्तव्य दिया। मंत्री जी ने सरकार की तरफ से उत्तर दे दिया है। गृह मंत्री के पास जाएंगे, सीबीआई की इंक्वायरी शुरू है। फिर भी आप अपनी इंफोर्मेशन उनको दे दें, जो इंक्वायरी उचित होगी वे करेंगे।

[अनुवाद]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: कोई सीबीआई जांच नहीं कराई जा रही है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः अब, जो कुछ श्री सुधीरन बोलेंगे वह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा और इसको छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी: सर, मैं सुन नहीं पाया माननीय मंत्री जी ने क्या कहा?

अध्यक्ष महोदयः आप ही शोर मचाएंगे तो कैसे सुनेंगे।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यदि कोई मंत्री सदन के चलते सदन से बाहर रहता है, तो उनको आपसे अनुमति लेनी होती है। मंत्रिमंडल के इतने मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या उनमें से प्रत्येक मंत्री ने सदन में अनुपस्थित रहने की अनुमति आपसे ली है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: 'शून्य काल' के दौरान केवल एक वक्तव्य देना होता है और मंत्री उत्तर नहीं देता है। मंत्री उत्तर दे सकता है बशर्ते कि जब कोई अन्य तरीका प्रयोग किया जाए और जब इसके लिए उचित नोटिस दिया गया हो। आप शून्य काल के नियमों को समझते होंगे। मुझे नियमों को स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है; आप उन्हें जानते हैं और अब आप बैठ जाइये।

अब श्री सुधीरन अपनी बात कह सकते हैं तथा अन्य कोई सदस्य नहीं बोलेगा।

[हिन्दी]

मंत्री जी ने नोट कर लिया है। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठ जाएं। अन्य माननीय सदस्यों में से प्रत्येक को दो मिनट का समय दिया जाएगा उससे अधिक नहीं। अब श्री सुधीरन बोलेंगे।

श्री वी.एम. सुधीरन (अलेप्पी): महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा विदेशी जहाजों को मछली पकड़ने का लाइसेंस देना हमारे देश के सारे मत्स्य क्षेत्र के लिए काफी घातक है। इससे लाखों मछुआरों और उनके परिवारों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।

केरल सरकार, मछुआरा संगठन, जन प्रतिनिधियों सभी ने इस निर्णय का विरोध किया है। किंतु सरकार बहुत ही सुस्त और उदासीन दिखाई दे रही है। सरकार ने इस सब बातों की उपेक्षा की और गुप-चुप काम करते रहे मानों उसमें कोई गुप्त सौदा हो; और उन्होंने पारदर्शिता का मामूली ध्यान रखते हुए यह निर्णय लिया।

मछुआरों के विभिन्न संगठनों की समन्वय समिति ने कल इस निर्णय के विरोध में केरल में हड़ताल की। यह काफी गंभीर निर्णय है जो 75 लाख से अधिक परम्परागत मछुआरों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।

अतः मैं सरकार और माननीय प्रधानमंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस मामले में हस्तक्षेप करें और इस जनविरोधी निर्णय को रद्द कराने हेतु तत्काल कदम उठाएं ताकि मात्स्यिकी क्षेत्र की रक्षा हो सके *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप सब इस मामले के साथ अपना नाम संबद्ध करा सकते हैं।

...(व्यवधान)

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): बहुत-बहुत धन्यवाद। पिछले सप्ताह से केरल के उत्तरी भाग के डाक कर्मचारी हड़ताल पर हैं और एक भी व्यक्ति वहां काम नहीं कर रहा है। आज से सारे केरल में पूरा डाक विभाग हड़ताल पर है। जिसका कारण यह है। भारत सरकार द्वारा डाक विभाग का निजीकरण करने की सोचने तथा संशोधन विधेयक पेश करने से पहले केरल के एक अधिकारी ने स्पीड पोस्ट सेवा का निजीकरण करने का आदेश पारित कर दिया। इस गैर-कानूनी और अन्यायपूर्ण काम के विरोध में हड़ताल शुरू हुई। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं सरकार विशेषकर इस विभाग को देख रहे माननीय मंत्री से उत्तर चाहती हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद *...(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): सरकार राशि आवंटित किए बिना योजनाओं की घोषणा करती जा रही है। मैं यह बात माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में लाना चाहती हूं। मानव संसाधन विकास मंत्री चले गए हैं। गत वर्ष कुछ शैक्षिक केन्द्रों की घोषणा की गई थी और उनमें से सैकड़ों की स्थापना हो चुकी है। गत दस महीनों से उपयोग प्रमाणपत्र भेजने के बावजूद केन्द्र से राज्यों को कोई राशि आवंटित नहीं की गई है।

मैं यह बताना चाहती हूं कि उन बेरोजगार स्नातकों को रोजगार दिया जाना था जिन्हें इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति मिलती है। 10-12 महीनों से न तो वेतन देने और ना ही प्रयुक्त सामग्री तथा बिजली के बिल की अदायगी हेतु कोई धन दिया गया है। न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं की गई हैं। वे सब अपने वेतन की अदायगी के लिए कह रहे हैं।

वित्त मंत्री को कोई नई घोषणा करने से पूर्व और धनी तथा शक्तिशाली लोगों को छूट के रूप में करोड़ों रुपए देने से पूर्व इन गरीब बेरोजगार स्नातकों को राशि जारी करने के बारे में सोचना चाहिए जो कि 11 महीनों से बिना वेतन बिना किसी भत्ते और सहायता के कार्य कर रहे हैं। यह एक गम्भीर मामला है और मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस पर अवश्य ध्यान दें।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना): अध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की जो दुर्गति हो रही है, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज तक के इतिहास में, ऐसा पहली बार हुआ है कि गन्ना किसानों की पर्ची पर आज तक गन्ने के दाम नहीं दिखाए गए हैं। गत वर्ष गन्ना किसानों का अरबों रुपए बकाया है जो आज तक नहीं दिया गया। जो गन्ने की पैदावार होती हैं, पर्ची में न दाम दिखाए जा रहे हैं और न ही किसानों को गन्ने के उचित दाम दिए जा रहे हैं। गन्ना किसानों का अरबों रुपया बकाया है। इससे किसान बेहाल है। हमारे यहां 10 मिलें बंद हो गई हैं। जब हड़ताल हुई तो कहा गया कि वे मिलें चलेंगी लेकिन वे आज तक नहीं चलीं। किसानों की ऐसी दुर्दशा है। भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दे कि वह गन्ना किसानों की पैदावार के उचित दाम दिलवाए। अभी प्रधानमंत्री जी ने इस काम के लिए पांच अरब रुपए देने की घोषणा की है। ...*(व्यवधान)* आज गन्ना किसानों की हालत बहुत खराब है। आप मंत्री जी से कहिए कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को हिदायत दे कि वह गन्ना किसानों को उनकी उपज के उचित दाम दे और जो मिलें बंद हो गई हैं, उन्हें चलाया जाए। बंद मिलें आज तक नहीं चली हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आप इस विषय पर ध्यान दें।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): मंत्री जी बैठे हैं। उन्होंने माननीय सदस्य की बात को सुन लिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं शीघ्रतीशीघ्र अंतिम बजट पर कार्य आरम्भ कराना चाहता हूं।

श्री एस. अजय कुमार (ओट्टापलम): महोदय, केरल में डाक कर्मचारी एक सप्ताह से अधिक समय से हड़ताल पर हैं ...*(व्यवधान)* कर्मचारी महापोस्टमास्टर के इस अन्यायपूर्ण और मनमाने आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि मामले में हस्तक्षेप करें और मनमाने आदेश को तत्काल वापस लेने के लिए कदम उठायें।

पूर्वाह्न 11.42 बजे

(दो) मुम्बई की बीएआरसी साइंटिस्ट्स कालोनी में बड़े पैमाने पर फर्जी मतदाताओं के पंजीकरण के बारे में

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): महोदय, मैं आपका ध्यान और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत संवेदनशील और सुरक्षा संबंधी मुद्दे की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।

[हिन्दी]

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भाभा एटामिक रिसर्च सेंटर है। वहां अगर मैम्बर आफ पार्लियामैंट को भी एंट्री लेनी है तो पास लेना पड़ता है और 24 घंटे पहले इंटीमेट करना पड़ता है। वहां साइंटिस्ट कालोनी है और चार अलग-अलग बिल्डिंग सोसायटियां हैं। उनमें 10-10 विंग्स हैं। शाकिंग सरप्राइज यह है कि ऐसी बात मुझे गत सप्ताह ध्यान में आई है कि वहां 1217 सीनियर सिटिजन रहते हैं जिनमें 312 लोग इल्लिगल रैजिडैंट्स हैं। मैंने पहले ऐसा सुना था लेकिन अभी कलेक्टरों ने जो मुम्बई की वोटर्स लिस्ट पब्लिश की है उनमें इन सब के नाम वोटर्स लिस्ट में पाए गए हैं। ऐसे 312 नाम हैं। वे कहां से आए, कैसे आए? भाभा एटामिक रिसर्च सेंटर की सिक्योरिटी का क्या होगा, जब हमने इसके बारे में कलेक्टर से पूछा, बीएआरसी से पूछा तो उन्होंने लीगल रैजिडैंट्स की लिस्ट दी। ये दोनों सेम नहीं हैं। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि इसका इनवैस्टिगेशन हो और जिसने भी गड़बड़ की है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। एक तरफ मुम्बई के पांच लाख जो वोटर्स हैं जिन्होंने 1999 में वोटिंग की, उनके नाम वहां के इलैक्टोरल आफिसर ने काट दिए। इसका कारण यह दिया कि मिडल क्लास वोटर्स घर पर नहीं थे इसलिए नाम काट दिए। यदि आप उनके नाम पढ़ें तो आपको शाक लगेगा। ये कहां से आए हैं, किसने नाम डाले? शाकिंग सरप्राइज यह है कि इसके पहले जो एन्यूमरेशन हुआ, उस समय नाम डाले गए। स्टेट गवर्नमैंट का स्टाफ जो एन्यूमरेशन में इनवाल्वड था, उनकी मिलीभगत है या टैरारिस्ट आर्गेनाइजेशन की मिलीभगत है? इसकी एनक्वायरी और इनवैस्टिगेशन होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* पांच लाख लोगों के नाम काट दिए गए। मैं संबंधित मंत्री को कहना चाहूंगा कि यह बहुत सैनसिटिव इशू है। इसके प्रति सरकार का ध्यान जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): मैं संबंधित मंत्री को इस बारे में अवगत करा दूंगी।

अध्यक्ष महोदय: आप किसी मिनिस्टर को अवगत कराएंगी?

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: सरकार को अवगत कराऊंगी।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री कौन से होंगे?

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: पी एम को अवगत कराऊंगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह इसे प्रधानमंत्री के ध्यान में लाएंगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, एक अनुशासित सदस्य के रूप में मैंने प्रश्नकाल के पश्चात् एक मामला उठाने के लिए एक नोटिस दिया है। परन्तु आपने उसे छोड़ दिया है। इसलिए, क्या मैं उस मामले को उठा सकता हूं जिसके यहां उल्लेख किया गया था क्योंकि मैं अलगीढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इन लोगों के प्रति वचनबद्ध हूं। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता।

बड़ा आंदोलन चल रहा है और भारी असंतोष है। ऐसा माना जाता है कि इस महान संस्था के अल्पसंख्यक चरित्र पर जानबूझकर आक्रमण हो रहा है। उन्होंने एक मार्च आयोजित किया है और यहां आ रहे हैं। आपने माननीय मंत्री को वक्तव्य देने के लिए निर्देश दिया है। 22 दिसम्बर, 2003 को निर्देश दिया गया था। मेरे पास वाद-विवाद है परन्तु कोई वक्तव्य नहीं आ रहा है। कल सभा स्थगित हो रही है और परसों तेरहवीं लोक सभा का समापन भी हो रहा है। इसलिए कृपया यह सुनिश्चित करें कि आज ही जब मंत्री महोदय यहां आएं तो वक्तव्य दें और अपनी स्थिति स्पष्ट करें। इसलिए, यही मेरी मांग है। कृपया निर्देश दें कि आपके निर्देश का पालन हो।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, सरकार को ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सुमन जी, जब आपने अपना वक्तव्य दे दिया, फिर बार-बार आप क्यों खड़े हो जाते हैं? जब मैंने कह दिया था कि सरकार को इस विषय पर आज या कल अपना वक्तव्य देना चाहिये तो मंत्री जी ने मान लिया है। चूंकि श्री सोमनाथ चटर्जी यहां नहीं थे, इसलिये मैंने उन्हें बोलने के लिये चांस दिया है।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): महोदय, समय सीमित है। यह या तो आज किया जाना चाहिए, या कल।

अध्यक्ष महोदय: अब मुझे बजट पर विचार करना है। श्रीमती सोनिया गांधी चर्चा आरंभ करेंगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रजलाल खाबरी (जालौन): अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया है कि मेरे क्षेत्र में तीन लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको कल चांस दूंगा और आपका पहला नम्बर होगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको कल मौका दूंगा।

[हिन्दी]

आज बजट पर चर्चा हो रही है, इसलिए आपको कल चांस दूंगा।

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): महोदय, फ्रांसीसी सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि सिखों को पब्लिक स्कूलों तथा सरकारी कार्यक्रमों में पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैंने राजग सरकार से अनुरोध किया था कि सिखों के पगड़ी पहनने के अधिकार के बारे में फ्रांसीसी सरकार पर दबाव डाले।

अमरीका में यह बहाना लगाकर कि सिखों से तालीबानी और अफगानी का भ्रम हो जाता है, उनके विरुद्ध घृणा संबंधी अपराध हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप इस मुद्दे को कल उठा सकते हैं। अब शेष सभी मामले कल उठाये जाएंगे। कल हम चर्चा के लिए एक घंटा दे सकते हैं। आपकी सूचना पर भी कल विचार हो सकता है।

पूर्वाह्न 11.47 बजे

अंतरिम बजट (सामान्य), 2004-2005—*सामान्य चर्चा*
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 2004-2005
और
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2003-2004

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण 29 जनवरी, 2004 को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार वर्ष 2004-05 के लिए अंतरिम बजट (सामान्य), वर्ष 2004-05 हेतु लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), वर्ष 2003-04 हेतु अनुदानों की

अनुपूरक मांगें (सामान्य) और तत्संबंधी विनियोग विधेयकों के संबंध में संयुक्त चर्चा हेतु छः घंटे आवंटित किए गए हैं। यदि सभा सहमत हो तो कोई मध्याह्न भोजनावकाश नहीं होगा। संयुक्त चर्चा तुरंत शुरू हो सकती है और आज सायं 6.00 बजे तक समाप्त की जा सकती है। वित्त मंत्री उसके बाद उत्तर दे सकते हैं। लेखानुदानों की मांगों तथा अनुपूरक मांगों को पारित करने के पश्चात् तत्संबंधी विनियोग विधेयकों को पारित किया जा सकता है। तत्पश्चात् वित्त विधेयक पर विचार किया जा सकता है और पारित किया जा सकता है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम मध्याह्न भोजनावकाश को निलम्बित करने के लिए सहमत हैं। परन्तु यह केवल लघु बजट अथवा अंतिरम बजट नहीं है बल्कि वास्तव में एक सामान्य बजट है। बहुत से कटौती प्रस्ताव हैं। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे 6.00 बजे तक सीमित न रखें। इस पर चर्चा उसके बाद भी जारी रह सकती है। कल सभा का अंतिम दिन है और आज के दिन ही प्रतिपक्ष अपनी इच्छानुसार बजट में योगदान दे सकता है। अतः कृपया इसे 6.00 बजे तक सीमित न करें। इसके लिए समय उससे थोड़ा आगे भी जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: यदि यह थोड़ा आगे जाता है तो इसकी अनुमति दी जाएगी।

श्री शिवराज वि. पाटील: अंतरिम बजट, अतिरिक्त बजट, अनुपूरक बजट तथा विनियोग विधेयक भी हैं।

अध्यक्ष महोदय: इसमें थोड़ा और समय लग सकता है।

सभा अब एक साथ 2004-05 के लिए अंतरिम बजट पर सामान्य चर्चा वर्ष 2004-05 हेतु लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) पर चर्चा और मतदान तथा वर्ष 2003-04 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान करायेगी। सभा में उपस्थित सदस्य जिनके लेखानुदानों की मांगों के बारे में कटौती प्रस्ताव परिचालित कर दिए गए हैं यदि आपने कटौती प्रस्ताव लाना चाहें तो मंत्रालय का नाम तथा कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दोनों दर्शाते हुए पर्ची 15 मिनट के भीतर पटल पर भेज दें। केवल वही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए माने जायेंगे।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदय, हमें जिन्हें अंत में बोलने का अवसर दिया गया है उन्हें बोलने के लिए दो मिनट नहीं दिए जाने चाहिएं। शुरू से ही समय की राशनिंग होनी चाहिए क्योंकि कार्यवाही का प्रसारण हो रहा है। इसलिए, आपको उन सदस्यों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए जो बाद में बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 33, 35, 36, 38 से 62, 64 से 70, 72, 73 और 75 से 103 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2004-2005 के लिए लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	1203,13,00,000	31,58,00,000
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	584,44,00,000	
3.	पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	276,52,00,000	4,64,00,000
एग्रो और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय			
4.	एग्रो और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	241,34,00,000	54,00,000

1	2	3	4
परमाणु ऊर्जा विभाग			
5.	परमाणु ऊर्जा	603,80,00,000	501,11,00,000
6.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	437,67,00,000	752,54,00,000
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
7.	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	27,19,00,000	11,67,00,000
8.	उर्वरक विभाग	6078,40,00,000	43,99,00,000
नागर विमानन मंत्रालय			
9.	नागर विमानन मंत्रालय	147,37,00,000	15,02,00,000
कोयला मंत्रालय			
10.	कोयला मंत्रालय	106,61,00,000	42,83,00,000
खान मंत्रालय			
11.	खान मंत्रालय	202,21,00,000	58,76,00,000
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय			
12.	वाणिज्य विभाग	595,87,00,000	175,33,00,000
13.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	200,13,00,000	
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
14.	डाक विभाग	2010,12,00,000	105,80,00,000
15.	दूरसंचार विभाग	669,67,00,000	33,00,000
16.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	245,33,00,000	16,50,00,000
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			
17.	उपभोक्ता मामले विभाग	13,78,00,000	3,00,00,000
18.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	9508,93,00,000	157,41,00,000
रक्षा मंत्रालय			
19.	रक्षा मंत्रालय	1870,76,00,000	145,27,00,000
20.	रक्षा पेंशन	3749,91,00,000	
21.	रक्षा सेवाएं—थल सेना	9476,36,00,000	
22.	रक्षा सेवाएं—नौसेना	1808,40,00,000	...
23.	रक्षा सेवाएं—वायु सेना	2931,86,00,000	

1	2	3	4
24.	रक्षा आयुध निर्माणियां	943,54,00,000	
25.	रक्षा सेवाएं—अनुसंधान एवं विकास	784,51,00,000	
26.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय		7491,00,00,000
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग			
27.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग	346,19,00,000	18,55,00,000
विनिवेश मंत्रालय			
28.	विनिवेश मंत्रालय	55,00,00,000	
पर्यावरण और वन मंत्रालय			
29.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	428,15,00,000	5,58,00,000
विदेश मंत्रालय			
30.	विदेश मंत्रालय	1077,55,00,000	125,54,00,000
वित्त मंत्रालय			
31.	आर्थिक क़ार्य विभाग	852,82,00,000	514,25,00,000
32.	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	311,27,00,000	163,83,00,000
33.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	1171,80,00,000	373,71,00,000
35.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	8931,52,00,000	
36.	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण		200,00,00,000
38.	व्यय विभाग	8,56,00,000	
39.	पेंशन	1565,99,00,000	
40.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	352,85,00,000	3,67,00,000
41.	राजस्व विभाग	213,40,00,000	2,37,00,000
42.	प्रत्यक्ष कर	355,32,00,000	35,00,00,000
43.	अप्रत्यक्ष कर	419,03,00,000	67,94,00,000
44.	कम्पनी कार्य विभाग	18,00,00,000	1,00,00,000
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय			
45.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	38,56,00,000	
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय			
46.	स्वास्थ्य विभाग	884,81,00,000	118,57,00,000

1	2	3	4
47.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	75,07,00,000	17,00,000
48.	परिवार कल्याण विभाग	2232,12,00,000	...
	भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय		
49.	भारी उद्योग विभाग	53,29,00,000	157,04,00,000
50.	सरकारी उद्यम विभाग	10,88,00,000	...
	गृह मंत्रालय		
51.	गृह मंत्रालय	235,73,00,000	9,35,00,000
52.	मंत्रिमंडल	88,15,00,000	2,33,00,000
53.	पुलिस	3634,80,00,000	498,65,00,000
54.	गृह मंत्रालय में अन्य व्यय	252,13,00,000	
55.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	202,34,00,000	136,32,00,000
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
56.	बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	2001,56,00,000	...
57.	माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग	1685,79,00,000	1,00,000
58.	महिला और बाल विकास विभाग	1148,65,00,000	
	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		
59.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	421,12,00,000	83,62,00,000
	श्रम मंत्रालय		
60.	श्रम मंत्रालय	348,57,00,000	2,00,000
	विधि और न्याय मंत्रालय		
61.	निर्वाचन आयोग	3,83,00,000	
62.	विधि और न्याय	1219,90,00,000	34,00,000
	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय		
64.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	169,74,00,000	32,01,00,000
	महासागर विकास विभाग		
65.	महासागर विकास विभाग	76,36,00,000	33,00,000
	संसदीय कार्य मंत्रालय		
66.	संसदीय कार्य मंत्रालय	1,96,00,000	...

1	2	3	4
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय			
67.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	49,38,00,000	38,00,000
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
68.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1191,55,00,000	
योजना मंत्रालय			
69.	योजना मंत्रालय	43,63,00,000	
विद्युत मंत्रालय			
70.	विद्युत मंत्रालय	701,29,00,000	879,20,00,000
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय			
72.	लोक सभा	67,60,00,000	
73.	राज्य सभा	29,97,00,000	
75.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	44,00,000	
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय			
76.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1791,92,00,000	2410,98,00,000
ग्रामीण विकास मंत्रालय			
77.	ग्रामीण विकास विभाग	6054,29,00,000	2,50,00,000
78.	भूमि संसाधन विभाग	421,49,00,000	
79.	पेय जलापूर्ति विभाग	1320,46,00,000	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
80.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	406,50,00,000	23,57,00,000
81.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	431,97,00,000	1,37,00,000
82.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	107,82,00,000	
नौवहन मंत्रालय			
83.	नौवहन मंत्रालय	182,02,00,000	102,54,00,000
लघु उद्योग मंत्रालय			
84.	लघु उद्योग मंत्रालय	133,13,00,000	5,00,00,000
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय			
85.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	457,14,00,000	43,25,00,000

1	2	3	4
अंतरिक्ष विभाग			
86.	अंतरिक्ष विभाग	722,31,00,000	188,11,00,000
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय			
87.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	861,80,00,000	6,95,00,000
इस्पात मंत्रालय			
88.	इस्पात मंत्रालय	22,70,00,000	5,67,00,000
कपड़ा मंत्रालय			
89.	कपड़ा मंत्रालय	441,98,00,000	151,56,00,000
पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय			
90.	संस्कृति विभाग	221,78,00,000	15,17,00,000
91.	पर्यटन विभाग	75,75,00,000	98,17,00,000
जनजातीय कार्य मंत्रालय			
92.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	45,15,00,000	14,42,00,000
संघ राज्य क्षेत्र (विधान-मंडल रहित)			
93.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	302,33,00,000	69,44,00,000
94.	चंडीगढ़	300,81,00,000	50,78,00,000
95.	दादरा और नगर हवेली	151,27,00,000	11,83,00,000
96.	दमण और दीव	82,50,00,000	9,93,00,000
97.	लक्षद्वीप	72,89,00,000	12,68,00,000
शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय			
98.	शहरी विकास विभाग	320,58,00,000	598,64,00,000
99.	लोक निर्माण कार्य	229,47,00,000	80,16,00,000
100.	लेखन-सामग्री और मुद्रण	49,02,00,000	7,00,000
101.	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग	150,38,00,000	103,85,00,000
जल संसाधन मंत्रालय			
102.	जल संसाधन मंत्रालय	264,46,00,000	19,16,00,000
युवा मामले और खेल मंत्रालय			
103.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	150,59,00,000	4,75,00,000
	जोड़ राजस्व/पूंजी	93466,83,00,000	17017,65,00,000

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या: 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 87, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102 और 103 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदाय करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2003-2004 के लिए लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदानों की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	2,00,000	
एग्रो और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय			
4.	एग्रो और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	50,00,00,000	
परमाणु ऊर्जा विभाग			
5.	परमाणु ऊर्जा	...	1,00,000
6.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं		257,60,00,000
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
8.	उर्वरक विभाग	88,38,00,000	
कोयला मंत्रालय			
10.	कोयला मंत्रालय	1,00,000	
खान मंत्रालय			
11.	खान मंत्रालय		93,84,00,000
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय			
12.	वाणिज्य विभाग	5,61,00,000	
13.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	1,00,000	
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
14.	डाक विभाग	211,16,00,000	...

1	2	3	4
15.	दूरसंचार विभाग	275,62,00,000	
16.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	7,51,00,000	20,00,00,000
रक्षा मंत्रालय			
19.	रक्षा मंत्रालय	248,92,00,000	
24.	रक्षा आयुध निर्माणियां	238,04,00,000	...
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग			
27.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग		1,00,000
विनिवेश मंत्रालय			
28.	विनिवेश मंत्रालय	20,63,00,000	
पर्यावरण और वन मंत्रालय			
29.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	1,00,000	
वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय			
31.	आर्थिक कार्य विभाग	3,00,000	
33.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	786,00,00,000	2,00,000
38.	व्यय विभाग	1,20,00,000	
40.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	46,18,00,000	
43.	अप्रत्यक्ष कर	139,00,00,000	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय			
45.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	1,00,000	
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय			
46.	स्वास्थ्य विभाग	90,02,00,000	...
47.	भारतीय चिकित्सा प्रणालियां एवं होम्योपैथी विभाग	1,00,000	
48.	परिवार कल्याण विभाग	1,00,000	
गृह मंत्रालय			
51.	गृह मंत्रालय	32,64,00,000	3,05,00,000
52.	मंत्रिमंडल	48,15,00,000	4,38,00,000

1	2	3	4
53.	पुलिस	845,37,00,000	251,00,00,000
54.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	3,00,000	
55.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	1,24,00,000	
मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
57.	माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग	4,00,000	
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय			
59.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	1,00,000	
श्रम मंत्रालय			
60.	श्रम मंत्रालय	1,00,000	
विधि और न्याय मंत्रालय			
62.	विधि और न्याय	1,00,000	1,00,000
संसदीय कार्य मंत्रालय			
66.	संसदीय कार्य मंत्रालय	1,72,00,000	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय			
67.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		60,00,000
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
68.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1,00,000	319,36,00,000
विद्युत मंत्रालय			
70.	विद्युत मंत्रालय	1,00,000	
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय			
72.	लोकसभा	2,95,00,000	
73.	राज्यसभा	7,54,00,000	
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय			
76.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	4,28,00,000	1,00,000
ग्रामीण विकास मंत्रालय			
77.	ग्रामीण विकास विभाग	3,61,00,000	
79.	पेय जलापूर्ति विभाग	20,01,00,000	

1	2	3	4
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
80.	विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	...
82.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	...
नौवहन मंत्रालय			
83.	नौवहन मंत्रालय	2,00,000	
लघु उद्योग मंत्रालय			
84.	लघु उद्योग मंत्रालय	1,00,000	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय			
87.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	100,00,00,000	
कपड़ा मंत्रालय			
89.	कपड़ा मंत्रालय	3,00,000	
पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय			
90.	संस्कृति विभाग	6,71,00,000	
गृह मंत्रालय			
संघ राज्य क्षेत्र (विधान-मंडल रहित)			
93.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,00,000	8,36,00,000
94.	चंडीगढ़	1,00,000	2,17,00,000
95.	दादरा और नगर हवेली	75,52,00,000	...
97.	लक्षद्वीप		2,24,00,000
शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय			
98.	शहरी विकास विभाग	75,51,00,000	250,01,00,000
99.	लोक निर्माण कार्य		1,00,000
101.	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग	1,00,000	1,00,000
जल संसाधन मंत्रालय			
102.	जल संसाधन मंत्रालय		1,53,00,000
युवा मामले और खेल मंत्रालय			
103.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	1,00,000	...
	कुल जोड़	3433,87,00,000	1214,22,00,000

[हिन्दी]

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी): अध्यक्ष महोदय, यह 13वीं लोक सभा की आखिरी चर्चा है। सरकार ने जिस तरह से यह सत्र बुलाया है उससे मैं समझती हूं कि सभी संवैधानिक मूल्यों और संसदीय परम्पराओं का उल्लंघन हुआ है। इस सत्र के शुरू होने के पहले ही जिस तरह सरकार ने महत्वपूर्ण आर्थिक फैसलों का ऐलान कर दिया, उससे पिछले साल किसी सदन द्वारा पारित फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमैन्ट एक्ट का मजाक ही बना है। सरकार ने जिस तरह अपने ''फील गुड'' यानी खुशफहमी वाले इश्तहारों पर जनता की कमाई के सैकड़ों करोड़ रुपए फूंक दिये हैं, उसने सचमुच सबके मन को गहरा आघात पहुंचाया है। लेकिन कोई ऐसी सरकार से और उम्मीद भी क्या कर सकता है, जिसका सबसे बड़ा योगदान ही घोटालों का रहा हो, चाहे वह रक्षा संबंधी हो, पैट्रोल-पम्प संबंधी हो, डी.डी.ए. की जमीन अलाटमैन्ट, शेयर बाजार, यू.टी.आई., हुडको, तहलका का मामला रहा हो या जूदेव वीडियो टेप का मामला रहा हो।

अंतरिम बजट में डिफैन्स माडर्नाइजेशन फंड बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार को यह बात समझने में पांच साल लग गये, जिसे हम हमेशा से कह रहे हैं। डिफैन्स मॉडर्नाइजेशन के लिए रखा गया हजारों करोड़ रुपया खर्च ही नहीं किया गया। इससे क्या हुआ, इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान हुआ और हमारे बहादुर जवानों की जान खतरे में पड़ी।

अध्यक्ष महोदय, सी. एंड ए.जी तक ने इस मामले में सरकार की आलोचना की है। सी. एंड ए.जी. ने क्या कहा, सी. एंड ए.जी. ने कहा कि सरकार ने रक्षा सौदे करने में पारदर्शिता से काम नहीं किया। क्या यह देश कभी ताबूतों की खरीद में हुए घोटाले को भूल सकता है। पिछला आम चुनवा कारगिल की लड़ाई की छाया में हुआ था। क्या मैं सदन को इसी सरकार की सुब्रहमण्यम कमेटी की रिपोर्ट की याद दिला सकती हूं, जिस पर पिछले चार साल से इस हाउस में कोई बहस नहीं होने दी गई। यह इस सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महान मामलों में संसद को पूरी तरह नजरअंदाज करने की एक बहुत बड़ी मिसाल है।

इंटेरिम बजट में आर्थिक तरक्की के लम्बे-चौड़े दावे किये गये हैं लेकिन फैक्ट्स तो अपने आप बोल रहे हैं। एक तो फाइनैन्स मिनस्टर

[अनुवाद]

ब्याज कम करने का श्रेय ले रहे हैं लेकिन मेरा मानना है कि, उन करोडों परिवारों के साथ क्रूर मजाक है, जिन्होंने अपने बचतों के मूल्य में इस प्रकार की तेज गिरावट को देखा है।

[हिन्दी]

पिछले पांच सालों में आर्थिक तरक्की की रफ्तार लगातार धीमी हुई है और निवेश दर भी नीचे गिरी है। इस सरकार के शासन में खेती और उद्योगों में भी ग्रोथ रेट बहुत नीचे गिरा है और सरकार के दावों के एकदम विपरीत बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। जहां कहीं भी मैं जाती हूं, एक ही सबसे बड़ा मुद्दा पाती हूं और वह है बेरोजगारी। करोड़ों-करोड़ नौजवान लड़के-लड़कियां बहुत ही मनहूस भविष्य का सामना कर रहे हैं। छोटे-छोटे और ग्रामीण उद्योगों पर बहुत बुरी मार पड़ी है। लाखों खादी कर्मचारियों का भविष्य अंधेरे में है और हम सब जानते हैं कि इनमें से ज्यादातर समाज के कमजोर वर्गों के लोग हैं। देश के पिछड़े इलाकों को डैवलप करने के लिए और खासकर लाखों दलित आदिवासी भाई-बहनों को रोजगार देने वाले पब्लिक सैक्टर को जान-बूझकर बरबाद किया जा रहा है। सरकारी क्षेत्र की कंपनियां चंद लोगों को कौड़ियों के मोल बेची जा रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, अंतरिम बजट में दूसरी हरित क्रांति की बात की जा रही है और शुक्र है कि इंदिरा जी की हरित क्रांति का श्रेय इन्होंने हड़पने की कोशिश नहीं की। चुनावों के चंद हफ्ते पहले सरकार की नींद खुली है और उसने दूसरी हरित क्रांति लाने का एलान कर दिया है। पिछले चार सालों से हममें से बहुत से लोग इसी सदन में और बाहर किसानों और खेत मजदूरों की दुःखद स्थिति के बारे में इस सरकार का ध्यान दिला रहे थे। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले पांच सालों में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं किसानों ने की हैं। ...*(व्यवधान)* अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने चीनी उद्योग को फिर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जोर-शोर से घोषणाएं की हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि आप किसकी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं? हममें से बहुत से लोग देश भर में किसान परिवारों की बरबादी के भी गवाह हैं। आज गन्ना, धान, गेहूं, आलू, कई फसलें उगाने वाले किसान कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं। सब जानते हैं कि पिछले चार सालों में आप एक तो गन्ना किसानों को न उनका बकाया दिला पाए, न उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे पाए और न उनका गन्ना ही कारखानों को ठीक से बिकवा पाए। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से जानना चाहूंगी कि किसानों को इस दुखद परिस्थिति से बचाने के लिए पिछले चार-पांच सालों में क्यों नहीं ध्यान दिया गया?

अध्यक्ष महोदय, यह सरकार पूरे देश में शांति और संतोष का माहौल होने और ग्रॉस नैशनल कन्टैन्ट की बात कर रही थी। लेकिन जिस सरकार ने सामाजिक सद्भाव के माहौल को बुरी तरह नष्ट कर दिया हो, उसके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती।

मध्याह्न 12.00 बजे

महोदय, जिस सरकार ने नफरत फैलाने वाले संगठनों की हर तरह से मदद की हो, उसके मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती और जिस सरकार ने अपने संकीर्ण चुनावी मकसदों को पूरा करने के लिए समाज को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके मुंह से

[श्रीमती सोनिया गांधी]

ऐसी बातें एकदम खोखली लगती हैं। सामाजिक न्याय को तो इस सरकार के जमाने में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के कार्यकाल में हुए अत्याचारों का सबसे ज्यादा निशाना दलित, आदिवासी, अक्लीयत और महिलाएं बनी हैं। जहां तक महिलाओं के सशक्तीकरण की बात है, इस सरकार की नीयत का इसी से पता चलता है कि हमारे पूरे समर्थन के बावजूद यह सरकार विमेन रिजर्वेशन बिल संसद में पास नहीं करा पाई।

महोदय, ऐसे में अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर में काम कर रहे मजदूर और कर्मचारियों की बात ही क्या की जाए, उनके बारे में क्या बात कही जाए। उनके दर्द की तो ऐसा लगता है कि इस सरकार को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमारे समर्थन के बावजूद उनके हितों की रक्षा के लिए इस सरकार ने कोई कानून बनाने का प्रयास ही नहीं किया। इसके विपरीत कांग्रेस की कई राज्य सरकारों ने इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। हमारे देश में सबसे बड़ी मात्रा में रोजगार कृषि के अलावा हैन्डलूम सैक्टर में होता है और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार ने बुनकरों के कल्याण के लिए अंतरिम बजट में एक शब्द भी नहीं बोला।

महोदय, यह सरकार दावा कर रही है कि पिछले पांच सालों में हमारे देश ने कई क्षेत्रों में तेजी से छलांग लगाई है। बाकी छलांगों की बात तो छोड़ दीजिए, एक यही मिसाल काफी है कि हमारे देशवासियों को सचमुच अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सबसे बुनियादी जरूरत शिक्षा की है, लेकिन बड़े जोर-शोर से शुरू किया गया सर्व शिक्षा अभियान, पूरी तरह नाकामयाब हो गया है। शिक्षा का साम्प्रदायीकरण करके नौजवानों के मासूम दिमागों में जहर भरा जा रहा है और यही नहीं पिछले कई दशकों में बड़ी मेहनत से खड़े किये गये उच्च शिक्षा के कई संस्थानों की औटोनोमी को जानबूझकर नष्ट किया गया है।

महोदय, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षा संस्थाओं को ही बर्बाद किया गया है बल्कि, सी.ए.जी., सी.वी.सी., इलैक्शन कमीशन और ह्यूमन राइट्स कमीशन जैसी सांवैधानिक संस्थाओं को भी नहीं छोड़ा गया है। इस सरकार के वरिष्ठ नेताओं, वरिष्ठ मंत्रियों ने उन्हें नीचा दिखाने का काम किया है। इस हाउस में भी हुआ है और इन्वैस्टीगेटिंग एजेंसीज और कमीशन्स ऑफ इन्क्वायरी को जानबूझकर अपंग बनाया जा रहा है जबकि सी.बी.आई., अयोध्या के मामले में अपील तक दायर नहीं कर पाई और लिब्राहन आयोग से उसका जांच अधिकारी तक हटा लिया गया, तो और क्या कहा जाए।

अध्यक्ष महोदय, इस मौके पर, जबकि हम सब चुनाव के मैदान में जा रहे हैं, अपनी पार्टी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सकारात्मक विपक्ष के तौर पर निभाई गई अपनी भूमिका पर हमें गर्व है। मुझे पूरा भरोसा है कि विभिन्न कानूनों को बनाने में सरकार को हमारे समर्थन और योगदान को इतिहास सही निगाह से देखेगा। हमें एक ही अफसोस है और वह यह है कि कंसेंसस बनाने के मामले में सरकार ने अपनी तरफ से कभी ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद हम कभी नहीं डिगे और राष्ट्रीय हितों के मामले में हमेशा अपना सहयोग का हाथ बढ़ाया।

अध्यक्ष महोदय, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वित्त मंत्री जी प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत प्रशंसा के भाव से भरे हुए हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री जी आधी शताब्दी से भी ज्यादा समय पब्लिक लाइफ में रहे हैं। उन्हें देवानंद की मशहूर फिल्म असली-नकली जरूर याद होगी, लेकिन सच्चाई क्या है, वह यह है कि पिछले चार साढ़े चार साल में प्रधानमंत्री जी ज्यादातर महत्वपूर्ण मामलों पर हमेशा अपना रवैया बदलते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, अटल जी बहुत से मुद्दों पर अटल रहते ही नहीं हैं—चाहे वह अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के भ्रष्टाचार का मामला हो, अयोध्या की बात हो, गुजरात का कत्लेआम हो, पाकिस्तान से रिश्तों की बात हो या जम्मू-कश्मीर की नीति की बात हो। प्रधानमंत्री जी के रुख में न तो स्पष्टता होती है और न ही अटलता। रही वित्त मंत्री जी की बात, मैं इतना ही कह सकती हूं कि काश, यह सरकार आज की तरह तब भी राजस्थान के प्रति उतनी ही उदार रहती, जब राजस्थान लगातार चार साल से सूखे का सामना कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने चुनाव अभियान के सिलसिले में एक अपील की थी। मैं समझती हूं कि यह उनके दोतरफा रवैये का एक और मिसाल एवं नमूना है। वे एक तरफ संयम बरतने की अपील करते हैं और दूसरी तरफ उनके नजदीकी सहयोगी अतिवादी और हर मर्यादा को पार करने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि इसके विपरीत हम सभी ऐसा चुनाव अभियान चलाने के लिए वचनबद्ध हैं, जो मर्यादाओं का पालन करेगा और लोगों की असली चिन्ताओं को दर्शाएगा तथा भारतीय समाज की एकता को मजबूत करेगा।

कटौती प्रस्ताव

सांकेतिक

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 1) में 100 रुपये कम किये जाएं।

नारियल उत्पादकों के संरक्षण के लिए आर्थिक उपाय किये जाने की आवश्यकता। (11)

मछुआरों के संरक्षण के लिए उपाय किये जाने की आवश्यकता। (12)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 1) में 100 रुपये कम किए जाएं।

जूट उत्पादकों, जे.सी.आई. तथा जूट उद्योग की स्थिति के बारे में चर्चा किए जाने की आवश्यकता। (16)

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 4) में 100 रुपये कम किए जाएं।

लघु उद्योग क्षेत्र को बचाने के लिए कयर के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) पुनः लागू किए जाने की आवश्यकता। (1)

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि नागर विमानन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 9) में 100 रुपये कम किए जाएं।

अजमेर हवाई अड्डे को शीघ्र चालू किए जाने की आवश्यकता। (1)

हज उड़ानों पर दी जाने वाली सब्सिडी पर लगाए गए प्रतिबंध वापस लिए जाने की आवश्यकता। (2)

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि डाक विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 14) में 100 रुपये कम किये जाएं।

केरल के मल्लपुरम जिले में क्षेत्र की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर डाकघरों को स्थापित करने के लिए मानदंडों में संशोधन किये जाने और डाकघरों की संख्या और डाक सुविधाएं बढ़ाए जाने तथा केरल के बाहर डाकघरों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (1)

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि दूरसंचार विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 15) में 100 रुपये कम किये जाएं।

केरल में बीएसएनएल के प्रीपेड कार्डों की अत्यधिक कमी को दूर किये जाने की आवश्यकता। (4)

पोन्नानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (केरल सर्कल) में केबलों की अत्यधिक कमी को दूर किये जाने की आवश्यकता। (5)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 19) में 100 रुपए कम किए जाएं।

दसवीं योजना के लिए अनुमोदित योजना से सतत राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और आबंटित निधियों का उपयोग करने के लिए रक्षा तैयारी को उन्नत बनाने की आवश्यकता। (3)

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 30) में 100 रुपये कम किए जाएं।

संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी के देशों को विशेषकर उन देशों में रोजगार की तलाश करने वालों के दस्तावेजों को भारत स्थित उनके कन्सुलेट्स से सत्यापित कराने के कार्य के लिए और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार करने की आवश्यकता। (1)

कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 30) में 100 रुपये कम किए जाएं।

विदेशों में कार्य की तलाश करने वाले लोगों के दस्तावेजों पर केरल में ही सत्यापन की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता। (2)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 30) में 100 रुपये कम किए जाएं।

विदेश नीति पर चर्चा किए जाने की आवश्यकता। (3)

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि आर्थिक कार्य विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 31) में 100 रुपये कम किए जाएं।

मध्यम श्रेणी तथा गरीब छात्रों के हित में समानांतर चल रहे महाविद्यालयों पर से 8 प्रतिशत सेवा कर को हटाए जाने की आवश्यकता। (2)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि आर्थिक कार्य विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 31) में 100 रुपये कम किए जाएं।

यू.टी.आई. घोटाले में लिप्त दोषियों को दंडित किये जाने की आवश्यकता। (4)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि स्वास्थ्य विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 46) में 100 रुपये कम किए जाएं।

स्वास्थ्य मंत्रालय में दवाइयों की खरीद की सी.बी.आई. जांच में तेजी लाने की आवश्यकता। (1)

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि आयुर्वेद, योग तथा नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध तथा होमियोपैथी (आयुष) विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 47) में 100 रु. कम किए जाएं।

चिकित्सा की यूनानी पद्धति को और ज्यादा बढ़ावा देने की आवश्यकता। (2)

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि गृह मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 51) में 100 रुपये कम किए जाएं।

पोटा को वापस लिए जाने की आवश्यकता। (1)

श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ मामला उठाए जाने की आवश्यकता। (5)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि गृह मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मागों (पृष्ठ 51) में 100 रुपये कम किए जाएं।

सी.बी.आई. के कार्यकरण को और अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी बनाने की आवश्यकता। (6)

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पुलिस शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 53) में 100 रु. कम किए जाएं।

पुलिस, अर्द्धसैनिक बलों और आसूचना एजेंसियों में प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने के लिए आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (7)

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 57) में 100 रुपये कम किए जाएं।

मध्यम वर्ग और निर्धन विद्यार्थियों के हित में समानान्तर कालेजों पर सेवा कर को वापस लिये जाने की आवश्यकता। (2)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ट 59) में 100 रुपये कम किए जाएं।

सरकार द्वारा प्रिंट मीडिया में दिये जा रहे विज्ञापनों से हो रहे अनावश्यक खर्च को रोकने की आवश्यकता। (2)

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि विधि और न्याय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 62) में 100 रुपए कम किये जाएं।

सिविल तथा आपराधिक मामलों को यथोचित समय सीमा में निपटाने को सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय तथा वैधानिक ढांचे की आवश्यकता। (1)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि विधि और न्याय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 62) में 100 रुपए कम किये जाएं।

लोकपाल पर विधेयक लाए जाने की आवश्यकता। (2)

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 67) में 100 रुपये कम किए जाएं।

प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सेवाओं में आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (1)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि योजना मंत्रालय शीर्ष (पृष्ठ 69) के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।

सरकार द्वारा प्रिंट मीडिया पर विज्ञापन के लिए किये जा रहे परिहार्य खर्चे को रोकने की आवश्यकता। (1)

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 85) में 100 रु. कम किए जाएं।

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम को पूर्ण रूप से लागू करना तथा कार्यक्रम का विस्तार भी करने की आवश्यकता। (1)

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 87) में 100 रुपए कम किए जाएं।

एम.पी. लैड्स (संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना) के अंतर्गत निधियों में वृद्धि करना। (1)

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, विपक्षी दल की नेत्री ने अभी जो भाषण यहां पर दिया है, बजट के साथ उसका कतिपय कोई संबंध नहीं था। उन्होंने राजनैतिक भाषण देकर बजट की बहस के स्तर को इतने नीचे स्तर पर ला दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्लीज बैठिये। आपको उन्हें भी सुनना चाहिए। रामदास जी, प्लीज बैठिए। आप उनका भी भाषण सुनिए।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, अभी तो मैंने बजट पर भाषण शुरू ही नहीं किया कि ये खड़े हो गये। पता नहीं आगे क्या होगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा भाषण करोगे तो आगे भी कुछ नहीं होगा।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: सबसे पहले विपक्ष की नेत्री ने डिफेंस के लिए 25 हजार करोड़ रुपये का इस समय जो नॉन लेप्सेबल बजट रखा गया है, उसका जिक्र किया और यह कहा कि इसके पहले ध्यान नहीं दिया गया। सुब्रहमण्यम कमेटी रिपोर्ट का उन्होंने जिक्र किया और कारगिल युद्ध का जिक्र किया और यह कहा कि हमारे जवान वहां मर रहे थे, उनके बारे में ध्यान नहीं गया। मैं विपक्ष की नेत्री से और उनकी पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि तीन साल तक जार्ज साहब को यहां बोलने नहीं दिया गया, डिफेंस पर यहां बहस नहीं होने दी गई, डिफेंस का कोई सवाल नहीं उठाने दिया गया। ...*(व्यवधान)* जो पार्टी यहां पर ...*(व्यवधान)* क्या दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसा मिलता है कि जहां पर तीन साल तक जब भी डिफेंस मिनिस्टर खड़े हों तो वे वाक आउट करें, खड़े हों तो हल्ला-गुल्ला करें, खड़े हों तो यहां पर शोर मचा दिया जाये और फिर कहा जाये कि डिफेंस पर बहस नहीं हुई। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: तिवारी जी, उनको भी बोलने का अधिकार है, प्लीज बैठिए।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि तीन साल तक डिफेंस पर बहस न होने दी जाये। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्लीज बैठिए।

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा): सबसे बड़े घोटाले करने वाले आप लोग हो। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): इससे बड़ी बेशर्मी कोई नहीं हो सकती कि भ्रष्टाचार के आरोपी एक मंत्री को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए, जबकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हों। ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: हां, अभी बताता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप भी भाषण कर सकते हैं और बोल सकते हैं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अभी आपको बोलने का बहुत मौका मिलेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): ये कह रहे हैं कि तीन साल तक मंत्री को बोलने नहीं दिया गया ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं आपसे यह कहना चाहता था कि अपोजीशन को कहा गया कि किसी भी विषय पर बहस करो। हफ्ते में तीन-तीन दिन बहस होती थी तो क्यों नहीं सुब्रहमण्यम कमेटी के ऊपर इन्होंने बहस करने की मांग की? क्योंकि जार्ज साहब उसका जवाब देते, इसलिए इन्होंने डिफेंस के सब मामले निकाल दिये। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): हमने बार-बार मांग की, रिकार्ड इसका गवाह है, लेकिन एक बार भी सरकार इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं हुई। दुनिया के किसी लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतना बड़ा सुरक्षा का मामला हो लेकिन सरकार उसके ऊपर बहस करने के लिए तैयार नहीं थी, यह इस सरकार की शर्मनाक स्थिति है। ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, इन्होंने अपनी बात बोल दी। हमने सोनिया जी का भाषण बड़ी शांति से सुना। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सदन की कोई व्यवस्था होती है, आप सब जानते हैं कि जब विपक्ष की नेत्री का भाषण शुरू था तो उन्हें बिल्कुल इण्टरप्ट नहीं किया गया। अब भी वही तरीका अपनाना चाहिए। मेरी सब से विनती है कि जो भाषण जिस मैम्बर को चाहिए, वे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चल सकता है।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: आपने क्या किया, आपने अटल जी के बारे में ये बातें बोली हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सदन के सभी सदस्यों से विनती करूंगा कि बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन सदन में चल रहा है। यह डिस्कशन ठीक तरह से होना चाहिए। प्लीज इण्टरप्ट बिल्कुल मत कीजिए।

[अध्यक्ष महोदय]

उनका भाषण सुनने और उनको जवाब देने के लिए मैं आपको फिर मौका दूंगा। जो सदस्य चाहते हैं, वे फिर बोल सकते हैं, लेकिन बीच-बीच में इण्टरप्ट करना व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। प्लीज बैठिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आशा करता हूं कि डा. विजय कुमार मल्होत्रा के भाषण के सिवाय अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, सोनिया जी ने बजट भाषण के बजाए पहले इससे प्रारम्भ किया और फिर घोटालों के बारे में प्रारम्भ किया। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से लेकर आज तक भ्रष्टाचार की पर्यायवाची है, यह उसका पर्याय बनी हुई है। परन्तु मैं सिर्फ दो बातें पूछना चाहता हूं कि उन्होंने बोफोर्स का जिक्र नहीं किया और सद्दाम से आपने पैसा क्यों लिया? सद्दाम से आप मित्रता करें, सद्दाम के साथ दोस्ती करें और दोस्ती करते हुए ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: कांग्रेस पार्टी के ऊपर 15 साल में सरकार बोफोर्स के आरोपों में कुछ नहीं कर पाई। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): ये बोफोर्स के आरोप में कुछ नहीं कर पाये। ...*(व्यवधान)*

आप कह रहे हैं कि बोफोर्स का जिक्र नहीं किया। ...*(व्यवधान)* आप बोफोर्स का मामला लाइये और कोई सबूत दीजिए। ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: आप किसी से दोस्ती करें ...*(व्यवधान)* आप किसी से मित्रता करें। ...*(व्यवधान)* यह बहुत अच्छी बात है कि मित्रता होनी चाहिए। आप सब देशों से मित्रता करें लेकिन मित्रता के लिए पैसा लें या पैसा लेकर मित्रता करें ...*(व्यवधान)* इससे ज्यादा क्या कोई दुखदायी बात हो सकती है, यह मैं उनसे पूछना चाहता हूं। जो आरोप पंजाब की उप मुख्यमंत्री ने ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, मैं अपना भाषण रोकने वाला नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय: यदि वे व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं तो आप एक मिनट के लिए बैठ जाएं। उन्हें सुनने दीजिए।

श्री जयपाल रेड्डी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस नियम के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, डा. विजय कुमार मल्होत्रा ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए हैं। इराक से धन के संबंध में उन्होंने एक अप्रमाणित आरोप लगाया है। इस प्रकार के आरोप लगाने से पूर्व उनके द्वारा नोटिस दिया जाना चाहिए था और उन्हें कोई सांकेतिक साक्ष्य देना चाहिए था। उन्होंने एक ऊटपटांग आरोप लगाया है और एक ऊटपटांग और अप्रमाणित आरोप के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाने की कोशिश की है। उन्होंने उसके लिए कोई सूचना नहीं दी है। इसलिए, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप उन सभी टिप्पणियों को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दें।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: सोनिया जी ने ये जो सारे आरोप लगाये थे, क्या वे सब पहले लिखकर दिये थे? ...*(व्यवधान)* उन्होंने जितने आरोपों का यहां जिक्र किया, क्या वे सब लिखकर दिये थे? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. विजय कुमार मल्होत्रा, आपको उनके व्यवस्था का प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। आप अपना भाषण जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, पंजाब की उप मुख्यमंत्री श्रीमती भट्टल ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगाये, करुणाकरन जी ने एंटनी जी पर जो आरोप लगाये, जोगी जी पर जो आरोप लगाये गये और यहां इनके अपने ही आदमी वघेला साहब अमर सिंह जी चौधरी पर जो आरोप लगा रहे हैं, उनके बारे में इनका क्या कहना है? इनकी अपनी पार्टी के प्रमुख लोग अपने ही मुख्यमंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं, उन घोटालों के बारे में इनका क्या कहना है? उसका कोई उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। ...*(व्यवधान)* अभी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा कि सारे बजट में ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यदि आप इस प्रकार व्यवस्थान खड़ा करेंगे तो इस सभा में उचित बहस नहीं हो पायेगी। कृपया उन्हें बोलने दें।

[हिन्दी]

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): जब आपकी लीडर बोल रही थीं तब क्या आप लोगों ने उन्हें डिस्टर्ब किया था? *...(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवालः अध्यक्ष महोदय, यहां पर स्टेट सब्जैक्ट्स लेने का क्या तुक है? *...(व्यवधान)* अगर हिम्मत हो तो पंजाब के मुख्यमंत्री *...(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्राः मैं वही बता रहा हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, अभी इन्होंने यहां अनआर्गनाइज्ड सैक्टर के बारे में जिक्र किया। 50 साल तक झल्ली वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, रिक्शा चलाने वाले और खेतिहर मजदूरों के बारे में कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियों ने कोई योजना नहीं बनाई। इस बजट के अंदर *...(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्मम): अध्यक्ष महोदय, इनको देश का इतिहास पता नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवालः अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया होता तो ये दिल्ली में पराजित न होते। *...(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरीः आपको इतिहास मालूम नहीं है। भाखड़ा नंगल किसने बनाया? क्या उसे आपने बनाया? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः डा. विजय कुमार मल्होत्रा, आप अपना भाषण जारी रखें। केवल आपका भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। आप अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष महोदय, पहली बार उनको 500 रुपये की फैमिली पेंशन थ्रू आउट देने की बात कही गयी। 1 लाख 35 हजार रुपये का दुर्घटना बीमा और 30 हजार रुपये का सुरक्षा बीमा माननीय जसवंत सिंह ने अनआर्गनाइज्ड सैक्टर वालों के लिए पहली बार रखा है। पिछले 50 साल तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप भाषण कीजिए और उत्तर भी दीजिए-इसकी क्या जरूरत है।

...(व्यवधान)

श्रीमती रेणूका चौधरीः यह सब्जी नहीं है। मैं आपकी बात को इस प्रकार कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दे सकता। ये फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्राः अभी यह सवाल उठाया गया। *...(व्यवधान)* अभी किसानों की दुर्दशा का जिक्र किया गया। यह जिक्र किया गया कि किसानों ने आत्महत्या की। किसानों ने कर्नाटक में आत्महत्या की जहां कांग्रेस का शासन था, किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की जहां कांग्रेस का शासन था, किसानों ने वहां आत्महत्या की जहां कांग्रेस की सरकारें थीं। *...(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारीः किसानों ने पंजाब में भी आत्महत्या की। *...(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्राः पंजाब में भी आपकी ही सरकार थी। *...(व्यवधान)* साढ़े तीन करोड़ किसानों को क्रैडिट कार्ड देकर साठ हजार करोड़ रुपये का कर्जा दिया गया। क्या आपने एक भी किसान को क्रैडिट कार्ड दिया था? एक किसान को क्रैडिट कार्ड नहीं दिया। श्री जसवंत सिंह ने कहा है कि 31 मार्च तक हिन्दुस्तान के हर किसान को क्रैडिट कार्ड दिया जाएगा और उनको एक करोड़ रुपये का कर्जा दिया जाए। कांग्रेस के जमाने में, सोनिया जी को जवाब देना है, 18 प्रतिशत पर किसानों को कर्जा मिलता था और यहां 9 प्रतिशत पर कर्जा दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरीः आप क्या बात कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारीः यह पूछिए कि ब्याज कितना लिया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्राः आप इनको बिठाइए। ये बोलने नहीं दे रही हैं। अगर ऐसा होगा तो हम भी किसी कांग्रेस के माननीय सदस्य को नहीं बोलने देंगे। यह कौन सा तरीका है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

श्रीमती रेणुका चौधरीः आप जोर-जोर से बोल रहे हैं, यह भी कोई तरीका है। *...(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्राः हम ठीक बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मल्होत्रा जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: कल जसवंत सिंह जी ने डायरैक्शन दी है कि ब्याज 9 प्रतिशत से भी कम किया जाए। कांग्रेस 18 प्रतिशत पर कर्जा दे, हम 9 प्रतिशत से भी कम करके 7 प्रतिशत पर लाएं फिर भी यह कहा जाए कि किसानों की बड़ी दुर्दशा हो रही है, बड़ा अन्याय हो रहा है। ...*(व्यवधान)* यह भी कहा गया कि बुनकरों के लिए कुछ नहीं किया गया। एक करोड़ 25 लाख बुनकरों को भी इसी क्रैडिट कार्ड सिस्टम में लाया गया है। ...*(व्यवधान)* उनको भी यही कर्जा दिया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ): आप पांच साल तक क्या करते रहे। चुनाव सामने हैं, इसलिए राजनीति करने की बात की जा रही है। ...*(व्यवधान)* यह देश को गुमराह करने की बात है। ...*(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी: यह किसान क्रैडिट कार्ड नहीं भाजपा कमीशन कार्ड है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप भाषण में क्यों नहीं बोलते। आपको बोलने का मौका मिलेगा। ऐसा सदन में नहीं चल सकता। जरा ध्यान से सुनिए। यदि दोनों बाजू से बोलना शुरू हो जाएगा तो सदन का काम नहीं चल सकेगा। आपको मौका मिलेगा, आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं। आपको पूरा अधिकार है। आप अपना भाषण करते समय जो कुछ कहना चाहें, कहें। जब लीडर ऑफ दी आपोजीशन का भाषण हो रहा था तो किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया। आप भी इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अपने भाषण में कहें। ऐसे कहने का कोई तरीका नहीं है। मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: इन्होंने 40-50 साल तक देश को कर्जदार बनाए रखा, देश के ऊपर करोड़ों रुपये का कर्जा लाद दिया। दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिससे हिन्दुस्तान कर्जा नहीं लेता था। पैरिस एड क्लब की मीटिंग होती थी तो फाइनैंस मिनिस्टर की जान सूख जाती थी कि पता नहीं वहां क्या घोषणा होगी, कर्जा लाएंगे और फिर कैसे अदा करेंगे। देश को कर्जे से लाद रखा था। जसवंत सिंह जी ने तीन-चार दिन पहले कनाडा का 2020 तक का सारा कर्जा वापिस कर दिया। कनाडा वाले पूछ रहे हैं कि कर्जा वापिस क्यों कर रहे हैं, कर्जा 2020 तक के लिए है। हम कर्जा वापिस कर रहे हैं—पन्द्रह हजार करोड़ रुपये का कर्जा। क्या यह छोटी बात है कि आईएमएफ, जिससे हम हर साल कर्जे की भीख मांगते थे, उस आईएमएफ को भी सौ करोड़ रुपये का कर्जा भारत ने दिया है।

भारत ने 15 मुल्कों को कर्जा दिया है और इन्होंने देश को कर्जदार बना रखा था। हमने देश को साहूकार बनाया। हम दुनिया को कर्जा दे रहे हैं। पहले दुनियाभर से अनाज हिन्दुस्तान में आता था और आज कह रहे हैं कि किसान की दुर्दशा है। किसान ने इतना अनाज पैदा किया है। ये सारी दुनिया से अनाज मंगाते थे। अनाज 1997 तक देश में आ रहा था। अमरीका से अनाज आता था, शर्तें लगती थीं कि डीवैल्युएशन करो नहीं तो अनाज नहीं देंगे। मैक्सिको, आस्ट्रेलिया और कैनेडा से अनाज आता था। लम्बी-लम्बी लाइनें लगती थीं और आज तीस मुल्कों को हम अनाज बेच रहे हैं। तीस मुल्क हमसे अनाज खरीद रहे हैं। ...*(व्यवधान)* हम अनाज का निर्यात कर रहे हैं। यह इस बजट में लिखा गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: क्या आज अनाज नहीं आ रहा है? ...*(व्यवधान)* आज भी आयात हो रहा है। माननीय सदस्य सरासर असत्य बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या बात कर रहे हैं? आप हमें दुश्मनों की चीनी खिलाएंगे? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रेणूका जी, आप यहां बैठने के लिए क्यों आई हैं?

...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी: रेणूका का हर जगह अवतार होता है। ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: कांग्रेस के लोग वह जमाना भूल गये। बजट का जिक्र कल किया था। वित्त मंत्री जी ने जिक्र किया था कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज सौ बिलियन डॉलर से ऊपर चला गया। कहां यहां पर एक टाइम था जब ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: फॉरेन एक्सचेंज किसका है, यह भी बता दें। ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, इनका यह बीच में बोलना आप बंद कराइए। ...*(व्यवधान)* यदि आप कह दें तो मैं बैठ जाऊं? अगर इनको हर सैकेंड में बीच में बोलना है तो क्या मैं बैठ जाऊं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब रुक जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा): अध्यक्ष महोदय, फिर इनको भी बोलने नहीं दिया जाएगा। अगर ये ऐसे करेंगे तो हम इनको भी बोलने नहीं देंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: देखिए, मैंने इनको इशारा किया है। मैंने दो बार, तीन बार बताया है। मल्होत्रा जी को बोलने का पूरा अधिकार है। इनका भाषण सुना जाएगा।

श्री कीर्ति झा आजाद: कौन असली गांधी है, कौन नकली गांधी है, फिर मैं भी यह बताऊंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप इस प्रकार सभा का समय बर्बाद करेंगे। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: देखिए, मुझे हाउस चलाना है। मैंने इनको इशारा दिया है। अभी आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद: ऐसे नहीं चलेगा। असली नकली का फिर हम भी भेद खोलेंगे कि कौन नकली गांधी है और कौन असली गांधी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मल्होत्रा, आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं। कृपया अपने सदस्यों से बैठने को कहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी को भाषण करने के लिए अब आप मौका दीजिए।

...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा था कि जब 19 दिसम्बर को सौ बिलियन डॉलर का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज था और जबकि पन्द्रह दिन के बाद वह बढ़कर 104 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया है तथा हर दूसरे-तीसरे दिन क्वार्टर बिलियन डॉलर का हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है। इनके जमाने में एक बार सोना गिरवी रखा था। चालीस लाख टन सोना फॉरेन एक्सचेंज लाने के लिए कुछ दिन के लिए भेजा गया था और आज महारी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ है कि पहले ये यहां से विदेशों में रुपया जमा कराने जाते थे और आज सारे विदेशी भारत की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ देखकर यहां अपना रुपया जमा करा रहे हैं। 104 बिलियन डॉलर आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज है। कोई दुनिया की ताकत हिन्दुस्तान को आंख नहीं दिखा सकती। कोई दुनिया की ताकत सैंक्शन नहीं लगा सकती और जिन्होंने सैंक्शंस लगायी थीं, झक मारकर उनको वापस लेनी पड़ीं। हमारे पास इतना रुपया फॉरेन एक्सचेंज का है जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है। अगर यह भारत उदय की निशानियां नहीं हैं तो और क्या हो सकती हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर कहा गया कि गुड फील फैक्टर कहां पर है? गुड फील फैक्टर और दूसरी चीजों के बारे में बहुत बार जिक्र किया जा रहा है। ये कहते हैं कि गुड फील फैक्टर नहीं है। गुड बैड फैक्टर है और ये इस तरह की बातें कह रहे हैं।

सारी दुनिया कह रही है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वह 7.4 प्रतिशत है। अभी जसवंत सिंह जी ने कहा कि इस वर्ष साढ़े सात प्रतिशत या आठ प्रतिशत होगी। आपके जमाने में तीन प्रतिशत, चार प्रतिशत, पांच प्रतिशत सस्टेनेबल है या नहीं, इस पर बहस होती थी। आज हम दुनिया के पहले पांच या छः सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाले देशों में शामिल हो गए हैं। आज हमारी ग्रोथ रेट 8.4 प्रतिशत है, वह कल नौ प्रतिशत हो जाएगी। जब हमारी सरकार दोबारा सत्ता में आएगी तो वह दस प्रतिशत भी हो जाएगी। इससे ज्यादा बेहतर आर्थिक स्थिति का और क्या प्रमाण हो सकता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उनके भाषण में व्यवधान मत डालिए। उनको बोलने दें, बोलने से कोई नुकसान नहीं होता है।

श्री कांति लाल भूरिया: चुनाव हुए नहीं और ये पहले से ही फिर अपनी सरकार बनाने की बात कह रहे हैं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, 1956 के समय हिन्दुस्तान में मरीज इलाज के अभाव में सड़कों पर दम तोड़ देते थे। उसके बाद 40-45 साल तक इनका राज रहा और इन्होंने एम्स जैसा दूसरा अस्पताल देश में नहीं खोला। लेकिन हमारी सरकार के राज में सुषमा स्वराज जी ने देश में 12 अस्पताल एम्स की तर्ज पर खोले हैं। आज विदेशों से लोग भारत में इलाज कराने आ रहे हैं, क्योंकि यहां इलाज अच्छा होता है और सस्ता भी है।

[डा. विजय कुमार मलहोत्रा]

पहले ये लोग विदेशों में इलाज कराने जाते थे, बड़े-बड़े नेता भी जाते थे। लेकिन अब यहां एक चौथाई और एक बटा दसवें खर्चे पर ही इलाज हो रहा है, यह भी सरकार की एक उपलब्धि है।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातों का और उल्लेख करना चाहूंगा। इन्होंने रोजगार का जिक्र किया कि देश में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ी है। हिन्दुस्तान में एक लाख 80,000 गांवों में सड़कों का नामोनिशान नहीं था। लेकिन पिछले तीन सालों में 60,000 करोड़ रुपए लगाकर उन सारे गांवों में सड़कें बनाने का काम किया जा रहा है। अभी तक 30,000 गांवों में सड़कें बन गई हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और सारे हिन्दुस्तान को सड़कों से जोड़ने के लिए वित्त मंत्री जी ने एक लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे सारी जगह सड़कें बन रही हैं, जिससे लाखों लोगों को काम मिल रहा है। इस योजना के तहत दो-तीन करोड़ से ऊपर रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। आज से चार-पांच साल पहले देश में किसी ने इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम नहीं सुना था।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कार्य कर रहे एक अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: इनके जमाने में एक साल में 11 किलोमीटर सड़क बनती थी और हमारी सरकार के समय में हर रोज 11 किलोमीटर छः लेन की सड़क बन रही है, जिससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। सारे हिन्दुस्तान में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है।

इन्होंने जिक्र किया कि भारत उदय कहां है। मैं आपके सामने इसके उदाहरण देना चाहूं तो सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो आदमी निराश हो, हताश हो, अवसाद में हो, घबराहट में हो, उसको कोई खुशनुमा एहसास नहीं होता। उसको चांदनी रात भी अंगारे जैसी लगती है। कोई भी अच्छी चीज उसको बुरी लगती है। जब आदमी निराश हो, अवसाद में डूबा हो, उसको फील गुड फैक्टर का एहसास कहां हो सकता है इसलिए उन्होंने कहा कि फील गुड फैक्टर का नामो-निशान नहीं है। वे पूछ रहे हैं कि भारत उदय कहां हो रहा है, भारत उदय हो रहा है, हिन्दुस्तान के करोड़ों लोग कह रहे हैं और सारी दुनिया कह रही है। अभी आपके सामने दो सर्वे आए। एक सर्वे 'आजतक' का आया, उसमें बताया गया कि हमारे गठबंधन को आगामी लोक सभा चुनावों में 340 से 350 सीटें मिलेंगी और दूसरा सर्वे जो आया है, उसमें बताया गया है कि हमारे गठबंधन को 350 सीटें मिलेंगी। उसके बाद भी ये लोग कहें कि फील गुड फैक्टर नहीं है, तो मुझे आश्चर्य होता है।

यहां प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया गया। यह कहा गया कि प्रधानमंत्री जी असली हैं या नकली हैं, कौन हैं, कौन हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमारे जो 25 दल हैं, उनका एक नेता है, अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन विपक्ष बताए कि उसका नेता कौन है। विपक्ष इसकी घोषणा करे कि उसका नेता कौन है। ...*(व्यवधान)* विपक्ष का कोई नेता नहीं है। ...*(व्यवधान)* सोनिया जी खड़ी होकर घोषणा करें। ...*(व्यवधान)*

श्री अवतार सिंह भडाना (मेरठ): 24 दल अकेले सोनिया जी से डरते हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, सोनिया जी ने खुद प्रेस को, पब्लिक को हिन्दुस्तान भर में कहा है कि मैं इसकी नेता नहीं हूं। हम चुनाव के बाद तय करेंगे कि कौन नेता होगा? लेकिन यहां पर चापलूस लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि वे नेता हैं। ...*(व्यवधान)* चुनाव की लड़ाई शुरू हो गयी है और माननीय अटल जी एनडीए के नेता हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम नेता का फैसला लड़ाई के बाद करेंगे, फैसला बाद में करेंगे कि कौन हमारा सेनापति है। अगर सेनापति होगा नहीं तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे। ...*(व्यवधान)* सोनिया जी ने कहा है कि मर्यादा रखनी चाहिए और कुछ आरोप लगाए हैं। हम आरोप लगाना नहीं चाहते हैं। मैं उन सवालों में जाना नहीं चाहता हूं लेकिन विदेशी मूल का मुद्दा हम इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि कोई मामला ही सामने नहीं है। ...*(व्यवधान)* कोई मामला सामने होता तो उठाते। ...*(व्यवधान)* कमांडर-इन-चीफ सामने होता तो उठाते। जिस सेना का कोई सेनापति नहीं होता, वह सेना नष्ट हो जाती है, जिस सेना में अपरिपक्वता हो तो सेना नष्ट हो जाती है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का उल्लेख नहीं करते, उनके बारे में नहीं कहते तो अच्छा होता। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)* बजट में सरकारी कर्मचारियों को रिलीफ दिया, बेरोजगारों को रिलीफ दिया, कमजोर और गरीब लोगों को रिलीफ दिया गया है। जितनी सारी चीजें बजट में हैं उन पर चर्चा होती तो अच्छा होता।

अध्यक्ष जी, सूर्य उदय हो चुका है तो कमल भी खिलेगा। कोई निशाचर उसको रोक नहीं पाएगा। उस सूर्य उदय से कोई अपनी आंखें बंद कर ले और सूर्य की तरफ न देखना चाहे, तो सूर्य का कोई कसूर नहीं है। माननीय जसवंत सिंह जी ने शानदार बजट पेश किया है और देश भर में उसका स्वागत हुआ है लेकिन अपोजीशन उसका स्वागत नहीं करे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रूपचन्द पाल—अनुपस्थित।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, वह थोड़ी देर बाद आएंगे।

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रकाश परांजपे--उपस्थित नहीं।

कुंवर अखिलेश सिंह।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अंतरिम बजट पर बोलने का मौका दिया है। अंतरिम बजट जिस भय के वातावरण में एनडीए की सरकार लाई है उससे प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को जितना धोखा दे सकती थी दे चुकी है। आने वाले दिनों में अब इसको और कोई मौका नहीं मिलेगा। जब 13वीं लोक सभा के चुनाव सम्पन्न हो रहे थे तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी ने देश की जनता से वायदा किया था कि हम प्रतिवर्ष एक करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। लेकिन रोजगार देने की बात तो दूर रही, जनतंत्र के पवित्र मंदिरों का, एक एक करके विनिवेश किया गया और रोजगार के अवसरों को छीनने का काम किया गया है।

आज देश को एक बार फिर भ्रम की स्थिति में ले जाने का काम किया है। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अंतरिम बजट प्रस्तुत किया है। इस अन्तरिम बजट में इन्होंने एक बार फिर देश की जनता को छलने का प्रयास किया है।

आज विकास की बहुत लम्बी-चौड़ी बातें कही जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं, आपकी हुकूमत के चार साल और तीन महीने के कार्यकाल में जितनी डीजल के दामों में वृद्धि हुई है, उतनी वृद्धि किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुई है? देश की आजादी के बाद आप किसी भी सरकार के बारे में बता दीजिए, जिस सरकार के दौर में पेट्रोल की कीमतों में इतनी वृद्धि हुई हो। तेरहवीं लोक सभा के गठन के बाद जिस तरह से मिट्टी के तेल में इस सरकार के कार्यकाल में वृद्धि हुई है, उतनी वृद्धि किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुई है। निश्चित ही तौर पर गरीब की लालटेन को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सरकार कहती है कि हमने देश के गरीबों, देश के किसानों, देश के मजदूरों का भला करने का काम किया है। वास्तविकता यह है... इस सरकार के कार्यकाल में किसान आत्म-हत्यायें करने को मजबूर हैं। पिछले दिनों इसी सदन के अन्दर कई बार ... सवाल पर चर्चा हुई है, लेकिन इस सरकार के ... रेंगी। हम सभी लोग गन्ना उत्पादित क्षेत्रों से चुनकर ... के सवाल पर आपने इसी सदन के अन्दर कई बार ... का काम किया है और हमने बार-बार मांग की है कि गन्ना किसानों को गन्ने का न्यूनतम सांविधिक मूल्य कम से कम 80 रुपए प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। अगर गन्ने का न्यूनतम सांविधिक मूल्य 80 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित नहीं किया, तो पिछले वर्षों में किसानों को जितना गन्ने का मूल्य मिल रहा था, उतना मूल्य भी नहीं मिलेगा। खाद के दाम बढ़ गए हैं। डीजल के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं और मिट्टी के तेल के दाम भी बढ़ गए हैं। ऐसी स्थिति में किसानों की उपज के दाम घट जायें, इस पर सरकार कहती है कि किसान खुशहाल है। इससे ज्यादा बेशर्मी और बेहयायी की स्थिति और क्या होगी। इस बारे में मैं सरकार में बैठे लोगों से जानना चाहता हूं।

महोदय, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान---ये राज्य गन्ना पैदा करने वाले राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना पैदा किया जाता है। गत वर्ष के पूर्व में उत्तर प्रदेश के अन्दर गन्ना किसानों के 95-100 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य मिला था। उस समय शायद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन की सरकार के इशारे पर उत्तर प्रदेश के चीनी मिल-मालिक न्यायालय की शरण में चले गए और न्यायालय ने यह फैसला दे दिया कि राज्य सरकार जो मूल्य निर्धारित करेगी, उस मूल्य की अदायगी चीनी मिल-मालिक नहीं करेंगे, बल्कि केन्द्र जो न्यूनतम सांविधिक मूल्य निर्धारित करेगा, उसकी अदायगी चीनी मिल-मालिक करेंगे। न्यायालय के आदेश पर उत्तर प्रदेश के चीनी मिल-मालिकों ने वहां की सरकार द्वारा समर्थित मूल्य देने से इन्कार कर दिया और किसानों के समक्ष विषम स्थिति पैदा हो गई। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के अन्दर जब किसान अपनी उचित मांगों को लेकर सामने आए, तो उत्तर प्रदेश के अन्दर तीन किसानों को उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार द्वारा गोली से मार दिया गया। इस विषय पर सदन में अन्दर हंगामा हुआ, तो प्रधानमंत्री जी ने पूरी बहस के बाद आश्वासन दिया कि हम गन्ने का मूल्य अधिक देंगे और किसानों को संरक्षण प्रदान करने का कार्य करेंगे। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले साल गन्ने का न्यूनतम सांविधिक मूल्य 69.50 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया था और इस साल जब सदन ...

[कुंवर अखिलेश सिंह]

महोदय, सरकार द्वारा विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने की बात कही गई है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी 1998 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका को देखने के लिए गए थे। इस दौरे के दौरान वे गोरखपुर भी आए थे। उन्होंने वहां जनता से कहा था कि नेपाल से प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण जन-धन की क्षति हो रही है, हम जब सरकार में दोबारा आयेंगे, तो इसका निराकरण करेंगे और उत्तर प्रदेश व बिहार को इस समस्या से निजात दिलाने का काम करेंगे। अब इस सरकार की विदाई होने जा रही है, लेकिन अभी तक उस वायदे का अता-पता नहीं है। भारत और नेपाल की सरकार के बीच में कोई कार्यदल गठित नहीं हुआ है। नेपाल से प्रतिवर्ष होने वाली इस बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए इस सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है।

प्रति वर्ष बिहार और उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों के जन-धन की क्षति होती है लेकिन उस बाढ़ की रोकथाम का इन्होंने इंतजाम नहीं किया। तमाम योजनाओं पर धन खर्च करने के लिए इनके पास धन है लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। इसके बाद यह कहते हैं कि हम क्षेत्रीय विषमता को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसे कैसे दूर करेंगे? वह इलाका जिसने आजादी की लड़ाई में बढ़-चढ़ कर हिस्सेदारी निभाने का काम किया हो, जिस धरती ने बड़े-बड़े महापुरुषों को पैदा करने का काम किया हो, जो राम की धरती रही हो, जो महावीर और बुद्ध की धरती रही हो, उस धरती पर रहने वाले लोगों की आपने लगातार उपेक्षा की। आज आप कहते हैं कि हम क्षेत्रीय विषमता को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। राम के नाम पर इन्होंने तीन-तीन बार येन केन प्रकारेण देश के अन्दर गद्दी को प्राप्त करने का काम किया। इन्होंने कहा था कि अगर हमारी हुकूमत बनेगी तो हम राम मंदिर वहीं बनाएंगे। इन्होंने लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह सरकार बनने के बाद राम को किनारे रखने का काम किया। मैं मानता हूं कि हम सूर्यवंश में पैदा हुए हैं। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि राम का अपमान जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, उतना किसी ने भी नहीं किया है। यह राम के व्यापारी रहे हैं। इन्होंने राम के नाम पर देश के लोगों की भावनाओं को लूटने और ठगने का काम किया।

गोरखपुर का खाद कारखाना वर्षों से बंद पड़ा है। इन्होंने कहा था कि गोरखपुर के खाद कारखाने को खोलने का काम करेंगे। इन्होंने इस काम के लिए सात मंत्रियों का एक समूह भी गठित कर दिया था। अध्यक्ष जी, जब आप इसके पहले मंत्री के पद पर सुशोभित थे तो उसमें आप भी एक सदस्य थे उस मंत्री समूह की आज तक बैठक नहीं हुई। गोरखपुर खाद कारखाना चल सकता है या नहीं चल सकता है, इसका पता नहीं लगाया गया। आदरणीय चन्द्रशेखर जी ने इसी सदन में एक बार नहीं कई-कई बार गोरखपुर के बंद पड़े खाद कारखाने को चलाने की बात कही लेकिन उसे चलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।

मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज में भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत एक शूगर फैक्ट्री है जो 1994 से बंद पड़ी है। मैंने उसे चलाने के लिए एक बार नहीं, चार बार इस सदन में आवाज उठायी लेकिन मेरी बात को अनसुना कर दिया। अभी पिछले दिनों वर्तमान कपड़ा मंत्री शाहनवाज हुसैन गोरखपुर गए थे लेकिन उन्होंने वहां राजनीति करने का काम किया और कहा कि मुझे पता ही नहीं है कि हमारे मंत्रालय के अन्दर आनन्द नगर में शूगर फैक्ट्री है जबकि मैं उनसे इस बारे में व्यक्तिगत तौर पर मिल चुका था। मैंने मिल कर कहा था कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है उसे दूर करने का काम हो। जिस तरह आपने कानपुर की एनटीसी मिलों के साथ व्यवहार किया, उसी तरह का व्यवहार फरेन्दा के चीनी मजदूरों के साथ होना चाहिए। आज तक उन मजदूरों के साथ न्याय नहीं हुआ। इन्होंने वहां जाकर राजनीति करने का जरूर काम किया है। इन्होंने भाई को भाई से लड़ाने का काम किया। यह कहते हैं कि दुनिया के अन्दर देश का सम्मान बढ़ा है। जैसे ही आपकी हुकूमत आई, दुनिया के एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल की राजधानी काठमांडू से भारतीय विमान का अपहरण होता है। अपहरणकर्त्ता विमान को कंधार ले जाने का काम करते हैं। अपहरणकर्त्ताओं के दबाव में आप खूंखार अपराधियों को छोड़ने का काम करते हैं। उन्हें दामाद की तरह कंधार पहुंचाने का काम करते हैं। क्या यह सच नही हैं कि आपकी हुकूमत में लोकतंत्र की आत्मा संसद पर आक्रमण होता है और प्रधान मंत्री मूक दर्शक बन कर बैठे रहते हैं। आपकी हुकूमत में देश का मुकुट जम्मू-कश्मीर की विधान सभा पर आक्रमण होता है लेकिन यह सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। क्या यह सच नहीं है कि आपके कार्यकाल में अक्षरधाम के मंदिर पर आक्रमण होता है? दुश्मन जब चाहता है तब सीमा पार से आतंकवादियों की फौज भेज कर गाजर-मूली की तरह से नरसंहार करके अपने आतंकवादियों को वापस अपनी सीमा में बुलाने का काम करता है। परमाणु बम बनाने के बाद भी आपकी वह परमाणु ताकत कहां चली गई। जिस देश की बहादुर सेना ने 1971 में दुश्मन देश के दो टुकड़े करने का काम किया था, आज वह बंटा हुआ मुल्क जब चाहता है तब देश को रौंदने का काम करता है। हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि विदेश नीति बड़ी सफल रही है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि अमेरिका की कठपुतली बन कर आपने देश के मान-सम्मान को दुनिया में जिस तरह झुकाने का काम किया, देश की आजादी के बाद आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। गुट निरपेक्ष आन्दोलन के दौर के नेता नेहरू, कर्मठना सिर और टीटो होते थे लेकिन आज गुट निरपेक्ष के दौर का भारत दुनिया में अलग-थलग पड़ गया है।

आज भारत अलग-अलग दिखायी दे रहा है और यह कहते हैं कि हमारी विदेश नीति सफल रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विप्रता से कहना चाहता हूं कि सरकार ने जनता को जो सब्ज-बाग दिखाये हैं, असत्य आधार पर साम्राज्य स्थापित करके येन-केन-प्रकारेण जिस तरह से सत्ता हासिल की है, जैसे-जैसे सत्ता के पराभव का दिन आने लगा, सरकार ने अपने आजमाये हुए मित्रों को ठुकराने का काम किया है, उसका कुफल आने वाले दिनों में इन्हें भुगतना पड़ेगा। डी.एम.के. के साथियों के साथ जो कुछ हुआ, वह इस बात का गवाह है कि इस सदन में पोटा पर जब बहस हो रही थी, उस समय श्री वाइको ने कहा था कि पोटा का विरोध करने वाले देशद्रोही हैं। जब श्री वाइको की गिरफ्तारी पोटा के अंतर्गत की गई तो उस समय हम लोगों ने कहा था कि यह गलत हुआ है। हमने यह आशंका व्यक्त की थी कि पोटा का राजनैतिक दुरुपयोग होगा, राज्य सरकारों में बैठे हुए लोगों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जायेगा। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में पोटा का दुरुपयोग किया गया। भाजपा के सहयोगी रहे श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। जब उन्होंने सरकार को समर्थन नहीं दिया तो उन्हें पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। तब भी हमने कहा था कि इस काले कानून पर प्रतिबंध लगना चाहिए, इस पर अंकुश लगना चाहिए क्योंकि यह काला कानून सबको अपनी आगोश में जकड़ने का काम करेगा। लेकिन उस समय सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार ने अपने बहुमत के बल पर इस काले कानून को संयुक्त सत्र में पारित कराया और संसदीय परम्पराओं को तोड़कर इसे पारित कराने का काम किया। इस काले कानून की छाया से त्राहि-त्राहि कर रहे इनके सहयोगियों ने अंत में विवश होकर जब सरकार की सचचाई सामने आ गई, तो चाहे श्री वाइको रहे हों या श्री करुणानिधि रहे हों, उन्होंने इस सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का काम किया। एन.डी.ए. सरकार में सहयोगी रहे बाकी साथियों से मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार होगा, जैसा डी.एम.के. और श्री वाइको के साथ हुआ है। इसलिए अब भी वक्त है और कल का दिन बाकी है, आप लोग इस पर विचार करने का काम करो और अंत में इनको सबक सिखाने का काम करो।

अध्यक्ष महोदय, विकास के नाम पर सरकार ने जिन योजनाओं को लागू किया है, उनका कार्यान्वयन स्थानीय स्तर पर होता है या नहीं, इसे देखने की कभी कोशिश नहीं की गई। जहां तक शेयर बाजार घोटाले का संबंध है, वह इस सरकार के कार्यकाल में हुआ। इसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई और जब उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई तो उस पर विपरीत रूप से सरकार ने काम किया। पिछले सत्र में जब आपने संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर जो की गई कार्यवाही रिपोर्ट थी, उस पर आपने चर्चा कराई जिसमें हम लोगों ने भाग लिया। हमने देखा कि वित्त मंत्री जी ने अपनी अनुशंसाओं में, जो संसदीय समिति की सिफारिशें थीं, उन्हें तोड़-मरोड़कर सदन के पटल पर प्रस्तुत करने का काम किया। अभी शेयर बाजार में जो उछाल आया है या जो घटोतरी हुई है, वह इस बात का परिणाम है कि शेयर बाजार में कृत्रिम रूप से बाजार प्रदर्शित किया गया है। जैसे ही लोक सभा चुनाव खत्म होंगे, भारतीय शेयर बाजार की वास्तविक स्थिति फिर सामने आयेगी। मैं इस सदन में कहना चाहूंगा कि जब नई लोक सभा का गठन होगा, शेयर बाजार घोटाले पर फिर से आपको एक संयुक्त संसदीय समिति बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सरकार द्वारा 'फील गुड फैक्टर' का ढिंढोरा पीटा जा रहा है लेकिन आप गांवों में जाकर देखिए और संसदीय दल भेजकर मालूम कीजिए कि वहां किसान की हालत क्या है, आम आदमी की क्या हालत है। आम आदी महंगाई की मार से त्राहि-त्राहि कर रहा है। देश की आजादी के 56 साल बाद भी उसे बुनियादी सुविधायें प्राप्त नहीं हुई हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी कथनी और करनी के अंतर को मिटाने का काम करे। सरकार आज असत्य बोलकर देश की जनता को गुमराह कर रही है, कृपया इससे बचने का काम करें। देश की आजादी के बाद सब से बड़ा संकट देश के सामने नेताओं की कथनी और करनी का आया। जिसने जनता और नेताओं के बीच एक प्रकार के अविश्वास को पैदा किया। इसी अविश्वास को मिटाकर हम लोकतंत्र को सही रास्ते पर ले जा सकते थे। इसलिए मैं सरकार चलाने वालों से विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि आप इतना असत्य मत बोलो कि जनता के बीच में अविश्वास एक पर्याय बन जाये। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार जो बजट लेकर आई है, उसकी वास्तविक तस्वीर को प्रस्तुत करने का प्रयास करें, क्योंकि यह बजट किसान विरोधी, गरीब विरोधी है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब श्री प्रकाश परांजपे बोलेंगे।

...(व्यवधान)

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): महोदय, सभा में कोई वरिष्ठ मंत्री उपस्थित नहीं है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह वहां है। एक मंत्री सभा में उपस्थित हैं।

...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया: महोदय, सभा में कोई कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आप सभा के अध्यक्ष हैं। कल समाप्त होने वाला यह सत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण सत्र है। हम यहां बजट पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने बाहर बहुत सारी बातों की घोषणा की है। आप कृपया सत्तापक्ष की गंभीरता पर नजर रखिए। सत्तापक्ष संसदीय क्रियाकलापों में नहीं बल्कि सभी अन्य क्रियाकलापों में व्यस्त हैं इसीलिए, मैं इसके बारे में महसूस करता हूं ...*(व्यवधान)* देश उन्हें टेलीविजन पर देख रहा है कि सत्तापक्ष चर्चा का उत्तर देने के लिए सत्तापक्ष कितना गंभीर है ...*(व्यवधान)* निसंदेह, वे अपने टेलीविजन में यह दिखा रहे हैं कि भारत उदय हो रहा है। लेकिन यहां सत्तापक्ष के सभी सदस्य सो रहे हैं और बाहर मुस्कुरा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: उद्योगपतियों को बुलाकर सारे सरकार वाले उनसे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। बड़े-बड़े उद्योगपति इनके पास बैठे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री परांजपे, कृपया अपना भाषण जारी रखिए।

...*(व्यवधान)*

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा में एक मंत्री उपस्थित हैं। परम्परा के मुताबिक एक मंत्री उपस्थित होना आवश्यक है। यहां कैबिनेट मंत्री उपस्थित हैं। वित्त राज्य मंत्री भी यहां उपस्थित हैं।

...*(व्यवधान)*

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: महोदय, सभा की शालीनता के नाते यह आवश्यक है कि जब विपक्ष का नेता बोल रहा हो तो सभा के नेता को उपस्थित होना चाहिए ...*(व्यवधान)* क्या यह फील गुड फैक्टर है कि स्वयं वे सभी सभा से अनुपस्थित हैं? अत:, जब तक विपक्ष के नेता और माननीय वित्त मंत्री आकर वाद-विवाद को नहीं सुनते तब तक कृपया सभा की कार्रवाई को स्थगित कर दीजिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, यह मुद्दा नहीं है। कृपया बैठ जाइए। अब श्री परांजपे बोलेंगे।

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): महोदय, यहां मैं शिव सेना की ओर से अंतरिम बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, फाइनैन्स मिनिस्टर को यहां रहना चाहिए। सरकार को सदन की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। फील गुड फैक्टर कहां फील गुड करने के लिए गये हैं।

अध्यक्ष महोदय: पांच दस मिनट के लिए कहीं गये होंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश परांजपे: मैं अंतरिम बजट का समर्थन कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बताता हूं।

[हिन्दी]

आप भी जानते हैं कि दूसरे कैबिनेट मंत्री जी यहां उपस्थित हैं।

[अनुवाद]

वित्त राज्य मंत्री भी उपस्थित हैं। यह अनेकों बार हो चुका है।

[हिन्दी]

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। सदन में मंत्री जी नहीं हैं। उन्हें सदन में होना चाहिए। अगर आर्थिक मुद्दे पर गंभीरता नहीं होगी तो देश विकास के पथ पर कभी आगे नहीं चल सकेगा। यह कोई मामूली चर्चा नहीं है। यहां केवल दो मंत्री बैठे हुए हैं।

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: महोदय, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। श्री परांजपे, कृपया आगे बोलिए।

श्री प्रकाश परांजपे: महोदय, मैं इस बजट का समर्थन कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: जब सहयोगी दल बोलने लग जाते हैं तो मंत्री जी आ जाते हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रकाश परांजपे: माननीय वित्त मंत्री द्वारा पहले ही अनेक चीजें दी गई हैं। एक बात जिसकी मैं बुनियादी रूप से सराहना करूंगा वह यह है कि भूमि अर्जन के मामले में, धन प्राप्त करने वाले पर आज से कर नहीं लगेगा।

महोदय, मैं बजट के बजटीय पक्ष पर अधिक नहीं बोलूंगा लेकिन यदि हमारे माननीय वित्त मंत्री हमारी समस्याओं को सुन सकें जो विभाग द्वारा नहीं नौकरशाहों द्वारा उत्पन्न की जा रही है। उन्हें सुन सकें तो मुझे प्रसन्नता होगी। यहां मैं केवल दो उदाहरण देना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* महोदय, आप माननीय मंत्री से अन्य सदस्यों से बात करने की बजाय मेरी बात सुनने का अनुरोध कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

महोदय, हमें राष्ट्र की चिंता है, हमें आम आदमी की चिंता है, हमें पैसे की बचत की चिंता है। अर्थशास्त्र में कहा जाता है कि जो भी बचत करते हैं वह आपका लाभ होता है। पहले मैंने नियमित बजट पर चर्चा के दौरान एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि कुछ प्रौद्योगिकीविद हमारे खाद्यान्नों का परिरक्षण करना चाहते हैं। खाद्यान्नों को कीटाणुरहित करने की वर्तमान प्रथा पर आप करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। इस योजना से न केवल कीटों का नाश होगा बल्कि इससे कीटों के अंडे भी समाप्त होंगे और खाद्यान्नों का धूम्रीकरण के बिना कम से कम दस वर्षों तक परिरक्षण किया जा सकेगा।

दुर्भाग्यवश, 18 महीनों तक नौकरशाहों के साथ घूमने के बाद तकनीशियनों ने पहले ही यह सलाह दी है कि—हां, इस प्रकार की प्रणाली आदर्श प्रणाली है और हम इस योजना की कम से कम पांच प्रायोगिक परियोजनाएं चाहते हैं। नियमित बजट के दौरान जब मैं इस मुद्दे पर बोला तो मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि जब मैंने माननीय वित्त मंत्री ने विशेष रूप से भारतीय खाद्य निगम को हस्तांतरित किये जाने वाले 5,000 करोड़ रुपये की, विशेष रूप से इसे अपनाने की मांग की तो उन्होंने तत्काल इस पर ध्यान दिया। आखिरकार, सभी प्रौद्योगिकीविदों के साथ चर्चा के बाद 110 करोड़ रु. की लागत वाली केवल पांच प्रायोगिक परियोजनाओं का निर्णय किया गया। मैंने माननीय वित्त मंत्री को और माननीय प्रधानमंत्री को भी लिखित पत्र दिया है।

खाद्यान्नों से संबंधित मामले देखने वाले सचिव का कहना है कि 'मिथाइल ब्रोमाइड का उत्पादन मेरा काम नहीं है; इसलिए, मैं वित्त विभाग से धन नहीं मांगूंगा।

अपराह्न 1.00 बजे

वित्त मंत्रालय के सचिव (व्यय) का कहना है कि यह तब तक पैसा नहीं देंगे जब तक कि वे इसकी मांग नहीं करेंगे। मुझे वास्तव में आश्चर्य होता है कि जब हम उस खाद्यान्न को संरक्षित करना चाहते हैं जो कि देश की सम्पत्ति है तो नौकरशाह मुझे दर-दर की ठोकरें खिला रहे हैं ...*(व्यवधान)* मुझे यह बात कहने दीजिए। मैं आहत भावनाओं की बात कर रहा हूं। आखिरकार हम आम आदमी के लिए काम करते हैं। हम आम आदमी को अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन देना चाहते हैं और हम यह चाहते हैं कि हमारी निर्यात सामग्री को गुणवत्ता के आधार पर अस्वीकार न किया जाए। आज अंतिम दिन है और मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री जो उत्तर नहीं देते हैं, इसका यह कहते हुए उत्तर देंगे कि 110 करोड़ रुपये की धनराशि को भारतीय खाद्य निगम को इस नीति को अपनाने के लिए हस्तांतरित किया गया है। मैंने वित्त मंत्री को पत्र दिया है जिसें यह उल्लेख है कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो मैं प्रधान मंत्री के कार्यालय के आगे भूख हड़ताल पर बैठूंगा।

दूसरा यह कि इसमें एक विसंगति है जिससे कि सड़क मार्ग के ट्रांससपोर्टरों के साथ भारी अन्याय हो रहा है। इस पत्र को पहले ही हमारे माननीय मंत्रीजी को भेज दिया गया है। महोदय, कमीशन पर सेवा कर तब प्रभारित किया जाता है जब एजेन्ट विमान कंपनी के लिए कार्य करता है। यह दर 8 प्रतिशत है और इसे उस कमीशन पर प्रभारित किया जा रहा है जिसे एजेन्ट लेता है। रेल में भी कमीशन जिसे एजेन्ट लेता है पर आठ प्रतिशत सेवा कर लगाया जाता है लेकिन सड़क यातायात के संबंध में टिकट के पूरे मूल्य पर आठ प्रतिशत सेवा कर लगाया जाता है जो कि 4000 रुपये होता है। वास्तव में इसे 320 रुपये के बजाय 32 रुपये होना चाहिए। मंत्री जी को विश्वास दिलाया गया है। पत्र दिया गया है। मैं उनका भी बहुत आभारी रहूंगा यदि वे सड़क परिवहन एजेन्टों से सेवा कर को उन्हें मिलने वाले कमीशन के आधार पर लेने हेतु तत्काल निदेश जारी करें न कि टिकिट के मूल्य के आधार पर।

दूसरी आश्चर्यजनक बात इसी व्यवसाय की है। माना एक बस मुम्बई से दिल्ली जाती है और यह चार राज्यों से होकर गुजरती है तो उस पर सभी राज्य यात्री कर लगा रहे हैं; सभी राज्य पथकर लगा रहे हैं और उन्हें हर जगह चुंगी भी देनी पड़ती है। वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस यात्री कर और पथ कर को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए और केवल इसके स्थान पर चुंगी ही होनी चाहिए।

दुर्भाग्यवश, यह हो रहा है कि जब मार्च आता है तो सभी संबंधित राजस्व के लोग कहते हैं कि उन्हें लक्ष्य दिए गए हैं और लक्ष्य के अनुसार उन्हें धन संग्रहित करना पड़ता है। इन ट्रांसपोर्टरों से अधिकारी गत तीन वर्षों के भूतलक्षी प्रभाव से धन संग्रहित कर रहे हैं। इसलिए यह उनके प्रति घोर अन्याय है। इसलिए, माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि सेवा कर को उन्हें मिलने वाले

[श्री प्रकाश परांजपे]

कमीशन के आधार पर लिया जाए और पथकर को समाप्त कर दिया जाए क्योंकि जब विमान सभी राज्यों से गुजरता है तो इस पर कर नहीं लगता, जब रेलगाड़ी चार राज्यों से गुजरती है तो इस पर कर नहीं लगाया जाता है तो इस तरह बसों पर ही कर क्यों लगाया जाना चाहिए? इसलिए यात्री कर और पथकर को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। वे चुंगी देने के लिए तैयार हैं। जब आप चुंगी लगा रहे हैं तो आप फिर से पथकर कैसे लगा सकते हैं? इस विसंगति को यथाशीघ्र दूर किया जाना चाहिए।

कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन चूंकि हमें इस बजट का समर्थन करना है और चुनाव आ रहे हैं तो वित्त मंत्री से मेरा एकमात्र अनुरोध है कि यद्यपि उन्होंने वेतनभोगियों को नियमित बजट में कुछ रियायत दिए जाने का आश्वासन दिया है, मुझे और खुशी होती यदि वह वेतनभोगियों को कम से कम कुछ रियायतें देने की घोषणा कर देते तो चुनाव जीतने का प्रश्न कठिन नहीं होता। हर कोई जानता है कि यह बजट सबको लुभाने वाला बजट है। वे भी ऐसा ही कहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि यह आन्तरिम बजट सर्वोत्तम बजट है जो कि आम आदमी से लेकर उद्योगपति तब सबके साथ न्याय कर रहा है। जब हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी नेता हों तो इसी प्रकार के बजट की आशा की जाती है। मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री जी आम आदमी की समस्याओं को समझते हैं। यही कारण है कि मुझे खुशी है कि आम आदमी के साथ सरकारी कर्मचारियों के साथ न्याय किया गया है। इसमें सभी पहलुओं को छुआ गया है। इसलिए कि यह अन्तरिम बजट है हर कोई सन्तुष्ट नहीं हो सकता है लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व के तहत देश के सभी क्षेत्रों को न्याय दिलाने की अपने स्तर पर भरपूर कोशिश की है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने जो कुछ पेश किया उसे अन्तरिम बजट कहा जा रहा है। यह एक में तीन का बजट है। एक यह राजग का घोषणा पत्र का हिस्सा है।

पृष्ठ 9 में कई चीजें बताई गई हैं कि अप्रत्यक्ष करों के संबंध में वर्तमान छूट सीमा पर वे पुन: विचार करेंगे, वे इसे और अन्य चीजों को करेंगे। ऐसी चीजें इससे पहले कभी नहीं की गई। लेकिन चूंकि यह चुनाव वर्ष है इसलिए वे वायदे कर रहे हैं-जैसाकि वे अपने चुनाव घोषणापत्र में करते हैं-उन्हें इन वायदों को पूरा करने की परवाह नहीं है। उन्होंने ऐसा पहले भी किया है क्योंकि वे जानते हैं कि इन्हें पूरा करने के लिए वे पुन: वापस नहीं आ रहे हैं। उनके पास वापस आने का कोई अवसर नहीं है।

दूसरा यह कि उन्होंने पूरे वर्ष के लिए बजट पेश किया है। पूरे वित्तीय वर्ष के लिए अनुदान मांगें और वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं। यद्यपि इन्हें नियमित बजट के प्रस्तुतीकरण के समय संशोधित किया जा सकता है जो कि एक सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन वे जानते हैं कि नियमित बजट प्रस्तुत करने का उन्हें अवसर नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी वे नियमित बजट की तैयारी कर रहे हैं।

तीसरा यह कि, मैं अब लेखानुदान को लेता हूं। इसे भी दो भागों में बांटा जा सकता है और सबसे अनैतिक भाग रियायतों का है जिसे घोषित किया गया है। वे 97 प्रतिशत भारतीय लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं और मात्र 3 प्रतिशत लोगों के हितों का ध्यान रख रहे हैं और इसमें 12000 करोड़ रुपये लिप्त हैं। विदेश यात्रा सस्ती है, विदेशी शराब सस्ती है, लेकिन आज घोषित किया गया है कि मिट्टी का तेल महंगा किया जा रहा है। इसके अलावा रसोई गैस महंगी की जा रही है।

महोदय, भारतीय लोगों के लिए कम रोजगार के अवसर, भारतीय लोगों द्वारा खाद्यान्न का कम उपभोग कम क्रय शक्ति के होते हुए भी जैसा कि विभिन्न सरकारी रिपोर्टों से पता चलता है-वे देश के लोगों से कहते हैं कि आप सुखद अहसास महसूस करें, अब तो इसके बजाय वे कहते हैं कि आपको सुखद अहसास होना ही चाहिए। हजारों करोड़ रुपये इस भ्रांति को फैलाने की धोखाधड़ी पर बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन लोग इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं।

पृष्ठ 2 पर सबसे बड़ा मजाक और क्रूर मजाक किया गया है जिसमें यात्री कहते हैं कि रोजगार बढ़ रहा है। इस सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि संगठित क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में रोजगार की स्थिति और नौकरियों में 1.5 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है। आर्थिक सर्वेक्षण में यह बताया गया था और कुछ महीनों बाद ही अल्लादीन के चिराग से रोजगार क्षेत्र में बढ़ोत्तरी होने लगी।

अत्यधिक विश्वसनीय विश्लेषण द्वारा नौकरियों के समाप्त होने के बारे में क्या तस्वीर पेश की गई है? संगठित क्षेत्र में आठ लाख नौकरियों से अधिक नौकरियों को जानबूझकर समाप्त कर दिया गया है। यह कम से और कम होते हुए रोजगार के अवसर की तस्वीर है। अधिक से अधिक लोगों की छंटनी की जा रही है या उन्हें निकाला जा रहा है, जिसे वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना और स्वैच्छिक अलगाव योजना आदि के रूप में वर्णित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन पुरुष कृषि श्रमिक को रोजगार के 100 दिन मिलते हैं। गत 50 वर्षों में यह ग्रामीण रोजगार की बदतरीन स्थिति है।

खाद्यान्नों की उपलब्धता के संबंध में क्या स्थिति है? जहां तक खाद्यान्नों का संबंध है हम देखते हैं कि गत कई दशकों की तुलना में लोग कम खपत कर रहे हैं। यह इस समय सबसे कम है लेकिन वे अचानक दावा करने लगे हैं कि भारत का उदय हो रहा है।

वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और असंगठित क्षेत्र के बारे में उन्होंने काफी वायदे किए हैं, लेकिन उन्होंने इनमें से किसी एक को भी पूरा नहीं किया है।

मैं पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में बात करूंगा तब अन्य बातों पर आऊंगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली भयावह स्थिति में है। इस सरकार द्वारा इसे जानबूझ कर समाप्त किया गया है। चावल और गेहूं जैसे खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त किया जा रहा है। यदि आप अन्त्योदय योजना की हालत देखेंगे तो पाएंगे कि इस सरकार द्वारा वायदे करने के बावजूद, कम ही ग्रामीण गरीबों को न्यूनतम कैलोरी या न्यूनतम पोषाहार संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। इस सरकार की रिपोर्ट सहित कई रिपोर्टों में यही स्थिति दर्शायी गयी है।

यदि ग्रामीण भारत की यह स्थिति है तो शहरी क्षेत्र में क्या स्थिति होगी? शहरी क्षेत्र में लोगों तक सार्वजनिक उपयोग की वस्तुएं कम पहुंच पा रही हैं। गलत नीतियों के कारण वे लोगों से बिजली हेतु अधिक पैदा देने के लिए कह रहे हैं अन्यथा राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से आवश्यक सहायता नहीं मिलेगी। हां, इसके कुछ अपवाद हैं, जहां सरकारें जैसे पश्चिम बंगाल सरकार ऐसे दबाव के बावजूद लोगों का हमेशा ध्यान रख रही है ताकि उन पर प्रभाव न पड़े; गरीब वर्ण पर प्रभाव न पड़े। तथापि, अन्य राज्यों में, हम पाते हैं कि लोगों के पास सार्वजनिक उपयोग की सुविधाएं या तो नहीं हैं या कम हैं।

मंत्री महोदय कहते हैं कि वह नौ प्रतिशत ब्याज पर किसानों के लिए बेहतर ऋण की व्यवस्था करेंगे। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तौर पर कृषि के लिए निर्धारित 18 प्रतिशत ऋण उपलब्ध क्यों नहीं कराया? उन्होंने क्या किया है? इस मसले को बार-बार उठाया गया था। जबकि जमाराशियों पर ब्याज दर घटाया जा रहा है, गत 18 महीनों में ही, यह तीन प्रतिशत कम हो गया था। क्या छोटे ऋणकर्त्ताओं को लाभ मिल रहा है? क्या ग्रामीण शिल्पकारों को लाभ मिल रहा है? इसका जवाब 'ना' है क्योंकि केवल कार्पोरेट क्षेत्र, बड़े ऋणकर्त्ता जो धोखाधड़ी में लगे रहते हैं, जो एनपीए और ऋण पुनर्संरचना प्रणाली के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें ऐसे ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है जो प्राथमिक ऋण दर से भी कम है। यह एक धोखाधड़ी हो रही है।

मैं उल्लेख करूंगा कि सांख्यिकी आयोग रिपोर्ट में, डा. रंगराजन ने कहा था कि हमारे देश में मुद्रास्फीति का अंकन बिल्कुल गलत रहा है। डब्ल्यूपीआई में, सेवा क्षेत्र को गिना नहीं जा रहा है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 50 प्रतिशत है। जब चिकित्सा सेवाओं, शिक्षा, यातायात और अन्य सब चीजों की लागत बढ़ रही है तब वे इन्हें डब्ल्यूपीआई से बाहर रख रहे हैं। इस प्रकार, एक कम मुद्रास्फीति दर को ध्यान में रखते हुए वे बयाज दर की गणना कर रहे हैं और लोगों को ठग रहे हैं। यह दूसरी धोखाधड़ी है।

वास्तविक जमाकर्त्ता से पैसा लेकर कार्पोरेट क्षेत्र को दिया जा रहा है। सरकार 100 बिलियन डालर से अधिक विदेशी मुद्रा की शेखी बघार रही है। क्या यह अच्छी बात है?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): क्योंकि अन्य लोग यहां निवेश कर रहे हैं, हम अधिक भुगतान कर रहे हैं।

श्री रूपचंद पाल: कुछ अर्थशास्त्री हैं जो सरकार के इस कथन पर बार-बार सवाल उठा रहे हैं कि यह स्वस्थ विशेषता नहीं है कि सरकार इसे खपाने में असमर्थ है हम अपने छोटे जमाकर्त्ताओं की कीमत पर अमरीका तथा अन्य देशों को सस्ते ऋण दे रहे हैं। हम अपनी बचत का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हमारी राष्ट्रीय बचत की मात्रा कम हो रही है। हम केवल घरेलू बचत पर निर्भर हैं। लोग अब भी अपना पैसा बैंकों में जमा करा रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा नहीं है। लोग ब्याज दर में की जा रही कटौतियों के बावजूद बैंकों में छोटी निवेश योजनाओं में अपना पैसा लगा रहे हैं क्योंकि इससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलती है।

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): फॉरेन मनी किसका है। यह भी बताइए?

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कुछ दिन पहले चेतावनी दी थी कि इस विसंगति को ठीक किया जाना चाहिए। आप छोटे जमाकर्त्ताओं से पैसा लूटकर अन्तर्राष्ट्रीय रूप से अमरीकी हितों को पूरा करने वाले कार्पोरेट क्षेत्र की जेब में भर रहे हैं। क्या भारत उदय हो रहा है?

श्री सोमनाथ चटर्जी: हिन्दुस्तान अपनी मौत के फरमान पर दस्तखत कर रहा है।

श्री रूपचंद पाल: आपका ग्रामीण अवसंरचना में बढ़ रहा निवेश कहां है? आप 60,000 करोड़ रु., 50,000 करोड़ रु. इत्यादि का वादा करते रहे हैं। यह पैसा कहां से आएगा? क्या आपने इस के लिए कोई प्रयास किया है? ...*(व्यवधान)* आपने गत वर्ष कई चीजों का वायदा किया था किन्तु उनमें से कोई भी पूरा नहीं किया। सरकार धोखाधड़ी के कार्य में लिप्त हो रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: कोयला मंत्री ने 10,000 करोड़ की लागत की परियोजनाएं घोषित की हैं किन्तु आपके बजट में कोई पैसा नहीं था।

श्री रूपचंद पाल: फील गुड फैक्टर कहां है?

श्री तरित बरण तोपदार: जब रोम जल रहा है, नीरो गाना गा रहा है। यह उनका फील गुड फैक्टर है।

श्री रूपचंद पाल: आपने सूखे वाले वर्ष के निम्न आधार से भरपूर फसल की बात की। वर्षा के देवता ने देश का साथ दिया है। अच्छे मानसून के कारण, आप कहते हैं कि एक सुखद एहसास (फील गुड फैक्टर) है। किन्तु यदि आप गत कई दशकों से कृषि उत्पादन को देखें तो क्या परिदृश्य है? निवेश घट रहा है। आप औद्योगिक उत्पादन की मंदी अवधि से, निम्न आधार से गणना कर रहे हैं। यदि आप इन आंकड़ों की तुलना 1995-96, 1996-97 या 1987 के आकड़ों से करें तो बात स्पष्ट हो जाएगी। हम कांग्रेस सरकार की आलोचना करते रहे हैं क्योंकि उन्होंने कई क्षेत्रों में अपने वायदों को पूरा नहीं किया है। लेकिन यदि आप इस सरकार के कार्यकरण के आधार पर तुलना करें तो आप महसूस करेंगे कि आपका कार्यनिष्पादन खाद्य उपलब्धता, खाद्य उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, निवेश और सब चीजों के संबंध में बदतर रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: रेल दुर्घटनाओं के मामले में थी।

श्री रूपचंद पाल: महोदय, ऐसी स्थिति में, यह सरकार सात प्रतिशत के अभूतपूर्व वृद्धि दर का दावा कर रही है मानो आंकड़े इनके गुलाम हैं, मानो उन्हें बुला सकते हैं और उनका मनचाहा इस्तेमाल कर सकते हैं। औसत 5.5 प्रतिशत है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: तोड़-मरोड़ कर पेश किए गए आंकड़े।

श्री रूपचंद पाल: यह वास्तव में एक संगीन मजाक है। हम विश्वास नहीं कर सकते कि सत्ता पक्ष में बैठे लोग, जो जिम्मेदार होने का दावा करते हैं, वे ऐसे घोर झूठ में लिप्त हो सकते हैं।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदय, क्या आपने श्री रूपचंद पाल को अपने मामले में वकीलों की मदद लेने की अनुमति दी है?

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा क्यों सोचते हैं?

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, अनेक लोग उनकी मदद कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: इसमें गलत क्या है?

श्री रूपचंद पाल: रोजगार के अवसर घट रहे हैं। खाद्यान्नों की उपलब्धता कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति कैलोरी खपत कम है।

निवेश कम हो रहा है। इस वर्ष सार्वजनिक ग्रामीण विकास व्यय जीडीपी का छह प्रतिशत है जो सातवीं योजना में इस मद में किए गए व्यय की तुलना में आधे से कम है। सातवीं योजना में सार्वजनिक ग्रामीण विकास व्यय जीडीपी का 14.5 प्रतिशत था। और अब यह जीडीपी का मात्र छह प्रतिशत है। ऐसी स्थिति में हम क्या पाते हैं?

यह सरकार पूंजी बाजार के बारे में बात कर रही है। क्या हमने जेपीसी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी है? क्या हमने विनियामक, सेबी द्वारा की गयी टिप्पणियों को नहीं पढ़ा है? चेतावनी जारी की गयी है कि बुलबुला फटेगा, और माननीय मंत्री कह रहे हैं कि स्वस्थ पूंजी बाजार अत्यंत संतुष्टि का कारण है।

मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। जेपीसी ने एक बार कहा था कि हमने भारतीय रिजर्व बैंक सहित अनेक एजेंसियों से पूछा है कि वे कौन से कार्पोरेट हाउस हैं जो अनियमितताओं में लिप्त हैं। दलालों, कार्पोरेट हाउस और वित्तीय एजेंसियों के बीच घृणास्पद मिलीभगत है। हमें नाम बताइए। किन्तु दुर्भाग्यवश, किसी भी विनियामक द्वारा ऐसे नाम नहीं दिए गए थे और जेपीसी को बाध्य होकर टिप्पणी करनी पड़ी थी कि कार्पोरेट हाउस-दलालों-बैंकों के बीच मिलीभगत ने पूंजीबाजार में तबाही मचा दी है और छोटे निवेशक अब भी बाजार से बाहर हैं। क्या यह स्वस्थ बाजार है? किन्तु वे इसे स्वस्थ बाजार कह रहे हैं।

विदेशी संस्थागत निवेशक मारीशस के रास्ते निवेश कर रहे हैं। वे केवल एक डालर निवेश कर रहे हैं और 100 डालर ले जा रहे हैं। और, वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी आन्तरिक कारोबार में लिप्त हैं। मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि सेबी जांच से पता चला है कि वित्त मंत्रालय के कुछ शीर्ष अधिकारी आन्तरिक कारोबार में लिप्त हैं जिसकी वजह से बैंकिंग और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की योजनाओं में उतार-चढ़ाव आया। इस संबंध में क्या किया गया है? बल्कि कोई उत्तर नहीं दिया गया।

दुर्भाग्यवश, क्या हुआ। वह जो कुछ भी कहते हैं—हमारे मन में माननीय वित्त मंत्री के लिए काफी सम्मान और आदर है—लेकिन वे इस सभा को बिल्कुल हल्के-फुल्के रूप में लेते हैं। कभी-कभी, हमने काफी ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। परन्तु उन्होंने उत्तर देना जरूरी नहीं समझा।

अध्यक्ष महोदय: आपका समय अब समाप्त हुआ।

श्री रूपचन्द पाल: मैं अभी अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

धोखाधड़ी के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक यह है कि इस वर्ष के बजट से धन निकालकर अगले वर्ष के बजट में तथा संशोधित अनुमान से राशि निकालकर अन्य विभाग में अन्य रूप में रखी गयी है। मैं कहता हूं कि यह लोगों के साथ धोखाधड़ी है। कुछ नया नहीं दिया गया है। मैं सामाजिक क्षेत्र सहित अनेक उदाहरण दे सकता था जहां कल्याण उपायों से, बाल कल्याण से, महिला कल्याण से, असंगठित क्षेत्र आदि से धनराशि अन्य प्रयोजनों हेतु बाहर निकाली गयी है। मैं मिथ्या कथन का एक स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। यह उदाहरण कोयला मंत्रालय का है। कोयला मंत्री अपना पदभार ग्रहण करने के छह दिनों के बाद कोलकाता गयी थीं। उन्होंने घोषणा की थी कि पुनरुद्धार, अस्पताल और अनेक कार्यों हेतु 6,000 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है। ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: लेकिन, महोदय, मैं पाता हूं कि जैसा कि माननीय कोयला मंत्री ने कोलकाता में घोषणा की थी, वर्ष 2004-05 के व्यय बजट में ऐसे एक भी पैसे का जिक्र नहीं है। यह धनराशि कहां से आएगी? ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: अस्पताल हेतु कोई भूमि नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, ऐसी अनेक चीजें हैं जहां यह सरकार अपेक्षाकृत अधिक गरीब वर्गों पर बोझ डालकर तथा अपेक्षाकृत अधिक समूह वर्गों, अपने मित्रों को राहत देकर जनता के साथ धोखाधड़ी कर रही है। इसलिए, इस सरकार को आगे एक क्षण के लिए भी सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

इस देश की जनता अपना निर्णय देकर इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का इंतजार कर रही है। वे इस घटिया सरकार जो उन पर थोपी गई है से देश को बचाना चाहते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मेरा विश्वास है कि हमारे देश की जनता उनके द्वारा किये गये वायदे को स्वीकार नहीं करेगी। 'फील गुड फैक्टर' तो होना अभी बाकी है, जनता इसें छिपी मंशा को पहाचनेगी तथा इस धोखाधड़ी का सही जवाब देगी। देशवासी इन लोगों को अभी माफ नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: मैने श्री गिरधारी लाल भार्गव को अपना भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति दी है। जो माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वे रख सकते हैं।

अब, माननीय उप प्रधानमंत्री, श्री आडवाणी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक लड़की की हत्या के महत्वपूर्ण मुद्दे पर वक्तव्य देंगे।

[हिन्दी]

***श्री गिरधारी लाल भार्गव** (जयपुर): माननीय अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किये गये अंतरिम बजट में जयपुर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में परिवर्तित करने पर हार्दिक बधाई देते हुए इस हवाई अड्डे का नामकरण जयपुर के पूर्व महाराजा सवाई मानसिंह के नाम पर किये जाने तथा सवाई मानसिंह जी की मूर्ति भी हवाई अड्डे पर स्थापित किये जाने की मांग करता हूं। साथ ही जयपुर शहर के लिए बीलसपुर परियोजना को पूरा करने के लिए जल्द धन उपलब्ध कराने की मांग भी है, जिससे जयपुर की पेयजल समस्या का निराकरण किया जा सके।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू करने, फसल ऋणों पर ब्याज की दर घटाने, 31 मार्च, 2004 तक किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाने, क्रेडिट कार्ड पर एटीएम सुविधा देने, लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर, 10 लाख रुपये करने, मरू गोचर योजना के तहत ग्रामीण प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना व पारम्परिक चारागाहों के पुनर्स्थापन व विकास के लिए शुरू किये गये विशेष कार्यक्रम को राजस्थान की जनता के हित में मानते हुए, केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही शुष्क इलाकों के किसानों की खेती के लिए पानी की की को पूरा करने के लिए नर्मदा नहर के काम में तेजी लाने तथा इंदिरा गांधी नहर को विशेष दर्जा देने व भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह राजस्थान में भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने व जयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कन्वेंशन सेंटर खोले जाने का स्वागत करता हूं। जयपुर शहर को ए-2 दर्जा शीघ्र देने की भी मांग करता हूं।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 1.26 बजे

उप-प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में बालिका के साथ बलात्कार और हत्या की घटना

[अनुवाद]

उप-प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी (श्री लालकृष्ण आडवाणी): अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के माननीय सदस्यों ने 30 जनवरी, 2004 को मध्य प्रदेश के झबुआ जिले में एक लड़की के साथ बलात्कार और उसकी हत्या की घटना का मुद्दा उठाया था। मैंने आश्वासन दिया था कि मैं राज्य सरकार से इस घटना के बारे में छानबीन करके इसकी जानकारी सभा को दूंगा। मैं तदनुसार घटना के बारे में वक्तव्य दे रहा हूं।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सूचित मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि 11.1.2004 को 10-11 वर्ष की एक हिन्दू लड़की का शव मिला, जिसके साथ झबुआ जिले में एक मिशनरी स्कूल के पीछे स्नानघर में बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के संबंध में, 11.1.2004 की रात को पलिस स्टेशन झाबुआ में अज्ञात अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 302 के तहत एक मामला दर्ज किया गया और जांच-पड़ताल शुरू की गई। 12.1.2004 को शव परीक्षा की गई। जांच-पड़ताल के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर 15.1.2004 को अभियुक्त एक हिन्दू व्यक्ति, उम्र लगभग 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जांच-पड़ताल के दौरान जब्त की गई वस्तुओं को डी.एन.ए. जांच के लिए सेंट्रल फोरेन्सिक साईंस लेबोरेट्री कोलकाता और रीजनल फोरेन्सिक साईंस लेब्रोरेट्री, इंदौर भेजा गया है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना तथाकथित रूप से मिशनरी स्कूल के परिसर में हुई। अत: दोनों समुदायों के बीच कुछ तनाव था जिसके कारण झाबुआ जिले में कुछ भागों में झड़पें हुई। अन्तरवीलिया, जो सब-डिवीजनल भुख्यालय है, में 13.1.2004 को एक मिशनरी पादरी और दो ननों को ले जा रहे वाहन पर पथराव की घटना हुई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और इस संबंध में कल्याणपुरा पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामले दर्ज किए गए और जांच-पड़ताल शुरू कर दी गई।

14.1.2004 को दूसरी घटना हुई, जब कुछ व्यक्तियों ने झाबुआ में मिशनरी स्कूल के सामने धरना देने की कोशिश की। स्कूल और पुलिस वाहनों पर पथराव किया गया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया। इस घटना के संबंध में भी, पुलिस स्टेशन, झाबुआ में कुछ आपराधिक मामले दर्ज किए गए।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिला प्राधिकारियों ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा प्राख्यापित की। स्थिति को नियंत्रित करने में स्थानीय पुलिस की सहायता के लिए विशेष सशस्त्र बल और त्वरित कार्य बल की अतिरिक्त कम्पनियां तैनात की गई। जिले में कानून और व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए गये हैं। इस समय, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है।

मुझे यह जानकारी भी प्राप्त हुई है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने भी उस स्थान का 31 तारीख को अथवा इसके आसपास दौरा किया था। हमारे मित्र श्री ऐटकिन्सन के अनुसार उन्होंने इस जगह के बिशप, जो कि मुख्यमंत्री से मिले थे, से भी बातचीत की है। उन्होंने कहा कि स्थिति आज सामान्य है।

अपराह्न 1.30 बजे

[हिन्दी]

अंतरिम बजट (सामान्य), 2004-2005—*सामान्य चर्चा* लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 2004-2005 और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2003-2004—*जारी*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की माननीय नेता यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं वास्तव में उनको धन्यवाद देने वाला था कि उन्होंने श्री देवानंद और उनकी पिक्चर की बात की। मैं हिन्दी पिक्चर्स बहुत देखता हूं और श्री देवानंद का फैन हूं। श्री देवानंद को दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी सरकार ने दिया और विपक्ष की नेता ने अपने भाषण में उसका उल्लेख किया। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।

अपराह्न 1.31 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

मैं उनकी फिल्म असली-नकली, काला बाजार, कालापानी, ज्वैल थीफ पर बाद में आऊंगा। एक बात समझ में नहीं आई कि एक ओर श्री प्रियरंजन दासमुंशी बात करते हैं कि 'चूंकि यह एक

लेखानुदान है इसलिए नीति संबंधी कोई वक्तव्य न दिए जाएं, और दूसरी ओर विपक्ष की नेता और विपक्ष के लोग कहते हैं कि इस बजट में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया। दोनों ओर बोलने से कैसे चलेगा। हमने वोट आन एकाउंट दिया। वास्तव में वित्त मंत्री जी ने सिर्फ वोट आन एकाउंट नहीं बल्कि उन्होंने राजग सरकार के साढ़े चार वर्षों के लेखाओं को प्रस्तुत किया है। साढ़े चार साल में सरकार ने क्या प्रगति की, उन्होंने उसकी एक झलक बताई। साढ़े चार साल के अंदर जो टैक्स कलैक्शन हुए—यह 83 प्रतिशत तक पहुंच गया है। यह वोट आन एकाउंट नहीं है। यह सरकार के कार्यनिष्पादन का लेखा-जोखा है। यह विकास और विजन है। हम विजन के साथ आए और विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सामने विकास और 2007, 2008, 2010 और 2020 का विजन है। 2007 तक, ग्रामीण भारत को, जहां एक हजार की बस्ती है, उन सभी गांवों को रास्ते से जोड़ने का विजन है। 2008 तक ऐसे कस्बे जो पहाड़ के ऊपर हैं, कश्मीर में हैं, नार्थ-ईस्ट में हैं, जिनकी 500 की पौपुलेशन है, उनको हिन्दुस्तान के साथ जोड़कर भारत जोड़ो का विजन है। विजन का अर्थ दूर दृष्टि होता है। ऐसा कहा जाता है कि आंखें तो सबके पास होती हैं लेकिन दृष्टि नहीं होती। हमारे पास आंखें भी हैं, दृष्टि भी है और विजन भी है। प्रधानमंत्री जी ने 2020 तक हिन्दुस्तान को विश्व के सर्वोच्च देशों की कैटेगरी में ले जाने का विजन दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सहयोगी श्री रूपचंद पाल चले गए। इसके बाद मैं असली-नकली पर आने वाला हूं। मैं भी कामर्स और इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूं। श्री पाल के अनुसार आरबीआई ने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता जा रहा है, कारपोरेट, स्मॉल इन्वैस्टर, स्मॉल पर्सन्स की बात की लेकिन क्या वह पिछले दिन भूल गए? 1991 में भाजपा की सरकार नहीं थी। तब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कभी सत्ता में नहीं आया था। तब गैर-कांग्रेसी कोई प्रधानमंत्री भी नहीं बना था। 1991 में जब वर्ल्ड बैंक के लोन की इंस्टालमैंट वापिस करनी थी, तब देश की क्या परिस्थिति हुई थी, क्या रूपचंद पाल साहब सब भूल गए। मुझे वह दिन याद है, मैं जिंदगी में उस दिन को कभी भूल नहीं पाऊंगा, जनवरी, 1991 का वह दिन जब मुम्बई में गेटवे आफ इंडिया के पास से एक स्टीमर निकला और उसमें हमारे देश की इज्जत जा रही थी। हमारे देश का सोना रिजर्व बैंक आफ इंडिया से निकलकर बैंक आफ इंग्लैंड में गिरवी रखने जा रहा था क्योंकि उस सोने की एवज में बैंक आफ इंग्लैंड से फारेन एक्सचेंज का कर्जा लेकर ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): यह तथ्यात्मक गलत है। ऐसा कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुआ।

श्री किरीट सोमैया: मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह कांग्रेस मूल के प्रधानमंत्री के शासन काल के दौरान घटित हुआ था। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, सभा को गलत सूचना नहीं दी जानी चाहिए।

श्री किरीट सोमैया: मैं आपके समक्ष तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

1991 में हमारे देश की इज्जत जा रही थी। वह इज्जत फारेन एक्सचेंज रिजर्व, जैसा शिवराज जी कह रहे हैं, क्या 1991 में चन्द्रशेखर जी आए और एक साल में उन्होंने इतना फारेन कर्जा ले लिया, क्या एक साल में फारेन एक्सचेंज खाली हो गया? एक साल में ऐसा नहीं हुआ था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: सोना हमेशा दूसरों के द्वारा बाहर भेजा गया तथा हम इसे वापस लाए। ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: महोदय, मैं सहमत नहीं हूं।

[हिन्दी]

मेरे पास आंकड़े हैं। यह बुक मैंने कांग्रेस के नेता को भी दी है।

[अनुवाद]

'भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है।' आंकड़ों का संकलन मैंने स्वयं किया है तथा ये आंकड़े 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इकॉनॉमिक जर्नल एंड लाइब्रेरी से एकत्रित किए गए हैं।

[हिन्दी]

यह इसमें लिखा है। मैं नहीं कह रहा हूं। 1950-51 में कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था? 1991 में कितना था? 21 दिसम्बर 2003 को वित्त मंत्री जी ने बजट में स्पष्ट किया। 19 दिसम्बर 2003 को हमारा सौ बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज से ऊपर चला गया। चालीस साल में इन्होंने कितना फॉरेन एक्सचेंज जमा किया था? हमारा देश जब आजाद हुआ, तब 2161 मिलियन डॉलर था और 1989-90 में 3962 मिलियन था। बिलियन नहीं था। ये आंकड़े हैं और उस समय फॉरेन डैब्ट कितना था? वह जो विश्व बैंक के लोन की इंस्टॉलमेंट वापस देनी थी, वह किसके समय में ली गई? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के कारण रुपये की प्रगति क्या

[श्री किरीट सोमैया]

हुई है? आप देखिए, 1950 में एक डॉलर का रुपया कितना था? चार रुपये 76 पैसा और 1991-93, 94 और 1995 में कहां से कहां चला गया? पहली बार वर्ष 2003 में रुपये में 5.2 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी असली और नकली पर आना चाहूंगा। माननीय विपक्ष की नेता ने हमारे प्रधानमंत्री जी के संबंध में बात की है। असली नकली बहुत अच्छा उदाहरण है। देवानंद का उदाहरण दिया। मैंने कहा कि मैं देवानंद का फैन हूं। देवानंद सदाबहार अभिनेता के रूप में भी जाने जाते हैं। 50 वर्ष के पश्चात भी वैसे का वैसे हीरो हैं। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पचास वर्ष के पब्लिक लाइफ के पश्चात भी आज हिन्दुस्तान का सबसे पोपुलर हीरो और नेता यदि कोई होगा तो वह अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। वैसे तो देवानंद जैसे हीरो भी होते हैं और नेता भी अटल जी जैसे होते हैं और कई ऐसे भी होते हैं जिनकी एक पिक्चर आती है। लोक सभा की एक इनिंग होती है और फिर कहां चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। एक पिक्चर आती है और गायब हो जाते हैं।

स्पीकर साहब अभी यहां पर नहीं हैं। मराठी और गुजराती में एक नाटक 'असली गांधी' आया था। कौन असली गांधी है और कौन नकली गांधी है? हमसे असली और नकली की बात करते हैं। देवानंद की बात करते हैं तो हमें भी असली गांधी और नकली गांधी की बात करनी पड़ेगी। एक तरफ वह महात्मा गांधी जी थे, सत्ता जिनके पास आ रही थी और उन्होंने कहा कि मैं सत्ता में नहीं जाऊंगा और एक गांधी वह हैं जो विदेश में 25 साल रहने के बाद, नागरिकता नहीं लेने के पश्चात, जब सत्ता देखी तो स्वदेशी गांधी बनने की बात करते हैं और यहां असली नकली प्रधान मंत्री जी के बारे में कहते हैं। ऐसा जो बोलने वाले हैं, वे आइने में जाकर देखें कि असली कौन है और नकली कौन है, स्वदेशी कौन है और विदेशी कौन है? एक स्वदेशी गांधी थे जिन्हें मातृभूमि के लिए, देश की भूमि के लिए अभिमान था। वह इस मिट्टी की संस्कृति और इतिहास तथा परम्परा जानते थे और वैसे भी नकली गांधी होते हैं जिनको देश की इतिहास परम्परा का क्या पता है। वे मर्यादाओं की बात करते हैं। मर्यादा की बात कौन करेगा? जो इस जमीन में पैदा हुआ है। जो सत्ता के लिए फिर असली और नकली की बात करनी है तो एक असली विरोधी पक्ष नेता राज्य सभा में हैं। मैंने लाइब्रेरी से जाकर चैक किया। मैंने कहा लोक सभा में अनेक विपक्ष नेता हुए हैं। पहले तो विपक्षी नेता पांच साल के कार्यकाल में कितनी बार लोक सभा में भाग लेते थे? पहले के विपक्षी नेता लोक सभा के क्वैश्चन ऑवर और बाकी चर्चा में कितनी देर बैठते थे? वे कितनी बार लोगों की भावना और लोगों के जो प्रश्न थे, उनका उल्लेख करते थे?

मैंने देखा कि 50 साल के हिन्दुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में एक ही विपक्ष की नेता हैं, जिन्होंने 25 बार लिखा हुआ भाषण पढ़ा। अब वह भाषण किसने लिखा, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। साढ़े चार साल तक वह सदन में लिखित भाषण पढ़ती रही और क्या यही लोकतंत्र है कि साढ़े चार साल के बाद भी लिखित भाषण पढ़ा जाए, हो सकता है एकाध बार दो-तीन वाक्य बिना पढ़े बोले हों, क्या इसी को असली विपक्ष का नेता कहा जाता है, यह हमें सोचना चाहिए। मैं देख रहा था लाइब्रेरी में कि विपक्ष के नेताओं ने सदन में 300 से लेकर 500 बार तक पांच साल के पीरियड में सत्ता पक्ष से सवाल पूछे थे या भाषण दिया था। यह संविधान द्वारा उनकी दी हुई जिम्मेदारी थी, जिसका उन्होंने बखूबी निभाया। मेरे एक सहयोगी ने कहा कि दूर क्यों जाते हो, पास ही में राज्य सभा है, वहां भी साढ़े चार साल से विपक्ष के नेता हैं, उन्हीं के भाषण लाइब्रेरी से निकाल कर देख लो कि उन्होंने इस दौरान कितनी बार लिखित स्पीच पढ़ी और कितनी बार पार्टिसिपेट किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं और आगे कहना चाहूंगा।

[अनुवाद]

'फील गुड फैक्टर' का कोई प्रश्न नहीं है। यह जनता के लिए फील ग्रेट है। यह जनता के लिए सिर्फ 'फील गुड' नहीं, बल्कि 'फील ग्रेट' फैक्टर है।

[हिन्दी]

साढ़े चार साल में हमसे कहा जाता है कि आप वोटों की राजनीति कर रहे हैं। वोटों की राजनीति कौन करता है, यह सबको पता है। मैं यह नहीं कहता कि साढ़े चार साल में सब कुछ हो गया, लेकिन आप तुलना करके देखें कि इन साढ़े चार साल में क्या हुआ और पहले क्या हो रहा था। इसीलिए यह मात्र 'फील गुड' नहीं है। यह बात सही है कि हमारे विपक्ष के उप नेता कितनी ही बार बाहर और अंदर कहते हैं,

[अनुवाद]

कि यह 'फील गुड' है अथवा 'फील बैड'? हमारे लिए यह फील गुड फैक्टर है, लोगों के लिए यह फील ग्रेट फैक्टर है और विपक्ष के लिए यह फील बैड फैक्टर है। मैं निश्चित रूप से इससे सहमत हूं।

[हिन्दी]

मैं आपके सामने एक और मुद्दा रखना चाहूंगा। यहां पर रोजगार की बात हुई, फिस्कल डैफिसिट की बात हुई, विदेशी कर्ज की बात हुई। मेरे सामने यह चार्ट है, इकोनॉमिक सर्वे 2002-2003

का, वास्तव में 2003-2004 का आता तो उसमें आउटस्टेंडिंग लायबिलिटीज आफ दि सेंटर की सारी फिगर्स आतीं और पता चलता कि लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। जैसा विजय कुमार मल्होत्रा जी ने कहा कि 55 वर्ष के इतिहास में यह पहली बार हुआ है, एकाध बार हुआ होगा तो मुझे याद नहीं, कि हमने 25,000 करोड़ रुपए का कर्जा चुकाया। उसमें से 14669 करोड़ रुपए का रिपेमेंट हमें तीन-चार साल के बाद करना था। आउटस्टेंडिंग लायबिलिटीज पढ़ने के लिए अगर आप यह टेबल चाहते हैं, तो मैं देने के लिए तैयार हूं, भेज दूंगा।

श्री शिवराज वि. पाटिल: कितने लाख करोड़ रुपए में से कितना चुकाया यह भी बताएं।

श्री किरीट सोमैया: वह भी बताऊंगा। अगर आप चाहें तो मैं यह भेज दूंगा।

श्री शिवराज वि. पाटिल: मैं आपकी बात स्वीकार करूंगा, लेकिन आप यह बताएं कि कितना कर्जा है और कितना उसमें से चुकाया है?

श्री किरीट सोमैया: वही मैं पढ़ता हूं, क्योंकि मुझे पता था कि आप मुझसे यह पूछेंगे। मैं आपके हाथ के नीचे रहकर थोड़ा-बहुत सीखा हूं और आप हमारी संसद की वित्त समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं आपकी बात मान लूंगा। आप मुझे बताइए।

श्री किरीट सोमैया: महोदय, वर्ष 1991 में केन्द्र सरकार की बकाया देनदारी 31,525 मिलियन डालर थी। वर्ष 1997-98 में यह राशि 55,332 मिलियन डालर हो गई। आप वृद्धि देख सकते हैं। यह आर्थिक विकास नहीं है। यह विदेश कर्ज की वृद्धि है। सरकार के सत्ता में आने के समय यह धनराशि कितनी थी। यह धनराशि 58,437 मिलियन डालर थी। इसलिए वर्ष 1991 से 1998 तक सात वर्षों में यह आंकड़ा 31,525 मिलियन डालर से बढ़कर 55,332 मिलियन डालर होकर दोगुनी हो गयी। अब यह लगभग 65000 मिलियन डालर है। तो लोगों को फील गुड क्यों महसूस नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

खाली उसकी बात मैं नहीं करता। बात करते हैं फूडग्रेन प्रोडक्शन की, बात करते हैं स्टील एंड सीमेंट प्रोडक्शन की।

आप वर्ष 1981 से वर्ष 2003 तक का सीमेंट का चार्ट देखो। फिनिश-स्टील का चार्ट देखो। लास्ट टाइम माननीय शिवराज जी ने यहां स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर प्रश्न उपस्थित किया था। मैं फिगर्स पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

वर्ष 1994-95 में लघु क्षेत्र का कार्यनिष्पादन क्या है? यह कुल 25.71 लाख है जिसमें पंजीकृत और गैर-पंजीकृत दोनों शामिल हैं। वर्ष 2002-03 में यह 35.72 लाख हो गया। रोजगार की संख्या भी 1.46 लाख से बढ़कर 200 लाख हो गई।

[हिन्दी]

एम्प्लाएमेंट कहां नहीं बढ़ा है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था और मैंने फिगर्स इकट्ठे किए हैं और उन्हें बुकलेट में भी प्रोड्यूस किया है। उसमें हैदराबाद, बंगलौर, नयी-मुंबई, दिल्ली और गुड़गांव में पिछले करीब साढ़े चार साल में 10 लाख नौजवानों को रोजगार मिला है। नौजवान वहां पांच हजार से बीस हजार रुपये मासिक की नौकरी करेगा, आउट-सोर्सिंग ड्यूटी पर जाएगा तो जो वहां रिक्शे वाले हैं, चाय वाले हैं उनको भी तो रोजगार मिलेगा।

[अनुवाद]

मैं प्रत्यक्ष रोजगार की बात कर रहा हूं। मैं अप्रत्यक्ष रोजगार की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं।

[हिन्दी]

इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात चल रही थी। माननीय शिवराज जी यहां भले ही न हों लेकिन वे परसों कुछ एटवरटाइजमेंट्स दिखा रहे थे।

[अनुवाद]

वे ऐसे मुद्दे उठा रहे थे गवर्नमेंट इलेक्शन, ये वो आदि। यह मेरा समाचार-पत्र नहीं है। इस समाचार पत्र का हवाला विपक्षी सदस्यों की ओर से सभा में अनेक बार दिया गया है। और इसमें उन्होंने क्या दिया है। भारत उदय हो रहा है और महाराष्ट्र इसमें आगे है। राज्य 25 करोड़ रुपए विवादास्पद विज्ञापन के अभियान के माध्यम से केन्द्र से प्रतिस्पर्द्धा करता है। आगे उन्होंने दिया था

[हिन्दी]

सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना एडवरटाइजमेंट कम्पेन किया है, उसकी तो बहुत बात की लेकिन जिस महाराष्ट्र सरकार के पास अपना एक लाख करोड़ रुपया कर्जा चुकाने के लिए नहीं है, चार-चार

[श्री किरीट सोमैया]

महीने से टीचर्स को पेमैंट नहीं दिया, वे 25 करोड़ रुपये एडवरटाइजमेंट में लगाते हैं, तब आचार-संहिता कहां गयी, मर्यादा कहां गयी?

[अनुवाद]

मैं बजट अथवा लेखानुदान के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अनेक समाचार-पत्रों के सम्पादकीय इस बारे में कह रहे हैं। कोई भी आज के बिजनैस स्टैंडर्ड का सम्पादकीय पढ़ सकता है। उसमें ऐसा उल्लेख है:

> ''जसवंत सिंह द्वारा पहला प्रभाव यह डाला गया है कि उनका अंतरिम बजट सब कुछ है जिसमें आगामी चुनावों को देखते हुए नई घोषणा तो नहीं की गई है पर वित्तीय स्थिति बेहतर बताई गई है। राजकोषीय घाटा किसी पूर्वानुमान से बेहतर है और यह उसी स्तर पर आ गया है जहां यह छह वर्ष पूर्व था।''

एक अन्य समाचार पत्र ने लिखा है ''ए वेरी जसवंत सिंह— मीजर्ड, सोबर एड क्वाइट प्रोपर' एक अन्य समाचार-पत्र ने कहा है:

> ''जसवंत सिंह के लेखानुदान और अंतरिम बजट के पीछे वास्तविक कहानी. इसे आप जो कहें, राजकोषीय सुधार है जो सरकार ने कर दिखाया है।
>
> उनका आगे कहना है:
>
> ''1992-93 से 2001-02 की अवधि के लिए राजकोषीय घाटा 5.15 प्रतिशत औसत से 4.8 प्रतिशत कम होने की संभावना है।'

[हिन्दी]

4.8 फिस्कल डैफिसिट हो गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं।

[अनुवाद]

वे आपको बताते हैं कि वित्त मंत्री अच्छी अर्थव्यवस्था और फील गुड राजनीति को मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। यह उसमें से नौ अंक है।

[हिन्दी]

फील गुड की बात मैं नहीं करता हूं। फील गुड की बात किसने लिखी है।

[अनुवाद]

उसका संबंध भारतीय जनता पार्टी से नहीं है और समाचार-पत्र का संबंध भी भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। और वह लेख क्या है? फील गुड राजनीति को भूल जाइए। श्री बाजपेयी ने किसानों के लिए वास्तविक कार्य किया है। लेखक महाशय सुरिन्दर सूद हैं। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को कृषि क्षेत्र के लिए सहायता का विस्तार करने के लिए याद किया जाएगा। ऋण सुधार में किसान क्रेडिट कार्ड एक बड़ा घटक रहा है निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध उठाने और विशेष जोन से कृषि विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

महोदय, इस समाचार-पत्र ने लिखा है कि पांच वर्षों में 29,532 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर जुटाया गया है।

[हिन्दी]

यह मैंने नहीं लिखा है। यह मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कम्पनीज की एन्युअल रिपोर्ट्स है।

[अनुवाद]

उनकी शेष राशि और लाभ और हानि के लेखे क्या हैं? इसमें कहा गया है कि अंतिम तिमाही में भारत का उदय हो रहा है क्योंकि 1500 उद्योग घरानों को मुनाफा हो रहा है। शुद्ध लाभ में 53 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है और बिक्री में 17 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। लोग क्यों अच्छा महसूस नहीं कर सकते?

[हिन्दी]

महोदय, इन्होंने एलपीजी कनैक्शन्स की बात कही है। मैं जब सन् 1999 में लोक सभा में आया था, उस समय हम कूपन्स लेने के लिए चक्कर लगाते थे क्योंकि हमारे घर पर गैस कनेक्शन लेने वालों की कतार होती थी।

[अनुवाद]

इन साढ़े चार सालों में 3.80 करोड़ नये रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। अपने चालीस वर्ष के शासन में 3.20 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन ही दिए गए। किन्तु साढ़े चार वर्ष में हमने 3.8 करोड़ कनेक्शन दिए हैं।

[हिन्दी]

महोदय, मैं इसी प्रकार अन्य बातों के बारे में भी कह सकता हूं। विपक्ष के माननीय सदस्य एक्सप्रैस हाई-वे की बात कहते हैं, इनके समय में 556 किलोमीटर हाई-वे का निर्माण हुआ। हमारी

सरकार ने देश में हाई-वेज का निर्माण करने का काम किया। हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस योजना को दिया। जब इस योजना का उद्घाटन होता है, तो कहा जाता है कि लोकल एमपीज को नहीं बुलाया जाता है। यह बात दोनों पक्ष के लोग कहते हैं। दूसरी तरफ कलैक्टर से कहते हैं कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। हमारी सरकार ने इस छोटे से कार्यकाल में 14558 किलोमीटर हाई-वे का निर्माण किया और सन् 2008 तक 24 हजार किलोमीटर सड़कें बनाने की योजना तय की। इन्होंने देश को तोड़ने का काम किया और हमने देश को जोड़ने का काम किया।

अब मैं फूड-स्टाक के बारे में बताना चाहता हूं। खाद्य भण्डार क्या है? 1 जनवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार 28.80 मिलियन टन गेहूं का प्रचुर खाद्य भण्डार उपलब्ध है। मैं इस बारे में सदन को चार्ट प्रस्तुत कर सकता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आम आदमी के बारे में अपनी बात कहना चहता हूं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की व्यवस्था आम आदमी के लिए है, जिनमें आदिवासी, शैड्युल्ड कास्ट्स और शैड्युल्ड ट्राइब्स, झोपड़-पट्टी में रहने वाले लोग हैं। यह चार्ट इनके समय का बना हुआ है।

[अनुवाद]

वर्ष 1992-93 में गेहूं और चावल का कितना आवंटन उपलब्ध कराया गया? यह आवंटन 9.25 मिलियन टन था। किसकी पार्टी की सरकार थी? अब कितना आवंटन है? वर्ष 2002-03 में यह आवंटन 29.45 मिलियन टन है।

[हिन्दी]

हमें अपनी सरकार पर अभिमान है कि हम आम आदमी के बारे में सोचते हैं। गरीब आदमी के बारे में सोचते हैं। हमने गरीबों के लिए अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत डेढ़ करोड़ परिवार, यानि 7.50 करोड़ जनता को अनाज देने की व्यवस्था की। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी का अभिनन्दन करना चाहता हूं।

महोदय, आज सदन में वोट-ऑन-एकाउन्ट पास हो जाएगा और कल तेरहवीं लोक सभा का अंतिम दिन है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि गत शनिवार को मेरे क्षेत्र में झोपड़-पट्टी के लोगों के हैल्थ मेले का आयोजन हुआ, जिसमें पचास हजार लोग आए। इसके लिए मैंने स्वास्थ्य मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज को भी धन्यवाद दिया है।

मेरे यहां गत साल हैल्थ मेला हुआ था। वहां 83 हजार लोगों ने विजिट किया था। मैंने इस बारे में अध्यक्ष महोदय से प्रेरणा ली। उन्होंने दो हैल्थ मेले किए। हैल्थ मेले का बहुत उपयोग है। सांसदों को फायदा होगा या नहीं लेकिन आम आदमी को बहुत फायदा होता है। वे वहां जाते हैं। उनमें पीपुल्स रिप्रेजेंटिव का इनवाल्वमैंट होता है तो वह ज्यादा इफैक्टिव होता है।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री हमारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में बहुत वरिष्ठ नेता हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री किरीट सोमैया, नेताओं की बैठक में यह मामला उठाया गया था। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि जब तक लोक सभा भंग होगी तो वे कह सकते हैं कि तेरहवीं लोक सभा के सदस्यों ने इसे शुरू किया था अथवा वे इससे सम्बद्ध थे। यह ऐसा ही है। कदाचित उनके मंत्रालय से आपके पास सूचना आई होगी। जो मैं आपको बता रहा हूं वह आपकी सूचनार्थ है।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: धन्यवाद महोदय। मैं अपील करना चाहता हूं कि 15 फरवरी तक हैल्थ मेले होने वाले हैं। कल इस लोक सभा की टर्म भी खत्म हो जाएगी। मेरा काम हो गया, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप और स्पीकर साहब इस प्रकार को कोई गाइडलाइन्स दें कि इनमें पब्लिक को इनवॉल्व करने के लिए लोकल मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट का इनवाल्वमैंट ज्यादा जरूरी है। बहुत से विपक्ष के एमपीज के एरियाज में हैल्थ मेले लगने बाकी हैं। 15 फरवरी तक होने वाले हैल्थ मेले में उनको भी इनवॉल्व किया जाए क्योंकि वह ज्यादा सक्सैसफुल होगा। मैं यहां हैल्थ मिनिस्टर की ज्यादा प्रशंसा नहीं करना चाहता लेकिन तीन बातों का उल्लेख करूंगा। मैं पांच मिनट से अधिक नहीं लूंगा।

जन सुरक्षा बीमा योजना चलायी गयी। एक रुपया दो और 30 हजार की इंश्योरेंस कवर पाओ। यह कितनी सुन्दर योजना है। डेढ़ रुपए में मां-बाप, परिवार की सुरक्षा, मां, बेटा, बच्चों की सुरक्षा। डेढ़ रुपए में जन सुरक्षा। कितनी सुन्दर हैल्थ इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस की गई। चार साल में 6 एम्स असपताल बनाने की बात कही गई है। इसके लिए हरेक सैगमैंट में हैल्थ, ह्यूमन रिसोर्सिज डिपार्टमैंट, एजुकेशन में प्रॉविजन किया। मैं ये सब चीजें आपके सामने रख सकता हूं।

किसी एमपी ने यहां बहुत सुन्दर बात कही। उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के साथ टेलीकॉम का उल्लेख किया।

[अनुवाद]

पिछली बार भी मैंने आंकड़ों का हवाला दिया था। 1998 तक देश में टेलीफोन कनेक्शन की कुल संख्या 1.92 करोड़ थी।

[श्री किरीट सोमैया]

1 जनवरी, 2004 को हमने सात करोड़ कनेक्शनों की संख्या पार कर ली है। जब से हिन्दुस्तान में टेलीफोन आए तब से 1992 तक सिर्फ एक करोड़ कनैक्शन दिए गए थे। वर्ष 2003 में एक वर्ष में ही हमने 1.04 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन की वृद्धि कर दी थी।

[हिन्दी]

इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है, ट्रेड की बात की जाती है। आइए, हम इन सब पर चर्चा करें। आप जो चाहें, हम उसकी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मैंने गत साल बीपीओ का उल्लेख किया था। मानव संसाधन एक अन्य क्षेत्र है। हमने इस प्रकार के बेसिक डैवलपैंट किए। आज हिन्दुस्तान में पांच मेजर फार्मेस्यूटिकल कम्पनियां हैं। अमेरिका की बड़ी मल्टी-नेशनल कम्पनियां हैं। ...*(व्यवधान)* मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

[अनुवाद]

सरकार ने क्या किया है? पहले सरकार ने ढांचागत विकास पर ध्यान दिया है। साथ-साथ एक अन्य क्षेत्र वित्त है। सामान्य व्यक्ति को आसानी से वित्त उपलब्ध कराना है। यह आसानी से उपलब्ध ही नहीं है बल्कि सस्ता भी है।

[हिन्दी]

मैंने हाउसिंग फाइनैन्स का गत बार भी उल्लेख किया था। मैंने उसके बाद एक और फीगर निकालने का काम किया। किसान क्रैडिट कार्ड टोटली रूरल है। हिन्दुस्तान के 482 सिटीज में गत पांच साल में लगभग 25 लाख परिवारों ने हाउसिंग फाइनैन्स लिया।

अपराह्न 2.00 बजे

लेकिन यहां हर चीज इंस्टालमेंट पर मिलती है। किसान को इजी फाइनेंस द्वारा लोन, परिवारों के ईजी लोन पर टी.वी., फ्रिज, घर, स्कूटर, गाड़ी और यहां तक कि साइकिल भी ईजी फाइनेंस इंस्टालमेंट पर मिलती है। अगर शादी भी करनी हो तो बीवी के गहने भी इंस्टालमेंट पर मिलते हैं।

[अनुवाद]

अब फुटकर वित्त की स्थिति क्या है? इस समय यह 1,66,000 करोड़ रुपए है और सात अथवा आठ वर्ष पहले यह 6000 करोड़ रुपए से कम था।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में एक बात कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। हमें प्लानिंग कमीशन की प्रशंसा करनी चाहिए कि उसने एडवरटाइजमेंट कैम्पेन किया, क्यों किया, इसलिए कि यह हमारी भावना है। क्रॉस सैक्शन सोसाइटी, लीडरशिप ऑफ सोसाइटी, यहां पार्लियामेंट में और स्टेट असेम्बलीज में, जिला परिषदों में जो बैठे हुए हैं, लेबर लीडर्स हैं, सोशल आर्गेनाइजेशन के लीडर्स हैं, प्रोफैशनल आर्गेनाइजेशन्स के लीडर्स हैं, जिनके सामने हम अपना चित्र रखना चाहते हैं—'सुजलाम् सुफलाम भारतम्' का चित्र उनके सामने रखना चाहते हैं। यह ठीक है कि हमने एक सपना देखा है जिसे हम साकार कर सकेंगे। इस सरकार ने भी एक सपना देखा है और उस सपने को पूरा करने के लिए हम पिछले पांच साल में कहां से कहां आ गये।

[अनुवाद]

योजना आयोग विज्ञापन क्यों दे रहा है?

[हिन्दी]

प्लानिंग कमीशन कह रहा है कि यह अमरीका और रूस नहीं है, हमने यह करके दिखाया है यानी पूरे देश ने यह करके दिखाया है। मैं यह नहीं कहूंगा कि केवल एन.डी.ए. या बी.जे.पी. ने या पौलिटिकल पार्टीज ने किया है, यह पूरे देश ने किया है। आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज 100 बिलियन डालर से ऊपर पहुंच गया है और फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि जीडीपी दर 8.4 प्रतिशत होगी।

[अनुवाद]

जी हां, मैं आपको बता सकता हूं पिछले बारह महीने की कुल अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.4 प्रतिशत थी। और यह 8.4 परसेंट से ज्यादा होगी। मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स के लीडर्स, एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं। यह सब इसलिए कहा कि हम 8.4 प्रतिशत को पार कर लेंगे। इसलिए जो जन्म दर वर्ष 1999 में 2.6 प्रतिशत थी, उसे हम 2.25 प्रतिशत पर ले आये हैं और शिशु मृत्यु दर जो 70 प्रतिशत थी, उसे 64 प्रतिशत पर ले आये हैं। ये सब बातें एडवरटाइजमेंट की फिगर्स में से निकली हैं।

[अनुवाद]

यदि वे यह कहना चाहते हैं कि ये आंकड़े नकली हैं, उन्हें योजना आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक को चुनौती देने दीजिए जिसकी नींव उन्होंने रखी है।

[हिन्दी]

इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि 1994 से 1999 के बीच में 39 लाख नई एम्पलायमेंट्स जैनरेट हुई हैं। इस सरकार के राज में 82 लाख प्रतिवर्ष एम्पलायमेंट जैनरेट हुई हैं और वे लोगों के सामने आई हैं।

उपाध्यक्ष जी, हम उस लीडरशिप का निर्माण करना चाहते हैं, हम जनता में विश्वास का निर्माण करना चाहते हैं और हम कह सकते हैं कि हमने यह करके दिखाया है, हम उसे करेंगे और 2020 में हिन्दुस्तान को विश्व के बड़े पांच राष्ट्रों में ले जायेंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): उपाध्यक्ष महोदय, सामान्यतया मैं अंग्रेजी में बोलता हूं किन्तु आज मैं हिन्दी में बोलना चाहता हूं।

महोदय, वित्त मंत्री सभा से बाहर जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी, उनके कनिष्ठ मंत्री यहां हैं। वह खाना खाने के लिए जाना चाहते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैंने भी खाना नहीं खाया है। खाना काफी है, ''फील गुड फैक्टर'' है और बिना खाने के भी वह समय बिता सकते हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने अपने तर्क प्रस्तुत करने से पहले भारत के महान नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एक संदेश को याद दिलाते हुए शुरू करना चाहूंगा। यह न केवल हम पर बल्कि आप पर भी लागू होता है।

[अनुवाद]

''चालाकी से कोई बड़ा काम नहीं होता है।''

[हिन्दी]

चालाकी द्वारा कोई बड़ा काम नहीं होता है। मैं अपने भाषण में ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो सरकार के आंकड़ों के खिलाफ हो। मैं वह उदाहरण भी पेश नहीं करूंगा जिसकी गवाह खुद सरकार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी जब कल भाषण दे रहे थे तो उन्होंने उसकी शुरुआत की

[अनुवाद]

इस अवसर पर मैं अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मजबूती पर अत्यधिक संतोष के साथ देश और इस सभा से जुड़ा हुआ है।

[हिन्दी]

अंग्रेजी में उनकी कमान्ड हम सब लोग मानते हैं और उन्होंने सही ड्राफ्ट किया-

''हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती''

[हिन्दी]

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो लखा है, उन्होंने उसे एम्फैसिस किया है। वित्त मंत्री जी को मालूम है और सदन में सबको मालूम है। उन्होंने आगे अपनी बात कही-

[अनुवाद]

''देश की विशाल आर्थिक स्थिति पिछले पचास वर्षों से कहीं अधिक बेहतर रही है।''

[हिन्दी]

आजादी के बाद जो देश हमें मिला, यह विरासत में नहीं, बल्कि लड़कर संघर्ष करके हमें मिला। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर जितने प्रधान मंत्रियों ने इस देश की जिम्मेदारी संभाली, वे सब बेकार हैं और सिर्फ चार साल की उपलब्धियों का इन्होंने देश को संदेश दिया कि आजादी तो 15 अगस्त, 1947 में मिली, लेकिन तब भारत डूबा हुआ था और अब वह उदय हो रहा है। उस उदय के नमूने मैं आपके सामने पेश करूंगा। वित्त मंत्री जी जब पहला भाषण 17 सितम्बर को इस सदन में दे रहे थे, उस समय सप्लीमैन्ट्री डिमांड्स पर बहस करते हुए कांग्रेस की तरफ से कुछ आंकड़े रखे गये कि आपका मिड टर्म रिव्यू गलत है। आपका मिट डर्म रिव्यू कहता है कि आप पीछे जा रहे हैं। जब श्री मणिशंकर अय्यर जी ने आंकड़े पेश किये तो वित्त मंत्री जी ने क्या कहा, वह मैं उनके सामने सुना रहा हूं, मैं उद्धृत करता हूं:

[अनुवाद]

''मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि मध्यावधि समीक्षा के अधिक कवरेज द्वारा अनुपूरक मांगों को स्वाभाविक रूप से अधिक महत्व दिया जाता है।''

[हिन्दी]

वित्त मंत्री जी क्या आप सुन रहे हैं? आपने जो कहा था, आप ही की भावना मैं आपके सामने रख रहा हूं-

[अनुवाद]

मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात का मूल्यांकन करें कि क्या यह बजट की तिमाही समीक्षा अथवा मीडिया की समीक्षा अथवा उत्तरवर्ती समीक्षा है, वे देश की समग्रता को कवर नहीं कर सकते। यह मात्र तिमाही रिपोर्ट है।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

[हिन्दी]

मैं वित्त मंत्री जी के बयान को मान रहा हूं। अब यह सरकार पूरे देश के सामने जो चालाकी कर रही है, जो इसने चालाकी की है वह यह है कि सरकार ने क्वार्टरली रिपोर्ट को पूंजी बनाया। वह क्वार्टरली रिपोर्ट क्या है।

[अनुवाद]

सकल घरेलू उत्पाद के अद्यतन अनुमान भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचक उद्देश्य के लिए सुलभ हो गए। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में चालू वर्ष, 2002-2003 की आरक्षित भंडार के दूसरी तिमाही में 8.4 प्रतिशत की अच्छी दर पर वृद्धि हुई। तथापि, इस आशावाद को अनेक घटकों द्वारा तैयार किया जाएगा।

[हिन्दी]

सैकिन्ड क्वार्टरली रिपोर्ट में एक फिगर आई है, जहां ग्रोथ रेट सात परसेन्ट से आगे जाता दिखाई दे रहा है और इसी के आंकड़े बनाकर पूरे देश के सामने "इंडिया शाइनिंग" कहा जा रहा है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार यह दावा करती है कि वह पांच साल पूरे करके जनता के सामने जा रही है, पांच साल का मतलब नौवीं योजना का समापन, नौवीं पंचवर्षीय योजना का काम खत्म करके दसवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। नौवीं योजना क्या कहती है, वित्त मंत्री जी ने उसे देश को नहीं बताया। प्लानिंग कमशन ने श्री के.सी. पंत जी की पिक्चर लेकर, अटल जी की पिक्चर लेकर काफी पोस्टर छापे। लेकिन आप उसी प्लानिंग कमीशन से एक पोस्टर छपवाकर निकलवाइये। यदि सरकार के पास पैसे नहीं हैं तो हमारे एम.पी. लैड फंड में जो कुछ बचा हुआ है, विपक्ष उसमें योगदान करने के लिए तैयार है, लेकिन आप योजना भवन की तरफ से इस पोस्टर को निकालिये कि नौवीं योजना के इसमें से 98 प्रतिशत का संचालन श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया।

हिन्दी]

ये आंकड़े क्या कहते हैं—उदय या अस्त।

मैं सुना रहा हूं कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ परफार्मेन्स टार्गेट कितना था, 6.5 प्रतिशत। उपलब्धि कितनी हुई, 5.35 प्रतिशत यानी टार्गेट से नीचे। यह उदय है या अस्त? नौवीं योजना— इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ। एग्रीकल्चर में आठवीं योजना में हमारा लक्ष्य कितना था और उपलब्ध कितना हुआ? आठवीं योजना में 4.69 था और अटल जी को कितना उपलब्ध हुआ 2.6 नौवीं योजना के पांच सालों में। मैनुफैक्चरिंग में हमारा कितना ग्रोथ था आठवीं योजना में 7.58, और अटल जी को नौवीं योजना में कितना उपलब्ध हुआ 4.51 यह उदय हुआ या अस्त? टोटल कितना रहा 6.68 आठवीं योजना मे, और नौवीं योजना में 5.35। वित्त मंत्री जी चले गए। वित्त मंत्री जी ने बड़ी चालाकी की। उसके लिए उनको जवाब राजस्थान की जनता देगी। चालाकी यह की कि नौवीं योजना में एनडीए की सरकार ने क्या किया, उसे मत दिखाओ। पांच सालों में कितना बर्बाद किया, उसे मत दिखाओ। सिर्फ किसानों की मदद से, मरे हुए, पिटे हुए किसानों की मदद से जो एग्रीकल्चर में बढ़ोत्तरी हुई, उसमें सिर्फ सैकेन्ड क्वार्टर में हमारी जो ग्रोथ हुई है, उसे दिखाओ। खुद वित्त मंत्री ने अपने जवाब में दिसम्बर में कहा कि कोई क्वार्टरली रेव्यू देखकर देश की इकोनॉमी का अंदाजा नहीं होता है, लेकिन आज कह रहे हैं कि जो मैंने कहा था, उसे भूल जाइए। अभी सिर्फ क्वार्टरली नतीजों को देखते हुए महसूस कीजिए, संतोष हो जाएगा। इसे हम कह रहे हैं ट्रिक।

[अनुवाद]

अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के पास इतना साहस क्यों नहीं है कि वे भारत के लोगों के सामने आएं और कहें कि आप पांच वर्ष के लिए मुझे जनादेश दें। 1999-2000 समेत मैंने पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं और मैं कोई लक्ष्य पूरा नहीं कर सका और मैं विफल हुआ।

[हिन्दी]

यह दस्तावेज क्यों नहीं दिखाते हैं? आप दसवीं योजना की दो साल के एक क्वार्टर की पिक्चर लेकर दुनिया को कहते हैं कि हम आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पीछे मत देखो। वित्त मंत्री जी चले गए, उनको भूख लग गई, क्या करें। यहां वित्त राज्य मंत्री मौजूद हैं। यह किताब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से नहीं निकली है। यह मैं आपको दिखा रहा हूं। इस किताब को जरा ध्यान में रखिए—मन्थली इकोनॉमिक रिपोर्ट, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, दिसम्बर 2003 की यह किताब है। रिपोर्ट किसने दी—वित्त मंत्री जी ने। इसकी कॉपी सबको बांटिए, पूरे सदन को, एन.डी.ए. के घटक दलों को और पत्रकारों को बांटिये कि दिसम्बर 2003 में माननीय वित्त मंत्री जसवंत सिंह जी के दफ्तर से, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कर कमलों से, आशीर्वाद से क्या किताब निकली। यह किताब क्या कहती है।

[अनुवाद]

गत वर्ष में 6.5 प्रतिशत की तुलना में महत्वपूर्ण ढांचागत क्षेत्रों में अप्रैल से अक्तूबर 2004 में 3.9 की औसत वृद्धि दर दर्ज की है।

[हिन्दी]

पिछले साल के 6.5 प्रतिशत के मुकाबले में अंतिम साल में हमने अचीव किया सिर्फ 3.9 प्रतिशत, वह भी कार इनफ्रास्ट्रक्चर सैक्टर में। यह मैंने नहीं कहा। उनकी बात क्या की आपने-ब्रॉड मनी ग्रोथ। कहां गए किरीट भाई? किनती किताब पढ़ते हैं? ब्रॉड मनी ग्रोथ 8.9 परसेंट

[अनुवाद]

31 मार्च 2003 से 28 नवम्बर 2003 की अवधि के दौरान नवम्बर 2003 का विकास 11.8 प्रतिशत ही था। ऐसा एनुअल इनफ्लेशन रेट के बारे में कहा गया जो 5.38 परसेंट था, पिछले वर्ष के 3.27 प्रतिशत की तुलना में 6 दिसम्बर 2003 को समाप्त सप्ताह के लिए

[हिन्दी]

मतलब पिछले सालों में जो था, उससे बढ़ गया।

यह मैंने नहीं कहा, आपने कहा। इन सारी चीजों को आपने प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देते समय दबा दिया और हाउस के सामने छिपा दिया। जब मैं किताब पढ़ रहा था तो मैं दो बार चौंका कि यह सच है या गलत। मैंने वित्त मंत्रालय में फौन किया तो उन्होंने कहा कि यह हमारे डिवीजन की रिपोर्ट है, तब मैं रिपोर्ट को लाया। अगर वित्त मंत्री जी को हिम्मत है तो वह चुनौती दें कि दासमुंशी जी गलत कह रहे हैं। मैं उस रिपोर्ट का पेश करता हूं। उसके बाद क्या किया? पिछले वर्ष के 19.1 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2003-04 में निर्यात में 8.4 प्रतिशत (डालर में) वृद्धि हुई। ...*(व्यवधान)* अरुण जेटली जी को व्यापार मंत्रालय का भार दिया गया है 19.1 परसैंट पिछले साल किया और जो साल खत्म करके फील गुड करके जा रहे हैं, उसमें हमारा विदेशी व्यापार घट कर 8.4 परसैंट पर आ गया है। ...*(व्यवधान)* यह मेरा नहीं है। ...*(व्यवधान)* मैं इसे पुन: पढ़ता हूं ...*(व्यवधान)*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): पिछला साल भी हमारा ही था। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप जानते नहीं हैं। ...*(व्यवधान)* निर्यात में 8.4 प्रतिशत वृद्धि हुई। मुझे गुजराती नहीं आती है, मैं हिन्दी में बता रहा हूं। एक्सपोर्ट 8.4 परसैंट बढ़ा था। डालर टर्म में 2003-2004 अक्तूबर तक 19.1 परसैंट था, जो पिछले साल हुआ। इम्पोर्ट 21.5 परसैंट इनक्रीस हुआ, जोकि पहले सिर्फ 13.2 परसैंट था। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, आपकी है। इन सारी बीमारियों और बैकग्राउंड को छिपाने के लिए, नौवें प्लान के दस्तावेज को छिपाने के लिए आपके सामने चार आंकड़े हैं। पहला आंकड़ा यह है कि देशवासियों सुनो-सुनो बड़ी खबर, हमारी सरकार ने सौ बिलियन की राशि इकट्ठी की। यह कहां से इकट्ठी की, अगर स्कूल के बच्चे पूछेंगे कि साहब, आपने सौ बिलियन की कमाई की। अरे नेहरू जी क्या, अटल जी आपका नाम हम दुनिया के नम्बर वन लीडर में गिनेंगे। सौ बिलियन की आमदनी, क्या सौ बिलियन हम एक्सपोर्ट की कमाई से लाए, धान बेच कर लाए, नहीं, सौ बिलियन हमारे देश में कुछ लोगों ने ब्याज के हिसाब से डिपोजिट रखा। वह डिपोजिट कहां से हुआ, शोर्ट टर्म डिपोजिट की रेश्यो ज्यादा है। वित्त मंत्री जी हाउस को संतुष्ट करें कि लोंग-टर्म डिपोजिट ज्यादा है या शोर्ट-टर्म डिपोजिट ज्यादा है। ...*(व्यवधान)* शार्ट-टर्म डिपोजिट ज्यादा है। ...*(व्यवधान)* आपका अर्थ-नीति पढ़नी चाहिए। आपने पढ़ी नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं। ...*(व्यवधान)* शार्ट-टर्म डिपोजिट के लिए एशियन क्राइसेस हुआ था, क्यों? ...*(व्यवधान)*

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): आप यह बताइए कि एक्सपोर्ट कितना हुआ? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं अभी आपको बताता हूं।

[अनुवाद]

अप्रैल-अक्तूबर 2002-03 में 19.1 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-अक्तूबर 2003-04 में नियति में अमेरिकी डालर में 8.4 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

[हिन्दी]

2002-03 आप खुश हो गए। फील गुड? ...*(व्यवधान)* धन्यवाद। आपको फील गुड करने के लिए मैं कुछ और कहूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री दिग्विजय सिंह: आप यह बताइए कि टोटल एक्सपोर्ट कितने बिलियन डालर हुआ। ...*(व्यवधान)* आप फीगर बताइए? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं टोटल पर आ रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप दोनों इस तरह बीच में बोलते रहेंगे, हम भी बीच में हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उपाध्यक्ष महोदय, आज के आरबीआई बुलेटिन के मुताबिक एक्सपोर्ट ग्रोथ 8.5 प्रतिशत है और इम्पोर्ट ग्रोथ 20 प्रतिशत है। मैं भू.पू. वाणिज्य मंत्री रह चुका हूं। इसमें कोई शक नहीं है। ...*(व्यवधान)* दिग्विजय जी, अगर आप बहस में भाग लेना चाहते हैं तो मैं बहुत खुश हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह: तो मैं अपना नाम वापस लेता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: वित्त मंत्री जी ने बहुत सारे आंकड़े दिए हैं। मैं दिग्विजय सिंह जी को आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा।

वह सरकार में विदेश मंत्री हैं, काम-काज में बड़े बिजी रहते हैं, देश के बाहर की खबर ज्यादा लेते हैं। देश के अन्दर की खबर लेने के लिए आपको एक मिनट अपने पी.ए. को कह दीजिए कि लाइब्रेरी से आपको मंथली इकोनोमिक रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दिसम्बर, 2003 की कापी उपलब्ध कराये। उसे पढ़ने के बाद आप घर में जाकर अपने परिवार से सलाह कीजिए और तय कीजिए कि मुझे फील गुड करना चाहिए या फील बैड कहना चाहिए। आप अपने घर में सलाह लीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ कष्ट करके आज रात को इसे पढ़िए।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी 100 बिलियन डालर की कहानी तो मैंने कह दी। यह 100 बिलियन डालर हमारी कमाई नहीं है। यह हमारे पास डिपाजिट रखते हैं, अगर इस 100 बिलियन डालर को हम यूटीलाइज नहीं करेंगे, ठीक से इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो चार परसेंट की दर से इस पर 25 हजार करोड़ ब्याज भरना होगा। अगर वे डिपाजिट विथड्रा करना शुरू करेंगे, जैसे साउथ कोरिया में किया तो हम खोखले हो जाएंगे, एशियाई संकट की यही वजह थी। मैं नहीं चाहता कि हमारी सरकार और हमारा देश बर्बाद हो जाये, लेकिन यह मेरा कर्त्तव्य होता है कि मैं आंकड़े देकर समझाऊं कि मैं किस हैल्दी ग्राउण्ड में हूं और किस हैल्दी ग्राउण्ड में नहीं हूं।

फील गुड फैक्टर का दूसरा ग्राउण्ड स्वर्णिम चतुष्कोण है। इस बारे में पंडित जी ने कुछ नहीं किया, लाल बहादुर जी ने कुछ नहीं किया, इंदिरा गांधी जी ने कुछ नहीं किया, मोरारजी देसाई जी ने कुछ नहीं किया, वी.पी. सिंह जी ने कुछ नहीं किया। अचानक इस देश में घुमाने के लिए ...*(व्यवधान)*

श्री दिग्विजय सिंह: यह कोई नहीं बोला। यह हमने कभी नहीं बोला, हमने सिर्फ इतना बोला कि आप 11 किलोमीटर साल भर में करते थे, हमने एक दिन में 11 किलोमीटर करके दिखाया। हमने कभी पंडित जी के खिलाफ या वी.पी. सिंह जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: एक मिनट सुनिये, इसमें कहा गया है: ''देश की विशाल आर्थिक स्थिति पिछले पचास वर्षों से कहीं अधिक बेहतर रही है।'' क्या इसमें यह नहीं आता है? ...*(व्यवधान)*

श्री दिग्विजय सिंह: यह सही है। हमने नाम नहीं लिया, लेकिन क्या हम अपनी तारीफ नहीं करें?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: ठीक है।

श्री दिग्विजय सिंह: पंडित जी प्रधानमंत्री के अलावा देश के सम्मानित नेता हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू को देश में कौन भूल सकता है, वे सम्मानित नेता हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप दोनों बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अगर आप ऐसा कहेंगे तो आपको बी.जे.पी. एन.डी.ए. से निकाल देगी।

श्री दिग्विजय सिंह: चाहे हमें देश से निकाल दीजिए, लेकिन पंडित जी इस देश के सम्मानित नेता हैं और मैं यह हर समय कहूंगा।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं आपका आभारी हूं कि अब सत्ता पक्ष के लोगों में अभी भी ऐसे लोग हैं जो यह मानते हैं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू एक निर्माता थे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, मेरे पास आपको बधाई देने के लिए शब्द नहीं हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दिग्विजय सिंह, यदि आप उनसे कोई स्पष्टीकरण लेना चाहते हैं और यदि वह सहमत हों तो मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

श्री दिग्विजय सिंह: महोदय, मैं उनकी बात को ठीक कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में जितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनकी टोटल लम्बाई कितनी है, यह मैं पूछना चाहता हूं। वे 50 हजार किलोमीटर हैं, इससे थोड़े कम होंगे या थोड़े ज्यादा होंगे। ये सारे राजमार्ग किसी न किसी प्रधानमंत्री के समय बने हैं। इन राजमार्गों को बनाने के लिए क्या-क्या चीज चाहिए थी? जमीन का एक्वीजीशन, नहीं तो राजमार्ग नहीं बनते। उन जमीनों के एक्वीजीशन के समय भी 2-3 लेन की जमीन लेकर ही एक्वीजीशन आर्डर होता था। राजमार्गों का सिर्फ दो प्रान्तों में इतना एक्वीजीशन नहीं हुआ है, एक प्रान्त का नाम पश्चिम बंगाल है और दूसरे प्रान्त का नाम बिहार है, जहां उतनी जमीन का एक साथ एक्वीजीशन नहीं कर पाये। बाकी पूरे हिन्दुस्तान में फोर लेन रोड बिछाने की जमीन एक्वीजीशन करके ही उनके ऊपर नेशनल हाईवे बने हैं। मैं वाजपेयी सरकार को इतनी तो बधाई जरूर दूंगा कि उन राजमार्गों पर, उन जमीनों के ऊपर दूसरी लेन या तीसरी लेन बनाने की योजना का पैसा लाकर उसे ब्लैक टॉप करने का काम शुरू किया। लेकिन देश में संदेश क्या जा रहा है कि गोल्डन क्वाड्रीलेटरल में 550 हजार किलोमीटर, कोई कहता है, 150 हजार किलोमीटर, सब इस सरकार ने बनाया है। मैं कह रहा हूं कि 50 हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे के साथ अगर आप तीन गुना करें तो 150 हजार आटोमेटिक हो जाता है, इसलिए कि तीन लेन उसी जमीन में जोड़ना पड़ता है, जो पहले से ही एक्वायर की हुई है।

इन सारी बातों पर स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहिए। देश में अगर एक इंच काम भी श्री वाजपेयी जी ने किया है तो उसकी बुराई करने के लिए मैं खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं जानता हूं कि देश की सरकार कभी कोई अच्छा काम करे, यही वाजपेयी जी जब यहां बैठते थे तब उन्होंने 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी को मां दुर्गा कहा था, भले ही आज यह कहें कि 50 साल में कुछ नहीं किया। वाजपेयी जी ने एक सेमीनार में कहा था कि माडर्न इंडिया की डेमोक्रेसी के आर्किटेक्ट पंडित जवाहर लाल नेहरू हैं। आज बीजेपी का नारा है कि 50 सालों में कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हो रहा है यानी भारत उदय ...*(व्यवधान)* भारत अस्त काल में था—क्या भारत के अस्त काल में जाने के लिए श्री मोरारजी देसाई जी जिम्मेदार हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: मुंशी जी, आपको दुख न हो, हम यह नहीं कहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: क्या उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जी नहीं, महोदय।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक: हम यह नहीं कहते, आप दुखी न हों, आपने कुछ किया है लेकिन हमने ज्यादा किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उपाध्यक्ष महोदय, यह तीसरी उपलब्धि के बारे में कह रहे हैं। इनकी पहली उपलब्धि 100 बिलियन डालर है जो गांवों में बांटनी है। उसका मतलब क्या है, किसी को समझाया नहीं है। इनकी दूसरा उपलब्धि स्वर्ण चतुर्भुजी तथा तीसरी उपलब्धि फूडग्रेन है। वित्त मंत्री ने कल अपनी स्पीच में खुद कहा कि

[अनुवाद]

"सरकार दूसरी हरित क्रांति के बारे में विचार कर रही है।"

[हिन्दी]

दूसरी हरित क्रान्ति है। इसका मतलब पहली हरित क्रान्ति हो चुकी है। पहली हरित क्रान्ति किस समय में हो चुकी है? श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के समय में पहली हरित क्रांति हो चुकी है जिसके बल पर हमने पाकिस्तान के साथ लड़ाई की और बंगलादेश को आजाद होने में मदद की। हमने 120 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया है। उन्होंने खुद कबूल किया कि पहली हरित क्रान्ति पिछली सरकार करके गयी है और दूसरी हरित क्रान्ति के लिए हम सोच रहे हैं। आपकी सोच को मैं बधाई दे रहा हूं। अगर इन्होंने कबूल किया है कि पहली हरित क्रान्ति हो चुकी है तो यह संदेश क्यों दे रहे हैं कि 50 सालों में कुछ नहीं हुआ, सब सोए रहे। इस सरकार की उपलब्धि क्या है? इस सरकार की 1999 की पहली बड़ी उपलब्धि है—कारगिल। कारगिल। जीता कौन—हिन्दुस्तान। जीता कौन—श्री अटल बिहारी वाजपेयी और मरा कौन—फौज। शहीद कौन हुआ—फौज लेकिन गलती किसकी बतायी नहीं।

जब हम लोग सदन में बैठे तो सुब्रह्मणियम कमेटी ने कारगिल के ऊपर अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में कहा गया कि कारगिल के शहीद मां की गोद से छीने न जाते अगर खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई होती। वह रिपोर्ट आज भी मौजूद है। आपकी लापरवाही के लिए हमारे जवानों ने वर्ष 1999 में अपनी जान गंवायी। वर्ष 1999 का अंत कैसे हुआ? कारगिल में छुरा

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

किसने मारा-श्री परवेज मुशर्रफ ने जो उस समय जनरल थे। आज के वित्त मंत्री ने वर्ष 1999 में क्या किया? देश के बड़े आतंकवादी को सलामी के तौर पर अफगानिस्तान में जाकर भेंट के रूप में दे दिया। उससे हाथ मिलाकर कहा कि अजहर मसूद, तुम यहां तालिबान में रहो, मुझे जाने दो। यह वर्ष 1999 की उपलब्धि है। वर्ष 2000 की उपलब्धि क्या रही? देश के गरीब लोग यू.टी.आई. का कागज लेते थे, वह यू.टी.आई. स्कैम हुआ। 25 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ, यह वर्ष 2000 की उपलब्धि है। फील गुड क्योंकि यूटीआई का स्कैम हुआ। तहलका के लिए श्री तरुण तेजपाल को सजा हुई। उनकी कंपनी को इस सरकार ने खत्म कर दिया। उस कंपनी ने पैसा दिया और उनको ही जेल की सलाखों के पीछे घुसा दिया लेकिन यूटीआई का पैसा जिन लोगों ने लूटा, उनमें से एक भी आदमी को इस सरकार ने कुछ नहीं कहा। यह वर्ष 2000 की उपलब्धि है।

वर्ष 2001 की उपलब्धि क्या है? वर्ष 2001 की उपलब्धि है-तहलका। वर्ष 2001 की और उपलब्धि क्या है, उसे यदि मैं कहूंगा तो इनको दुख होगा। मजबूत सरकार दांये श्री अटल बिहारी वाजपेयी और बांये श्री लालकृष्ण आडवाणी। वर्ष 2001 की और उपलब्धि क्या है? 50 सालों में दुनिया के किसी भी देश में हिन्दुस्तान की पार्लियामैंट की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं की, 13 दिसम्बर को उग्रवादी आकर हमारी पार्लियामैंट पर हमला करके चले गये और बेबस सरकार खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट लेने के बाद भी उन पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पायी। लोक सभा और राज्य सभा सैक्रेटेरियेट के बिना आर्म्स के आदमी और दो-चार पुलिस के जवानों ने अपनी जान देकर भारत की इज्जत की सुरक्षा की। उसमें इस सरकार की कोई बहादुरी नहीं है। इन्होंने जान-बूझकर इसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की। यह आपकी 2001 की उपलब्धि है।

2002 की उपलब्धि कितनी है। 2002 की इतनी उपलब्धि है कि कम्बोडिया जाने से पहले प्रधान मंत्री जी को गुजरात में यह बोलना पड़ा कि यहां जो दंगा हो रहा है, मैं बाहर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। खुद प्रधान मंत्री जी ने यह कहा। उनकी 2002 की उपलब्धि है कि मैं बाहर जाकर कैसे मुंह दिखाऊंगा।

2003-ईराक के ऊपर हमला हुआ। यह सदन गवाह है। उधर पंडित जी नेता थे, लाल बहादुर जी नेता थे। हम गुटनिरपेक्ष नीति के लिए लड़ते थे और कहते थे कि अगर हमारे ऊपर किसी ने हमला किया तो हम डटकर लड़ेंगे, निन्दा करेंगे। इस सदन में 2003 में ईराक के ऊपर हमले के खिलाफ एक बायन देने के लिए सात दिन तक संघर्ष करना पड़ा और उसके बाद सुझाव आया कि बयान होगा लेकिन अंग्रेजी में नहीं, हिन्दी में होगा। क्यों? जार्ज बुश अंग्रेजी समझते हैं इसलिए हिन्दी का तजुर्मा जो करें, करें, हम हिन्दी में निन्दा करेंगे, अंग्रेजी में नहीं। यह भी हमारे देश की एक नई उपलब्धि है।

2004 की उपलब्धि क्या है। फील गुड। पिछले हफ्ते मैं अपनी कौन्सटीटूएंसी गया था। मैंने पूछा कि फील गुड के बारे में कुछ सुना है। गांव के लोगों ने हमें कहा साहब, हमारे बंगाल में खजूर का गुड़ मिलता है, गन्ने का गुड़ मिलता है, तिलहन का गुड़ मिलता है, यह फील गुड कहां से आया। मैंने कहा कि अमरीका से आया है। यह गुड़ भी कभी-कभी खाना पड़ता है। खाओ, मीठा लगेगा। इसे खाने के बाद इतना दर्द होगा कि कोई डाक्टर इलाज नहीं कर पाएगा। अब इनके पास फील गुड आ गया। बीजेपी के अध्यक्ष ने सही कहा कि अभी गांव-गांव में जाकर प्रचार करो, नमस्ते, हैलो, हाय मत करो। *...(व्यवधान)*

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

मैं फील गुड का अर्थ बता रही हूं। फील गुड किसी गुड़ की क्वालिटी का नाम नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अच्छा। फील गुड की हिन्दी क्या है। आप हिन्दी भाषा की जानकार हैं। *...(व्यवधान)* मैं अनपार्लियामैंट्री वर्ड यूज नहीं करूंगा। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अगर कोई अनपार्लियामैंट्री वर्ड यूज करेंगे तो मैं उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: फील गुड की हिन्दी क्या है, मैं नहीं जानता। कोई कहता है सुखद वातावरण, कोई कहता है सुखद आभास, कोई कहता है खुशी का अनुभव। हिन्दुस्तान में शायद हैल्थ मिनिस्ट्री बता पाएगी। टीवी में सबसे बड़े पैमाने पर एक चीज का विज्ञापन आता है और उसके नीचे सुखद अनुभूति भी आता है। सभी गर्भनिरोधक जिनका उत्पादन भारत में परिवार नियोजन और नियंत्रण हेतु किया जाता है। लोगों को खुद समझना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है। इसके लिए एक कमेटी बिठा दीजिए और एनडीए को उसका चेयरमैन बना दीजिए कि इसका तर्जुमा करे।

[अनुवाद]

महोदय, संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी स्थानीय और अमेरिका और विशेषकर कैलीफोर्निया की बोलचाल की भाषा के उपयोग से आई है। कैलीफोर्निया के लोग महसूस करते हैं कि यदि आप किसी का नाम लें जो कुछ हो रहा है चाहे वह पहले से हो या

न हो आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। इसलिए यह आयात भारत में बहुत सफल आयात है-फील गुड।

[हिन्दी]

मैं बीजेपी को बधाई दूंगा कि बीजेपी ने पूरे देश को एक नारा दे दिया। इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी को भी बधाई दूंगा। मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं हैं, नहीं तो मैं ज्यादा शब्द यूज करता। बीजेपी ने देश में नारा बना लिया-फील गुड बोलिए, जय श्री राम भूलिए। यह जो बीजेपी ने किया है, इसके लिए मैं बीजेपी को बधाई देना चाहता हूं क्योकि अभी इन्होंने जय श्रीराम छोड़ दिया, फील गुड को पकड़ लिया।

दिग्विजय सिंह जी चले गये। कम से कम उन्होंने नेहरू जी को याद तो किया। अब उनका एनडीए में क्या परिणाम होगा, मैं नहीं जानता हूं।

[अनुवाद]

महोदय, मैं शिक्षा के विषय पर आऊंगा। वित्त मंत्री के स्थान पर कौन बैठा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): मैं यहां बैठा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: हां, वह यहां है, वह गोवा के हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सर, सरकार को इतना फील गुड हो गया कि बैंच पर कोई नहीं है। इतनी लापरवाही सदन में कभी किसी ने नहीं दिखाई। इतना अहंकार, इतना अभिमान इस सरकार को हो गया, यह डिबेट इसकी मिसाल है। एजुकेशन-मुरली मनोहर जोशी जी नहीं है। उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी नहीं है। शिक्षा से देश का बनावटी काम शुरू होता है। नौवीं योजना की रिपोर्ट है।

मैं नौवीं योजना की उपलब्धियों से उद्धृत करना चाहूंगा। यह कॉपी ले जाएंगे या रात में जाकर पढ़ेंगे?

[अनुवाद]

> ''प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या की सीमा तक कम हुई जो 43 से 40 हो गयी लेकिन अंत में यह गिरकर 56 से 54 हो गयी।''

इसी संदर्भ में, सर्व शिक्षा अभियान सामने आया।

[हिन्दी]

सोनिया गांधी जी ने इसका जिक्र किया। सर्व शिक्षा अभियान में आज की तारीख तक किसी प्रांत को बीस प्रतिशत से ज्यादा पैसा नहीं मिला। उपलब्ध ही नहीं हुआ। कम की बात बाद में करो। ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं। अब मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करूंगा। इनकी साइंस एंड टैक्नोलोजी आप जानते हैं। मुरली मनोहर जोशी जी ने इसको किस ढंग से चढ़ाया है?

अब मैं सबसे बड़े मुद्दे पर आ रहा हूं और वह मुद्दा किसानों का मुद्दा है। जो किसान इतनी कठिनाई के बावजूद इस सरकार की कम से कम लाज बचाने के लिए, मुख दिखाने के लिए फील गुड कहने के लिए मौका देकर, उनकी पैदाइश बढ़ाकर एक क्वार्टर के लिए जीडीपी की ग्रोथ को जम्प कराया, उन्हीं किसानों के लिए क्या किया? वित्त मंत्री जी ने स्पीच में कहा है कि किसानों के लिए हम क्या करेंगे। जरा सुनिए। इंटरेस्ट की रेट अब क्रॉप लोन्स घटाकर 9 प्रतिशत की है। 'नाबार्ड' को एडवाइस किया गया है कि तुम इस दिशा में काम करें और पब्लिक बैंक्स को सुझाव दिया गया है कि तुम इस दिशा में काम करो और किसान को कहा गया है कि तुमको मैंने क्रैडिट कार्ड दे दिया। यहां बिहार के सज्जन एनडीए में बैठे हुए हैं। यह सदन असत्य बोलने की जगह नहीं है। सर, मैंने तीन प्रांतों के आंकड़े लिये हैं। बिहार, यू.पी. और राजस्थान हैं। तीनों प्रांतों के किसानों के पास आज की तारीख तक पच्चीस प्रतिशत तक किसान क्रैडिट कार्ड नहीं पहुंचे हैं और जिनको पहुंचे हैं ...*(व्यवधान)* राज्य सरकार नहीं बांटती। बैंकों के द्वारा होता है। बैंकों ने क्रैडिट कार्ड को रिसीव करना तो छोड़िए, किसानों को इतना हैरान किया है कि फलानां कागज लाओ, फलानां कागज लाओ कि वह दुख के साथ चला गया। बैंक ऑफ बड़ौदा, सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, इन सारी बैंकों के आंकड़े लेकर वित्त मंत्री जी सदन में प्रस्तुत करें और आज वित्त मंत्री जी ने क्या किया? उन्होंने किसानों का मजाक उड़ाया और कहा कि इन क्रैडिट कार्ड को लेकर आप कहां जा सकते हैं?

[अनुवाद]

> ''... मौजूदा किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) में इसके पश्चात् व्यक्तिगत अनुरोध पर परिवर्तन कर दिया जायेगा ताकि जहां भी यह सुविधा हो इसका ए.टी.एम. मशीनों के लिए इसका उपयोग किया जा सके।''

[हिन्दी]

यह भी सुनिए कि क्या मोडिफाइ किया? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बीच में व्यवधान उत्पन्न मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह हमें आप लोग बताइए। किसान जहां रह रहे हैं, क्या वहां हिन्दुस्तान की बैंक की एटीएम की मशीन हैं? यह मजाक किसके साथ हुआ है? कहां वे एटीएम में जाकर ऑपरेट करेंगे?

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): सरकार नियम बनाएगी तभी तो होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अब चुनाव में जा रहे हैं। चुनाव में जाने से पहले उनको कुछ दे दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत: उपाध्यक्ष महोदय, दासमुंशी जी जैसे व्यक्ति ने ऐसा कहा। शासन के आदेश होंगे तभी तो उनका पालन होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: गांव के जो किसान हैं, वे एटीएम मशीन को वहां कहां ढूढेंगे? सरकार 25 प्रतिशत शहरों में तो एटीएम मशीनें लगा नहीं सकी, वह चुनाव के पहले गांवों में कैसे मशीनें लग पाएगी और कैसे उसे किसान आपरेट करेंगे, इसका कोई पता नहीं है। नेरे साथी ने ठीक कहा कि गांवों में एटीएम की मशीनों की जरूरत नहीं है, किसान गांव से पैसे खर्च करके शहर जाएगा और वहां जाकर अपने कार्ड का एटीएम में इस्तेमाल करेगा।

मैं एक और आंकड़ा यहां पेश करना चाहता हूं, उसका जिक्र वित्त मंत्री जी ने अपने अंतरिम बजट भाषण में नहीं किया था, लेकिन केबिनेट के फैसले के बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए 50,000 करोड़ का एक कोष नाबार्ड बनाएगी। नाबार्ड का आप एनुअली बुलेटिन सदन में पेश करें और देखें कि पिछले तीन सालों में नाबार्ड ने अपनी हिम्मत से 3000 करोड़ रुपए से 5000 करोड़ रुपए तक ही पैसा जुटाया है। उसकी अपनी कैपेसिटी ही इतनी है कि इससे ज्यादा पैसा देने की उसकी हिम्मत नहीं है। इसलिए वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में इसका उल्लेख नहीं किया, क्योंकि नाबार्ड ने टोका होगा कि आप तो डूबोगे ही हमें भी डुबा दोगे। अब हो यह रहा है कि 50,000 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी उसको दी जाएगी। यदि यह किसानों का अपमान, उपहास, उनके साथ धोखाधड़ी नहीं है तो और क्या है? हमारे देश का किसान तकलीफ में है, मैं उनका कर्ज माफ कर रहा हूं, नहीं, माफ शब्द नहीं बोला। कर्ज के बारे में क्या कहा, यह मैं वित्त मंत्री जी की स्पीच से पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं-

[अनुवाद]

"फसल ऋण खातों के संबंध में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों से संबंधित लिखित आदेशों से किसानों को ऋण प्रदान करने में समस्याएं उत्पन्न हो गयी है जिनके तहत कृषि आय की मौसम-निर्भरता और अनिश्चितता का पूरा-पूरा ध्यान नहीं रखा गया है।"

वित्त मंत्री जी ने आगे कहा-

"इस मामले का समाधान करने के लिए प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री के अधीन एक समिति गठित की गयी है। 90 दिनों के भीतर उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश की जायेगी।"

सरकार इन गैर निष्पादनकारी आस्तियों को छूट देने के लिए कानून अथवा अध्यादेश तक नहीं ला सकती। ऋण वसूली न्यायाधिकरण की नियुक्ति के पश्चात् इंडियन बैंक एसोसिएशन ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इस संसद द्वारा यह कानून पारित किया गया था।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह सब धोखाधड़ी नहीं तो और क्या है। वित्त मंत्री देश अथवा लोगों पर ऐसे कैसे धौंस जमा सकते हैं? जिन किसानों की दौलत पर आप सात प्रतिशत ग्रोथ रेट की बात करते हैं, उनको ही आधार बनाकर इसमें फंसाना चाहते हैं। यह सब इस सरकार का करा-धरा है। उनको बेइज्जत करके कहते हैं कि बोलो, बोलो-फील गुड। अब वह क्या बोलेगा, वह तो जमीन में दबा होगा। यह वित्त मंत्री जी का बयान है कि तुम्हारा कर्ज माफ करने के लिए कमेटी बनाई है, माफी नहीं बोले, कहा कि वह कमेटी जांच-पड़ताल करके 90 दिनों के बाद रिपोर्ट देगी, फिर करेंगे और तुम्हारे क्रेडिट कार्ड बन जाएंगे, एटीएम लग जाएगी, पैसा मशीन में जाएगा। मशीन कहां और कब लगेगी, कोई पता नहीं, फिलहाल मुझे वोट दो। इसका मतलब है-ए किसान एक चवन्नी ले लो, थोड़ा बहुत दे दो। इस तरह से काम नहीं चलेगा। इस देश का किसान बहुत समझदार है। उसने जब 1977 में इंदिरा गांधी को गिरा दिया, तो वह और किसकी परवाह करेगा। वह किसी की परवाह नहीं करता, वह चाहे तो आपको गिरा दे, हमें गिरा दे। उसके स्वाभिमान के साथ आपने खिलवाड़ किया है, उसके साथ धोखा दिया है, उसका जवाब आपको मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिफेंस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी ने बड़े गर्व के साथ कहा कि हम डिफेंस के आधुनिकीकरण के लिए 25,000 करोड़ रुपए का फंड बना रहे हैं। आप जानते हैं बच्चा-बच्चा जो इकोनॉमिक्स पढ़ता है, वह जानता है कि फिस्कल डैफिसिट घटाने के लिए सबसे बड़ा मैकेनिज्म है कंट्रोल आन दि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप बताएं कि मैंने ठीक कहा या गलत कहा। अगर आप केपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रोल करके फिस्कल डैफिसिट घटाना चाहते हैं तो सरकार इनकंपीटेंट है। वित्त मंत्री जी ने वह घाटा दिखाया है, फिसक्ल डैफिसिट का, वह केपिटल एक्सपेंडिचर को घटाकर उसमें डिफेंस का-5,000 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग नहीं किया गया। वह आ गया सब्सिडी का तीन हजार करोड़ रुपया, यानी इस तरह आठ हजार करोड़ रुपये हो गया। ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर न घटाकर के फिस्कल डैफिसिट कंट्रोल में दिखाकर डिफेंस को सुरक्षित नहीं रखा है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं और सारी एनडीए सरकार, वर्तमान राज्यपाल, पूर्व सांसद माननीय मदन लाल खुराना जी को कहना चाहता हूं कि दो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स सदन में पेश हुई थीं। रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 19वां और 21वां प्रतिवेदन। इसमें इन्होंने कहा कि डिफेंस ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में जो लापरवाही दिखाई, जवानों को हथियार उपलब्ध कराने में लापरवाही दिखाई, फिर भी कहते हैं फील गुड फैक्टर। कैसा फील गुड फैक्टर? कितने ही पायलट मिग-क्रैश में मर गये। उनकी बीवियो ने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया। लेकिन दिखाने के लिए रक्षा मंत्री महोदय एक दिन कॉक-पिट में बैठकर कहते हैं कि मैं तो सुरक्षित हूं मेरे को देखो। टीवी ने दिखाया कि माननीय जार्ज साहब कॉक-पिट में घुसे, निकल गये, कुछ नहीं हुआ। उनके साथ जो पायलट था वह सीनियर पायलट था। लेकिन जो यंग पायलट मर गये, उनकी कौन सुनें? सबसे ज्यादा मिग-क्रैश में अगर पायलटों की मौत हुई है तो वह इस सरकार के समय में हुई है। फैसला क्या हुआ कि एजेटी खरीदो। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को चैलेंज कर रहा हूं। जब वे रक्षा मंत्री थे तब माननीय अटल जी की कैबिनेट एजेटी खरीदने का फैसला कर चुकी थी। रक्षा मंत्री जी ने सदन में बयान दिया कि एजेटी ब्रिटिश हॉक से लिया जाएगा। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि इस सौदे का फैसला रोक दिया गया क्योंकि मंत्रिमंडल में कुछ लोग चाहते थे कि ब्रिटिश हॉक से खरीद न करके चैक से खरीद की जाए। मिग के पायलट की बीवी से जाकर कहो कि फील-गुड, वह आपसे कहेगी मैं तुमसे घृणा करती हूं मैं तुम पर थूकती हूं। यह तो आपने रक्षा का इंतजाम किया है।

अंत में मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं, जिसका जवाब माननीय वित्त मंत्री जी को देना पड़ेगा। दिनांक 27 जनवरी 2004 को मैंने डिफेंस सैक्रेट्री जी को पत्र लिखा और उसकी कॉपी वित्त मंत्री जी को, विदेश मंत्री जी को, कैबिनेट सैक्रेट्री जी को, गृह मंत्री जी को और माननीय प्रधान मंत्री जी को दी। पत्र इस प्रकार है-

[अनुवाद]

"चूंकि हमारी पार्टी रक्षा मंत्री जी से इन मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रही है, कारण आपको ज्ञात है, मेरे पास इसके सिवाय और कोई विकल्प नहीं है कि मैं हमारे देश और रक्षा के हित से जुड़े एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करूं। मेरे ध्यान में यह बात लायी गयी कि फ्रांस में पेरिस में स्थित हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डेजाल्ट/थेल्स के विरुद्ध, जो मिराज लड़ाकू विमान के विनिर्माता हैं, प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत सरकार को की गयी अंतिम बिक्री के संबंध में हाल ही में एक अति महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया है। वस्तुत:, थेल्स द्वारा आपूर्ति किये गये विमानों के सभी इलैक्ट्रानिक उपकरण के उनके ठेकों पर प्रश्न चिह्न लग गया है। यह समझा जा रहा है कि रक्षा मंत्री जी तथ्यों का पता लगाने और शेल्स के ब्यौरे और उसकी स्थिति जानने के लिए पेरिस में भारतीय दूतावास से संपर्क बनाए हुए हैं। यह आश्चर्यजनक है कि यद्यपि संज्ञान तथ्य को यूरोपीय मीडिया में बहुत प्रचार मिला है और पेरिस में हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस की कार्यवाही में दर्ज किया गया है, चाहे कोई प्राधिकरण, मंत्रिमंडल सी.सी.एफ. के द्वारा ही चुनाव से पूर्व हमारी पनडुब्बियों और ऐसे निर्णय के लिए उसी कंपनी 'थेल्स' के साथ महत्वपूर्ण ठेके को अंतिम रूप कैसे दे सकता है? इसे बहुत-से प्रश्न और आशंकाएं उत्पन्न होंगी। यह और भी आश्चर्यजनक है कि सारी खरीद-फरोख्त की कार्रवाई एकल विजेता आधार पर की गयी जिसमें कतिपय विकल्पों का और लागत का पता लगाए बिना मूल्य कृत्रिम रूप से बढ़े-चढ़े हुए हैं, सरकार कैसे ऐसी संदिग्ध छवि वाली कंपनी के साथ ऐसी बातों का समाधान कर सकती है? क्या यह सच है कि उक्त पनडुब्बी की प्रौद्योगिकी सिद्ध भी नहीं है, यहां तक कि फ्रैंच नौ सेना तक में इसके उपयोग की भी कोई जानकारी नहीं है। बाद में मुझे यह बताया गया कि विगत में रक्षा मंत्रालय में सी.वी.ओ. द्वारा थेल्स की ईमानदारी संदेहास्पद है और पाकिस्तान की नौ सेना के पूर्व चीफ को थेल्स के साथ गैर-कानूनी और अनुचित सौदेबाजी के लिए यू.एस.ए. से वापस उसके देश भेज दिया गया। आपको यह बताना मेरा कर्त्तव्य है कि इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाए कि यह हमारे देश और सरकार की ईमानदारी में अड़चन है कि ऐसा गुप्त सौदा विधि मंत्रालय, सी.पी.सी., सी.ए.जी. और रक्षा संबंधी स्थायी समिति की व्यापक राय के बिना न किया जाए।"

अब स्थायी समिति नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह अपील करूंगा कि किसी ने भी अभी तक मेरे पत्र की पावती नहीं भेजी है।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

[हिन्दी]

अगर थेल्स सबमैरीन डील हो रही है, तो सदन को विश्वास में लीजिए कि फ्रैन्च की हाईकोर्ट में कमीशन पेमेंट करने के लिए एजेंट के बारे में जो तर्क हुआ था, उसमें अदालत के निर्णय नहीं लिया है। अगर निर्णय लिया है, तो वह निर्णय क्या है? इस बारे में सदन को बताइए और यह भी बताइए कि थेल्स के साथ सरकार के रक्षा मंत्रालय का क्या संबंध है?

अंत में, मैं एक बात कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य श्री किरीट सोमैया ने अपने भाषण के दौरान कहा है कि हमारा नेता कौन है। मैं अटल जी का आदर करता हूं। मैं उनका आदर प्रधान मंत्री होने के नाते नहीं करता है, बल्कि इसलिए कि वे इस देश के, सदन के विद्वान और समझदार व गतिशील नेता है। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना है। हमारी नेता सोनिया जी ने कहा-अटलजी जो कहते हैं, उस पर अटल नहीं रहते हैं। इसलिए सोचना मुश्किल होता है कि कौन असली है, कौन नकली है। ऐसा ही विचार नेता के बारे में गोविन्दाचार्य जी ने भी दिया और श्री किरीट सोमैया जी ने सोनिया जी को बहुत गाली देते हुए कहा कि वे विदेशी है। मैं कहता हूं-हां, विदेशी हैं। उनका जन्म विदेश में हुआ है। लेकिन गुरुदेव टैगोर जी कहते थे-इस देश में आर्यन आए, नान-आर्यन आए, मंगोलियन आए, पठान आए, मुसलमान आए, बौद्ध आए, लेकिन हमने सभी को मिलाकर सागर की तरह समेट लिया। यह बात गुरुदेव टैगोर जी ने कही है।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): ये इस देश के लोग हैं। अपने सिद्धांतों से आप हमें मत बहकाइए ...*(व्यवधान)* ये लोग बाहर के नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री खारबेल स्वाइं जी, आप कृपया बैठ जाइए। जब आपकी बारी आए तब आप इसका खंडन करें। आप चर्चा में भाग लेने वाले हैं। आपको अवसर मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं कहना चाहता हूं, हमारी लीडर गांधी परिवार की बहू है, जिनका जन्म हिन्दुस्तान में नहीं हुआ है। यह बात जानते हुए भी एनडीए की सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि वह संविधान में संशोधन करती कि भारत में जो पैदा हुआ है, वही पद पर आ सकता है। आपकी सत्ता थी, लेकिन आपने यह संशोधन नहीं किया। गांधी परिवार ने हिन्दू धर्म का उच्चारण करके, इंदिरा जी ने अपने बेटे राजीव गांधी की बहू बनाने के लिए घर बुलाया। उनकी गोद में इंदिरा जी का खून अस्पताल तक पहुंचा, उनके ही परिवार में कमला नेहरू जी ने पंडित जी को जेल में रहते हुए, अपनी जान दे दी। उनके परिवार में इंदिरा गांधी जी की परवरिश गुरुदेव टैगोर ने की और इंदिरा गांधी के खून का कतरा उनकी गोद में गिरा। लेकिन इनको अपने 40 साल के नौजवान पतिदेव को देखने का मौका नहीं मिला। इनके पति की मौत श्री पेरम्बदुर में हुई और आज उनकी बच्ची प्रियंका और बेटे राहुल गांधी को निशाना बनाने से श्री प्रमोद महाजन नहीं चूकते हैं। यह देश गवाह रहेगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन मैं हिम्मत के साथ कह सकता हूं, अटलजी का आदर करते हुए, कि इनके परिवार के लोगों ने आजादी के समय अपना जीवन जेल में बिताया। उस समय राजीव गांधी पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन अटलजी और आडवाणी जी तो पैदा हुए थे, उस समय जवान थे। आज हिन्दुस्तान में स्कूल का बच्चा खड़ा होकर कहता है कि मैं दस बार आपको सलाम करूंगा, भारत उदय की लड़ाई तो गांधी ने भी लड़ी, क्या आप और आडवाणी जी उस समय एक दिन के लिए भी जेल में गए। मैं पूछता हूं, इस बारे में कोई रिकार्ड है? मैं कहता हूं-नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री सालखन मुर्मू** (मयूरभंज): महोदय, वर्ष 2004-2005 के लिए अंतरिम बजट (सामान्य) पर चर्चा के आलोक में मैं कुछ एक मुद्दों पर वित्त मंत्री और भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

भारत देश ने आजादी के बाद एक सपना देखा था कि देश आजाद हो जाने के बाद देशवासियों का सपना सच होगा। सपने क्या थे? भारत देश गांवों में बसा है। गांव वाले लोग कृषि और कुटीर उद्योगों पर आश्रित है। कृषि और कुटीर उद्योगों से जुड़े अन्य धंधों पर निर्भारित हैं। आजादी के बाद आधा शताब्दी से ज्यादा समय हो गया है। विकास के नाम से करोड़ों रुपये खर्च किये गये, किंतु आज तक भारत के गांवों में पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। शिक्षा के लिए अच्छी और गुणात्मक व्यवस्था नहीं है। दवा और बिजली की व्यवस्था नहीं है। कृषि और जंगलों के विकास के लिए उपयुक्त व्यवस्था नहीं बन सकी है। आज भारत आजाद होने के बावजूद हम लोग अंग्रेजों की व्यवस्था में चल रहे हैं। पुलिस और प्रशासन सेवा की जगह शासन, शोषण और भ्रष्टाचार के प्रयाय बन चुके हैं। प्रत्येक जिला मुख्यालय में आज भी एस.पी. और कलैक्टर अंग्रेजों के शासक की तरह व्यवहार करते हैं। उनके पास कोई साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता है। इस व्यवस्था के तहत जिले में विकास के कार्यों को गांव गांव के प्रत्येक नागरिकों को सुख सुविधा देने की बजाय उन्हें भरपूर कष्ट और प्रताड़ना देने का काम हो रहा है। भारत के प्रत्येक जिले को प्रतिवर्ष राज्य और केन्द्र से 100 करोड़ से ज्यादा का अनुदान

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मिलता है। परन्तु, उन रुपयों का क्या होता है, इसका पता नहीं चल पाता है। जिले में कलैक्टर के अलावा अनेक विभागों के अनेक पदाधिकारी और सहयोगी कार्यरत हैं, किंतु उनका वार्षिक कार्य सम्पादन का कोई लेखा जोखा नहीं है। इस व्यवस्था में भारत ने अनेक बजट प्रस्तुत किये, विकास की अनेक योजनाएं बनायी, आज तब आधा शताब्दी के बाद भी गांव तक मूलभूत सुविधायें क्यों नहीं पहुंच सकी। आज भारत में अनाज का रिकार्ड उत्पादन हो रहा है, किंतु अनाज महंगा है। गरीब जनता भूख से मर रही है। अत: हम सबको भारत के करोड़ों ग्रामवासियों को सुखी सम्पन्न बनाने के लिए केवल बजट प्रस्तुत कर खुश होने की आवश्यकता नहीं है बल्कि गंभीरता से विचार करना होगा कि आखिर हम कैसे और कब तक भारत के हर नागरिक को उनकी मूलभूत सुविधा मुहैया कर सकेंगे?

भारत के एक प्रदेश झारखंड में आज तक स्थानीय (डोमिसाइल नीति) जोन के फैसला नहीं होने और आरक्षण नीति के सही फैसला नहीं होने से आदिवासी और मूलवासी के साथ गंभीर अन्याय हो रहा है। मूलवासी के रूप में झारखंड के दलित, पिछड़ी जाति के लोग, अंसारी (मुसलमान) आदि आते हैं। प्रदेश में क्लास 3 और 4 में केवल स्थानीय लोगों को नौकरी मिलनी चाहिये। किंतु, नौकरी बाहर के लोगों को दी जा रही है। इससे झारखंड के लाखों शिक्षित बेरोजगार बिल्कुल दुखी और खिन्न हैं। इसी का नतीजा है अधिकांश स्थानीय नौजवान या तो उग्रवादी संगठनों के साथ जुड़ गये हैं या जुड़ने को मजबूर हैं। भारत सरकार को अपनी बजट प्रावधान के तहत झारखंड के नवयुवकों को सही नीतियों के तहत रोजगार प्रदान करने हेतु कदम बढ़ाने होंगे। उल्टे सरकार नवयुवकों की जायज नराजगी को समझने की बजाय बंदूक और लाठी से जनता को प्रताड़ित करना चाहती है। झारखंड के सिंहभूम जिलों में पुलिस और प्रशासन की बर्बरता चरम सीमा पर है। झारखंड पोटा के गिरफ्तारी के मामलों में निर्दोष आदिवासी मूलवासियों को फंसा कर देश में कश्मीर को भी पीछे छोड़ दिया है।

भारत सरकार को अपनी बजट के माध्यम से झारखंड को और अधिक सुविधायें देने के लिये प्रावधान करने चाहिये। चूंकि झारखंड पूरे देश को सर्वाधिक खनिज पदार्थ, वन पदार्थ, जन सम्पदा प्रदान करती है। किंतु, उसकी तुलना में आज भी सुविधाओं की अत्यधिक कमी है। झारखंड के संताल परगना क्षेत्र में विकास की गति अत्यंत धीमी है। पानी, बिजली, सड़क, सिंचाई आदि की घोर कमी है। रेलगाड़ी सुविधा भी नहीं है। इसके लिए रुपये दिये जायें।

झारखंड के सिंहभूम जिलों के विकास के लिये भी धन की आवश्यकता है। पश्चिम सिंहभूम जिला विकास के दृष्टिकोण से अति पिछड़ा है। यहां पानी, बिजली, सिंचाई, दवा, शिक्षा, रेल सुविधा को बढ़ाने की अति आवश्यकता है। चाईबासा में कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक है। ताकि स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को शिक्षा की पर्याप्त सुविधा मिल सके। उनकी ही भाषा और वारांग क्षिति लिपि को संवैधानिक मान्यता मिल सके और पठन-पाठन में उसका उपयोग हो सके। पश्चिम सिंहभूम जिला खनिज सम्पदा से भरपूर है। लौह (अयस्क) खनिज की ढुलाई के लिये मालगाड़ियां चलती हैं, किंतु उतनी यात्री रेलगाड़ियों की सुविधा नहीं है। अत: टाटानगर से चाईबासा होते हुए बड़बिल तक ई एम यू यात्री रेलगाड़ी सुविधा अविलम्ब मुहैया करायी जाये। इस रेल खंड को विस्तार कर क्योंजर जिला, उड़ीसा होते हुए यदि कोरोमांडल रेल खंड के साथ जोड़ा जायेगा तो इससे लौह खनिज की ढुलाई के साथ-साथ आदिवासी क्षेत्र को एक बड़ी रेल सुविधा मिल सकेगी और दुर्गम क्षेत्रों को आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। अत: भारत सरकार अपनी बजट प्रावधान में झारखंड और पश्चिम सिंहभूम का विशेष ध्यान दे। चूंकि यह क्षेत्र देश को अत्यधिक राजस्व देता है।

भारत के भीतर झारखंड एक धनी राज्य है। किंतु, इस क्षेत्र के लोगों का विकास कृषि और वनों पर आधारित क्रियाकलापों से संभव है। इसके लिये भारत सरकार को अपनी बजट के माध्यम से उचित धन का आबंटन करना पड़ेगा अन्यथा यह धनी क्षेत्र उग्रवादी जाल में फंस जायेगा और देश को पछताना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद है कि वित्त मंत्री जी हमारी भावनाओं और विचारों से सहमत होते हुए अविलम्ब इन मुद्दों पर सकारात्मक कार्रवाई करेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अगले वक्ता का नाम बोलने से पहले हम मद संख्या 20 से 27 तक का निपटान करते हैं।

अपराह्न 2.54 बजे

प्राक्कलन समिति

उन्नीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): महोदय, मैं प्राक्कलन समिति का "मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग)-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्" संबंधी उन्नीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

अपराह्न 2.55 बजे

शहरी तथा ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

बावनवा से छप्पनवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): महोदय, मैं शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) पेयजल पूर्ति विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में छियालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी बावनवां प्रतिवेदन;

(2) भूमि ससांधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में सैंतालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तिरपनवां प्रतिवेदन;

(3) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में अड़तालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी चौवनवां प्रतिवेदन;

(4) शहरी विकास विभाग (शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में उनचालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पचपनवां प्रतिवेदन;

(5) 'संविधान के भाग नौ का कार्यान्वयन' के बारे में ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के सैंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी छप्पनवां प्रतिवेदन;

अपराह्न 2.56 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(एक) मध्य प्रदेश के सागर में ऐतिहासिक तालाब के संरक्षण और सौन्दर्यीकरण की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के मुख्यालय सागर नगर के बीच में स्थित लाखा बंजारा द्वारा निर्मित तालाब ऐतिहासिक महत्व रखने वाला तालाब है। विगत लम्बे समय से देखरेख के अभाव में यह अपने पूर्व स्वरूप को खोता जा रहा है। तालाब के चारों तरफ अतिक्रमण भी बढ़ता जा रहा है। सागर नगर के नागरिकों का इस तालाब के साथ गहरा भावनात्मक संबंध है तथा अनेक वर्षों से इसके जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण की मांग होती आ रही है। मेरे द्वारा भी अनेकों बार इस विषय को लोक सभा में उठाया गया है। ग्यारहवीं लोक सभा में मेरे द्वारा अतारांकित प्रश्न रखने पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जानकारी भी उपलब्ध करायी गयी थी कि सागर तालाब को राष्ट्रीय झील संवर्द्धन योजना में आने वाली 14 झीलों में शामिल किया गया है तथा इसके विकास के लिए विश्व बैंक के समक्ष प्रस्ताव भेजा गया है। परन्तु यह ज्ञात नहीं हो सका कि यह प्रस्ताव कब तथा कितनी धनराशि का भेजा गया एवं इसकी वर्तमान स्थिति क्या है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सागर तालाब के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करवाने का सहयोग करें।

(दो) भुवनेश्वर हवाई अड्डे को गया से वाराणसी तक जोड़ने और राज्य में पर्यटन का संवर्धन करने के लिए इसका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनन्त नायक (क्योंझर): उड़ीसा में पर्यटकों विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट बड़ी चिंता का विषय है। हाल के एक अनुमान के अनुसार, उड़ीसा में आने वाले पर्यटकों की संख्या 30,000 से घटकर लगभग 3,000 रह गयी है।

उड़ीसा में पर्यटकों की संख्या में कमी के कारण अज्ञात नहीं है। पर्यटकों की संख्या में आयी गिरावट का एक मुख्य कारण भुवनेश्वर को वाराणसी बरास्ता गया से जोड़ने वाली वायुयान सेवा का अभाव है। पहले जब उड़ीसा को वाराणसी से जुड़ा हुआ था, तब राज्य में लगभग 30,000 विदेशी पर्यटक आ रहे थे। गया में बड़ी संख्या में दक्षिण एशिया से बौद्ध पर्यटक आते हैं और उड़ीसा में बौद्ध धर्म के काफी स्थल हैं, इसलिए भुवनेश्वर को गया से

जोड़ना महत्वपूर्ण होगा। वाराणसी में आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक बरास्ता गया भुवनेश्वर भी आएंगे। जापान और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के पर्यटक उड़ीसा की यात्रा करने के लिए अति इच्छुक हैं जिसका कारण उड़ीसा का बौद्ध धर्म से जुड़ा होना है। यह तभी संभव होगा जब भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक हवाई अड्डे का अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास और उन्नयन किया जाए। बरास्ता गया वाराणसी और भुवनेश्वर के बीच घरेलू उड़ानें आरंभ करना भी जरूरी है।

अत:, मेरी मांग यह है कि भुवनेश्वर हवाई अड्डे का उन्नयन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में किया जाए जिसे बिना किसी बिलंब के वाराणसी और गया से भी जोड़ा जाए।

(तीन) झारखण्ड के बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और अन्य जिलों में अतिरिक्त मोबाइल फोन कनेक्शन और सिम कार्ड की मांग को पूरा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): महोदय, सरकार द्वारा बेसिक फोन से मोबाइल फोन का पल्स 60 सैकेंड का निर्धारित किया गया है, परन्तु झारखंड राज्य के बोकारो स्टील सिटी और अन्य शहरों में 30 सैकेंड का पल्स रेट लिया जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीण तथा छोटे शहरों में रहने वाले लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।

झारखंड राज्य में बी.एस.एन.एल. द्वारा पर्याप्त संख्या में मोबाइल कनेक्शन एवं सिम कार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण काला बाजारी बढ़ रही है। इसी प्रकार दिल्ली में एस टी डी फैक्स करने पर टेलीफोन मीटर के अलावा 20 रुपये प्रति फैक्स सेवा शुल्क लिया जाता है।

अत: सरकार से आग्रह है कि सम्पूर्ण देश में 60 सैकेंड का पल्स करने व झारखंड राज्य के सभी जिले खासकर बोकारो, धनबाद एवं गिरिडीह जिले में मांग के अनुसार सिम कार्ड एवं मोबाइल कनैक्शन उपलब्ध कराते हुए फैक्स सेवा शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार लिया जाये।

(चार) झारखण्ड के रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र रांची में बहुउद्देश्यीय स्वर्ण रेखा परियोजना चांडिल सरायकेला खरसवा पर कई वर्षों से धीमी गति से कार्य चल रहा है। इस परियोजना से बिजली का उत्पादन करना था, जिसके कारण इस परियोजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिला है, जिनके लिए योजना बनायी गयी थी। जितनी केनाल बननी थी, नहीं बनी। किसानों को अभी तक सिंचाई की सुविधा नहीं मिली। बरसात के दिनों में अनेक गांव बाढ़ में डूब जाते हैं। फलस्वरूप अनेक लोग एवं मवेशी मारे जाते हैं तथा करोड़ों रुपए की फसल नष्ट हो जाती है। विस्थापितों को नियमानुसार नौकरी एवं मुआवजा नहीं दिया गया है जबकि उनकी जमीन इस योजना के तहत अधिग्रहीत की गई है। उनके पास जीवन-यापन का साधन नहीं है। परियोजना में देरी होने के कारण इसकी लागत में दस गुणा से ज्यादा वृद्धि हुयी है एवं इसकी लागत समय के साथ बढ़ती ही जा रही है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बहुउद्देशीय स्वर्ण रेखा परियोजना के शीघ्र पूरा करने हेतु निर्देश दें और परियोजना के देरी के कारणों की समीक्षा करायी जाये।

(पांच) महाराष्ट्र में गड़चिरोली-देसाईगंज रेल लाइन बिछाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर): महोदय, महाराष्ट्र में गड़चिरोली जिला, जिला मुख्यालय है और यह पूर्णत: नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है। यह न केवल महाराष्ट्र में अपितु देश के सर्वाधिक पिछड़े जिले में से एक जिला है। यह केन्द्र सरकार द्वारा 'सम विकास योजना' के अंतर्गत विकास हेतु पहचाने गए 25 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से एक है। इस गड़चिरोली जिले को रेल लाइन से जोड़े जाने की आवश्यकता है जिससे क्षेत्र के औद्योगिक विकास में काफी सहायता मिलेगी। केन्द्र सरकार से अनेक बार गड़चिरोली से देसाईगंज तक 52 किलोमीटर की दूरी तक रेल लाइन बिछाने का अनुरोध किया गया है जिसपर केवल 76 करोड़ रुपये खर्च होंगे। महाराष्ट्र सरकार इस रेल लाइन पर आने वाली लागत का आधा भाग वहन करने पर सहमत हो गई है और तद्नुसार रेल मंत्रालय को सूचित कर दिया गया है। अब, मैं यह अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार गड़चिरोली-देसाईगंज रेल लाइन को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान करे।

(छह) उत्तरांचल राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य में रेललाइनों का आमान परिवर्तन कार्य आरंभ किए जाने और अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. महेन्द्र सिंह पाल (नैनीताल): महोदय, नव निर्मित राज्य उत्तरांचल में वर्ष 2003 के बजट में प्रदेश के विकास हेतु नयी

[डा. महेन्द्र सिंह पाल]

ट्रेनें, नयी रेलवे लाइन और मीटर गेज लाइन को ब्राडगेज में परिवर्तित करने का प्रावधान नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उत्तरांचल राज्य के सर्वांगीण विकास एवं पर्यटन को आगे बढ़ाने में काफी कठिनाइयां तथा नुकसान उठाना पड़ा है।

मेरी सरकार से मांग है कि इसी बजट में उत्तरांचल में नयी रेलवे लाइन बिछाने, मीटर गेज से ब्राडगेज लाइन में परिवर्तित करने का प्रावधान कर सर्वे एवं स्वीकृति प्रदान की जाये। नयी गाड़ियां चलाने हेतु विशेष रूप से काठगोदाम से जम्मू, काठगोदाम से नयी दिल्ली के लिए शताब्दी अथवा जनशताब्दी ट्रेन चलाने की व्यवस्था की जाये। इसके अलावा मुम्बई से काठगोदाम तथा टनकपुर-खटीमा-रूद्रपुर जोड़ते हुए देहरादून के लिए नयी रेल लाइन का प्रावधान किया जाना अति आवश्यक है।

अत: सरकार से आग्रह है कि इसी वर्ष के बजट में उक्त कार्यों को शुरू कराने हेतु सर्वे एवं स्वीकृति प्रदान की जाये ताकि पूरे उत्तरांचल को रेलवे यातायात से जोड़ा जा सके।

(सात) पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के गोलपोखर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): यह सच है कि पश्चिम बंगाल और केन्द्र सरकार दोनों ने योजना विकास प्रक्रिया में लगभग सभी योजनाओं में उत्तर दिनाजपुर के गोलपोखर जिले को शामिल नहीं किया है। यह क्षेत्र 1950 में बंगाल में बिहार के भाग का विलय किए जाने के कारण और अधिक महत्वपूर्ण बन गया है जब बिहार की जनसंख्या का बंगाल और उर्दूभाषी अल्पसंख्यकों में विलय कर दिया गया और बंगलाभाषी शरणार्थी और अन्य अल्पसंख्यक लोगों को उच्च शिक्षा, अवसंरचनात्मक सुविधाएं, उपचार हेतु अस्पताल और दूरसंचार की सुविधा नहीं मिल रही है। यह आश्चर्यजनक है कि गोलपोखर एक और दो ब्लाक में उच्च माध्यमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है और वहां कोई कालेज भी नहीं है।

चाकुलिया ब्लाक जो गोलपोखर दो ब्लाक है, को मेरी संस्तुति पर पहली बार गोलपोखर एक ब्लाक से जोड़ने के लिए पहली बार पी एम जी एस वाई योजना में शामिल किया गया है। मैंने बार-बार पश्चिम बंगाल सरकार और केन्द्र सरकार विशेषकर योजना आयोग को इस मुद्दे के बारे में लिखा है। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस वार्षिक योजना में भी बिहार से सटे पश्चिम बंगाल के इन दो ब्लाकों को कोई विशेष सहायता नहीं दी गई है। गोलपोखर-एक में ब्लाक स्तर का कोई स्वास्थ्य केन्द्र और चाकुलिया ब्लाक और गोलपोखर-एक ब्लाक में इंटरनेट और मोबाइल सेवा उपलब्ध नहीं है।

मैं, केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह तत्काल पश्चिम बंगाल सरकार को बिहार से बंगाल में आए इस भाग के लिए वार्षिक योजना में एक व्यापक कार्यवाही योजना को शामिल करने के लिए कहे।

(आठ) राजस्थान और देश के अन्य भागों में वन भूमि पर बसे लोगों को कानूनी अधिकार दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर): महोदय, पूरे देश में स्वतंत्रता से पहले व स्वतंत्रता के बाद अभी तक वन भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो लोग काफी लम्बे समय से वन भूमि में कास्त व काबिज हैं तथा नियमित रूप से बिजली, पानी, खेती तथा अन्य व्यवसाय करते आ रहे हैं उनमें से बहुत से नगर तथा वार्ड आदि बन चुके हैं, परन्तु अभी तक भूमि का स्वामित्व पूर्ण रूप से वन भूमि के रूप में है। जबकि ऐसी भूमि के वन अधिनियम, 1980 में आने से पहले भी लोग खेती व व्यवसाय करते आ रहे हैं तथा रिहायशी के रूप में उसका उपयोग कर रहे हैं। वन भूमि का बंदोबस्त कानून न होने की वजह से पूरे देश के अंदर ऐसी भूमि में बसे लोगों को आये दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे राजस्थान के अंदर एवं खासकर जनजाति क्षेत्र में ज्यादातर भूमि वन के अंतर्गत अंकित की गयी है, जिसमें राजस्थान के बहुत से जिले जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालौर, भीलवाड़ा आते हैं। अभी हाल ही में केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों को वन भूमि में 1980 से पहले से काबिज लोगों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया आरंभ करने को कहा गया है। अत: भारत सरकार से आग्रह है कि राजस्व भूमि बंदोबस्त कानून की तरह वन भूमि बनाया जाना पूरे देश में जनहित के लिये अत्यंत आवश्यक है, इससे लोगों को उनके कानूनी हक प्राप्त हो सकेंगे तथा वन भूमि का भी नियमित रूप से निर्धारण हो सकेगा।

(नौ) सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने और ''वन रैंक-वन पेंशन'' योजना को क्रियान्वित करने की मांग को स्वीकार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): रक्षा बलों के माध्यम से देश की सेवा करने वाले लोग जीवन में जल्दी सेवानिवृत्त होते

हैं। लगभग सभी मामलों में रक्षाकर्मियों को अपनी सभी घरेलू जिम्मेदारियां पूरी करनी होती है और सेवानिवृत्ति के समय उनके बच्चे अभी भी पढ़ रहे होते हैं। अन्यत्र उचित रोजगार के अवसरों की कमी होने से हमारी सीमा और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा करने इन रक्षकों को जीवन की क्रूर अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। यही मुख्य कारण है कि आज युवक वह जोश नहीं दिखाता है जो वे दशकों पहले रक्षा बलों में शामिल होने के समय दिखाते थे।

यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम उन्हें जीवन में आर्थिक सुरक्षा का आश्वासन दें। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सेवानिवृत्त होने वाले सभी रक्षाकर्मियों से सिविल सेवाओं और अर्धसैनिक बलों में समकक्ष पदों पर बाद में प्रवेश पाने का तत्काल वादा करे। साथ ही मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह भूतपूर्व सैनिकों की ''वन रैंक वन-पेंशन'' की चिरलंबित मांग को स्वीकार करे।

(दस) आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में झंझावती सिंचाई परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए शीघ्र अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

डा. डी.वी.जी. शंकरराव (पार्वतीपुरम): झंझावती परियोजना से आंध्र प्रदेश के मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पार्वतीपुरम में 24,636 एकड़ भूमि को सिंचाई हेतु झंझावती नदी से 4-टी एम सी पानी का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना झंझावती नदी के पानी के बीच हस्ताक्षरित एक अन्तरराज्यीय करार के आधार पर बनाई गई थी। दोनों राज्य इस बात पर सहमत थे कि परियोजना में बांध से फालतू पानी निकलने के रास्ते वाले भाग को छोड़कर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भूमि के जलमग्न होने संबंधी लंबित संयुक्त सर्वेक्षण पर कार्यवाही की जा सकती है। तद्नुसार आंध्र प्रदेश सरकार ने परियोजना पर आगे कार्यवाही की।

चूंकि संयुक्त सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है और परियोजना के अंतर्गत जलमग्न होने वाली भूमि के संबंध में कोई विवाद नहीं है। इसलिए उड़ीसा राज्य को परियोजना पर अपनी सहमति देने के बारे में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अत: मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह यह देखे कि केन्द्रीय जल आयोग परियोजना को अन्तरराज्यीय दृष्टिकोण से स्वीकृति देने के लिए दोनों राज्यों के साथ एक बैठक बुलाए।

[हिन्दी]

(ग्यारह) बिहार के भोजपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 और 2 को जोड़ने वाले मार्ग का उन्नयन कर उसे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने की आवश्यकता

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा): महोदय, बिहार राज्य के भोजपुर जिला के कोइलवा राष्ट्रीय उच्च पथ 30 से सोन नदी के किनारे चांदी, अखिगांव, संदेश बरूही, सहार और रोहतास जिला के दनवार, कछवा, नासिरीगंज, अभिआवर, दरिहत, डिहरी, इन्द्रपुरी, तिलौथू बनजारी होते हुए रोहतास किला को जाने वाली मुख्य सड़क है और यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को जोड़ने वाली अन्य सड़क है। यह सड़क उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होकर रोहतास किला तक जाती है। इस सड़क पर छोटे-बड़े नासिरीगंज, डालमियानगर तिलौथू और बनजारी जैसे औद्योगिक एवं मुख्य व्यवसायिक शहर भी है। अनेक शिक्षण संस्थान हैं। यह सड़क सोन पार कर झारखंड राज्य को भी जोड़ती है। इसकी लम्बाई करीब 130 कि.मी. है। उग्रवाद प्रभावित इलाका होने से असामाजिक तत्व अपराध कर सोन नदी पार आसानी से आ जाते हैं। आवागमन की असुविधा होने से पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में काफी कठिनाई होती है। किसान और व्यवसायियों को सामान ले जाने में काफी दिक्कत होती है।

अत: भारत सरकार से मांग करता हूं कि जनहित में मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का कष्ट किया जाये ताकि जनता की कठिनाइयां दूर हो सके और इस क्षेत्र को उग्रवाद प्रभावित होने से बचाया जा सके।

अपराह्न 2.56 बजे

अंतरिम बजट (सामान्य), 2004-05—सामान्य चर्चा
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 2004-05
और
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2003-04—*जारी*

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी, अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक और अपने नेता, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की ओर से अपना मत प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

अपराह्न 2.57 बजे

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन हुए*]

मैं अंतरिम बजट 2004-05 का समर्थन करती हूं। मैंने 'वर्ष 2003-04 की बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन संबंधी रिपोर्ट' का सावधानी और आलोचनात्मक नजरिए से अध्ययन किया है जो अंतरिम बजट 2004-05 की मुख्य विशेषताएं भी हैं।

[डा. वी. सरोजा]

इससे पहले कि मैं अंतरिम बजट 2004-05 पर चर्चा करूं, मुझे 'वर्ष 2003-04 की बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन संबंधी रिपोर्ट' पर अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री और भारत सरकार को वर्ष 2003-04 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए बधाई देती हूं। प्रस्तावना में, यह दिया गया है कि:

> ''सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के हमारे सतत प्रयास के अनुसरण में वर्ष 2003-04 के बजट में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का ब्यौरा देने वाली एक विवरणिका तैयार की गई है।''

मैंने इसका अध्ययन किया है और मैं उसमें दी गई मुख्य विशेषताओं की प्रशंसा करता हूं। मैं 'संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना' के लिए बजट में 500 करोड़ रुपये का आवंटन करने के लिए सरकार को बधाई देता हूं। मैं इस योजना में विद्यमान समस्याओं को हल करने की सरकार की चिंता को समझता हूं और सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं। मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वह गरीबों के लिए खाद्यान्न आवंटन को 5 कि.ग्रा. से बढ़ाकर 10 कि.ग्रा. करे। भारी मात्रा में खाद्यान्न न केवल बर्बाद हो रहा है अपितु पर्याप्त भंडारण सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

क्या मजदूरी के रूप में सरकार प्रति श्रमदिवस अनाज की मात्रा को 5 कि.ग्रा. से बढ़ाकर 10 कि.ग्रा. करने पर विचार करेगी? यह कहा गया है कि इस वर्ष इस योजना में 1,81,000 अतिरिक्त अन्तोदय परिवारों को सम्मिलित किया जाएगा। फिर भी मुझे संदेह है कि हम गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान सही ढंग से कर पाएं है या नहीं। हम लोग इस प्रक्रिया का बार-बार अनुसरण कर रहे हैं लेकिन हम अभी तक गरीब परिवारों की जमीनी वास्तविकताओं को सांख्यिकीय रूप में रख पाने में असफल रहे हैं। हम गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए उचित योजना बनाने में असफल रहे हैं क्योंकि कोई मूल सांख्यिकी उपलब्ध नहीं है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की अद्यतन जानकारी प्राप्त करें ताकि हम देश में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की जमीनी वास्तविकताओं का पता लगा सके।

अब मैं भारत सरकार द्वारा उपलब्धि रिपोर्ट की पृष्ठ सं. 3 पर दी गई योजनाओं पर आता हूं। 2003-2004 की बजट में ढांचागत संरचना पर मुख्य रूप से सड़क, हवाई अड्डों, रेलवे तथा समुद्री पत्तनों पर, नए वित्त पोषण तंत्र के माध्यम के काफी जोर दिया गया है। मैं प्रधान मंत्री को बधाई देती हूं। जब तक हमारे पास एक उचित यातायात तंत्र नहीं होगा, चाहे वह सड़क, रेल या वायुयान हो, हमें इच्छित परिणाम की प्राप्ति नहीं होगी। यह कहा गया है कि 40,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 48 नई सड़क परियोजनाएं आवंटित है जिसमें से एक चौथाई सीमेंट कंक्रीट के निर्माण, राष्ट्रीय रेल विकास योजना परियोजना के लिए है जिसका अनुमानित लागत 8000 करोड़ रुपये, 11000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत दो हवाई अड्डो और दो पत्तनों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र जिसका लागत मूल्य 1000 रुपये है शुरू किया गया है।

मैं कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री ने बजट को तैयार किया है लेकिन क्या उन्होंने कभी कार्यपालक मशीनरी, राज्य सरकारों और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई है। अधिकांश योजनाओं या परियोजनाओं में विलम्ब इस कारण होता है क्योंकि राज्य सरकारों, भारत सरकार और कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच उचित समझौता नहीं होता है। कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। यहां तक कि ठेका देते समय भी ठेकेदारों के लिए कोई जिम्मेदारी या समय-सीमा निर्धारित नहीं की जाती। इसलिए जब कभी कहीं कुछ समस्या आती है पूरा तंत्र ठहर सा जाता है। आम लोगों को इससे कोई लाभ नहीं होता। उस परियोजना से लाभार्थियों को कोई लाभ नहीं मिल पाता। मैं इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री से जवाब चाहूंगी कि उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए वर्ष 2003-2004 के बजट में लगभग 60,000 करोड़ की घोषणा की गई थी।

इन परियोजनाओं के पूरा करने के लिए समय-सीमा क्या है जिससे कि परियोजना आम लोगों के लिए लाभदायक हो। एक योजना की घोषणा करने अथवा योजना बनाने का मतलब है कि यह नहीं है कि आपने इसे पूरा कर लिया है। एक परियोजना को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए कार्यक्रमों का चयन छान-बीन करके की जानी चाहिए, वे आवश्यकता आधारित, लक्ष्योन्मुखी और समय-बद्ध होने चाहिए। रिमांड को देखकर मुझे दुःख होता है कि मेरे चुनाव क्षेत्र के माननीय रेल मंत्री द्वारा एक रेल परियोजना का उद्घाटन छः वर्ष पूर्व किया गया था लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है क्योंकि भूमि-अधिग्रहण में समस्या आ गई है। परियोजना कार्य रूका पड़ा है। हमने पूंजी निवेश ऐसा किया है कि लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप कम से कम दसवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रमों का मूल्यांकन आलोचनात्मक रूप में करेंगे तथा इस सभा को विश्वास में लेंगे। हम सभी एक साथ बैठकर आवश्यकतानुरूप कार्य करें। ठेके को वास्तविक रूप में देने से पूर्व आपको राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना होगा। आपको ठेकेदारों पर कुछ शर्तें लगानी होंगी जिससे कि परियोजनाओं की एक निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जा सके।

महोदय, मैं 'वित्तीय वर्ष' की शब्दावली का मतलब समझ नहीं पा रही हूं। मुझे संदेह है कि क्या हम लोग वास्तव में 'वित्तीय वर्ष' का अनुपालन कर रहे हैं। जहां तक मुझे ज्ञात है कि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि सभी परियोजनाएं वित्तीय वर्ष के भीतर ही पूरी कर ली जाती है। ऐसा माना जाता है कि सरकार व्यय का ब्यौरा तथा पूर्ण परियोजनाओं की सूची भी रखती है।

हमें यह भी बताया जाना चाहिए कि यदि परियोजनाएं तय समय-सीमा में पूरी नहीं की जाती है तो लागत में वृद्धि के लिए जिसको जिम्मेदार ठहराया जाए। विलम्ब के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही आपको तय करनी होगी।

पैरा 79 और मद सं. 33 में यह कहा गया है कि कुछ चुने हुए डाकघरों द्वारा स्वयं-सहायता समूहों को दिए गए सावधि ऋण 24 महीनों के अंदर पुनर्भुगतान योग्य होगा तथा उस पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष के दर से ब्याज देय होगा तथा डाकघर वसूली, नियमन तथा निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे। नाबार्ड तथा डाक विभाग के अधिकृत प्रतिनिधियों के बीच समझौता ज्ञापन लागू किया गया है। तमिलनाडु में 275 करोड़ रुपये की बचत से 1,25,000 स्वयं-सहायता समूहों का निर्माण किया गया है। यह बताया गया है कि गैर-सरकारी संगठनों को दिए गए ऋण पर ब्याज दर 18 प्रतिशत है।

माननीय वित्त मंत्री को इस पहलू की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। गैर-सरकारी संगठनों को 9 प्रतिशत की दर से ऋण दिया जा रहा है। लेकिन जब गैर-सरकारी संगठनों द्वारा स्वयं-सहायता समूहों को ऋण दिया जा रहा है तब वे 18 प्रतिशत ब्याज ले रहे हैं। क्या वे ऋण-दाता बन गए हैं? यदि यही स्थिति है तो स्वयं-सहायता समूहों का गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से वित्तीय संस्वीकृति क्यों दी जा रही है जबकि उनसे ज्यादा ब्याज लिया जा रहा है जबकि बैंक उनसे कम ब्याज ले रहे हैं? वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। अब तक दो वर्ष बीत चुके हैं लेकिन वर्ष 2001-02 के दौरान 2,000 करोड़ रुपये के आबंटन के बावजूद हम इच्छित परिणाम नहीं प्राप्त कर पाए हैं। स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज दर को कृषि ऋण तथा लघु उद्योग ऋण के ब्याज दर के बराबर अवश्य लाना चाहिए। यह कहा गया है कि इसके बाद कृषि और एस.एस.आई. को सर्वोत्तम बैंक ग्राहकों की तुलना में 2 प्रतिशत अतिरिक्त से ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे ऋण तंत्र कृषि और लघु उद्योग के समान बनाएं।

महोदय, वर्ष 2003-04 के बजट में इस बात का उल्लेख है कि भारत को उत्पादन केन्द्र तथा निवेश स्थान, दोनों के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम को 'भारत विकास कदम' के रूप में कहा गया है। सब कुछ केवल ब्याज पर ही है। प्रत्येक के लिए एक समिति बनाई जाएगी, समिति अपनी रिपोर्ट देगी और योजना के क्रियान्वयन के बारे में सरकार को सलाह देगी। मैं यह कहना चाहूंगी कि योजनाओं की घोषणा से पूर्व उनको बनाया जाना चाहिए। उन्हें इस प्रकार किया जाना चाहिए कि योजना की घोषणा करने से लेकर योजना के लाभों को आम लोगों को पहुंचाने तक सारे कार्य समयबद्ध तरीके से होना चाहिए।

महोदय, ए.आई.आई.एम.एस. 6 अस्पतालों-बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तरांचल प्रत्येक में एक-एक की स्थापना करने तथा आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मेडिकल कालेजों को उन्नत बनाने के सरकार के प्रस्ताव के लिए सरकार को धन्यवाद देती हूं।

देश के सभी राज्यों में ए.आई.आई.एम.एस. जैसे चिकित्सा कालेज होने चाहिए। लेकिन आम लोगों के लिए अत्याधुनिक उत्कृष्ट विशेषज्ञता प्रबंधन सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। केवल 5 प्रतिशत मरीज इस प्रकार की अति उन्नत विशेषज्ञता वाले इलाज के लिए आते हैं। आम लोगों के सामान्य रोजों के इलाज उपलब्ध कराया जाना चाहिए क्योंकि वे मूलभूत स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति प्रणाली के आधार हैं। प्रत्येक राज्य में उन्नत किस्म के अस्पताल बनाने के बजाए इस प्रकार की प्रणाली होना बेहतर होगा। देश में हम छह से सात राज्यों में इस प्रकार के अस्पताल बनाने जा रहे हैं। जिनके पास अति विशेषज्ञता प्रबंधन होगा और इस उद्देश्य को पूरा करेंगे अन्यथा इसका उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस पहलू की जांच करें और इसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन करवाएं और देखें कि हम आम लोगों के लिए किस प्रकार एक स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति प्रणाली का प्रबंध कर सकते हैं।

महोदय, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। एक डाक्टर होने के नाते मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में निर्धारित दिशा-निर्देशों को पालन करते हुए इसे क्रियान्वित कराने की पूरी कोशिश की। लेकिन इन दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन वास्तव में कठिन है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे एक सरल तंत्र बनाएं जिससे स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ आम लोगों को मिल सके।

[डा. वी. सरोजा]

यह योजना तो अच्छी है लेकिन इसमें दिए गए दिशा-निर्देश इतने जटिल हैं कि चिकित्सा-क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति भी मेरे पास आ रहे हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना को जनता तक पहुंचाना बहुत कठिन है। अत: मैं सरकार से और साथ ही माननीय वित्त मंत्री से दिशानिर्देशों को सरल करने का आग्रह करता हूं ताकि लाभ प्राप्त करना सभी के लिए आसान हो जाए। स्वास्थ्य मेला वास्तव में अच्छी सेवा प्रदान कर रहा है। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन के लिए 8 लाख रुपये की बजाय आप इसे अब तक अधिक 10 लाख या 15 लाख तक बढ़ा सकते थे क्योंकि आखिरकार, यह योजना आम आदमी की योजना है। यह योजना आम आदमी को लाभ पहुंचाएगी।

अंत में, मैं सरकार को महानगरों में पानी की कमी का समाधान करने के लिए बधाई देती हूं। बंगलौर, दिल्ली, हैदराबाद आदि जैसे बड़े शहरों के लिए त्वरित पेयजल योजना आरंभ करने के संबंध में, तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री चेन्नई शहर में पेयजल की अत्यधिक कमी के लिए पहले ही 700 करोड़ रुपये देने का अनुरोध कर चुकी हैं। कृपया इस अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील समस्या पर विचार किया जाए। चेन्नई में यह समस्या तमिलनाडु के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गंभीर है। यद्यपि यह केवल अंतरिम बजट है, मैं इस सभा से बिना किसी देरी के धनराशि स्वीकृत करने की वकालत करती हूं। जब तक आप 700 करोड़ रुपये प्रदान नहीं करते, तब तक चेन्नई के लोगों की पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा करना बहुत कठिन होगा। मैं माननीय मंत्री से इस पहलू पर अनुग्रहपूर्वक विचार करने का अनुरोध करूंगी।

इन कुछ शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

***श्री विनय कुमार सोराके** (उडुपी): महोदय, तकनीकी रूप से सरकार केवल लेखानुदान का प्रस्ताव कर सकती थी लेकिन इसने चुनावोन्मुखी प्रस्ताव सहित मिनी-बजट प्रस्तुत करने के लाभ को हड़प लिया है जिससे वर्तमान सभा उस पर विचार-विमर्श करने से वंचित रह जाएगी। क्योंकि सभा भंग की जानी है।

नए प्रस्ताव उन अनुमानों पर आधारित हैं जो 'फील गुड' के वर्तमान परिदृश्य के अंतर्गत लाए गए हैं। यदि अगला मानूसन नहीं आया तो यह 'फील गुड' फैक्टर गायब हो सकता है। समाचारों के अनुसार विदेशी मुद्रा में कमी आ रही है। सरकार ने 'बहती गंगा में हाथ धोना' वाली कहावत का चतुराई से इस्तेमाल किया है।

जो भी प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं ये सब दिखावटी हैं और ये लंबे समय तक प्रभावी नहीं रहेंगे। वोट पाने के लिए तदर्थ उपायों से भविष्य में घाटा होगा। विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त दूरसंचार, सड़कों, नागर विमानन और पत्तनों जैसी संरचनागत परियोजनाओं के संबंध में कोई अन्य महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए गए हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र उडुपी दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र का एक भाग है जो कि अपने प्राकृतिक संसाधनों और संभावना के बावजूद अभी भी अल्प-विकसित बना हुआ है। गत अनेक वर्षों से मैं इस सभा में कई परियोजनाओं के लिए कहता रहा हूं जिन्हें मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आरंभ किए जाने की आवश्यकता है।

विशेषरूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र से और सामान्यत: मेरे क्षेत्र में पर्यटन की पर्याप्त संभावना है। राज्य द्वारा केन्द्रीय सहायता के लिए पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। फिर भी केन्द्रीय बजटीय आबंटन अपर्याप्त रहा है। उदुपी के आस-पास काफी संख्या में मंदिर, बीच रिसोर्ट और बायोस्फेयर पाकेट हैं, और यह बिलकुल सही समय है जब केंद्र सरकार को इन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए आगे आना चाहिए।

बाजपे (मैंगलोर) विमानपत्तन लंबे समय से विस्ताराधीन है। राज्य सरकार ने सड़कें आदि उपलब्ध कराई हैं। फिर भी केंद्र उस परियोजना को पूरा करने के लिए गंभीरता नहीं दिखा रहा है जोकि सीधे अंतर्राष्ट्रीय आवागमन करने की मदद करने के साथ पर्यटन को बढ़ावा देगा।

वाणिज्य मंत्रालय ने देश भर में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की भव्य योजनाएं बनाई हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पाडुबिडरी में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। मैं आग्रह करता हूं कि इस विशेष आर्थिक क्षेत्र को शीघ्र आरंभ करने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया जाए।

केन्द्र ने तटीय क्षेत्रों की पारिस्थितिकीय विशेषता का परिरक्षण करने के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र दिशा-निर्देश लागू किए हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लंबा समुद्र तट देखा है जिसके पास मछुआरों की बस्तियां हैं और मत्स्य पत्तन है। तट के पास पर्यटन स्थल हैं जो हर जगह से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तटीय विनियमन क्षेत्र विनियम सख्ती से लागू किए जाते हैं जिससे मौजूदा मछुआरों की बस्तियों और पर्यटन स्थलों के लिए बाधा उत्पन्न हो रही है। मछुआरा समुदाय और पर्यटन उद्योग को अपना व्यवसाय करने देने के लिए केंद्रीय विनियमन क्षेत्र के विनियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव था।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का देश के दूर-दराज के कोनों को स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्व-पश्चिम/उत्तर-दक्षिण गलियारों से जोड़ने के लिए बड़ी परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग-17 तटीय कर्नाटक से होकर गुजरता है लेकिन

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

विशेष रूप से सुरतकल से कुंदपुरा के बीच चार-लाइन करने को पड़ोसी राज्य केरल और गोवा से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-17 की तुलना में कम महत्व दिया गया है।

स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत सभी प्रमुख पत्तनों को स्वर्णिम चतुर्भुज के साथ जोड़ना सम्मिलित है। नया मैंगलोर पत्तन सबसे बढ़िया पत्तनों में से एक के साथ कुद्रेमुख, एम आर पी एल, एम सी एफ और साथ ही सूडान से कच्चे तेल और ताप विद्युत संयंत्रों हेतु सूडान को कच्चे कोयले के आयात की आवश्यकताओं को पूरा करके इस क्षेत्र की सेवा कर रहा है। इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नए मैंगलोर पत्तन को बैंगलोर स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज से जोड़ना अनिवार्य हो गया है।

स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने ग्रामीण पेयजल हेतु प्रौद्योगिकी विकास मिशन की शुरूआत की थी। इसी पर स्वजलधारा योजना को दूसरा नाम दे दिया गया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में समुद्र तट के पास पेयजल की अत्यधिक कमी है और अनेक गांव और बस्तियां खारे और अरुचिकर पानी पर जीवनयापन करते हैं। उदुपी जिला परिषद ने कुछ हद तक लागत को बांटते हुए, गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है। अनेक ग्राम पंचायतों ने योजना के लिए पहले ही अलग से धनराशि की व्यवस्था कर दी है लेकिन केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए अभी तक स्वीकृति और धनराशि नहीं दी है।

समुद्र के कटाव से तटरेखा और मछुआरों की बस्तियों और पत्तनों को नुकसान हो रहा है। तदर्थ आधार पर कटाव-रोधी कदम उठाने के प्रयास किए गए हैं लेकिन, ब्रेक-वाटर बैरिया आदि जैसे दीर्घकालिक समाधान नहीं किए गए हैं। राज्य सरकार ने दीर्घकालिक समुद्र कटावरोधी उपायों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं जो कि अभी भी केंद्रीय जल आयोग के परीक्षाधीन हैं।

नदी तट कटाव और समुद्र में गिरने वाली अनेक नदियों के नदी मुख पर गाद भरने से भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इस समस्या पर पार पाने के लिए मेरे जिले में पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों पर रोक बांधों का निर्माण करने के प्रस्ताव रखे गए थे। पेयजल/सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए, ये बांध मानसून के दौरान काफी हद तक नदी तट कटाव को कम करने में भी मदद करेंगे। (पश्चिमी वाहिनी)।

बड़ी संख्या में मछुआरों के हैमलेट और बस्तियां दक्षिण कन्नड़ की पूरी तट रेखा का एक बड़ा हिस्सा है जो मुश्किल से गुजारा कर रहा है। राष्ट्रीय मत्स्य कर्मी मंच ने मुरारी समिति प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की वकालत करते हुए केंद्र को मांग पत्र सौंपा है। केंद्र ने मुरारी समिति की सभी मुख्य सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध, मत्स्य जलयानों और अन्य यानों के लिए मिट्टी के तेल कोटा में वृद्धि, मत्स्य नौकाओं आदि को आपूर्ति की गए डीजल संबंधी राज सहायता घटक के कुछ मुख्य सिफारिशें हैं जिन्हें अभी कार्यान्वित किया जाना है।

केन्द्र ने राष्ट्रीय नदियों को जोड़ने की एक बड़ी परियोजना शुरू की है। ऐसी बड़ी परियोजना में अनेक बाधा आती हैं और जिस परियोजना को स्वर्गीय डा. के.एल. राव ने 1950 में गंगा से कावेरी को जोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था उसे एक बार फिर छोड़ दिया गया। विश्व जल मंच के विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को क्षेत्रीय स्तरों पर ही नदियों को जोड़ने का कार्य शुरू कर स्थानीकृत हल तलाशना चाहिए। दस वर्ष पूर्व दक्षिण कन्नड़ में नदियों के जोड़ने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसमें पूंजी परिव्यय काफी कम रखा गया था और सुनिश्चित परिणामों और विद्युत उत्पादन (लघु जल विद्युत संयंत्र) और सिंचाई द्वारा लाभों की बात कही गई थी। मैं सरकार से दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र के किसानों की बेहतरी के लिए इस परियोजना को फिर से चालू करने का आग्रह करता हूं।

सुपारी, काजू और नारियल जैसी बागान फसलें दक्षिण कन्नड़ के किसानों की आय का प्रमुख स्रोत हैं। बिचौलियों द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है। न्यूनतम मूल्य की व्यवस्था कर केन्द्रीय प्रायोजित विपथन हस्तक्षेप योजना बहुत सीमित समय तक चालू रही है जिससे उपज के भण्डारों में वृद्धि हो रही है और किसान पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। मेरा सरकार से आशय है कि वह अधिक व्यापक विपणन हस्तक्षेप तंत्र के लिए नेफेड आदि के माध्यम से और अधिक धनराशि उपलब्ध कराए।

सरकारी क्षेत्र का एक मात्र विशाल औद्योगिक उपक्रम कुद्रेमुख अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। चीन द्वारा भारत से बड़ी मात्रा में लोहे के निर्यात की विशाल संभावना है जिसके लिए पहले ही बीस वर्ष से अधिक समय के लिए समझौता किया गया है। कुद्रेमुख लगातार रिकार्ड उत्पादन करती आ रही है और इसके लिए पुनर्वास पैकेज का प्रावधान किए जाने और उनके पर्यावरण और पारिस्थितिकीय सुरक्षा का अनुपालन करने की सूरत में अगले बीस वर्ष तक खनन अधिकारों के लिए पट्टे का विस्तार करने की भी जरूरत है।

न्यु मेंगलूर पत्तन पश्चिम समुद्रतट पर एक प्रमुख पत्तन है जो कुद्रेमुख, एम आर पी एल, एम सी एफ आदि के लिए भारी मात्रा में निर्यात और आयात के कार्य को संभालता है। ताप ऊर्जा संयंत्रों के लिए सूडानी कच्चा कोयला न्यु मेंगलूर पत्तन के माध्यम से आता है। कारगो निर्यात/आयात में वृद्धि का सामना करने के लिए केन्द्र को एन एम पी टी को बढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

[श्री विनय कुमार सोराके]

केन्द्र ने इस क्षेत्र पर आश्रित अनेक किसानों पर विचार करते हुए रुग्ण चीनी उद्योगों के लिए पिछले वर्ष पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा की थी। मेरे क्षेत्र में ब्रह्मावर चीनी कारखाने का आधुनिकीकरण न होने के कारण वह क्षमता से नीचे कार्य कर रही है। मेरा सरकार से आग्रह है कि ब्रह्मावर चीनी कारखाने के लिए ऐसा पुनर्वास पैकेज शीघ्र देने पर विचार करे।

उदुपी प्रमुख पर्यटक, वाणिज्य/व्यापार और शिक्षा/स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में विकसित हुआ है किन्तु उसे निम्नलिखित के संबंध में उसका हक नहीं दिया गया है-

उदुपी को मंगलौर स्थित वर्तमान दक्षिण कन्नड़ दूरसंचार जिला से अलग करते हुए वहां स्वतंत्र दूरसंचार जिला की स्थापना करना।

मंगलौर में पूर्व विकसित पासपोर्ट कार्यालय खोलना। सी.पी.एफ. के अंतर्गत अनेक औद्योगिक कामगारों की सेवा करने के लिए उदुपी में क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय की स्थापना करना।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): महोदय, कोरम पूरा नहीं है, मैं क्या बोलूं? आप कोरम पूरा करवाएं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: जब आप बोलेंगे तो वे आएंगे। आप उनका ध्यान आकर्षित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: ओ.के.। ...*(व्यवधान)* सरकार की दिलचस्पी कितनी है, इसका अंदाजा इस बात से कीजिए। ...*(व्यवधान)*

महोदय, बजट पेश हो रहा है और सरकार के संत्री से लेकर मंत्री तक सब गायब हैं। ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): मंत्री बैठे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: चलिए अच्छा है, कम से कम मैं बोलूंगा तो शोर नहीं मचेगा। सब खामोशी के साथ मेरी बात सुनते रहेंगे, इतना फायदा मुझे होगा।

महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, लेकिन बहुत मुश्किल में फंसा हूं कि मैं बात कहां से शुरू करूं। अगर सरकार समझती है कि इस बजट से वे चुनाव जीत लेगी, पिछले पांच साल से सत्ता में रही सरकार का इस साल का पहला सत्र है। सरकार ने पूरी ताकत से साबित कर दिया कि इस सरकार का पहला सत्र नहीं है। ''मैं सच कहूंगा मगर फिर भी हार जाऊंगा, वे गलत बोलेंगे और लाजवाब कर देंगे।'' हिन्दुस्तान की तारीख में यह याद रखा जाएगा कि 2004 का पहला सत्र और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस हाउस में साबित कर दिया कि यह पहला सत्र नहीं है। पिछले चार स्टेट्स के इलैक्शन के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह कहती आ रही है कि इलैक्शन अपने वक्त पर होगा। लीडर्स मीटिंग हुई तब भी यही कहा गया, प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया तो यह कहा कि टाइम पर इलैक्शन होगा। लास्ट बीएसी में भी यही कहा गया कि इलैक्शन अपने वक्त पर होगा, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि देश को धोखा दें, इसलिए उसने लोक सभा को भी धोखा देने का काम किया है।

महोदय, मैं कभी-कभी अखबार में पढ़ता था कि किसी मां ने किसी दूसरे के बेटे को देवी के सामने सैक्रीफाइस कर दिया। बच्चे की गरदन काटकर उसका खून चढ़ा दिया, इसलिए कि उसके बच्चा पैदा हो जाये। डेमोक्रेसी की यह पहली और शायद आखिरी मिसाल है कि भारतीय जनता पार्टी को यह अहसास है कि चुनाव जल्दी हो जायेगा तो वे दोबारा सरकार में आ जाएंगे, इसलिए पूरी डेमोक्रेसी, पूरे कांस्टीट्यूशन और पूरी पार्लियामेंट को इस सरकार ने सेक्रीफाइस कर दिया है। ऐसी मिसाल तवारीख के अन्दर कभी नहीं मिल सकती।

फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि यह बजट जो पेश किया है, वह मुंगेरी लाल के सपने हैं। यह बात सही है, फाइनेंस मिनिस्टर को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि मुंगेरी लाल के सपने क्या होते हैं।

''बक रहा हूं जुनूं में क्या कुछ,
कुछ न समझे, खुदा करे कोई।''

वही हालत फाइनेंस मिनिस्टर की रही है। यह जो बजट यहां पर पेश किया गया, बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि आने वाले चुनाव के लिए जनता को रेवड़ियां बांटने का काम करने की कोशिश की गई। ...*(व्यवधान)*

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): मायावती क्या बांटती थी?

श्री राशिद अलवी: चार स्टेट्स के अन्दर अभी जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों के अन्दर बी.जे.पी. की सरकार ने कहा

...*(व्यवधान)* देखिये, इस तरह तो बात नहीं हो पायेगी, मुझे बोलने दीजिए। इस भ्रष्ट सरकार के लोग सिवा चें-चें, में-में करने के कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। सच्चाई इनके गले से नहीं उतर सकती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री विष्णु पद राय, जब आपको अवसर दिया जाय। तब बोलिए। अब उन्हें बोलने की अनुमति दीजिए। व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई का अंदाजा इस बात से कर सकते हैं कि चार स्टेट्स में जो चुनाव हुआ, उसमें कहा गया कि राम का मंदिर हमारा कोई इश्यू नहीं है, हमारा इश्यू विकास है। पिछले दस साल से आप लड़ाई लड़ते चले आ रहे हो कि राम का मंदिर बनाएंगे, राम का मंदिर हमारा इश्यू है। दुनिया के अन्दर कोई ऐसा राजनैतिक दल नहीं होगा, जो हर चुनाव के अन्दर अपने मुद्दे बदलता होगा। चूंकि राम का मंदिर बनाने में कभी कोई दिलचस्पी इनकी नहीं रही। राम का मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर इस मुल्क के हिन्दू और मुसलमानों के बीच सिर्फ दीवार खड़ी करने का काम ये लोग करते हैं। इसलिए चार स्टेट्स का चुनाव हुआ तो ये कहते थे कि राम का मंदिर हमारा मुद्दा नहीं है, विकास हमारा मुद्दा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: शोर मत मचाइए। उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उन्हें बोलने की स्वतंत्रता है। बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: मैं सोच भी नहीं सकता। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सदस्य को बोलने का पूरा अधिकार है।

..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: पूरा देश आज यह सुनकर शर्मिन्दा होगा कि राम का नाम लेने पर शोर मचता है, वह भारतीय जनता पार्टी, जो राम का नाम लेकर जनता से जिंदगी की भीख मांगा करती थी, आज मैं राम का नाम ले रहा हूं तो इन्हें परेशानी हो रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री राय, जब आपको अवसर दिया जाय तो उस समय उत्तर दीजिए। आप व्यवधान नहीं डाल सकते। आप उनसे इस ढंग से बोलने की उम्मीद नहीं कर सकते जिस तरह आप बोलते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री अलवी, क्या यह बजट में है? यह सामान्य वाद-विवाद नहीं है। यह अन्तरिम बजट पर वाद-विवाद है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: यह बजट का हिस्सा है, जो बात मैं कह रहा हूं, वह बजट के बारे में कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)* आने वाले चुनाव के अन्दर देश की जनता ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर बैठिए। श्री अलवी के भाषण को छोड़कर कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: उनके भाषण में व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: मेरे पास वक्त कम है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: व्यवधान न डालें। अन्यथा उत्तर देने हेतु मुझे उनकों और अधिक समय देना पड़ेगा। उनका समय मत लीजिए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: यह बजट की स्पीच है। मैं बजट की स्पीच में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतिहास नहीं पढ़ाना चाहता, वरना मैं इतिहास भी पढ़ा दूंगा। आप लोगों को बहुत से वक्त में मैंने इतिहास भी पढ़ाने का काम किया है। आने वाले चुनावों में जनता फैसला सिर्फ इस बजट पर नहीं करेगी, आने वाले चुनाव में जनता फैसला करेगी कि पिछले 4.5 साल के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की परफोरमेंस क्या रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 साल के अन्दर कौन सा कारनामा अंजाम दिया है। पिछला चुनाव कारगिल के ऊपर हुआ। कारगिल हुआ ही इसलिए था कि सरकार की इंटेलीजैंस फेल कर गयी थी। 700 जवान इस देश के मारे गये थे। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी कम्पीटैंट हैं, सरकार के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कितने कम्पीटैंट हैं। इंटेलीजैंस ब्यूरो जो इस देश की सबसे बड़ी इंटेलीजैंस ब्यूरो है, उसने एक रिपोर्ट पंजाब में हो मिनिस्ट्री को भेजी थी। यह खुफिया रिपोर्ट है जो किसी के पास जाना नहीं चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री विष्णु पद राय: आपके पास कैसे आयी? ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: वह इंटेलीजैंस ब्यूरो की रिपोर्ट होम मिनिस्टर के घर जाने के बजाय राशिद अलवी के फैक्स पर आ गयी। इंटेलीजैंस ब्यूरो की रिपोर्ट होम मिनिस्टर के घर जाने के बजाय मेरे फैक्स पर आ गयी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि यह गोपनीय पत्र है भी तो भी इसे सभापति को दिया जाना चाहिए। तभी आपको उस पत्र पर बोलने की अनुमति दी जाएगी।

श्री राशिद अलवी: यह मैं आपको दे दूंगा। मैं इसे पटल पर रखने का काम करता हूं। यह आई.बी. की रिपोर्ट है जो होम मिनिस्टर के पास जाने के बजाय ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री राशिद अलवी, आप पत्र दिखा रहे हैं। आपने इसे सभापति को नहीं दिखाया है।

श्री राशिद अलवी: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि आप किसी दस्तावेज पर विश्वास करते हैं तो उसे सभापति को दिया जाना चाहिए। मैंने उसे नहीं देखा है।

...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: मैं पूरे राष्ट्र को बताना चाहता हूं कि यह किस प्रकार की सरकार है।

सभापति महोदय: वह पत्र क्या है? कृपया उसे मुझे दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: देश की सिक्योरिटी का सवाल है। ...*(व्यवधान)* इंटेलीजैंस ब्यूरो की सीक्रेट रिपोर्ट मैं पार्लियामैंट में रख रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह किस प्रकार की सुरक्षा है? सभापति को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: इंटेलीजैंस ब्यूरो की रिपोर्ट होम मिनिस्टर के बजाय मेरे घर पर आ जाये ...*(व्यवधान)* इसे मैं आपको देता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया वह पत्र दीजिए। मुझे उसे देखने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: यह पेपर मैं आपको भेज देता हूं। इसमें लिखा गया है कि पंजाब के अंदर पोलिटिक्स क्या हो रही है? सरकार इंटेलीजैंस ब्यूरो को भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए इस्तेमाल करना का काम करती है। यह रिपोर्ट इस बात की वाजेह सबूत है जिसे मैं आपके सामने पेश करने का काम कर रहा हूं। कारगिल के अंदर इंटेलीजैंस ब्यूरो फेल हुई। आई.बी. की यह रिपोर्ट मैं आपको पेश कर रहा हूं जिससे यह साबित होता है कि इंटेलीजैंस फेल हो रही है। सुश्री मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं, अभी भी उनका नाम लेने पर सबके मुंह में पानी आता है, के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जिस जज ने एफ.आई.आर. दर्ज करने का काम किया, उसे रिटायरमैंट के अगले दिन ही कन्ज्यूमर फोरम का चेयरमैन बना दिया। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की परफोर्मैंस है कि जिस जज ने यह हुक्मनामा दिया कि सुश्री मायावती के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज होनी चाहिए, उसके रिटायरमैंट के अगले दिन ही उसे कन्ज्यूमर फोरम का चेयरमैन बनाकर उसे कैबिनेट रैंक दे दिया। इस देश का कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जिसकी इज्जत यह भारतीय

जनता पार्टी की सरकार करती हो। यह ज्यूडिशियरी से लेकर नीचे तक सारे इंस्टीट्यूशन को तबाह करने पर लगी हुई है।

आज ज्यूडिशियरी की क्या हालत है? गुजरात के अंदर जो कुछ हुआ, उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात के अंदर इंसाफ नहीं मिल सकता। गुजरात के अंदर जो कत्लेआम हुआ, शायद दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया कहता है कि गुजरात के खिलाफ जो मुकदमे चलाये जा रहे हैं, उससे उन लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता। यह सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है। हजारों लोगों को तबाह कर दिया, बच्चों को तबाह कर दिया गया। इस हाउस में उस बारे में मैं पहले भी तफसील से बोल चुका हूं लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आग और खून में डूबी हुई सरकार है। आज पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि चुनाव का वक्त आये और वे इस सरकार को उखाड़कर फेंकने का काम करे।

भारतीय जनता पार्टी को बहुत गलतफहमी है कि चार स्टेट्स के चुनाव के बाद वह दुबारा सरकार में आ जायेगी। पार्लियामैंट को धोखा देकर देश को धोखा देने का काम करेगी लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। जल्दी चुनाव कराने से आप लोग चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। पार्लियामैंट का चुनाव यह साबित कर देगा कि भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है और हम लोग देश के अंदर आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने खासतौर से इस बजट के अंदर अनइम्प्लायमैंट लोगों के लिए, किसानों के लिए *...(व्यवधान)*

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा): आपने दस मिनट में एक शब्द भी बजट पर नहीं कहा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री जसवंत सिंह, माननीय वित्त मंत्री ने उसे नहीं पढ़ा। मैं क्या कह सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: बजट आपने दिया कहां है जो मैं बोलूंगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपके कारण श्री राशिद अलवी को अधिक समय मिल रहा है, आप शांत रहें यदि आप उनके समय को सीमित करना चाहते हैं तो कृपया चुप रहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: इस देश के अंदर बड़ी तादाद ऐसे गरीब लोगों की है जो हैंडलूम का काम करते हैं। इस बजट के अंदर हैंडलूम के बारे में किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी गई। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा में आपस में कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। आपस की बातचीत कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

*...(व्यवधान)**

श्री राशिद अलवी: अफसोस के साथ कहता हूं कि इनका जो बिहेवियर है, उसी की वजह से देश के अंदर पोलीटिकल लोगों की इज्जत खराब हो रही है। तहजीब ही नहीं है कि पार्लियामैंट के अंदर किस तरह बहस की जाए। मेरी बात सुनने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए, उसके बाद जवाब देने का काम करें। सिर्फ शोर मचाकर आप मेरी बात को दबा नहीं सकते। अपनी बात अपनी जगह कहें, मेरी बात सुनने की हिम्मत पैदा करें। छोटे दिल से देश नहीं बनता, बड़ा दिल पैदा करने की कोशिश करें।

यह सरकार स्कैम्स से भरी हुई है। पिछले साढ़े चार साल के अंदर जितने स्कैम हुए हैं, उतने पचास साल के अंदर नहीं हुए। *...(व्यवधान)* आपने सही बात कही। *...(व्यवधान)* मैं स्कैम गिनाना नहीं चाहता। इस हाउस के अंदर अलग-अलग तरह से बहस हो चुकी है, चाहे पेट्रोल पम्प रहा हो, चाहे शेयर मार्किट रही हो, चाहे श्री जूदेव का रिश्वत लेना रहा हो, चाहे श्री जूदेव का यह कहना रहा हो कि पैसा बहुत बड़ा होता है और खुदा के बराबर होता है। मैं इन सब बातों की चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन एक बात की चर्चा जरूर करना चाहता हूं कि जिस तरह का कमीशन बनाया गया और श्री अजीत जोगी के खिलाफ जो सीबीआई की इन्क्वायरी हुई, श्री जोगी का कसूर सिर्फ इतना ही है कि टेलीफोन पर कुछ एमएलए को खरीदने की कोशिश की गई जिसको वे अपने आप मना भी करते रहे। सिर्फ इतना कसूर है कि सरकार बनाने के लिए कुछ पैसा देने की कोशिश की गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया-40 एमएलएज को पैसा दे-देकर, मंत्री पद दे-देकर खरीदने की कोशिश की। *...(व्यवधान)* आज उत्तर प्रदेश के अंदर वे 40 एमएलएज, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पैसा भी दिया, उसे छोड़कर आज उत्तर प्रदेश में वे सब मंत्री बने हुए हैं। उनके खिलाफ कोई

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री राशिद अलवी]

सीबीआई की इन्क्वायरी नहीं होगी, उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कानून चारागोई नहीं होगी। ...*(व्यवधान)* यह मुकदमा स्पीकर के यहां आज तक पैंडिंग है और खुदा जाने कब तक पैंडिंग रहेगा। बीएसपी के जो पिछले एमएलएज टूटे थे, सुप्रीम कोर्ट में शायद आठ साल हो गए, अभी तक कौन्सटीट्यूशनल बैंच नहीं बनी है, उनका फैसला होना तो दूर की बात है। यह किस तरह की सरकार है। एक तरफ सीबीआई की इन्क्वायरी कर रहे हैं और दूसरी तरफ खुद पैसा दे-देकर एमएलएज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस सरकार का किस तरह का स्टैन्डर्ड है। पिछले पांच साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो परफार्मेंस रही है, आने वाले चुनाव के अंदर उस परफार्मेंस की बुनियाद पर ही यह सरकार जाने वाली है। ...*(व्यवधान)*

हज का मामला हिन्दुस्तान भर के मुसलमानों का मामला है। उनको सबसिडी दी जाती थी। जब कानून बना दिया गया है कि जो व्यक्ति इनकम टैक्स देता है, उसकी सबसिडी खत्म कर दी जाएगी। यह कितना नाजुक मामला है। जो लोग इनकम टैक्स देते हैं, उनका जहाज अलग जाएगा और जो लोग इनकम टैक्स नहीं देते, उनका जहाज अलग जाएगा। बीवी अपने शौहर के साथ नहीं जा सकती। बीवी इनकम टैक्स नहीं देती। बूढ़ी मां नहीं जा सकती, बूढ़ी मां अलग जाएगी, बीवी अलग जाएगी, हस्बैंड अलग जाएगा। हमने इस हाउस में कितना हंगामा किया था लेकिन इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी।

अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी के अकलियती किरदार पर एक बार फिर हमला हो रहा है। अब कामन एंट्रेंस एग्जाम होगा। फैसला बीजेपी की सरकार करेगी कि किसको एडमिशन देना है और किसे नहीं देना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी बना देगी। जाकिर हुसैन कालेज के अंदर इंदिरा गांधी जी ने ट्रस्ट बनाया था और इसीलिए जाकिर हुसैन कालेज को हमेशा हमेशा के लिए इंडिपेंडेंट कालेज बना दिया था। उसका अचानक कुछ महीने पहले पैसा बंद कर दिया था। वह कालेज नहीं चल सकता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी। उसके अंदर एस्ट्रालोजी पढ़ाई जाएगी और संस्कृत कम्पलसरी हो जाएगी। आखिर किस तरह की सरकार आप लोग चलाना चाहते हैं? सैकुलरिज्म की कौन सी परिभाषा जो आप इस मुल्क को बताना चाहते हैं? इस मुल्क के अंदर सैकुलरिज्म नहीं रहेगा और हिन्दू-मुस्लिम को लड़ाने का काम करेंगे तो यह देश बर्बाद हो जाएगा, यह देश तबाह हो जाएगा। सत्ता आती है और चली जाती है। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। देश लोगों से बनता है, सरकारों से नहीं बनता है। अगर इस देश के लोगों के बीच में दरार डालने की कोशिश की जाएगी तो देश टूट जाएगा। बीजेपी को पिछले पांच साल के अंदर इस देश के अंदर जहां भी कुछ होता था, सिर्फ एक चीज नजर आती थी। पार्लियामेंट पर हमला हुआ। सरकार ने कहा कि आईएसआई के एजेंट आये थे, हमला करके चले गये और वे तमाम एजेंट्स जो पकड़े गये थे, अदालत ने उनको सबको बाइज्जत छोड़ दिया कि इनमें से कोई नहीं है। कौन लोग थे? कौन लोग आये थे? सरकार देश को बताने में नाकाबिल रही। कश्मीर के अंदर असैम्बली पर हमला हुआ। सरकार ने कहा कि आईएसआई के एजेंट आये थे, बम छोड़कर चले गये। चांदनी चौक पर हमला हुआ, चांदनी चौक में बम फटा। सरकार आएगी, आडवाणी साहब आएंगे और कहेंगे कि आईएसआई के एजेंट चांदनी चौक में आये थे, बम रखा और चले गये। इस देश के अंदर जहां भी जो कुछ होता है, सरकार आती है और कह देती है कि आईएसआई के एजेंट आये और चले गये। विजय कुमार मल्होत्रा साहब कहते हैं कि हिन्दुस्तान के तमाम मदरसों के अंदर आईएसआई के एजेंट बसते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कहता हूं कि आईएसआई के एजेंट पर इतना बोझ, बीजेपी की सरकार ने क्यों डाल रखा है कि पाकिस्तान भी वही चलाने का काम कर रहे हैं और हिन्दुस्तान भी वही चलाने का काम कर रहे हैं। अगर इस देश को आईएसआई चला रहा है तो आप यहां क्या कर रहे हैं? आप काहे के लिए सरकार के अंदर बैठे हैं? इस देश के अंदर एक भी ऐसे मदरसे का नाम यह सरकार नहीं ले सकती जिस मदरसे के अंदर आईएसआई का एजेंट पकड़ा गया हो। इन लोगों को इतिहास नहीं मालूम है। इस देश की आजादी की लड़ाई मदरसों से लड़ी गई थी। यह उनको मालूम नहीं है।

'रेशमी रूमाल' क्या मूवमेंट था? बीजेपी का एक एम.पी. नहीं बता सकता कि यह कौन सा मूवमेंट था? बीजेपी के लोगों को नहीं मालूम कि फ्रीडम फाइटर्स ने जो लड़ाई लड़ी, उनके आउटस्टैंडिंग फ्रीडम फाइटर्स के क्या नाम हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, शेख-उल-हिन्द मौलाना महमूद हसन और मौलाना हुबैदुल्ला सिन्धी ये लोग हैं जो माल्टा की जेल के अंदर इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए रहे। आपको मदरसों में आईएसआई के एजेंट नजर आते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री अलवी, आपका समय पूरा हो गया है। मैंने आपको अधिक समय दिया है। अब मैं अगले सदस्य को बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: सभापति जी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं अपनी बात को समाप्त करने वाला हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह जो बजट सरकार पेश कर रही है, यह देश के लोगों की आंखों में धूल डालने का काम कर रही है। वह चाहती है

कि इस तरह का बजट पेश करके आने वाले चुनाव में किसी तरह से इस देश के लोग उसको वोट डालने का काम करें लेकिन आने वाला चुनाव इस बात को साबित कर देगा कि इस देश के लोग इस गलतफहमी के अंदर नहीं आने वाले हैं। आपने इस तरीके का बजट पेश किया। इस देश के लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी की सरकार सत्ता में नहीं रहने वाली है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जो बजट है, इस बजट से जो अगली पार्लियामेंट या बजट होगा, उसमें डैफिसिट बढ़ेगा। मुकम्मल तौर से इस बजट से इस देश की स्थिति को, गरीब को, किसान को कोई फायदा नहीं होगा। इस देश के पैसे वालों की यह सरकार है और इस देश के पैसे वालों को ही इस बजट से फायदा होगा। धन्यवाद।

अपराह्न 3.40 बजे

याचिका समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं याचिका समिति (तेरहवीं लोक सभा) की तीसवीं से लेकर तिरेपनवीं तथा सत्तावनवीं और सतरवीं बैठक के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपान्तरण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 3.41 बजे

अंतरिम बजट (सामान्य) 2004-2005—सामान्य चर्चा लेखानुदानों की मांगें—(सामान्य) 2004-2005 अनुपूरक अनुदानों की मांगें—(सामान्य) 2003-2004—*जारी*

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): सभापति महोदय, अंतरिम बजट पर चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं इस अंतरिम बजट का समर्थन करता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक अच्छा बजट है और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं सभा का अधिक समय लूं क्योंकि इस बारे में अनेक सदस्य पहले ही काफी कुछ बोल चुके हैं। इस बजट में ऐसी कई चीजें हैं जिन पर खुशी का इजहार किया जा सके, विशेषकर तब जब हम देखते हैं कि इस वर्ष के पुनरीक्षित प्राक्कलन में राजस्व घाटा काफी हद तक कम हुआ है और जहां तक राजस्व घाटे का प्रश्न है, वर्ष 2004-2005 का बजट प्राक्कलन भी वर्ष 2002-2003 के लेखे से कम है। वित्तीय घाटा नियंत्रण में है और यदि यह पूरी तरह नियंत्रण में नहीं भी है तो भी यह कम हुआ है।

मैं इस बजट के अच्छे पहलुओं की चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं एक बात वित्त मंत्री, भारत सरकार या राजग सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं, क्योंकि यह एक गंभीर विषय है और भावी राजग सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। महोदय, गत 50 वर्षों के दौरान आपने देखा होगा कि निर्धन या पिछड़े राज्य और निर्धन होते गए हैं। यह दोषपूर्ण योजना और केन्द्रीय संसाधनों के पक्षपात पूर्ण वितरण के कारण हुआ है। साथ ही, उदारीकरण और भूमण्डलीकरण के गत दस वर्षों की अवधि से लेकर आज तक के दौरान निर्धन राज्यों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।

मैं केवल इसी बात पर चर्चा करूंगा और आपको इस बारे में कुछ आंकड़े भी दूंगा। यह गंभीर चिन्ता का विषय है। आप देखेंगे कि वर्ष 1999 में उच्च आय वाले राज्यों में उनकी आबादी में 18.8 प्रतिशत की भागीदारी थी। इन राज्यों की आबादी में यह भागीदारी वर्ष 2001 तक भी बनी रही। उच्च आदमनी वाले राज्य हैं- पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। वे सभी समृद्ध राज्य हैं और इन्होंने आबादी की इस भागीदारी को बराबर रखा है और इनमें हरियाणा को छोड़कर निःसंदेह इन सभी राज्यों ने अपनी आबादी में कमी लाई है। इन राज्यों में भारत की कुल आबादी की 18.8 प्रतिशत हिस्सेदारी को बनाए रखा है। अर्थात् वर्ष 1991 में आबादी में इन राज्यों की हिस्सेदारी 18.8 प्रतिशत थी जबकि उनमें घरेलू विकास की दर 29.95 प्रतिशत थी। दस वर्षों के पश्चात् मैंने तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक के आंकड़ों का औसत निकाला है, यह 32.43 प्रतिशत तक जा पहुंचा है। उच्च आमदनी वाले राज्यों का हाल तो यही है।

अब, मैं बात करता हूं मध्यम आय वाले राज्यों की। इस वर्ग में आने वाले राज्य हैं- तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल। मध्य श्रेणी की आमदनी वाले पांच राज्य हैं। वर्ष 1991 में इन राज्यों की आबादी में हिस्सेदारी 31.68 फीसदी की थी। वर्ष 2000-01 में यह हिस्सेदारी घटकर 29.5 प्रतिशत ही रह गई।

एसडीपी (राज्य घरेलू उत्पाद) में इनकी भागीदारी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी है। यह 32.95 प्रतिशत से बढ़कर 38.90 प्रतिशत तक जा पहुंची है। मध्यम श्रेणी की आमदनी वाले राज्यों और उच्च

[श्री त्रिलोचन कानूनगो]

आमदनी वाले राज्यों में सबने आर्थिक विकास में बेहतर काम किया है। इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित किया है। उच्च आमदनी वाले राज्यों ने राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर को 29.95 प्रतिशत से 32.43 प्रतिशत तक बढ़ाया है, जबकि आबादी में इनकी भागीदारी 18.8 फीसदी रही है। मध्यम आय वाले राज्यों की यह विकास दर 32.95 प्रतिशत से 38.90 फीसदी तक जा पहुंची है, जबकि आबादी में उनकी भागीदारी 29.5 प्रतिशत रही है। अर्थात् इन राज्यों की उपलब्धि यही रही है।

अब, मैं बात करता हूं निम्न आय वाले राज्यों की। निम्न आय वाले राज्य कौन-कौन से हैं? वे हैं बिमारू (बी आई ओ एम ए आर यू) राज्य अर्थात् बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। वे कम आमदनी वाले गरीब व पिछड़े राज्य हैं। महोदय, जब मैं बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो मैं इनमें झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल को शामिल करना चाहूंगा। यहां आपने एक विचित्र तस्वीर देखी होगी। यहां आबादी में कमी नहीं आई है, बल्कि यह बढ़ी है। मध्यम आय वाले और उच्च आय वाले राज्यों की आबादी के विपरीत इन राज्यों की आबादी 39 प्रतिशत से बढ़कर 44.69 प्रतिशत हो गई। यह है आबादी में इनकी हिस्सेदारी। इसका मतलब है कि भारत की कुल आबादी का 45 प्रतिशत भारत के इन्हीं निर्धनतम राज्यों में निवास करता है। जहां तक राज्य घरेलू उत्पाद का सवाल है तो यह 33.23 प्रतिशत से घटकर 28.6 प्रतिशत पर जा पहुंचा है। अर्थात् ये पांचों राज्य उदारीकरण के दौरान और गरीब ही होते गए। इस पर बहस हो सकती है-- और वे भी इस पर चर्चा कर सकते हैं कि सही क्या है या गलत क्या है, मैं इस बात पर जोर देने नहीं जा रहा हूं कि आप इसको और अधिक उच्च आमदनी वाले और मध्यम आय वाले राज्य, जो ममृद्ध हैं, सक्रिय राज्य हैं। उनकी समृद्धि उनके प्रयास से नहीं हुई है। उनकी समृद्धि निवेश से हुआ है। मैं आपको निवेश के बारे में बताऊंगा। मैं हर चीज को आपकी जानकारी में या सभा की जानकारी में नहीं देना चाहूंगा, किन्तु आपके माध्यम से मैं तीन बड़े वित्तीय संस्थानों अर्थात् इडबी, आईएफसीआई और आईसीआईसीआई के निवेश को आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। महाराष्ट्र में, जिसकी आबादी में भागीदारी 9.4 प्रतिशत है, इडबी में 31 मार्च, 2002 तक 23.81 प्रतिशत का निवेश किया है। आईएफसीआई ने 17.51 फीसदी का निवेश किया है और आईसीआईसीआई ने 27.99 प्रतिशत का निवेश किया है। औसतन यह निवेश 23.11 प्रतिशत का है। इन वित्तीय संस्थानों ने वहां निवेश किया है।

इसी तरह गुजरात, पंजाब और हरियाणा में इन वित्तीय संस्थानों ने 43 प्रतिशत का निवेश किया है जबकि आबादी में इनकी भागीदारी 18.80 प्रतिशत है। स्वाभाविक है ये राज्य समृद्ध होंगे। स्वाभाविक रूप से इनके राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर तेजी से बढ़ेगी। यह सब स्वाभाविक है। यह सब 10 वर्षों के दौरान हुआ है, विशेषकर निर्धन राज्यों की कीमत पर। मध्यम वर्गीय राज्यों ने भी बेहतर किया है। 29.5 प्रतिशत आबादी के साथ उनका निवेश 30 प्रतिशत तक जा पहुंचा है।

किंतु जब आप कम आमदनी वाले राज्यों पर दृष्टिपात करेंगे तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। आपको अफसोस होगा और वहां जो कुछ हो रहा है उस पर सभा को भी शर्मिंदगी महसूस होगी। क्यों? इसका कारण है कि योजना की हमारी व्यवस्था केन्द्र आधारित योजना पर आधारित व्यवस्था है।

हमारी वित्त विवरण व्यवस्था निहायत केन्द्र आधारित है। अनुच्छेद 282 का अक्सर दुरूपयोग हुआ है। इसी कारण से ऐसा हुआ है। इन पांचों निर्धन राज्यों में इडबी, आईएफसीआई और आईसीआईसीआई ने केवल 17.1 प्रतिशत का निवेश किया है, जबकि आबादी में इनकी भागीदारी 45 प्रतिशत की रही है। यदि आप बिहार पर दृष्टिपात करेंगे तो डा. रघुवंश प्रसाद सिंह को शर्मिंदगी महसूस होगी। वह यह कि वहां इन वित्तीय संस्थानों का कुल संचित निवेश 0.39 प्रतिशत का है। मैं किसी वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं। मैं 31 मार्च, 2002 तक पूरी अवधि की बात कर रहा हूं। केवल 0.39 प्रतिशत निवेश बिहार में हुआ है। उड़ीसा में 1.79 फीसदी हुआ है, उत्तर प्रदेश में 7.15 प्रतिशत हुआ है आदि आदि। इस तरह भारत की 45 फीसदी आबादी में इडबी, आईएफसीआई और आईसीआईसीआई से मात्र 17.14 प्रतिशत का निवेश हुआ है। यह बिलकुल नाम मात्र का है। कृपया अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों जो राष्ट्रीयकृत बैंक भी हैं, के द्वारा दी गई क्रेडिट पर गौर किया जाए। कृपया आप अद्यतन आंकड़े को भी देखें। यहां कोई संचित तस्वीर नहीं है, बल्कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाए ऋण संबंधी आंकड़े हैं। आप पाएंगे कि 18.8 प्रतिशत आबादी वाले उच्च आय वर्गीय राज्यों पर इन बैंकों की क्रेडिट 37.72 प्रतिशत है और यह आंकड़ा प्रति व्यक्ति 8,380.50 रुपए का है। मध्यम वर्गीय राज्यों में भी यह क्रेडिट 32.12 प्रतिशत की है और प्रति व्यक्ति यह आंकड़ा 5,965.60 रुपए का है। कृपया निम्न आय वर्गीय राज्यों पर गौर फरमाएं। बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे निम्न आय वर्गीय राज्यों में बैंक क्रेडिट का यह प्रतिशत केवल 14.6 का है। इस तरह, 45 प्रतिशत आबादी में बैंक क्रेडिट केवल 14.6 प्रतिशत का है। बिहार में 1.91 फीसदी का है, उड़ीसा में 1.16 प्रतिशत का है, उत्तर प्रदेश में 5.46 प्रतिशत का है, मध्य प्रदेश में 3.53 प्रतिशत का है। यहां मैं छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल को शामिल करूं तो उनमें यह क्रेडिट 2.54 प्रतिशत का है। प्रति व्यक्ति यह आंकड़ा 1,933 रुपए का है, जबकि उच्च आय वर्गीय राज्यों में यह 8,380 रुपए का है। स्वाभाविक है उच्च आय वाले राज्य प्रगति करेंगे।

महोदय, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है और न ही मुझे उनसे कोई द्वेष है और न ही मैं यह कहता दूं कि वे राज्य तरक्की नहीं करें। समृद्ध राज्य और तरक्की करें किन्तु केन्द्र सरकार एक निहायत कर्त्तव्य भी होता है, क्योंकि उसके पास इस तरह की समस्या को दूर करने की योजनागत मशीनरी होती है। चाहे अनुच्छेद 280 के तहत सांविधिक आयोग के माध्यम से या अनुच्छेद 282 के तहत विवेकपूर्ण और राजनीतिक सोच-विचार के माध्यम से केन्द्रीय वित्त के वितरण ने इन गरीब राज्यों को और गरीब बना दिया है। यदि इन पांचों राज्यों का उत्थान नहीं हो सका और यहां इस सभा में इनकी समस्याओं का समग्र समाधान नहीं निकाला गया, तो उनका भविष्य अधर में लटक जाएगा और इसलिए मैं इस पर कृपापूर्वक निवेदन कर सकता हूं।

महोदय, मेरा कहना है कि केन्द्र सरकार एक समान अवसर प्रदान करें। यह अब तक नहीं किया गया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि भावी राजग सरकार इस पर गौर करेगी। अगर इस समस्या पर समग्र रूप से गौर नहीं किया जाएगा या इसका समाधान नहीं किया गया, तो मैं आपको बता सकता हूं कि वह दिन दूर नहीं है कि यह सभा रणभूमि में बदल जाएगी।

पश्चिम बंगाल ने इस समूह में अभी-अभी प्रवेश किया है जो इस समय संकट से गुजर रहा है। जब अर्थव्यवस्था धीमी हो और जब अर्थव्यवस्था का ह्रास हुआ हो, तो स्वाभाविक रूप से राजस्व भी कम होगा। उनके राजस्व में कमी आयी है। पश्चिम बंगाल को 163 प्रतिशत का राजस्व घाटा हुआ है।

यह हो रहा है। गत पांच-छह वर्षों के दौरान ये नये-नये आगंतुक रहे हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। मुझे नहीं पता कि यह छल है अथवा सच है। इसकी जांच की जानी चाहिए।

इन पांच राज्यों और पश्चिम बंगाल के लिए, योजना आयोग, वित्त आयोग और इस सभा को उनकी अर्थव्यवस्था उनके कार्यनिष्पादन, राज्यों की वित्तीय स्थिति के संबंध में गहन अध्ययन कराना चाहिए। जब मैं राज्यों की वित्तीय स्थिति की बात कर रहा हूं तो आप यह देखें कि इन गरीब राज्यों की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गयी है। अकेले उड़ीसा में ऋण निपटान इसके अपने राजस्व का 123 प्रतिशत है इसका अर्थ यह है कि इसके अपने राजस्व का 123 प्रतिशत ऋण चुकाने में चला जाता है अर्थात् पूंजी का पुनर्भुगतान और ब्याज का भुगतान इस पर ईमानदारी से ध्यान देना होगा। यदि यह नहीं किया गया तो हमारे सभी नारे और सारी बड़ी-बड़ी बातें निरर्थक सिद्ध होंगी।

आपके माध्यम से मैं यह आग्रह करता हूं कि रा.ज.ग. सरकार और भावी रा.ज.ग. सरकार इस समस्या की जांच बहुत ईमानदारी और गंभीरता से करे। हां, मध्यम आय वाले राज्य जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल और उच्च आय वाले राज्य जैसे पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा अवश्य प्रगति करें, लेकिन गरीब राज्यों की भी उचित देखभाल की जानी चाहिए और उन्हें एक समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। आपके माध्यम से मेरा इस सरकार और इस सभा से यही आग्रह है और मैं आशा करता हूं और मुझे भरोसा है कि सरकार और यह सभा इसकी जांच करेगी।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, सरकार अंतरिम बजट, वोट आन एकाउन्ट सब कुछ अफरा-तफरी में लायी है। फील गुड फैक्टर की बहुत चर्चा होती है। कहा जाता है कि एक सौ अरब डालर से ज्यादा फारेन एक्सचेंज है। हम जानना चाहते हैं कि कर्जा कितना है? एक सौ अरब डालर इनके पास फारेन एक्सचेंज है लेकिन 112 अरब डालर कर्जा है। यह यहां कर्जे वाले भेद को नहीं खोलते हैं। केवल यह कहते हैं कि हमारे पास बहुत फारेन एक्सचेंज है। रुपए में 15 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। सौ करोड़ की आबादी पर 15 हजार रुपए प्रति-व्यक्ति कर्जा, जो अब जन्म लेगा उस पर होगा। कर्जा आधे से ज्यादा आपके कार्यकाल में हुआ है। आपके राज में कर्जा ज्यादा हुआ है। ''ऋण कृत्वा घृतम बीपेत्'' वाली बात आप चला रहे हैं और दावा कर रहे हैं। मैं आज सारा भेद खोल दूंगा। आज 8 लाख करोड़ काला धन है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरुण कुमार ने सारी लिखा-पढ़ी की और हिसाब किया है कि आठ लाख करोड़ काला धन है। सन् 1956-57 में इसका हिसाब हुआ था तो काला धन 600 से 700 करोड़ रुपए था। उसके बाद वह बढ़ता गया। पांच वर्षों के राज में काला धन अंधाधुंध बढ़ा। यह राक्षस की तरह, सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता गया। यह कहां से बढ़ा और क्यों बढ़ा? मैं इसका हिसाब खोजना चाहता हूं और सरकार से जानकारी चाहता हूं। कहते हैं कि बड़ी आर्थिक तरक्की हुई। 1 लाख 36 हजार करोड़ फिजिकल डेफिसिट अभी भी है। देश की सम्पत्ति औने-पौने दाम पर बेची गई है। कहा गया कि फिजिकल डेफिसिट में सुधार करेंगे। इतना अधिक राजस्व घाटा है। यदि आर्थिक राजस्व घाटा इतना होगा तो देश कैसे तरक्की करेगा? ये कहते हैं कि हम आर्थिक तरक्की कर रहे हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

ये लोगो की आंखों में धूल झोकना चाहते हैं लेकिन मैं इनका भंडा फोड़ कर दूंगा। सरकार ने नेशनल हाईवे अथौरिटी आफ इंडिया गठित की है जिसका काम ईस्ट-वैस्ट और नार्थ-साउथ कोरिडार में स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग का निर्माण करना है। मैं इसका भेद

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

बताना चाहूंगा कि दो लाख रुपया प्रति किलोमीटर सड़क के लिये कंसल्टेंसी फीस लगती है और 8 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर निर्माण का खर्च है। इस प्रकार कुल मिलाकर 20 हजार करोड़ रुपये का इसमें घोटाला हुआ है और चोरी हो रही है। साइट क्लीयरेंस के नाम पर, कंसल्टेंसी फीस के नाम पर विदेशी ठेकेदार आकर देशी ठेकेदारों को काम दे रहे हैं और लूट चल रही है। यह स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग है या लूट चतुर्भुज मार्ग है। जनता के पैसे की हिस्सेदारी पर कर्जा लेकर 'ऋणं कृत्वा घृतम् पीबेत्' का फार्मूला चल रहा है।

सभापति महोदय, सत्येन्द्र दूबे हत्याकांड हुआ। उसके पहले सत्येन्द्र ने पत्र प्रधान मंत्री जी को लिखा कि इस काम में लूट हो रही है और बताया कि उसका नाम उजागर न किया जाये। उसने उस पत्र में सब कुछ लिखा कि किस प्रकार से लूट हो रही है। वह आई.आई.टी. कानपुर का एक मेधावी इंजीनियर था लेकिन वैस्टेड इंट्रेस्ट के लोगों ने उसे मरवा दिया। इस मामले में सी.बी.आई. की जांच बैठायी गई और उसने इस मामले में दो आरोपी पासवान और साह पकड़े। वे सच्चाई उगल रहे थे कि कैसे लूट हुई और कैबिनेट के कौन से मिनिस्टर इसमें शामिल हैं। लेकिन उन दोनों आरोपियों की सी.बी.आई. कस्टडी में मौत हो गई और एफ.आई.आर. में बताया गया कि उन्होंने आत्महत्या की है जबकि वास्तविकता यह है कि उन दोनों को जहर खिलाकर मारा गया। मैं इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग करता हूं। सरकार बताये कि उन दोनों की सी.बी.आई. कस्टडी में कैसे मृत्यु हुई? यह सी.बी.आई. की करतूत है और यह इनका काम है। देश की जनता जानना चाहती है कि उन दोनों ने क्या भेद खोला था? आप स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग बना रहे हैं या देश को लुटवा रहे हैं?

सभापति जी, आज कोई अखबार ऐसा नहीं जिसमें यह विज्ञापन न छपा हो कि सरकार ने क्या क्या कार्य किये हैं? प्लानिंग कमीशन लोक सभा चुनाव के प्रचार के लिये विज्ञापन दे रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इन विज्ञापनों पर कितना खर्चा हो रहा है? इस संबंध में सदन में कल एक सवाल उठा था कि क्या प्लानिंग कमीशन एन.डी.ए. के प्रचार में शामिल हो गया है? इस प्रकार का प्रचार करके वोट लेने के लिये लोगों की आंखों में धूल झोंककर आप देश को कहां ले जा रहे है? हमारे यहां बिहार में कहावत है- 'जनहानि धुनिया के बेरिया' क्या आप जानते हैं कि आज गांवों में आम जनता की क्या हालत है? सरकार 'फील गुड फैक्टर' के बारे में बता रही है जबकि सच्चाई यह है कि दिल्ली में ए.सी. में बैठने वाले लोगों के पौ बारह हैं। गरीब किसान, गरीब आदमी, गांव में रहने वाला बेरोजगार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के लोगों का क्या हाल है? आने वाले चुनाव में इन लोगों द्वारा सरकार की खबर ली जायेगी, यह लोगों को बताया जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि अफरा-तफरी में कैसे डेट तय हो गई कि 6 फरवरी को लोक सभा भंग कर दी जायेगी। डी.एम.के., एम.डी.एम.के., पी.एम.के. के जाने से भारी भगदड़ मच गई और सरकार ने तय किया कि जल्दी लोक सभा भंग करो क्योंकि अनुकूल समय है। जब मालूम है कि कल तक लोकसभा की बैठक चलनी है तो उस दिन कैबिनेट की बैठक करके सरकार राष्ट्रपति जी से कह सकती थी कि हमने तय किया है कि लोक सभा भंग कर देते हैं। यह कट आफ डेट क्यों तय हुई, इसके बारे में कोई माननीय सदस्य बता दे। यहां कई सदस्य बैठे हैं, यहीं डेट क्यों तय की गई। अभी तक एम.पी. लैड का पचास सदस्यों का वर्ष 2003-2004 का एक पैसा भी नहीं गया है। हमने सवाल किया था, यह उसके जवाब में आया है। कहें तो हम सारे नाम पढ़ दें। इसमें श्री नीतीश कुमार, श्री दिग्विजय सिंह, श्री शरद यादव इन लोगों का नाम भी है। इन मंत्री लोगों का एक पैसा भी नहीं किया है। इन्हें मिलाकर पचास सदस्यों का एक भी पैसा एम.पी. लैड में नहीं गया है। उसका क्या होगा। मैं समझता हूं कि उन्होंने अनुशंसा कर दी होगी कि पैसा नहीं जायेगा, यह वोट में जायेगा, जबकि जनता के लिए लिखा है। यह सब कुछ गलत लिखा है। यह पैसा नहीं जायेगा तो वहां काम शुरू नहीं होगा। पचास लोगों का नाम पढ़ने में समय लगेगा, इसलिए मैं केवल मंत्रियों का नाम पढ़ देता हूं। हम जानना चाहते हैं कि इन लोगों का क्या होगा। तीन मंत्रियों का नाम भी इसमें है। ...*(व्यवधान)*

इसमें वैस्ट बंगाल के श्री रनेन बर्मन, श्री निखिलानंद सर, कु. ममता बनर्जी, श्री अमर राय प्रधान और श्री समीक लाहिड़ी के नाम शामिल हैं।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): आपका क्या हुआ, आपका क्या हाल है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमारा हाल क्या पूछते हैं, हमारे हाल के लिए वहां चलिये। हम एम.पी. लैड खत्म करो वाले लोग हैं, हम एम.पी. लैड बचाओ वाले लोग नहीं हैं। इसलिए हम उसे छोड़कर चलते हैं। लेकिन और सदस्यों ने जिन्होंने हमें पीड़ा पहुंचाई है, उनका वर्णन करना जरूरी है। कल, परसों लोक सभा भंग होने के बाद सदस्यों की क्या स्थिति होगी, वह भी जानना पड़ेगा। सदस्य लोग मन मारकर बैठे हुए हैं। कानून में है कि सरकार के मंत्री तो बने रहेंगे, उनकी सारी सुविधाएं बनी रहेंगी, लेकिन लोक सभा भंग होने के बाद इन सदस्यों का क्या हाल होगा। कानून कहता है कि लोक सभा बाद में भी भंग हो सकती थी, लेकिन आप लोगों के प्रति सरकार का रवैया है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। कानून कहता है कि छः महीने के भीतर चुनाव होने चाहिए। आप पढ़ने-लिखने वाले लोग हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत: आप अपने दोस्तों के नाम ले रहे हैं। वे कल आपको और पीड़ा पहुंचायेंगे, आप सोचकर बात करें। श्री शरद यादव, श्री नीतीश कुमार आदि आपके दोस्त हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: यह प्रश्न के उत्तर में आया है। मैं प्रश्न का उत्तर पढ़ रहा हूं। अन्यथा पचास लोगों के नाम हम पढ़ देंगे। लेकिन उत्तर में इन तीनों का नाम भी आया है कि इन लोगों का भी एक पैसा एम.पी. लैड में नहीं गया है। डा. रमन सिंह अब चीफ मिनिस्टर हो गये हैं। उनका भी इस साल का कुछ पैसा नहीं गया है। अब यह कह रहे हैं कि हम एडीशनल फंड और मांग रहे हैं। लोक सभा भंग होने के बाद इस फंड का क्या होगा।

[अनुवाद]

> ''दिनांक 31.01.2004 तक जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के आधार पर पूर्व सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र सहित, 50 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र धनराशि जारी करने के लिए योग्य पाये गये हैं। ऐसे संसद सदस्यों की सूची अनुलग्नक II में उपलब्ध है। धनराशि की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से, अतिरिक्त अनुदानों की मांग की गयी है।''

[हिन्दी]

यह एडीशनल ग्रांट और मांग रहे हैं। बजट का क्या हुआ, एम.पी. लैड का पैसा पहले से मंजूर क्यों नहीं हुआ?

सभापति महोदय, आप भी एम.पी. लैड के चेयरमैन हैं। पचास एम.पीज. का पैसा मंजूर नहीं हुआ, अब वे कहते हैं कि इसे मंजूर करायेंगे, यह पैसा कब जायेगा, मैं स्पेसिफिक पूछना चाहता हूं कि जो इस सदन के सदस्य हैं और जिनका वर्ष 2003-2004 का अभी तक एक पैसा नहीं गया है, मेरे पास पचास सदस्यों की सूची है, इसके अलावा और भी सूचियां होंगी। क्यों नहीं आपने इसे मंजूर कराया। लोक सभा भंग होने के समय कहते हैं कि हम एडीशनल डिमांड कर रहे हैं और इसे मंजूर करायेंगे। क्या हिसाब चल रहा है और क्या बातें चल रही है। इसलिए ये सब बातें मैं सरकार से स्पेसिफिकली जानना चाहता हूं।

श्री कानूनगो, श्री खारबेल स्वाइं, श्री अनादि साहू और श्री बी.के. देव यहां बैठे हुए हैं। ये उड़ीसा के सदस्य हैं। दिन में डिस्पैरिटी का बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने उठाया है। मैं स्पेसिफिकली सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि एक राष्ट्रीय श्रम विकास योजना है, प्रथम उसमें बिहार की सहायता, दूसरे उसमें उड़ीसा की सहायता, तीसरे में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इनशिएटिव, पिछड़ा जिला घटक पहल, इसमें सौ जिले बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट चुने गये। यहां श्री संजय पासवान बैठे हैं, उन्हें इसकी ज्यादा जानकारी है, इनकी ''वंचित'' नाम की पत्रिका निकलती है, जिसमें इन्होंने सब कुछ प्रकाशित किया है।

यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के समय में 1997 में 100 जिले पूअरेस्ट और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट आफ इंडिया चुने गए थे। उनमें बिहार और उड़ीसा से अधिक जिले थे। लोगों को वह पता नहीं कि उसको खत्म कर दिया गया। फिर नए सिरे से इस सरकार ने सौ जिलों का चयन किया। उसमें बिहार और उड़ीसा का कोई जिला नहीं है। सौ जिलों में एक भी जिला बिहार और उड़ीसा का नहीं है। जो 55 जिले चुने गए उग्रवाद से प्रभावित, उनमें बिहार के 8 जिले हैं और उड़ीसा के भी चार-पांच जिले हैं। हमने यहां सवाल उठाया था। कालिंग अटैन्शन में प्रधानमंत्री ने इस सदन को आश्वस्त किया कि बिहार और उड़ीसा के जो जिले छूट गए हैं, उनके पात्र जिले लिये जाएंगे। पात्र जिले बिहार और उड़ीसा के हैं साफ, झारखंड पूरा हो गया साफ-बिहार और उड़ीसा के भी सभी जिले पात्र हैं। प्रधान मंत्री ने ऐलान किया था पिछले सत्र में 12 तारीख को लेकिन अभी इनका जो प्रचार और विज्ञापन निकल रहा है, राष्ट्रीय श्रम विकास योजना में बैकवर्ड इनीशियेटिव में, उसमें 55 जिले थे उग्रवाद प्रभावित और सौ जिले थे बैकवर्ड, कुल हुए 155 जिले। दोनों में कामन थे 21, इसलिए कुल जिले 132 हुए। उनमें उग्रवाद को छोड़कर जनरल सौ जिलों में बिहार और उड़ीसा का एक भी जिला नहीं है। प्रधान मंत्री ने कबूल किया था हाउस में कि गलत हुआ है। इन्होंने हाउस को एश्योर किया था कि बिहार और उड़ीसा के पात्र जिले लिए जाएंगे। कब लिए जाएंगे-अब लोक सभा भंग होने वाली है। वोट का खेल चलेगा और बिहार और उड़ीसा जो वंचित रहे हैं, वंचित ही रहेंगे। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और सरकार से स्पैसेफिक पूछना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री की उस घोषणा का क्या हुआ? वह आश्वासन कब लागू होगा? क्यों देर हो रही है जब यह कबूल कर लिया गया कि सब गलत हुआ? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अभी दस सदस्य और हैं जिन्हें बोलना है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, रीजनल डिसपैरिटी के कारण देश में भारी संकट है। रीजनल डिसपैरिटी नेशनल इंटीग्रिटी के लिए भयानक खतरा हो सकती है। इसलिए रीजनल डिसपैरिटी को खत्म करना जरूरी है। श्री कानूनगो ने बताया कि सौ प्रतिशत हिसाब जोड़कर,

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

कागज-पत्र देखकर कि बैंकों की क्या भूमिका है वहां, फिर कैसे इनवैस्टमेंट में वे सब राज्य वंचित रहे हैं। इस तरह से इनवैस्टमैंट में वंचित रहेंगे, बैंकों द्वारा वंचित रहेंगे, भारत सरकार द्वारा हिस्सा मारी होगी, बाढ़, सुखाड़, जल-जमाव, कटाव से तबाही उन राज्यों में रहेगी, तो उन राज्यों का क्या होगा जो पीछे छूट गए हैं, जिनमें ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं? यह सवाल मैं सरकार से विशेष रूप से पूछना चाहता हूं कि उनके लिए क्या ठोस नीति है और क्यों ऐसा भेदभाव हो रहा है कि क्यों वे राज्य वंचित रह रहे हैं और उसके करोड़ों गरीब आदमियों का क्या होगा?

सब लोग देख रहे हैं कि आप बड़े आदमियों का ही नक्शा देख रहे हैं, मल्टीनेशनल्स और पूंजीपतियों की पौ-बारह हो रही है। हमारा जो पुराना सवाल था, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का, उसका क्या हुआ, यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि बिहार के कर्जा माफी की जो बात थी जिसके लिए सभी सांसदों ने प्रधान मंत्री को ज्ञापन दिया था, उस पक्ष के भी सभी सांसद उसमें थे, उसका क्या हुआ? हमारे पैकेज का क्या हुआ जो 1,79,900 करोड़ रुपये के पैकेज का प्रस्ताव बिहार विधानमंडल ने सर्वसम्मति से पास करके सरकार को भेजा था? सभी पार्टियों के लोग उसके लिए प्रधान मंत्री से मिले थे और उनको ज्ञापन दिया था, उस पैकेज का क्या हुआ? सरकार चले वोट के मैदान में, जनता को सब हिसाब बताया जाएगा। ज्यादा मंत्री उधर बने हुए हैं, ज्यादा समर्थन उधर कर रहे हैं, लेकिन बिहार की हिस्सामारी हुई है, भारत सरकार ने बिहार, उड़ीसा और पिछड़े राज्यों के साथ भेदभाव किया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप बहुत रामय ले चुके, कृपया अब आप अपनी बात समाप्त करें। दस सदस्य और हैं जो बोलना चाहते हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: बाढ़, सुखाड़, जल-जमाव से बिहार तबाह है, उसका क्या हुआ? बिजली के उत्पादन में एक पैसा भारत सरकार ने नहीं दिया। उसका हमारा हिसाब क्या हुआ? पनबिजली में, थर्मल पावर प्लांट में, रिनोवेशन में क्या हिसाब है? बिहार के बरौनी का रिनोवेशन, माडर्नाइजेशन, एक्सटैन्शन का प्रस्ताव भारत सरकार के पास लंबित है। फिर कैनूर पनबिजली प्रोजैक्ट 2500 मेगावाट का और इंद्रपुरी जलाशय योजना 450 मेगावाट का हमारा प्रोजैक्ट तय हुआ था। जब ये सारे सवाल उठेंगे तो ये लोग घूम नहीं पाएंगे, जो आज सरकार की हां में हां मिला रहे हैं। अंदर से सब जानते हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। इसलिए ये सब बातें हम जनता के सामने कहेंगे। ...*(व्यवधान)* इस बार इन लोगों का सारा हिसाब तैयार है। ...*(व्यवधान)* अब जनता में जाकर न्याय होगा कि ऐसा क्यों हुआ और इन लोगों को जनता अकल सिखाएगी। इस बार जनता इन्हें दोबारा नहीं आने देगी, इन्हें पछाड़ करके हम लोगों के मोर्चे की सरकार बनेगी।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

वस्त्र मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे, तो सब काम कर लेंगे। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: बिहार में सरकार बनाना आपका स्वप्न है। ...*(व्यवधान)* बिहार में सरकार आने से पहले यहां की सरकार भी आपकी चली जाएगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): धन्यवाद, महोदय। मैं अंतरिम बजट का समर्थन करता हूं। मैंने विपक्ष की माननीय नेता का भाषण पूरे ध्यान से सुना। पूरी तरह से यह भ्रामक भाषण था। मुझे नहीं मालूम कि उनके लिए यह भाषण किसने लिखा लेकिन अधिकांश रूप से यह राजनैतिक किस्म का भाषण था जिसमें अंतिरम बजट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। श्री रूपचन्द पाल जी ने जो कहा वह मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना।

मैंने श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी की बातें सुनी। उन्होंने स्वयं को इस सभा का सबसे महान अर्थशास्त्री सिद्ध करने का प्रयास किया। उन्होंने प्रत्येक सदस्य को अर्थशास्त्र सिखाने का प्रयास किया और कहा कि हम इन चीजों को नहीं समझते। मैंने उनकी बात बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने कई बार कहा, किरीट सोमैया जी चले गए, मंत्री जी चले गए, सब चले गए। लेकिन अब वह स्वयं चले गए हैं। अब वह यहां उपस्थित नहीं हैं।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंत्री जी का रहना ज्यादा जरूरी है। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: किरीट सोमैया जी चले गए, वह कई बार बोले। इसलिए मैं कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)* उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने जो कुछ किया वह सब प्रपंच है। उन्होंने इस फील गुड फैक्टर के बारे में पूछा कि यह क्या है। उन्होंने कहा कि यदि हम गांवों में जायेंगे तो लोग हम पर थूकेंगे।

महोदय, मेरे पास भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय अंग्रेजी पत्रिका इंडिया टुडे के नवीनतम अंक की एक प्रति है। इसमें एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें इसका उल्लेख है कि यह फील गुड फैक्टर कितना अच्छा है। पहले व्यक्ति जिन्होंने यह कहा कि इस फील गुड फैक्टर का 66 प्रतिशत स्थायी है, श्री विवेक देव राय

है। कांग्रेस के लोग जानते हैं कि यह विवेक देव राय कौन हैं। उनका संबंध राजीव गांधी संस्थान से है। उन्होंने स्वयं यह भविष्यवाणी की थी कि इस वर्ष की सकल घरेलू उत्पाद में 7.5 प्रतिशत वृद्धि होगी। एन.आई.सी.एफ.टी. की प्रोफेसर, श्रीमती इंदिरा राजारमन; टाटा समूह के मुख्य अर्थशास्त्री, श्री सिद्धार्थ राय, आई.जी.आई.डी.आर. ऐमरिटस के प्रोफेसर श्री किरीट पारेख किसी न किसी इंदिरा गाधी संस्थान से जुड़े रहे; सी.आर.आई.एस.आई.एल., के मुख्य अर्थशास्त्री, श्री सुबीर गोकर; और दिल्ली स्कूल आफ इकानोमिक्स के प्रोफेसर, श्री सुरेश तेंदुलेकर-इन सभी लोगों ने कहा था यहां फील गुड फैक्टर है। तो फिर छल कहां है? बाद में मैं इस फील गुड फैक्टर की चर्चा करूंगा।

श्री दासमुंशी जी ने कई बातें कहीं है। उन्होंने कहा, ''भारत में विदेशी मुद्रा की 100 बिलियन की जमा राशि क्यों? ये अल्पकालिक जमा राशियां हैं।'' मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, तो ऐसी बात क्यों थी कि विदेशी जमाकर्त्ताओं ने अल्पकालिक आधार पर ही एक बिलियन डालर तक की राशि जमा नहीं की? उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका उस सरकार पर भरोसा नहीं था। उनका रा.ज.ग. सरकार पर भरोसा है और इसीलिए उन्होंने विदेशी मुद्रा भंडार में 104 बिलियन डालर से अधिक धनराशि जमा की है।

श्री दासमुंशी जी ने काठमांडू से कंधार तक वायुयान अपहरण की घटना का उल्लेख करते हुए यह कहा कि वित्त मंत्री जब वे विदेश मंत्री थे, कंधार तक आतंकवादियों के साथ ऐसे गये थे जैसे कि वे उनके दामाद हों।

मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी से पूछ रहा हूं कि उन्हें अपहरण किये गये लोगों के संबंधियों के पास जाने दें जिन्हें बंधक बना कर रखा गया था और उन्हें यह कहने दें कि मंत्री जी ने उन्हें तालिबान आतंकवादियों के चंगुल से छुड़ाकर गलती की। लोग केवल उन्हीं पर थूकेंगे, लोग हम पर नहीं थूकेंगे। उन्हें इतना साहस रखने दें और उन्हें बताएं कि मंत्री जी ने गलती की थी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने यह कहा कि यू.टी.आई. घोटाले के पश्चात् कोई कार्रवाई नहीं की गयी। कार्रवाई की गयी थी, और यू.टी.आई. को एक पैकेज दिया गया था। यू.टी.आई. का पुनरुद्धार किया गया और अब यू.टी.आई. बाजार में नेता है। इसलिए, वह यह कैसे कह सकते हैं कि हमने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की? क्या यह गलत है कि हमने यू.टी.आई. का पुनरुद्धार करने के लिए धनराशि प्रदान की थी ताकि छोटे निवेशक अब उन्नति कर सकें और उसके साथ धोखा न हो?

उन्होंने कहा, संसद पर हमला क्यों हुआ। वह पार्टी जो अपने प्रधानमंत्री की रक्षा नहीं कर सकती और जिसके अपने प्रधानमंत्री की हत्या उसी के अपने अंगरक्षकों ने कर दी हो, कह रही है कि संसद पर हमला क्यों हुआ। मैं नहीं जानता कि वे ऐसा कैसे कह सकते हैं। अमेरिका पर भी हमला हुआ और वे स्वयं की रक्षा न कर सके। हम यह कैसे कह सकते हैं कि हमारी संसद पर हमला क्यों हुआ? हमें इसका कैसे पता चलता? वही संसद सदस्य हैं-और मैं भी उनमें से एक हूं जो चेक होना नहीं चाहते थे। हमने उन सुरक्षा कर्मियों को लाल पीली आंखों से देखा जिन्होंने हमें बचाने का प्रयास किया। इसी कारण संसद पर हमला हुआ था।

अब, वह कहते हैं कि भारत एक गुट निरपेक्ष देश है। हम संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इराक पर हमले के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित करने के लिए सात दिनों तक मनाते रहे। मैं यह पूछ रहा हूं कि अगर हम गुटनिरपेक्ष थे, तो क्या हमने इस सभा मे, संसद में उस समय कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया था जब यू.एस.एस.आर. ने अफगानिस्तान पर हमला किया? यू.एस.एस.आर. ने हंगरी पर कब्जा कर लिया, चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया लेकिन हमने कुछ नहीं किया। इसलिए, क्या हम यह कह सकते हैं कि हम उस समय वाकई गुटनिरपेक्ष थे? हम एक पार्टी से गुट बना लेतें हैं और हम हर एक व्यक्ति को यह बता रहे हैं कि हम गुटनिरपेक्ष हैं। इसी कारण संयुक्त राज्य अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया।

महोदय, उन्होंने कहा था कि जब कांग्रेस पार्टी स्वतन्त्रता संग्राम लड़ाई लड़ रही थी तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक भी दिन के लिए जेल नहीं गए। महोदय, मैं जानता हूं कि वह जेल नहीं गये। लेकिन वह इंदिरा गांधी की जेल गए थे। वह वहां 19 माह रहे थे। उन्होंने इस देश में, स्वतन्त्रता की दूसरी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के अत्याचार के शिकंजे से स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने यह कार्य किया था। उन्होंने इस देश के लोगों को मुक्त कराया था ...*(व्यवधान)* हमारी ओर से न केवल वह बल्कि प्रत्येक सदस्य ने हमारे स्वर्गीय नेता जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में अपना योगदान दिया। उन्होंने योगदान किया और इस देश के लोगों को आजाद कराया।

श्री रूपचन्द पाल ने चर्चा में भाग लेते हुए यह आरोप लगाया कि रोजगार के अवसर कम हुए है। उन्होंने यह भी कहा कि इस देश में खरीददारी करने की शक्ति कम हुई है। लेकिन यही लोग है जो खरीददारी करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अब भारत के लोग गत तीन वर्षों से खर्च करने का आनंद ले रहे हैं, मोबाइल फोन खरीद रहे हैं। मोबाइल फोन आज खपत का सबसे स्पष्ट संकेत है। नवम्बर, 2002 में इस देश में 97 लाख मोबाइल

[श्री खारबेल स्वाइं]

फोन हो और नवम्बर, 2003 में, 13 माह की छोटी सी अवधि में, यह संख्या बढ़कर 363 लाख हो गयी। यदि एक मोबाइल फोन की लागत 5000/- रुपये है तो इसका अर्थ यह है कि भारत के लोग केवल मोबाइल फोन खरीदने पर 8,000 करोड़ रुपये खर्च करते हैं और इन मोबाइल फोनों को कारपोरेट क्षेत्र ने नहीं खरीदा था।

आप गांव जाइए और बाजार जाइए। यहां तक कि एक सब्जी बिक्रेता भी अब मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहा है, हैदराबाद के किसी व्यक्ति से उसके ट्रक की स्थिति के बारे में पूछिए और यह पूछिए कि उस दिन उसका ट्रक क्यों नहीं पहुंचा? यहां तक कि दूध विक्रेता भी मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहा है। वह यह कैसे कह सकते हैं कि केवल कारपोरेट ही इसका प्रयोग कर रहा है?

आप दुपहिया, कार और निजी कम्प्यूटर का मामला लें। वर्ष 2003-04 में 8.7 लाख कारों, 53 लाख दुपहिया और 20 लाख निजी कम्प्यूटरों की बिक्री हुई। एशियाई-प्रशांत के देशों को यह विश्वास है कि भारत में सर्वाधिक उपभोक्ता हैं। भारत में, देश के समस्त आर्थिक कार्यकलाप में उपभोक्ता व्यय लगभग दो-तिहाई है। यदि लोगों के पास पैसा नहीं है और लोगों के पास क्रय-शक्ति नहीं है तो वे इन सभी चीजों को कैसे खरीद सकते हैं?

अब रोजगार की बात को लें। मैं इस बात से सहमत हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार के अवसरों में कमी आई है। सरकार और उद्योग में ये अवसर घटे हैं किंतु सेवाओं और कृषि क्षेत्रों में ये अवसर बढ़े हैं। इस देश के आर्थिक कार्यकलाप में कृषि और सेवा का योगदान 75 प्रतिशत है। ...*(व्यवधान)* महोदय, इस चर्चा के शुरू में मैंने माननीय अध्यक्ष से समय सीमित करने के लिए कहा था। अब, इस चर्चा का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। मैंने उन्हें पहले बोलने वाले माननीय सदस्य को एक घंटा बोलने की अनुमति देने से मना किया था क्योंकि जब हम अंत में बोलेंगे तो हमें केवल दो मिनट तक सीमित रहना होगा। यह अनुचित है। आप कृपया हमें कुछ और समय दीजिए। मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त करूंगा।

सभापति महोदय: आपने बारह मिनट का समय ले लिया है।

श्री खारबेल स्वाइं: सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र रोजगार सृजित कर रहे हैं। निजी भर्ती कंपनियों को ही लीजिए। उन्होंने वर्ष 2003 में 3.5 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष यह आंकड़ा 25 प्रतिशत बढ़ने जा रहा है।

सेवा क्षेत्र को लीजिए। इसने कुशल कार्य के उच्च और कम दोनों रोजगार सृजित किए हैं जिसमें काल सेन्टर और रेस्तरां में साफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर पी.एच.डी. और नए स्नातक तक शामिल है। इसने छोटे रोजगार जैसे सुरक्षा गार्ड, ड्राईवर आदि के रोजगार सृजित किए हैं।

आई टी और आई टी से जुड़ी सेवाओं का उदाहरण लीजिए। इसने 6.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है और हर साल इसकी संख्या दुगुनी हो रही है। मुंबई और दिल्ली में हर सप्ताह वे एक रेस्तरां खोल रहे हैं। एक रेस्तरां में वे लगभग 12 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वे काफी कुशल हैं और वे काफी अधिक वेतन कमा रहे हैं। इन रेस्तरां में काम करने वाले लोगों की आयु 20 वर्ष से कम है। अत: वे इस देश में बहुत धनी और समृद्ध बन गए हैं और मोबाइल फोन तथा दूसरी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं।

30 प्रतिशत नई कार के मालिकों ने एक ड्राईवर रखा हुआ है। यदि 8.7 लाख कारें बेची जाती है तो इससे 2.6 लाख लोगों का ड्राईवर के रूप में रोजगार मिलता है। वे इससे कैसे इंकार कर सकते हैं? तथ्यात्मक रूप से, यदि 8.7 लाख कारें बेची जाती तो स्वाभाविक तौर पर 2.7 लाख ड्राईवरों को रोजगार मिलता है।

अब राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम का उदाहरण लेते हैं। यह प्रति किलोमीटर सड़क निर्माण में प्रतिदिन 40 लोगों को रोजगार दे रहा है। अब, 3577 कि.मी. सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रतिदिन 11 कि.मी. सड़क का निर्माण किया जा रहा है। अब तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 75,000 गांवों को जोड़ा गया है।

विनिर्माण क्षेत्र को धीरे-धीरे खोला जा रहा है। अब यह अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने जा रहा है। इससे उर्ध्वगामी आर्थिक रूझान नीचे नहीं आ सकेगा। ऐसा बारिश के कारण नहीं हो रहा है, बारिश का इस देश की अर्थव्यवस्था पर अधिक प्रभाव नहीं है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि श्री वाजपेयी के नेतृत्व वाली इस सरकार द्वारा सही आर्थिक सुधार जारी रखे गए हैं। श्री वाजपेयी ने इस देश की पटरी से उतरी हुई अर्थव्यवस्था को सही राह पर ला दिया है। इसलिए अगले 20 वर्षों के लिए यह रोजगार प्रदान करेगी और देश को बढ़ावा देगी। यहां तक कि विश्व बैंक का भी यही कहना है कि इस बार आठ प्रतिशत की वृद्धि होगी।

मूडीज, जो देशों को रेटिंग प्रदान करता है, ने भारतीय मानकों को बढ़ाकर बीएए 2 कर दिया है जिसका यह अर्थ है कि यह एक निवेश योग्य लक्ष्य बनने जा रहा है।

अब, पाकिस्तान ने युद्ध विराम क्यों किया? वे कश्मीर पर और लड़ाई क्यों नहीं लड़े? उन्होंने भारत को नियंत्रण रेखा पर बाड़ लगाने की अनुमति क्यों दी? ऐसा इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान के लोगों का मूड़ बदल गया है। पाकिस्तान के लोगों

को यह महसूस हो गया है कि युद्ध लड़ने से वे कंगाल हो जाएंगे। भारत एक प्रगतिशील और गतिशील देश बन गया है। यह एक भविष्य का देश बन गया है। यह संसार के आर्थिक कार्यकलाप के क्षेत्र में एक किंवदन्ती बन गया है। इसलिए पाकिस्तान के लोग लड़ाई नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वे भी भारत की तरह समृद्ध बनें। इसलिए पाकिस्तान के लोगों का मूड़ बदल गया है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत को एक प्रगतिशील आर्थिक ताकत बनाकर पाकिस्तान का मूड़ बदलने का श्रेय ले सकते हैं।

अंतिम कुछ वाक्य मेरे राज्य उड़ीसा के लिए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से यह अपील करता हूं कि पारादीप आयल रिफाइनरी का काम तुरंत शुरू किया जाए। पश्चिम उड़ीसा के सम्बलपुर क्षेत्र में बुरला इंजीनियरिंग कालेज को एक आई आई टी के रूप में विकसित किया जाए क्योंकि यह एक पिछड़ा क्षेत्र है। उड़ीसा को एक आई आई टी की बहुत आवश्यकता है।

अंत में, भुवनेश्वर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसका शिलान्यस माननीय प्रधानमंत्री ने किया था, का काम तेजी से पूरा किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): सभापति महोदय, पिछले दो महीने से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बहुत बड़े भ्रम का शिकार बनी हुई है और आज उसका प्रयास देश को भ्रमित करना है। तीन प्रान्तों के विधान सभा के चुनाव जीतने के बाद यह बात याद रहनी चाहिए कि उन जीतने वाले प्रान्तों में दिल्ली नहीं थी। यहां के लोगों ने केन्द्र सरकार के खिलाफ वोट दिया क्योंकि केन्द्र सरकार का संचालन यहां से हो रहा है। उन तीन राज्यों में जीतने के बाद हजारों, करोड़ों रुपये के इश्तहार अखबारों में देकर, यह नहीं कि उसमें सिर्फ चौथाई पेज भरा हो, एक-एक अखबार में पूरा-पूरा पेज और उस पूरे पेज के साथ चार-चार जगह आधे-आधे पेज और इस ढंग से जैसे एक बड़े अच्छे न्यूजपेपर ने खुद ही लिखा है।

[अनुवाद]

हजारों करोड़ रुपये विज्ञापन के रूप में उड़ा दिए गए।

[हिन्दी]

उन इश्तहारों के जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और

[अनुवाद]

खुशनुमा अहसास

[हिन्दी]

यह मैं नहीं कह रहा, यह भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्यों ने खुद ही जिक्र किया कि बिहार, यूपी जैसे प्रान्त में लोग समझ नहीं पाते कि आप फील गुड क्या कह रहे हैं। उसके लिए उप प्रधान मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी की जरूरत पड़ी। उन्होंने कहा कि यह खुशनुमा माहौल है। अगर आप नजर दौड़ाकर देखें, जिक्र किया जा रहा है कि कन्ज्यूमरिज्म बढ़ गया, टेलीफोन खरीदने के लिए बहुत लोग आगे आ रहे हैं। लेकिन क्या हिन्दुस्तान उतने कुछ लाख लोगों तक सीमित है? हिन्दुस्तान गांवों में बस्ता है और आज जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो यह मैं नहीं कह रहा, यह सरकार के अपने दस्तावेज, इकोनामिक सर्वे, नेशनल स्माल सर्वे सिद्ध करते हैं कि देश के गरीब लोग, पढ़े-लिखे नौजवान, जिनके सामने एक कड़वा सच आया, वह सच यह है कि देश में बेरोजगार लोग ज्यादा हो गए हैं। मैं इस संदर्भ में, बेशक मैं यह मानता हूं कि किसी भी सरकार का यह अधिकार है कि वह अपनी प्राप्तियों का जिक्र करे, लेकिन उनसे यह भी उम्मीद की जाती है और उनकी जिम्मेदारी है कि वह लोगों को गलत बयानी न करे।

यहां मैं कहना चाहता हूं कि आज जो हमारे सामने वित्त मंत्री जी का भाषण है, उसमें उन्होंने कहा है-

[अनुवाद]

महोदय मैं उनकी बात को उद्धृत कर रहा है। उन्होंने कहा था:

''महोदय रोजगार में वृद्धि हुई है।''

जबकि तथ्य इसके विपरीत है और इस संदर्भ में, मुझे केवल आर्थिक सर्वेक्षण का उदाहरण देना है जो भारत सरकार का प्रकाशन है हमारी पार्टी का नहीं। मुझे उसमें से कुछ पंक्तियां पढ़ने की अनुमति दें। इसमें लिखा है:-

''इस पिछली अवधि के दौरान श्रमशक्ति के प्रतिशत के रूप में और बेरोजगार के संदर्भ में व्यक्त बेरोजगारों की कुल संख्या और बेरोजगारी की प्रासंगिकता में वृद्धि हुई है।''

[हिन्दी]

इसके आगे यह बात भी सिद्ध हो गई है कि आज के दिन जो लोग रोजगार के लिए जाब मार्केट में आते हैं, उनके सिर्फ पांचवें हिस्से को ही नौकरी मिल पाती है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने पांच साल लगातार लालकिले से कहा कि देश के नौजवानों को एक करोड़ रोजगार के साधन मुहैया होंगे और उसके बाद एक डीएवीपी का बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट आया। उसमें कहा गया कि

[श्री पवन कुमार बंसल]

सरकार की तरफ से 70 लाख रोजगार हो रहे हैं। मैं यही जानना चाहता हूं कि दोनों में से सच क्या है? एक बार फिर प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि कोई चुनौती नहीं दे सकता कि हम लोग 70 लाख लोगों को रोजगार नहीं देते। मैं समझता हूं कि मुझे यह बात कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह हमारे सामने है कि 1.5 करोड़ नौजवान पढ़े-लिखे रोजगार के लिए दर-दर धक्के खा रहे हैं और आपके एम्पलायमेंट एक्सचेंज उनको क्या देते हैं? नौकरी। नहीं, नौकरी नहीं देते। उनके साथ भद्दा मखौल होता है। उनको एम्पलायमेंट कार्ड दे दिया जाता है कि आपका नाम रजिस्टर्ड हो गया।

[अनुवाद]

रोजगार कार्यालय आपकों केवल रोजगार कार्ड देते हैं, रोजगार नहीं और इस देश के लोगों, गरीब छात्रों और नौजवानों को रोजगार की जरूरत है, रोजगार कार्डों की नहीं।

[हिन्दी]

इसी के संदर्भ में आज के दिन यह हम सभी का अनुभव है कि कोई भी परिवार हो, छोटा-बड़ा कोई भी हो, सबके सामने एम्पलायमेंट इन्सिक्योरिटी है। सभी के मन में रोजगार के लिए भय है। किसी को तो रोजगार चाहिए। किसी का रोजगार छीना जा रहा है और मैं सरकार का फिर जिक्र करना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी फिलोसाफी, अपना दर्शन बताते हुए कहा कि:

[अनुवाद]

'देश की बृहत आर्थिक स्थिति गत 50 वर्षों की तुलना में बेहतर है।'

[हिन्दी]

यह इनको एक आदत पड़ गई है कि पचास साल का एकदम जजमेंट कर दें और आज के दिन आपकी मैक्रो इकोनामिक क्या है?

[अनुवाद]

आज की सरकारी आर्थिक नीति दो नकारात्मक सिद्धान्तों पर आधारित है, मैं यह बात अत्यधिक आदर से कह रहा हूं और ये सिद्धान्त विनिवेश और कर्मचारियों की छंटनी करना है। निवेश का स्थान विनिवेश ने और रोजगार का स्थान छंटनी ने ले लिया है।

[हिन्दी]

बार-बार लघु उद्योग का जिक्र किया जा रहा है। आप हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में जाकर देखिए। किसी भी शहर में जाकर देखिए। स्माल स्केल इंडस्ट्री का जो हश्र हुआ, वह पहले कभी नहीं हुआ था। नौजवान कालेज में पढ़कर, इंजीनियरिंग कालेज से डिग्री लेकर उन्होंने अपने-अपने कारखाने शुरू किये थे लेकिन इनको बाहर से हिदायत आ गई कि आज मल्टीनेशनल्स की जरूरत है, बड़े-बड़े कौरपोरेट सैक्टर्स की जरूरत है। हमें स्माल स्केल इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है। यहां आप बेशक क्रैडिट कार्ड का जिक्र करते रहिए। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? एक-एक करके सभी स्माल स्केल इंडस्ट्री बंद हो गई और उसके बाद उनके मालिक ही बेरोजगार नहीं हो रहे हैं, वहां उनमें कार्यरत छोटे-छोटे कर्मचारी चाहे स्किल्ड हों या सैमी-स्किल्ड वर्कर्स हों, वे सब सड़क पर आ रहे हैं। उनकी नौकरियां खत्म हो रही हैं। सच में हालत यह है कि आज अगर सरकार एक तरफ कह रही है कि रोजगार बढ़ रहे हैं,

[अनुवाद]

सांख्यिकी जैसे चेहरे प्राय: धोखा देने वाले होते हैं और इसलिए आज यह सरकार इन्हें तोड़-मरोड़कर पेश कर रही है।

[हिन्दी]

ये आंकड़े दे रहे हैं कि रोजगार बढ़ रहा है। अगर रोजगार के सामने बेरोजगार लोगों का नम्बर बढ़ रहा है तो क्या सरकार को यह कहना शोभा देता है कि रोजगार बढ़ रहे हैं? कहां पहुंच रहे हैं? कहां पांच वर्ष में पहुंचे हैं? फिर मैं यह कहता हूं और मैं नहीं कह रहा हूं। सरकार के अपने पब्लिकेशंस ही यह बात कह रहे हैं।

बार-बार यह कहा जा रहा है कि एक और हरित क्रांति लाई जा रही है। शुक्र है इस बात का कि आपने पहली हरित क्रांति का जिक्र तो किया, वरना आप तो पिछला किया हुआ सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। अगर मैं यह कहूं,

[अनुवाद]

कांग्रेस ने आधुनिक स्वतंत्र भारत की नींव रखी। कांग्रेस को अपनी उपलब्धि पर संतुष्टि है और आपको प्राप्ति की खुशी।

[हिन्दी]

आप इस खुशी में रहे इसलिए जो कुछ पहले हुआ, उसको खत्म कर देना चाहते हैं। इसी संदर्भ में आप दूसरी हरित क्रांति की बात कर रहे हैं। हम भी यह चाहते हैं, लेकिन आज अन्न के जो भंडार भरे पड़े हैं, वह कांग्रेस पार्टी की नीतियों और इंदिरा गांधी की नीतियों की वजह से हैं। जानसन की आपको याद होगी,

[अनुवाद]

वे देश को थोड़ी सी मोहलत देना चाहते थे किंतु स्वर्गीय इंदिरा गांधी अडिग खड़ी रही।

[हिन्दी]

उसके कारण हमने ऐसी नीतियां अपनाईं, स्वामीनाथन जैसे विशेषज्ञ थे, जिनके कारण देश में आज अन्न इतना ज्यादा है। लेकिन विडम्बना है कि हमारे पास अन्न के इतने भंडार हैं और वहीं बड़ी तादाद में देश में लाखों लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास खाने को अन्न नहीं है। इसके बावजूद आप टेलीफोन की बात कर रहे हैं। जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उनको टेलीफोन से क्या मतलब है। देश में गेहूं और चावल की जो कीमत है, आप उसको उस कीमत पर भी नहीं बेच रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि अन्न पड़ा-पड़ा खराब हो रहा है और एफ.सी.आई. की इकोनामिक कास्ट की बात कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आता कि आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं। आज जरूरत है देश के हर इन्सान का पेट भरने की, लेकिन यह नहीं हो रहा है। कृषि के लिए आप क्या कर रहे हैं, यह भी देखें। आप कह रहे हैं कि हमने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटा दीं, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ है, यह भी देखें। हमारे देश में आज खरबूजा, तरबूज बाहर से आ रहा है। क्या हमारा किसान यह सब पैदा करने के लिए काबिल नहीं है, क्या वह अपने खेतों में ये चीजें पैदा नहीं करता। इसका सीधा परिणाम यह हुआ है कि किसान की अपनी आर्थिक हालत खराब हो रही है। जो किसान रेगिस्तान में गरीब का फल पैदा करता था, वह नहीं बिकेगा और वह बाहर से आएगा और यहां आठ-दस लाख लोग उसको खा रहे हैं, लेकिन किसान भूखा मर रहा है।

आप लोग गाय माता का बहुत जिक्र करते हैं। लेकिन हमारे देश में दूध और दूध के प्रोडक्ट जैसे मक्खन, घी इत्यादि बाहर से आते हैं, तो फिर लोग गाय का क्या करेंगे। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारी गायों को आप लोगों ने सड़कों पर छोड़ दिया है। इस प्रकार से स्थिति को मोड़ दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

मैं समझता हूं कि मनोवैज्ञानिक तौर पर इस सरकार के कार्यकरण में कुछ खराबी है।

[हिन्दी]

आपने पांच प्राथमिकताओं का जिक्र किया है, लेकिन इस सरकार की वास्तव में क्या प्राथमिकता है, इसको जानने की जरूरत है। सरकार देश को ऐसे रास्ते पर ले जा रही है, जहां से वापस आना मुश्किल होगा। आज हम संसद में नीतियां नहीं बना रहे हैं, सरकार नीतियां तय नहीं कर रही है। बाहर से आपको आदेश हो जाता है और उसके अनुसार आप नीतियां बनाकर उसे लागू करते हैं। आज यह स्थिति हमारे देश की हो रही है।

समयाभाव के कारण मैं ग्रोथ रेट की ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हमारे माननीय सदस्य खारबेल स्वाइं जी ने जिक्र किया कि हमारी ग्रोथ रेट 7.5 प्रतिशत हो जाएगी। पिछले चार वर्षों में क्या हुआ, 4.4 प्रतिशत से 4.6 प्रतिशत के बीच ग्रोथ रेट रही। इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी के समय में नाइनटीज में छः प्रतिशत सस्टेन रही। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि यह वर्ष ड्राउट के बाद का है और 1989-90 में ड्राउट के बाद हमने देखा है कि उस वक्त 10.87 प्रतिशत के करीब ग्रोथ रेट बढ़ी थी। मैं इन पर दोष नहीं लगाना चाहता, सभी सरकारों का फर्ज है कि वे देश के लिए कार्य करें। लेकिन आपने यह नीति बना ली है कि 50 वर्ष में कुछ नहीं हुआ और इन पांच वर्षों में आसमान से चांद-सितारे लाकर हमने जनता को दे दिए हैं।

[अनुवाद]

आप लोगों के लिए चांद जमीन पर ले आए और आपने उन्हें समृद्धि दी है। किंतु ऐसा नहीं है।

[हिन्दी]

उसके विपरीत आज काम हो रहा है।

आप किसी भी चीज को ले लें, खुशनुमा माहौल लोगों के मन में नहीं है। गायबल्स की एक बात मुझे याद आती है। लोगों को यह बताने की कोशिश हो रही है कि वे क्या सोचें। अगर एक असत्य को बार-बार बोलते रहें तो सत्य लगना शुरू हो जाएगा।

[अनुवाद]

वास्तव में आप आज गायबल्स को भी पीछे छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

उसी के तहत यह मिथ्या चाल है जिसमें आपने कुछ दिन पहले यह तय कर लिया था कि सेशन करना है। सेशन करना आपका अधिकार है और उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। यह सेशन आपको आठ-नौ जनवरी को बुलाना था। लेकिन जो तरीके आप ऐलान के अपना रहे हैं वे ठीक नहीं हैं। आप लोगों को

[श्री पवन कुमार बंसल]

चुनाव के कारण रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। जनता जानती है कि आप अपनी तरफ से अपने काम के जरिये कुछ नहीं कर रहे हैं बल्कि उस समय के लिए वायदा कर रहे हैं जब आप यहां होंगे ही नहीं। इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपसे पूछा गया कि क्या आप 11 हजार करोड़ रुपये के नये टैक्स लगाएंगे? आपने कहा कि नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि एजुकेशन, हैल्थ पर कट लगाया जाएगा। उन पर कट लगेगा या बाद में आप टैक्स लगाएंगे। साथ ही यह बात भी है कि इस सरकार ने हायर एजुकेशन की तरफ से अपने हाथ धो लिये हैं। सरकार समझती है कि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है। युनिवर्सिटीज में बच्चों की फीसें बढ़ाई जा रही हैं। जब हम इसका विरोध करते हैं तो कहते हैं कि बच्चों को एजुकेशन के लिए लोन दे दिया जाएगा। आप अपना मुकाबला यहां से कर रहे हैं, डैवलेप देशों के साथ आप अपना मुकाबला कर रहे हैं। वहां तो बच्चा कालिज से निकलता है तो उसे नौकरी मिल जाती है। यहां अगर गरीब का बच्चा लोन लेकर पढ़ेगा तो उसकी गरीबी ही बढ़ेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि रेलवे में खलासी के लिए, गैंगमैन के लिए एडवरटाइजमेंट निकला था। उसके लिए एमबीए, एमएससी, बीएससी पास बच्चों ने एप्लाई किया था। एक गरीब आदमी मेरे पास रोते हुए पहुंचा। उसके बच्चे ने दो साल का कम्प्युटर का कोर्स भी किया हुआ था और एमएससी भी कर रखी थी और वह अपने बच्चे के लिए लैब-अटैंडेंट की नौकरी मांग रहा था।

[अनुवाद]

और लैव अटैंडेंट का रोजगार विवरण क्या है? इसका काम लैब से धूल साफ करना था।

[हिन्दी]

इस काम के लिए एमएससी पास बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है। मैं नहीं कहता कि किसी जादू की छड़ी से आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन आप लोगों को गुमराह तो मत कीजिए। आप सही हालात लोगों को बताइये, लेकिन वह आप नहीं बता रहे हैं। इसलिए आपका गुनाह और बड़ा है।

अनएम्पलायमेंट के बारे में बात करना आवश्यक है। हमारे समय में अनएम्पलायमेंट रेट 5.99 था लेकिन अब यह 7.32 है। ग्रोथ रेट के बारे में मैं कह चुका हूं, वह मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। विकास की बहुत बातें की जा रही हैं। मैंने देखा है कि टेलीफोन की बातें बार-बार की जा रही हैं। माननीय विजय कुमार मल्होत्रा जी ने कहा कि पांच साल पहले आईटी के बारे में किसी को पता नहीं था। मुझे मालूम नहीं था कि सदस्य की याददाश्त इतनी कम है। माननीय राजीव गांधी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी की बात कही थी और कहा था कि देश को 21वीं सदी में ले जाना है तो आज के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका मखौल उड़ाया था और राजीव जी को ''ए कम्प्यूटर बॉय'' कहा था। साथ ही कहा था कि गरीब के पेट के लिए रोटी जरूरी है या कम्प्यूटर। आज आप सोच सकते हैं कि अगर कम्प्यूटर नहीं होते तो हम कहां होते?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: कब कहा था, हाउस में कहा था या बाहर कहा था, आप बताइये। अगर कम्प्यूटर बॉय कहा था तो अच्छी बात कही थी।

श्री पवन कुमार बंसल: हाउस में भी कहा था और बाहर भी कहा था। अगर उन्होंने दूर-दृष्टि से काम नहीं लिया होता तो आप सोच सकते हैं कि देश आज कहां होता। मोबाइल फोन का बहुत जिक्र किया जाता है। आप बताएं कि वह नीति किसकी थी? किसके कारण यह सब हुआ? पेड़ एक दिन में फल नहीं देते हैं बल्कि उन्हें मेहनत से सींचना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। यह काम टेलीकाम इंडस्ट्री में हुआ है, टेलीडेंसिटी बढ़ी है और इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसका कोई भी आपके बीच में जवाब दे दे। इस वर्ष देश में कितने नये डाकखाने खुल रहे हैं।

[अनुवाद]

सारे देश में केवल बीस डाकघर खोले जा रहे हैं जबकि केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इस समय बीस डाकघरों से अधिक की जरूरत है। स्थिति यह है यदि आपके द्वारा वास्तव में कोई प्रयास किए जाने की जरूरत है तो वह अधिक डाकघर खोलने की है।

[हिन्दी]

आप डाकिए नहीं रख रहे हैं और इस वजह से सेवाओं पर असर पड़ रहा है। कारण यह कि यह काम कोरियर को दे दिया जाए। सब जगह धन्धा है। मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कांग्रेस पार्टी पहले ही डेढ़ घंटे का समय ले चुकी है।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैं घोटालों के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। घोटालों के बारे में बार-बार कहा जा चुका है। मैं एक बात कहना चाहता हूं। श्री दिलीप सिंह जुदेव जी ने टीवी पर कहा-''खुदा की कसम, पैसा खुदा नहीं है, लेकिन

खुदा से कम भी नहीं है।'' रामभक्त पैसे को खुदा बतायें और उसकी डिफैंस में प्रधानमंत्री जी आयें। आप पूछेंगे-कहां कहा गया था? उन्होंने यहां सदन में इस बात को कहा था। उन्होंने कहा कि ये आरोप गलत हैं। यह साबित करना होगा कि किसने मूवी बनाई और किस कारण से बनाई। सवाल यह नहीं था, सवाल यह था कि मंत्री बिक सकते हैं और उस काम के लिए बिक सकते हैं, जिस काम का उनको अधिकार नहीं है। उनके पास अधिकार नहीं है कि वे किसी को फायदा दे सकें। घोटालों की इस प्रकार की हालत हो गई है। इसी प्रकार एक घोटाला हाल ही में हुडको से संबंधित आया है। केवल एक दिन में 500 करोड़ रु. का ऋण दिया गया। एक मामले में 55 करोड़ रु. बट्टे खाते में डाला गया था। ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में सरकार जानती है।

महोदय, कहा जा रहा है कि इस सरकार ने हर वर्ग के लिए बहुत कुछ किया है। यह भी कहा जा रहा है कि सरकार रेट आफ इन्टरैस्ट बहुत कम कर दिया है। मैं आपसे पैंशन्स की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं। पैंशनर्स, जिनकी आमदनी का साधन ग्रेच्युटी या बैंक में जमा पैसा होता है, उनके साथ क्या हुआ है। मैं पूछता हूं, आपने उनके लिए कुछ किया है? दुनिया के लोगों का श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में विश्वास है। यही कहा गया था। मैं उसी फेथ का जिक्र करना चाहता हूं। देश में नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (7वां इशू) लाया गया। इस विश्वास के साथ लोगों ने खरीदा कि सरकार इसको बेच रही है और छ: वर्ष के बाद दस हजार रुपए के 20 हजार रुपए मिलेंगे। लोगों ने इन सर्टिफिकेट्स को खरीद लिया। जब वे छ: साल के बाद 20 हजार रुपए लेने के लिए गए, तो डाकखाने वालों ने पैसा देने से मना कर दिया। हम नहीं दे सकते हैं। अगर आपको दस हजार रुपए ले जाने हैं, तो ले लीजिए। कारण यह कि सर्टिफिकेट आपने अपने नाम में नहीं खरीदे फर्म के नाम में खरीदे हैं।

[अनुवाद]

यह किसकी गलती है? क्या यह खरीदारों की गलती है? वह खरीदार जिसका इस सरकार पर पूर्ण विश्वास है, और सरकार के आश्वासन पर इसे खरीदा था।

[हिन्दी]

नोट चाहे एक रुपया का हो या पांच सौ रुपए का, सब पर लिखा होता है-मैं धारक को इतने रुपये देने का वचन देता हूं। सरकार का वायदा होता है और लोग मानते हैं कि सरकार सच कह रही है। इतना होने पर भी सरकार ने उन सर्टिफिकेट्स को आनर नहीं किया। आज के दिन सरकार यह विश्वसनीयता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: दस और माननीय सदस्यों को बोलना है। उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे बताया है कि प्रत्येक सदस्य मात्र पांच मिनट का समय ले सकता है। मैंने आपको अधिक समय दिया है।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैं जल्दी अपनी बात समाप्त करूंगा। सरकार न रूक सकती है, न खत्म हो सकती है। यह विश्वास देश की जनता को दिलाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं-सरकार देश में कब थी और कैसी थी, सरकार देश में कब चली है। पहली बार हमने एक असहाय प्रधानमंत्री देखा है जिनके लिए अन्य राजधानियों में निर्णय लिए जाते हैं। यह पहली बार किया जा रहा है कि पोर्टफोलियो उसको मिलेगा और वहां जाकर काम करिए। यह काम पहली बार हुआ है।

[अनुवाद]

नहीं, हमने हमेशा उनकी सहायता की है। आज भी हम उनकी सहायता कर रहे हैं, हालांकि जिस प्रकार से यह सत्र आहूत किया गया है उसमें हम प्रसन्न नहीं हैं। किन्तु हमने सोचा कि इस सरकार की सहायता करना हमारी जिम्मेदारी है। यदि वे लेखानुदान पारित करना चाहता हैं तो हम उनके साथ हैं।

किन्तु हमें उनकी सभी असफलताओं और आपराधिक असफलताओं का उल्लेख करना ही है जिनके कारण देश विनाश की ओर जा रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा।

अब मैं इस सरकार के दर्शन का उल्लेख करता हूं।

[हिन्दी]

यहां बार-बार एक बात कही गई कि हमने सर्विसमैन को प्रौक्सी वोट राइट दिया।

[अनुवाद]

समान रैंक, समान पैंशन की उनकी सतत मांग रही है, तथा सशस्त्र सेनाओं से सेवानिवृत्त होने वाले लोगों के लिए असैनिक बलों, सिविल सेवाओं और अर्धसैनिक बलों में समकक्ष ओहदे पर प्रवेश मिलना चाहिए। उनकी यह मांग इस वजह से उचित है क्योंकि सशस्त्र सेनाओं में सेवानिवृत्ति बहुत पहले होती है। मैं यह बात जानता हूं। हम सब जानते हैं कि लोगों के बच्चे अभी विद्यालय में ही पढ़ रहे होते हैं तभी वे सशस्त्र सेना से सेवानिवृत्त हो जाते हैं; उनकी शिक्षा पूर्ण नहीं होती और उनका विवाह नहीं हुआ होता

[श्री पवन कुमार बंसल]

है। वे सड़क पर आ जाते हैं। इस सरकार ने उनके लिए विद्यार्थियों के लिए क्या किया है?

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपने पर्याप्त समय ले लिया है।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं आपके निर्देश को स्वीकार करता हूं। मैं अब अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

मैं एक बात कहना चाहता हूं। बार-बार जिक्र किया जा रहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी सब के लीडर हैं। मैं उनकी इज्जत करता हूं। मैं जब से पार्लियामैंट में आया हूं, मैंने देखा कि वह हाउस में बहुत संजीदगी के साथ बैठते हैं। आपोजिशन पार्टी के लोग भाग कर आगे आ जाते हैं लेकिन हमने पहली बार रूलिंग पार्टी के मैम्बर्स को आसन के नजदीक आते देखा। जो कुछ इनके राज में हुआ, जो घोटाले हुए, जिस तरह की गवर्नैंस रही, मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि आज देश को नौजवानों की जरूरत है। नौजवानों के आगे बढ़ने की जरूरत है।

[अनुवाद]

ऐसा कोई हो जो इनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को समझे। एक 80 वर्ष का आदमी यह नहीं समझ सकता। यदि गुणों का इस्तेमाल एक कवच के रूप में धोखेबाजों द्वारा, उन लोगों द्वारा जो तिकड़म और षड्यंत्र करते हैं, जो सब प्रकार के काम में लिप्त रहते हैं, वे जो केवल यह कहते हैं कि यह वह इंसान है, हम इनके पीछे खड़े हैं द्वारा किया जा है तो यह बहुत खतरनाक बात है। यह लोकतंत्र की भावना के अनुसार नहीं है। लोकतंत्र की भावना के सफल होने के लिए हमें अवश्य कुछ करना चाहिए। भारत में लोकतंत्र की सफलता के कारण ही पाकिस्तान हमसे बातचीत करना चाहता है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कारण नहीं।

मैं खुद वहां संसदीय प्रतिनिधिमंडल में गया हूं। भाजपा ने छह महीने पहले ही अपने सदस्य भेजने से मना कर दिया था। ये अन्य शक्तियां और कारक हैं जिसने उन्हें हमारे करीब किया है। यह भारतीय लोकतंत्र है जो उन्हें हमारे करीब लाता है। पाकिस्तान के नागरिक यह चाहते हैं। इस तथ्य से मुकरना नहीं है। किन्तु आपको अवश्य यह एहसास होना चाहिए कि लोकतंत्र मजबूत करने के लिए आप में लोकतांत्रिक स्वभाव होना चाहिए। आपमें यही कमी है। इसी कारण से आपने शीघ्र चुनाव की मांग की है। शीघ्र चुनाव की मांग करके आप वास्तव में दयापूर्वक मृत्युदान की याचना कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* मुझे विश्वास है कि भारत की जनता आपको यह जरूर देगी।

सभापति महोदय: अब, प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट बोलने का समय मिलेगा। दस और माननीय सदस्यों को बोलना है। छह बजे तक इस चर्चा को समाप्त हो जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार): माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। महोदय, आज अंतरिम बजट पर चर्चा हो रही है। माननीय सदस्य अल्वी साहब यहां नहीं हैं। वह बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं उनकी इज्जत करता हूं। वह कह रहे थे कि इस सरकार पर गुजरात में बेगुनाह लोगों के कत्ल के खून लगे हैं और यह सरकार गुनहगार हैं। उस समय मेरे मस्तिष्क में एक प्रश्न उठ रहा था कि ठीक है, अगर उनके अनुसार भाजपा की सरकार पर गुजरात में मारे गए लोगों का खून लगा है तो क्या आपकी पार्टी ने वही खून भरे हाथ अपने सिर पर रख कर मुख्यमंत्री पद नहीं सम्भाला था? उस समय क्या स्थिति थी? उसके बाद आप सभी कामों का समर्थन करते रहे। क्या यह आपके चरित्र का द्योतक नहीं है? एक कवि का बहुत अच्छा कहना है कि-

अपराह्न 5.00 बजे

> 'पहली सीख यही जीवन की, अपने को आबाद करो,
> और मन की दुनिया बन न सके तो आग लगाकर बर्बाद करो'

अगर आपके सिर पर हाथ पड़े तो पाक है और अगर आपके सिर से हाथ हट जाये तो वह नापाक है। यह दोहरे चरित्र वाला मापदंड नहीं होना चाहिये। हालांकि बदकिस्मती से भारतीय राजनीति में इस प्रकार का चरित्र चल रहा है।

सभापति महोदय, मैं अपने मित्र और साथी श्री अखिलेश जी को सुन रहा था। वे प्रोफेसर और विद्वान हैं। वे सदन की कार्यवाही में काफी हिस्सा लेते हैं और बहुत अच्छा बोलते भी हैं। वे कह रहे थे कि इस सरकार के समय में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जितनी वृद्धि हुई है, उतनी किसी सरकार के समय में नहीं हुई है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि यदि वे 1982 की लोक सभा की प्रोसीडिंग्ज पढ़कर देखेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि दिल्ली शहर में 1.4.82 को किरोसिन आयल का दाम 1.77 रुपये प्रति लीटर जो मार्च, 1984 में बढ़कर 3.10 रुपये प्रति लीटर हो गया था। इसी तरह पैट्रोल और डीजल के दाम भी उसी अनुपात में बढ़े थे। उस समय केन्द्र में किसकी सरकार थी? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि घरेलू गैस, जिसका इस्तेमाल घर की महिलायें अपने स्वास्थ्य रक्षा और सहूलियत के लिये करती हैं, उसकी कीमत दिल्ली शहर में 1.6.82 को 45.47 रुपये थी और

एक वर्ष के बाद बढ़कर 51.35 रुपये हो गई। उसके बाद 14.84 से उसकी कीमत बढ़कर 82.57 रुपये हो गई। 1.4.97 से उसकी कीमत 119.95 रुपये और उसी वर्ष 1.9.97 से 136 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई। इस समय किनकी सरकारें थीं? शायद अखिलेश जी को मालूम होगा कि देश में पेट्रोल की खपत का 69 प्रतिशत विदेशों से मंगाया जाता है और जब तेल उत्पादक देश कीमत बढ़ाते हैं तो जितने तेल खरीदने वाले देश हैं वे अपने यहां उनके दाम बढ़ाने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि इस सरकार ने कोशिश की है और देश ने तेल उत्पादन के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। अभी राजस्थान में तेल का काफी भंडार मिला है। इसके अलावा असम और गुजरात में भंडार पहले मिला है। तेल की खोज अन्य क्षेत्रों में भी का जा रही है। जब तेल प्राप्त होगा, आत्मनिर्भरता कम हो जायेगी और उस दृष्टि से तेल के दाम घट-बढ़ सकते हैं। यह किसी सरकार की मजबूरी का प्रतिफल है।

सभापति महोदय, फर्टिलाईजर के दाम 1986 में 2350 रुपये एक मीट्रिक टन के लिये थे जो 1991 में बढ़कर 3300 रुपये प्रति मीट्रिक टन हो गये। उन दिनों केन्द्र में किसकी सरकार थी? अखिलेश जी गन्ना किसानों के लिये काफी आंसू बहा रहे थे। यह सही है कि गन्ना किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। गन्ना किसान, जो गन्ना सप्लाई करते हैं, उसका भुगतान उन्हें वर्षों तक नहीं मिलता। यह परेशानी आज की नहीं है, वर्षों से चल रही है। बिहार में 1947 में 30 गन्ना फैक्ट्रियां थीं जो 1991 तक आते-आते 15 रह गई और आज मात्र 13 बची हैं। यह सब किस सरकार के समय में हुआ? क्या यह बात सही नहीं है कि 1996 में हजारों एकड़ गन्ना किसानों ने अपनी गन्ने की फसल को जला दिया था, क्या यह सही बात नहीं कि 1997 में लाखों मीट्रिक टन आलू सड़कों पर सड़ गया था? इसे खरीदने वाला कोई नहीं था और उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी।

इन वर्षों में किसी सरकारें थी, इसलिए जब आप कुछ बोलें तो अपने आइने में झांककर बोला करें, वरना आलोचना करना बड़ा आसान होता है और आचरण करना बड़ा कठिन होता है।

सभापति महोदय, कुंवर अखिलेश सिंह सुझाव दे रहे थे। मैं उनके सुझाव को मानता हूं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी हम लोग बरसों साथी रहे हैं, आपकी और हमारी पार्टी बरसों-बरस तक साथ रही हैं। हम हर सुख-दुख के साथी रहे हैं। सुख की घड़ी में हमने खुशी बनाई है और दुख की घड़ी में हमने एक-दूसरे को तसल्ली बख्शी है। क्या आप इस बात को भूल सकते हैं। अखिलेश जी, यहां नहीं हैं, रघुवंश बाबू भी यहां से चले गये हैं, लेकिन जो दूसरे समाजवादी साथी यहां बैठे हैं, मैं उन्हें एक सलाह देना चाहता हूं कि अगर आप कांग्रेस से गठजोड़ करना चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन मेरी एक सलाह जरूर मान लें कि गठजोड़ करने से पहले कांग्रेस की अग्नि परीक्षा जरूर लेना और उससे पूछ लेना कि फिर वह सोने के मृग को देखकर प्रलोभित तो नहीं हो जायेगी, नहीं तो फिर आपको जंगल में भटकना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं माननीय सोनिया जी को सुन रहा था। वह प्रतिपक्ष की नेता है, सम्मानित हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। जब वह बोल रही थीं तो मुझे लग रहा था कि कल 13वीं लोक सभा समाप्त होने वाली है और अब सभी को चुनाव में जाना है। कांग्रेस पार्टी को भी चुनाव में जाना है। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, 150 वर्ष पुरानी पार्टी है। इसे लम्बे समय तक देश को चलाने का अवसर मिला है और आज यह विकल्प की पार्टी बनने जा रही है, लेकिन विकल्प बनाने के लिए सोनिया जी नगरी, नगरी, द्वारे-द्वारे ढूंढे रे सांवरिया, वह हर जगह विकल्प के लिए अपने पार्टनर्स को खोज रही हैं। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में टू पार्टी सिस्टम होने के लिए, दो पद्धति सरकार होने के लिए यह जरूरी है कि मजबूत विकल्प बने। मैं सोच रहा था कि जब वह बोलेंगी तो एक तरफ इन सरकार की आर्थिक नीतियों की भर्त्सना करेंगी, इसकी त्रुटियों का उल्लेख करेंगी और इसके विकल्प के बारे में बतायेंगी कि उनकी आगे की क्या योजना है। किस योजना को साथ में लेकर आप देश के सामने जाना चाह रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई आम सभा में भाषण हो रहा है। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। मैं तो विकल्प खोज रहा था।

सभापति महोदयः श्री प्रबोध पंडा।

श्री रामजीवन सिंहः सभापति महोदय, मैं बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त कर दूंगा। अब हमारे जनता दल (यू.) और समता पार्टी को मिलाकर हमारी काफी संख्या हो गई है, इसलिए हमें और समय दिया जाए। वह कह रही थीं कि यह सरकार...

[अनुवाद]

सभापति महोदयः नहीं, नहीं। यह तय किया गया है कि प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट दिया जाएगा।

श्री रामजीवन सिंहः महोदय, मैं आपकी कठिनाई समझता हूं।

सभापति महोदयः अब आप समाप्त कीजिए।

श्री रामजीवन सिंहः मैं दो या तीन मिनट में समाप्त करूंगा।

सभापति महोदयः आपने पहले ही अधिक समय ले लिया है।

[हिन्दी]

श्री रामजीवन सिंह: यह ठीक है, लेकिन अब दल की स्ट्रैन्थ के हिसाब से समय ज्यादा देना चाहिए। मैं आपकी डिफिकल्टी समझता हूं। मैं कह रहा था कि 31 मार्च तक देश के सभी किसानों को क्रेडिट कार्ड्स देने का संकल्प क्या किसान विरोधी है, क्या किसानों को नौ परसेन्ट से कम की दर पर ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना किसान विरोधी है। क्या सम्पूर्ण देश में किसानों के लिए अब गोदाम बनाने की व्यवस्था करना किसान विरोधी है। सम्पूर्ण देश में रेलों के माध्यम से किसान उत्पादित जिंसों को समय पर पहुंचाना, क्या यह किसान विरोधी है। इस तरह से जो सभी कार्य किये जा रहे हैं, क्या ये किसान विरोधी हैं।

सभापति महोदय, वह कह रही थीं कि यह सरकार मजदूर विरोधी और गरीब विरोधी है। क्या दो करोड़ निर्धन परिवारों को राशन पहुंचा देना गरीब विरोधी कार्य है। जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, यह आप बार-बार कहते हैं, लेकिन यह भी ठीक है कि बेरोजगारी कोई एक दिन में नहीं बढ़ी है। जिनके हाथ में सरकारें थी, अगर उन्होंने शुरू से ही जनसंख्या नियंत्रण का कार्य किया होता तो निश्चित तौर पर आज देश को इस बेरोजगारी की बीमारी से मुकाबला नहीं करना पड़ता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो वर्तमान स्थिति है, जो यह सरकार कर रही है, इस वर्तमान सरकार में इतनी अच्छी व्यवस्था श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो हो रही है, इससे अच्छी कोई और दूसरी व्यवस्था नहीं हो सकती थी।

सभापति महोदय: मि. प्रबोध पांडा।

श्री रामजीवन सिंह: सभापति महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है।

[हिन्दी]

श्री रामजीवन सिंह: सभापति महोदय, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं।

एक बार हुमायूं और शेरशाह की फौज में भिड़ंत हो गई। उस समय शेरशाह बादशाह था। जब शेरशाह की फौज ने हुमायूं को घेर लिया। हुमायूं उस समय जंगल में मारा-मारा फिर रहा था। हुमायूं गंगा में कूदकर अपनी जान बचाने के लिए चला गया। एक भिश्ती ने अपनी किश्ती भेजकर उसकी जान बचाई। हुमायूं जब बाहर लाया गया तो उसने कहा कि भिश्ती, तुमने मेरी जान बचाई है, बोलो क्या बख्शीश मांगते हो? भिश्ती ने कहा कि जहांपनाह, तुम तो खुद अभी तकदीर के मारे-मारे फिर रहे हो। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि अल्लाहताला ने चाहा और दिल्ली की बादशाहत फिर तुम्हें मिले तो एक दिन के लिए दिल्ली की बादशाहत मेरे हाथ में सौंप देना। हुमायूं ने कहा कि बेशक ऐसा ही होगा। महोदय, इतिहास साक्षी है, जब फिर हुमायूं शेरशाह को हटाकर गद्दी पर बैठा तो उनसे अपना वायदा पूरा किया। उसने उस भिश्ती को बुलाया और एक दिन के लिए दिल्ली की बादशाहत उसके हाथ में सौंप दी। उस एक दिन में भिश्ती ने क्या किया-चाम का सिक्का चलाया। जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, वे पूछ सकते हैं कि क्या चाम का सिक्का एक दिन के लिए चलाने से कोई आर्थिक इंकलाब हुआ होगा? बेशक नहीं हुआ होगा। जो राजनीतिशास्त्र के विद्यार्थी हैं, वे पूछ सकते हैं कि क्या एक दिन के लिए चाम का सिक्का चला देने से कोई राजनीतिक क्रांति हुई होगी? बेशक नहीं हुई होगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए। मैंने श्री प्रबोध पंडा का नाम बोलने के लिए पुकारा है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीवन सिंह: महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* यह इस बात का द्योतक है कि जिस चमड़े से जूता बनता है, उस चाम ने मुद्रा का रूप धारण किया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आगे कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं अन्तरिम बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो मूलतः भ्रामक है और हमारे देश को 80 प्रतिशत आम जनता की गंभीर समस्या से निपटने में विफल रहा है। इसके विपरीत यह हमारे देश की 80 प्रतिशत लोगों की उपेक्षा करता है और न केवल देश के बल्कि विदेश के भी धनी लोगों को तोहफा दे रहा है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया है। ऐसा महसूस किया गया है कि यह इनका चुनावी एजेण्डा है। इससे पहले चुनावी उपहार सामान्य लोगों को लुभाने के लिए दिए जाते थे, जिससे चुनाव में हिस्सा लेने वाली जनता को लुभाया जाए जैसे कि सस्ती चीनी, सस्ते दर पर केरोसीन और आम जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतों को कम करना मानदण्ड था। विगत से भिन्नत: इस सरकार ने उच्च वर्ग के लिए तोहफे देने शुरू किए हैं। रसोई गैस और मिट्टी का तेल महंगा होगा किन्तु विदेशी शराब, सेल फोन, लैपटाप कम्प्यूटर सस्ते होंगे।

इस सरकार द्वारा घोषणाओं और आश्वासनों की श्रृंखला के बावजूद यह प्रभावी तौर पर विदेशी निवेश पर नियंत्रण से पीछे हट गयी। महोदय, इराक के मामले में, अमरीका युद्ध थोप कर या सैन्य ताकत से तेल क्षेत्र पर शत प्रतिशत नियंत्रण करने में सक्षम हुआ था। हमारे देश के मामले में, कोर सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से विदेशी निवेशकों के लिए शत-प्रतिशत इक्विटी खुली है। विदेशी निवेशकों को यह तोहफा दिया गया है।

महोदय, किसानों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मेरे माननीय साथियों ने भी उनके बारे में कहा है। इस सम्माननीय सभा में भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा द्वारा दिए गए वाग्मितापूर्ण भाषण का स्मरण कर सकता हूं। उन्होंने घोषित किया था 'किसानों की आजादी'। उस 'आजादी' का क्या हुआ? इस राजग सरकार ने किसानों को आत्महत्या करने की आजादी दी है। इस राजग सरकार के कार्यकाल के दौरान किसानों की भूख के कारण मौत और आत्महत्या की घटनाओं की संख्या पहले से कहीं बहुत अधिक है। क्या यह तथ्य नहीं है?

अब यह दूसरी हरित क्रांति की बात कर रहे हैं। वे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आश्वासन दे रहे हैं। यह मनोरंजक मामला है कि ये आश्वासन दे रहे हैं कि इस वर्ष 31 मार्च तक ये सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के अन्तर्गत शामिल करेंगे।

अब तक कितने किसान इसमें शामिल किए गए हैं? महोदय, हमारे देश के 65 प्रतिशत किसान छोटे और सीमान्त किसान हैं। कितने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत शामिल किया गया है? यह सरकार बैंक के एटीएम कार्ड की भी बात कर रही है अधिकांश किसानों को अब तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिले है। अधिकांश बैंकों ने जिला स्तर पर अभी एटीएम शुरू नहीं किया है। किन्तु यह सरकार इस वर्ष की 31 मार्च तक किसान क्रेडिट कार्ड या एटीएम भी उपलब्ध कराने का आश्वासन दे रही है। यह और कुछ नहीं बल्कि एक मजाक है। किसान बहुआयामी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वे न्यूनतम समर्थन मूल्य की समस्या का सामना कर रहे हैं। उन्हें औने-पौने दामों पर अपनी फसल बेचने पर मजबूर किया जा रहा है। किन्तु इस अन्तरिम बजट में उनकी इन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

महोदय, कृषि पर राजसहायता नहीं बढ़ायी जा रही है। यह सरकार विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन में लड़ रही है। किन्तु हमारे देश में राजसहायता नहीं बढ़ा रही है बल्कि राजसहायता में कटौती हो रही है। बैंक अपने कुल ऋण का 18 प्रतिशत ऋण भी नहीं दे रहे हैं। बजट में कहा गया है, "मेगा शहरों में त्वरित पेय जल योजना शुरू करने के लिए" किन्तु त्वरित लाभ सिंचाई कार्यक्रमों का क्या हुआ? अब तक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखण्ड राज्य में एक अन्तरराज्यीय नदी 'सुबर्णरेखा' नदी है। सरकार को सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत सुबर्णरेखा बैराज पर काम आरम्भ करना चाहिए और उन्हें एक विकास प्राधिकरण गठित करना चाहिए। इस विकास प्राधिकरण के द्वारा इस क्षेत्र का वे विकास कर सकते हैं। किन्तु यहां यह बात नहीं उठायी जा रही है।

महोदय, केन्द्रीय विद्युत नीति का क्या हुआ? ग्रामीण विद्युतीकरण की तरफ आगे बढ़ने में केन्द्रीय विद्युत नीति बाधा है। इस बजट ने सभी बातों की अनदेखी की है। इस बजट ने मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाये जाने के विषय में भी कुछ नहीं कहा है। अत: किसान समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बेरोजगारी के बारे में कई बातें कहीं गई हैं। सरकार ने जोर देकर कहा कि उन्होंने 70 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। इन 70 लाख लोगों के रोजगार के कौन से अवसर उपलब्ध कराए हैं? वे राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात कर रहे हैं। वे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार संगठित क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तैयार नहीं है और केवल असंगठित क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। महोदय, यदि हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इत्यादि की बात करें तो केवल बड़े ठेकेदारों को ही काम उपलब्ध कराया गया है, आम जनता को नहीं। वे बस मूकदर्शक है। केवल थोड़े से लोगों को रोजगार मिलता है। किसी एक दिन अथवा थोड़े से दिनों के लिए रोजगार मिलने से बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो जाता। पढ़े-लिखे छात्रों का क्या भविष्य है? विद्यालयों और महाविद्यालयों से प्रतिवर्ष लाखों विद्यार्थी निकल रहे थे। क्या इस सरकार का विचार उनको राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रोजगार प्राप्त करने हेतु पंक्ति में कतार बद्ध खड़ा करने का है? इस सरकार द्वारा किसी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है।

महोदय, बेरोजगारों और अपूर्ण नियोजित (योग्यता के अनरूप रोजगार प्राप्त न करने वालों) की कुल संख्या 15 करोड़ से भी

[श्री प्रबोध पण्डा]

ज्यादा है। यह आंकड़ा इतना अधिक कभी नहीं था। सरकार अच्छा महसूस कर रही है। ऐसी प्रतीत होता है कि रोम जल रहा हो और नीरो बांसुरी बजा रहा हो। महोदय, लाखों-लाख कामगारों को उनके रोजगारों से निकाला जा रहा है, हजारों-हजार उद्योग-धंधे बंद हो रहे हैं, और नवरत्नों को बेचा जा रहा है, करोड़ों बेरोजगार गलियों में घूम रहे हैं, किसानों को कंगाल बनाया जा रहा है और इस प्रकार यह देश जल रहा है, परन्तु सरकार अच्छा महसूस कर रही है। भाजपा शायद बेहतर महसूस करें क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण भागीदार राजग से अलग हो गए हैं। श्री राम विलास पासवान कहां हैं? श्री राम विलास पासवान का दल, श्री उमर अब्दुल्लाह का दल, श्री अजीत सिंह का दल, डी-एम के, एम डी एम के, पी एम के और बी एस पी ने भी राजग को छोड़ दिया है। इसलिए भाजपा अच्छा महसूस कर रही है।

महोदय, यह कहा गया कि इस सरकार ने भ्रष्ट मंत्रियों का प्रबंधन करने में अपनी क्षमता साबित की है जिन पर भ्रष्ट होने का आरोप लगा है। यह कहा गया है कि भारत उदय हो रहा है। जी हां, भारत का उदय कामगार, किसान और बेरोजगार युवा के रूप में हो रहा है और हमारे देश की आम जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो रही है और यह सरकार फिर नहीं आएगी। इस प्रकार, भारत उदय हो रहा है। मेरे विचार से यह सरकार पुनः सत्ता में नहीं आएगी।

महोदय, यह बजट न केवल हमारे देश के बल्कि विदेशों में रह रहे धनी लोगों के लिए है। इसलिए, मैं इस बजट का विरोध करता हूं और मेरे विचार से इस बजट को पारित नहीं किया जाना चाहिए।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): सभापति महोदय, मैं यहां विद्वान और सफल वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह द्वारा इस सभा में प्रस्तुत किए गए अंतरिम बजट के समर्थन में खड़ा हूं।

महोदय, मैंने श्रीमती सोनिया गांधी और कांग्रेस के उपनेता श्री दासमुंशी के भाषणों को बड़े धैर्य के साथ सुना। कांग्रेस पार्टी के इन दो सदस्यों के भाषणों को सुनने के बाद, मुझे कबीर के दोहे की याद आती है। इसके अनुसार:

[अनुवाद]

''जात न पूछो साधू की, पूछ लीजिए ज्ञान।
मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान।''

अपराह्न 5.23 बजे

[**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन* हुए]

छोटी-मोटी बातों के बारे में न सोचे। कबीर ने यही कहा था। हम उन अस्त्रों के बारे में सोचे, प्रणाली के बारे में सोचें, तरीकों के बारे में सोचें जिनसे भारत को इस देश के और पूरे विश्व के दूरस्थ प्रदेशों में उठाया जाना है।

महोदय, मैं बहुत प्रसन्न होता यदि श्रीमती सोनिया गांधी ने जी डी पी और राजकोषीय घाटे की चर्चा की होती। मैं जी डी पी की बात करता हूं क्योंकि हाल में मैं राष्ट्रमंडलीय संसदीय सम्मेलन में भाग लेने ढाका गया था। उक्त सम्मेलन में, मैंने कहा कि भारत एक विकासशील देश है। मेरे भाषण के बाद आस्ट्रेलिया के एक सांसद ने मेरे पास आकर कहा: ''आप अपने देश को विकासशील देश क्यों कह रहे हैं? अब आपका देश एक विकसित देश हैं और मुझे आपके देश से ईर्ष्या है क्योंकि आस्ट्रेलिया का जी डी पी चार प्रतिशत है जबकि भारत का जी डी पी छह प्रतिशत से ज्यादा है।'' ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी कहा: ''आपके पास श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसा तेजस्वी नेता है।'' यह विश्व के विभिन्न लोगों का दृष्टिकोण है।

जैसाकि मैंने कहा कि, मैं बहुत प्रसन्न होता यदि उन्होंने जी डी पी और राजकोषीय घाटे की चर्चा की होती। उन्होंने कहा कि जहां तक विभिन्न मामलों का संबंध है वह सरकार के साथ सहयोग कर रही है। मैं बहुत प्रसन्न होता और उक्त मामले में हम बहुत प्रसन्न होते यदि उन्होंने राजकोषीय घाटे और इसमें सुधार लाने के तरीकों की चर्चा की होती।

सभापति महोदय, राजकोषीय घाटा जैसा कि वित्त मंत्री द्वारा दर्शाया गया है 4.8 प्रतिशत है। आप सराहना करेंगे कि 1991 में देश का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.1 प्रतिशत था।

इस घाटे को 4.8 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है और माननीय वित्त मंत्री ने आह्वान किया है कि आगामी दिनों में यह घाटा घटकर 4.1 हो जाएगा। आपको और क्या उपलब्धि चाहिए?

मैं विपक्ष से इस सरकार के सार्वजनिक व्यय प्रबंधन का अध्ययन करने का अनुरोध करूंगा। इस सरकार ने व्यय सुधार आयोग से व्यय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए सुझाव देने को कहा था, आयोग के सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है और राजकोषीय घाटे को कम कर दिया गया है। यह अति उत्तम विशेषता है।

वित्त मंत्री ने पांच प्राथमिकताएं दोहराई थीं। मैं पांच प्राथमिकताओं अथवा प्राथमिकताओं के आंकड़ों की बात नहीं करूंगा। मैं स्वयं को केवल तीन महत्वपूर्ण मामलों तक सीमित रखूंगा। पहला मामला है कि 'हर किसी को भरपेट रोटी मिले'। इसीलिए अन्नपूर्णा योजना की पहुंच के भीतर वाले लोगों की संख्या को 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक बढ़ाया गया है। जैसा कि आप जानते होंगे, अन्नपूर्णा बनारस की अधिष्ठाता देवी हैं। ऐसा

कहा गया है कि अन्नपूर्णा बनारस जाने वाले हर व्यक्ति का पेट भरती है। इसीलिए अन्नपूर्णा योजना यह सुनिश्चित करने के लिए लाई गई कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। पहली प्राथमिकता है कि हर किसी को भरपेट रोटी मिले और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

इससे पूर्व, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा स्वास्थ्य मेले की घोषणा की गई थी और माननीय संसद सदस्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य मेला आयोजित करने हेतु 8 लाख रुपये दिए गए थे कि भारतीय व्यक्ति स्वस्थ रहे और वे रोग पीड़ित नहीं रहे है। इस संबंध में स्वास्थ्य के मामले को महत्व दिया गया है।

तीसरा पहलू रोजगार के अवसरों से संबंधित है। विपक्ष के सदस्यों द्वारा आंकड़े दिए गए थे। रोजगार का सृजन अति महत्वपूर्ण मामला है। आप इस बात की सराहना करेंगे कि भारत के माननीय राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश भाषण में मद संख्या 3 पर रोजगार के बारे में इस मुद्दे पर काफी विस्तार से विचार रखे थे? रोजगार सृजन के मामले ने इस सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। कृपया आप देखिए कि आठवीं योजना अवधि में बेरोजगारी की दर कुछ 2.68 प्रतिशत जितनी थी। इस प्रतिशत को राजग सरकार द्वारा नौवीं योजना के अंतिम भाग में घटाकर 1.68 प्रतिशत कर दिया गया था। अब यह घटकर 1.03 प्रतिशत हो गया है। यह सत्य है कि रोजगार सृजन में वृद्धि नहीं हुई है। यह प्रतिवर्ष केवल 0.98 प्रतिशत वार्षिक है। इसमें 0.5 प्रतिशत का अंतर है। अत: हम इस समस्या से कैसे निपटेंगे? यह विचार स्वयं योजना आयोग द्वारा व्यक्त किया गया है। विभिन्न उपायों पर विचार किया गया है। एक विचार यह है कि योजना आयोग ने श्रमिकों के शैक्षिक और कौशल स्तर में वृद्धि करने के संकेत दिए हैं। प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार करना भी अति महत्वपूर्ण है।

पूरे वर्ष के अपने बजट आबंटन में वित्त मंत्री-ने पूरे वर्ष बजट आबंटन का संकेत दिया था-उन्होंने यह संकेत दिया है कि जहां तक आरंभिक शिक्षा और अन्य शिक्षा तथा कौशल शिक्षा का संबंध है तो आबंटन में वृद्धि हुई है। यह आबंटन वर्ष 2003-2004 के लिए संशोधित प्राक्कलनों में 9600 करोड़ रुपये था। वर्ष 2004-2005 के लिए बजट प्राक्कलनों में यह अधिक लोगों को रोजगार दिलाने/सुनिश्चित करने हेतु कौशल शिक्षा पर जोर देने के साथ 10,625 करोड़ रुपये जितना है। मैं सेवा क्षेत्र या अन्य मामलों की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन यह दर्शाता है कि इसने वित्त पर्याप्त रोजगार सृजन हेतु वित्त मंत्री और इस सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। पर्याप्त रोजगार का अर्थ यह नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों या सरकारी सेवाओं में अधिक रोजगार दिए जाएं। रोजगार स्वयं सहायता समूहों, लघु उद्योगों में हो सकते हैं या क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट योजनाओं के माध्यम से भी हो सकते हैं।

सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय संपूर्ण ग्रामीण योजना और स्वर्णजयंती योजना है। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह यहां उपस्थित हैं। मैं डा. रघुवंश प्रसाद सिंह का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह बिहार धनराशि की कमी का शोर मचा रहे थे। जहां तक एस जी एस आर वाई का संबंध है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री अनादि साहू, कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए और उसे समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अनादि साहू: महोदय, मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा क्योंकि यह खंडन है। कृपया आप वर्ष 2003-2004 का कार्यनिष्पादन बजट को देखिए। जहां तक बिहार का संबंध है तो बिहार ने एस जी एस आर वाई और स्वर्णजयंती रोजगार योजना के प्रथम प्रवाह के लिए उसे दी गई राशि को खर्च नहीं किया है। कार्यनिष्पादन बजट वहां है। मैं उसका उद्धरण नहीं दे रहा हूं। यह उनकी सूचना के लिए है। ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई है जिससे रोजगार का सृजन हो। ब्याज दर में कमी आई है। माननीय वित्त मंत्री ने बिलकुल स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि ब्याज दर में कमी की जाएगी ताकि लोग व्यक्ति पैसा ले सकें, कुछ अहम कार्य कर सकें और विभिन्न प्रकार की कार्य संस्कृति अपना सकें। मैं पुन: दोहराता हूं कि स्वयं सहायता समूह, लघु उद्यमी, स्वर्णजयंती संपूर्ण रोजगार योजना यह सुनिश्चित करेंगे कि रोजगार की वृद्धि दर कम न रहे और श्रम शक्ति में तत्काल वृद्धि हो।

धीमी वृद्धि दर सकल घरेलू उत्पाद की धीमी वृद्धि के कारण रही है और सकल घरेलू उत्पाद में अन्य सरकारों के कार्यकाल के दौरान कम रहा था। अब, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है और यह 7.5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत हो गया है। यह अभी और बढ़ेगा। अत:, रोजगार सृजन के कार्य में कोई कठिनाई होगी।

अंत में, मैं विपक्ष के सदस्यों के बारे में बताना चाहूंगा? उनको जंग लग गया है। यदि आप तलवार को अलमारी में रख दें, तो उसमें अपने आप जंग लग जाएगा। इसको बाहर निकालकर इस्तेमाल करना बेहतर है। उनका उदय नहीं हुआ है और न ही उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है लेकिन हमारा उदय हो रहा है और हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस और हमारे बीच यही अंतर है। उसमें जंग और धब्बा लग चुका है और हमारा उदय हो रहा है।

[श्री अनादि साहू]

इसके अतिरिक्त, जहां तक उड़ीसा का संबंध है, तो मैं एक या दो बातें बताना चाहूंगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अनादि साहूः महोदय, मैं अपनी बात एक अथवा दो मिनटों में पूरा करूंगा।

जहां तक अन्नपूर्णा योजना का प्रश्न है, यह अन्त्योदय अन्न योजना का 15 प्रतिशत है। हमें एक कठिनाई है। उड़ीसा एक गरीब राज्य है। मैं संबंधित मंत्री तथा माननीय वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि वे जहां तक उड़ीसा के लिए अन्नपूर्णा योजना का सम्बन्ध है, वहां के तहत और अधिक धनराशि आवंटित करें।

माननीय वित्त मंत्री ने समुद्री पत्तन, समुद्री पत्तन प्रबंधन और अन्य सब चीजों के बारे में संकेत किया है। जहां तक औद्योगिक अवसंरचना का प्रश्न है, मैं अनुरोध करता हूं कि गोपालपुर पत्तन पर ध्यान दिया जाए क्योंकि गोपालपुर पत्तन छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्य पत्तन बन सकता है। इस बात पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है तथा और अधिक निधियां दी जाएं ताकि सागर-माला परियोजना में गोपालपुर पत्तन को शामिल किया जा सके। लोक नायक जयप्रकाश नारायण कोष के अंतर्गत, उड़ीसा में कृषि प्रसंस्करण हेतु विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। कृषि प्रसंस्करण के मामले में उड़ीसा पिछड़ रहा है।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): सभापति महोदय, मैं अंतरिम बजट पर हो रही चर्चा में अपनी पार्टी की ओर से अपने विचार रखने का अवसर प्रदान करने हेतु आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गयी इस घोषणा की प्रशंसा करता हूं कि केन्द्र सरकार चेन्नई में पानी की समस्या से निपटने में तमिलनाडु सरकार की मदद करने जा रही है। वहां अब पानी की अत्यंत कमी है। इसका शीघ्र समाधान होना चाहिए। मैं इस बात की भी प्रशंसा करता हूं कि अन्त्योदय अन्न योजना एक अच्छी योजना है। इस योजना से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को लाभ मिल रहा है।

वर्ष 1984 में, मेरे महान नेता, डा. एम.जी.आर. ने एक पोषाहार योजना शुरू की थी जिसका बाद में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, डा. पुराची थलैवी ने अनुकरण किया तथा सभी मंदिरों में अन्नदान योजना नामक एक नयी प्रणाली शुरू की। इस प्रकार, माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री ने साहस और दृढ़ता के साथ वर्ष 1999 में बजट प्रस्ताव किया था।

परन्तु अब, कतिपय सिद्धांतविहीन गठबंधनों के परिवर्तन के पश्चात्, यह नया अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बात को याद रखना चाहिए कि वर्ष 1998 में संयुक्त मोर्चा की सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ था तथा कांग्रेस ने जैन आयोग द्वारा अभ्यारोपण के प्रश्न पर सरकार गिरा दी थी। ...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): महोदय, ये सब बातें बजट से कही से संबंधित नहीं हैं। मैं अध्यक्षपीठ से अनुरोध करता हूं कि वह माननीय सदस्य को अपना भाषण बजट तक सीमित रखने का निर्देश दें। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियनः यह याद रखना चाहिए कि तथ्य को छुपाया नहीं जा सकता है तथा इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है।

सिद्धांतविहीन गठबंधन से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं विपक्ष को याद दिलाता हूं कि आप वर्तमान सदस्यों के विरुद्ध दस सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कमः महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बजट भाषण है अथवा वह आगामी चुनावों के लिए गठबंधनों की घोषणा कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियनः ए.आई.ए.डी.एम.के. के वर्तमान सदस्यों के विरुद्ध चुनाव लड़ने हेतु कांग्रेस को दस सीटें दी गयी हैं, आपको हमारी सीमा से बाहर कोई सीट आवंटित नहीं की गयी है। ...*(व्यवधान)* कृपया विषयांतर मत होइए। ...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कमः क्या वर्तमान सदस्यों को बनाया रखा जा सकता है। ...*(व्यवधान)* महोदय, मुझे यह जानने का अधिकार है कि क्या यह बजट भाषण है अथवा चुनावी भाषण ...*(व्यवधान)*

श्री कोलूर बसवनागौड (बेल्लारी): आपके नेता मेरे कर्नाटक से हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कमः यह बजट से बिल्कुल संबंधित नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री पांडियन, कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदंबरम): यह चर्चा बजट पर है न कि चुनाव पर। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियनः मुझे पता नहीं है कि आप एक सशक्त विपक्ष भी बना पायेंगे अथवा नहीं। इस प्रश्न का निर्णय होना है।

सभापति महोदय: श्री पांडियन, हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: वास्तव में हम आपके नेतृत्व को चुनौती देते हैं, ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, यह अंतरिम बजट चार महीने के लिए व्यय की आवश्यकता को पूरा करने हेतु इस सभा में प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए माननीय वित्त मंत्री लेखानुदान ला रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री द्वारा व्यय की आवश्यकता को पूरा करने हेतु सूचीबद्ध योजनाएं प्रशंसनीय हैं। यह प्रशंसनीय है तथा इस देश की जनता इस बजट की प्रशंसा करेगी। ...*(व्यवधान)* हम भी इस बजट की प्रशंसा करते हैं। पहले, आप बजट की प्रशंसा कर रहे थे। जब हम सत्ता में नहीं थे तब भी हम बजट की प्रशंसा करते थे। हमने कभी भी बजट के विरुद्ध मतदान नहीं किया है। अब हम इसकी प्रशंसा करते हैं। जब हम सरकार में नहीं थे तब भी हमने बजट की प्रशंसा की थी।

रक्षा आधुनिकीकरण कोष हेतु 25,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह समय की मांग है। हमारी सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य का घोर विरोध किया था। हमारे रक्षा उपकरणों के आधुनिकीकरण हेतु 25,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं तथा भारत माननीय प्रधान मंत्री के हाथों सुरक्षित होने जा रहा है। इस अंतरिम बजट में आर्थिक पक्ष, वित्तीय पक्ष तथा अन्य समुदाय आधारित परियोजनाओं को अधिक प्राथमिकता दी गयी है। वे जनता को नहीं भूले हैं। वाजपेयी जी के नेतृत्ववाली सरकार भारी बहुमत से पुनः सत्ता में वापिस आने जा रही है।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला): महोदय, अंतरिम बजट पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं एक बात दर्ज करवाना चाहता हूं।

प्रस्तुत किए गए पिछले बजट में बाजार ऋण 1,39,000 करोड़ रुपये दर्शाया गया था। यह राशि वर्ष 2004-2005 में दर्शाई गई राशि है। इससे सरकार को बजट प्रस्तुत करने से पूर्व जल्द मध्यावधि चुनाव कराने के लिए मजबूर कर दिया था।

मेरे विचार से, तीन राज्यों के चुनाव परिणामों द्वारा दिया गया छलाकरण अत्यधिक है। यदि कोई गत वर्ष के बजट का अध्ययन करे तो वह महसूस करेगा कि जहां तक आर्थिक स्थिति का संबंध है तो सरकार भाग्य पर निर्भर थी।

इस बजट पर भी नजर डालें तो क्या दर्शाया गया बाजार ऋण वास्तव में 139,000 करोड़ रुपए लिया गया था।

मैं जो पाता हूं वह यह है कि बजट में इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि क्या यह राशि बाजारों से उधार ली गई है। केवल यह कहा जाता है कि शुद्ध ऋण इतना अधिक रहा है और कुछ नहीं। जो इन्होंने आगामी वर्ष के बजट में दर्शाया है यदि हम उस पर भी नजर डालें, तो हम पाते है कि 1,24,000 करोड़ रुपये बाजार ऋण के रूप में दर्शाए गए है। यदि यह बाजार ऋण, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिया जाता है, उसे संग्रहित किया जाता है, तो मैं माननीय वित्त मंत्री से इस बारे में उत्तर चाहूंगा कि बाजार ऋण के कारण इस देश में मुद्रा-स्फीति की स्थिति क्या होगी क्योंकि मैं समझता हूं कि बाजार ऋण मूलतः ऋण है चाहे वह वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त हो या बोंड या डिबेंचर के रूप में जनता से प्राप्त हों। महोदय यदि जनता के पास उपलब्ध इतनी करेंसी को बोंड या डिबेंचर के रूप में उधार लिया जाता है तो, बाजार में करेंसी की कमी हो जाएगी जिसके कारण मुद्राफीति बढ़ेगी।

यदि आप प्रभाव पर नजर डालें तो अन्य पहलू यह है कि सरकार शेखी बघार रही है कि उसके पास लगभग 100 बिलियन करोड़ रु. से अधिक के भंडार हैं, लेकिन इसी प्रतिवेदन में, यदि आप देखें तो, उसमें एक कालम है जिसे भेद्य देयताओं के नाम से जाना जाता है।

भेद्य देयता, जैसाकि मैं समझता हूं, काल मनी है जो कि एक दर पर काल मनी है और जिसे कभी किसी भी निर्धारित समय पर वापस लिया जा सकता है। मैं इसे गत तीन या चार वर्षों से देख रहा हूं। यह दर कभी 60 प्रतिशत से नीचे नहीं आई है। यह दर हमेशा 60 प्रतिशत रही है। यदि आज आपके पास 100 बिलियन करोड़ रु. विदेशी मुद्रा है तो इसका 50 प्रतिशत भेद्य देयता है, जिसे मैं काल मनी कहता हूं, जिसे किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। यदि सरकार में, जैसा कि इसने अपने बजट मैं कहा है, कि वह 124000 करोड़ रुपये का बाजार ऋण लेने जा रही है तो मेरे मन में एक आशंका है कि इस विदेशी मुद्रा में कमी हो जाएगी और हम पुनः 1990 वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस स्थिति को स्पष्ट करें।

अन्य पहलू बजट से संबंधित नहीं है बल्कि एक तरह से अर्थव्यवस्था से संबंधित है। हमारा एक पड़ोसी देश है जहां कुछ महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री यात्रा पर गए थे। वह स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ कुछ उपकरण लेकर गए। मुझे नहीं मालूम कि वे उपकरण वापस आएंगे या नहीं। मुझे प्राप्त सूचना कहती है कि उक्त उपकरण पीछे छोड़ दिए गए हैं। जहां तक पाकिस्तान का संबंध है तो मैं भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता समझ सकता हूं।

[श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर]

महोदय, माननीय वित्त मंत्री भी इस विभाग का कार्यभार संभालने से पूर्व विदेश मंत्री थे। मैं उनसे यह स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि भारत सरकार को पाकिस्तान की स्थिति की कोई आशंका है। जैसा कि पाकिस्तान में स्थिति है, तो उसके परमाणु हथियारों के जनक को गिरफ्तार किया गया है और कुछ बाहरी देशों के हस्तक्षेप के कारण उनसे पूछताछ की गई है और वहां न केवल आम आदमी में बल्कि वहां सेना में भी आक्रोश है। कुछ प्रयास किए गए थे और प्रयास किए जाने वाले हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं यदि जनरल मुशर्रफ के नहीं रहने पर पाकिस्तान में क्या स्थिति होगी। क्या सरकार ऐसी स्थिति महसूस करती है कि क्या उन परमाणु हथियारों का नियंत्रण करने के लिए संघर्ष होगा जो पाकिस्तानी सेना के पास है? लेकिन मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, राष्ट्रपति मुशर्रफ अंतिम राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पश्चिम देश में प्रशिक्षण प्राप्त किया था अन्य जनरल, जो अब इस समय, पाकिस्तान सेना के नियंत्रण में हैं वे जनरल जिया के बनाए हुए जनरल हैं, जिन्होंने आतंकवादी सेना बनाई और जिनका एक इरादा पड़ोसी देशों में आतंकवाद फैलाना था। मैं सरकार से यह स्पष्ट उत्तर चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है अथवा हो जाएगी जहां अमेरीकी सेना, जो वहां पर है, और पाकिस्तानी सेना के बीच परमाणु हथियारों का नियंत्रण करने के लिए संघर्ष होगा। यदि ऐसी स्थिति है, तो मैं सरकार से इसका औचित्य जानना चाहता हूं कि यदि ऐसी स्थिति है जैसा कि भारत सरकार महसूस कर रही है तो इस वर्तमान स्थिति में तत्काल चुनाव कराने की क्या आवश्यकता है। मैं सरकार से इन दोनों मुद्दों पर उत्तर चाहता हूं।

सभापति महोदय: श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा-उपस्थिति नहीं; रामदास आठवले-उपस्थित नहीं; हरिभाऊ शंकर महाले।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): सभापति महोदय, 13वीं लोक सभा का यह आखिरी अधिवेशन खास लेखानुदान सादर करने के लिए बुलाया गया है। सचमुच में देखा जाए तो केन्द्र सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। फिर भी नोट की उधड़न अर्थ संकल्प में की गई है, लेकिन यह नोट गरीबों के हाथ लगने वाला नहीं है। रास्ते में आने वाली पतंग पकड़ने के लिए गरीब लड़के दौड़ते हैं और दौड़ते-दौड़ते गिर जाते हैं, ऐसी स्थिति गरीब लोगों की हो जाएगी। जो लोग हर रोज दीपावली मनाते हैं, उनके लिए यह बजट ठीक है। जो धनवान हैं, वे और धनवान होंगे। यह बजट राजा-महाराजाओं, पूंजीपत्तियों के लिए है। करोड़ों रुपए जाहिरात पर, प्रचार पर, खर्च हो रहे हैं। यह सब सरकारी खजाने से हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र राज्य में 11 जिलों में भारी अकाल पड़ा है। राज्य सरकार ने 1,200 करोड़ रुपए की मांग की है, जिसमें से सिर्फ 50 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। मेरी विनती है कि महाराष्ट्र राज्य को ज्यादा से ज्यादा धनराशि दी जाए।

कई गृहमंत्रियों ने गोवा मुक्ति संग्राम के सेनानियों के स्वातंत्र्य सेनानी के रूप में मान्यता दी, लेकिन उनको धनराशि देने के लिए किसी भी अर्थ मंत्री ने कोशिश नहीं की। मेरी विनती है कि उनको धनराशि देने के लिए कोशिश की जाए।

अपराह्न 5.47 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

वित्त मंत्री के हाथ में भारत देश की तिजौरी है, कुबेर का खजाना नहीं। जाहिरात द्वारा प्रसन्न भारत और समृद्ध भारत जैसे चित्र दिखाना, लोगों की आंखों में धूल झोंकना है। निधि नहीं है इसलिए अन्य योजनाएं धूल में मिल गई हैं। कुछ समय पहले की गई घोषणाओं से 12,000 करोड़ रुपए का बोझ देश को उठाना पड़ा है। सरकार की आयात-निर्यात नीति से देश के ऊपर बोझ पड़ रहा है। यह बजट पूतना मौसी के प्रेम की तरह है। जब बरसात शुरू होती है, उस वक्त मेंढक जैसी आवाज करते हैं, वैसी ही आवाज इस अर्थ संकल्प में है। यह लेखानुदान एक फुग्गे की तरह है। जिस तरह से फुग्गे को सुऊ चुभाने से वह फूट जाता है, उसी तरह से इसकी भी हालत है। सरकार की कथनी और करनी अलग है इसलिए मैं इस लेखानुदान का कड़ा विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की): माननीय वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कृषि क्षेत्र की सहायता करने के लिए कतिपय उपायों की घोषणा की है। यह सही कदम है क्योंकि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ब्याज दरों में कमी करने संपार्शिक प्रतिभूति को ऋण के समानुपात में करने, किसान क्रेडिट कार्ड (के सी सी) आदि करने के जैसे कदम उठाने की घोषणा किया जाना बहुत अच्छी बात है।

राष्ट्रीय पशु विकास बोर्ड गठित करने की घोषणा भी बहुत ही स्वागत योग्य कदम हो। दूध और दूध के उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हमें अच्छी नस्लों की आवश्यकता है; और मैं इन सबसे सहमत हूं। लेकिन उन्होंने अपने भाषण में बागान क्षेत्र विशेष रूप से चाय बागानों और इस विशेष क्षेत्र, सदियों पुराने बागान उद्योग, नामत: हमारे देश के चाय उद्योग के सामने आ रहे संकट का उल्लेख किया था। इस संबंध में दो या तीन कदम उठाने की घोषणा की गई है। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) से चाय उद्योग के लिए पुनरुद्धार के पैकेज तैयार करने के लिए कहा गया।

पिछले बजट में, माननीय मंत्री ने बागवानी विकास निधि की घोषणा की थी। मंत्री महोदय ने एक प्रतिशत उत्पादशुल्क समाप्त करके बड़ी कृपा की। उन्होंने उत्पाद शुल्क के स्थान पर बागवानी विकास निधि का गठन करने के लिए चाय पर एक प्रतिशत उपकर की घोषणा की थी। इस निधि में धन आ रहा है। अब लगभग एक वर्ष हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि सरकार ने चाय बागान क्षेत्र की सहायता करने के लिए क्या किया है।

गत दो वर्षों में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में केरल के इदुक्की जिले में पारूमेड तालुक में 18 चाय बागान बंद हो गए हैं और तब से 3000 श्रमिक बेरोजगार हैं। उन्हें उनका वेतन नहीं दिया गया है, उन्हों कोई लाभ नहीं मिले हैं और वे बहुत गरीबी में हैं। उनमें से कुछ व्यक्तियों ने आत्महत्या कर ली है। उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते उनके पास अस्पताल की सुविधाएं नहीं है और वे राज्य सरकार द्वारा दी गई मुफ्त राशन और इस प्रकार की सभी सहायता पर जी रहे हैं।

महोदय, यह विशेष बागवानी विकास निधि जो सरकार द्वारा वित्त मंत्री द्वारा गठित की गई है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन में इस बागवानी विकास निधि के बारे में उल्लेख किया गया था लेकिन मंत्री महोदय यह स्वीकार करते हैं कि पिछले एक वर्ष के दौरान चाय बागान क्षेत्र में इस अति कष्टदायक समस्या को हल करने के लिए अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार को बंद चाय बागानों को पुन: खोलने के लिए और श्रमिकों के लिए काम तलाशने हेतु ठोस हल ढूंढने के लिए आगे आना होगा।

अब जबकि हम पाकिस्तान से संबंध सुधार रहे हैं तो हमारे पास चाय के निर्यात के लिए अति अनुकूल बाजार होगा। यदि सरकार इस बात को गंभीरता से ध्यान में रखे तो इस समस्या को शीघ्र सुलझाया जा सकता है।

काली मिर्च और इलायची जैसी प्रमुख नकदी फसलों के बारे में भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस बजट में इन दो विशेष फसलों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। हमारे देश में काली मिर्च के किसान लाखों की संख्या में और इलायची के किसान हजारों की संख्या में हैं। इन दो फसलों के मामले में हमारा देश प्रमुख उत्पादक देश है। सरकार केवल चाय काफी और रबड़ की बात करती है। इन दो महत्वपूर्ण फसलों के बारे में क्या कहा जाए? हम अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते कर सकते हैं। काली मिर्च और इलायची की खेती करने वाले देशों की संख्या अधिक नहीं है। इलायची के मामले में भारत और ग्वाटेमाला केवल दो देश ही इस फसल को उगाते हैं। काली मिर्च के मामले में ब्राजील और वियतनाम के अतिरिक्त इस फसल को उगाने वाले दो या तीन और देश हैं जो इस फसल को उगाते हैं। हम द्विपक्षीय समझौते कर सकते हैं जैसे कि रबड़ की कीमतों में वृद्धि हुई है। हमारे पास ओपेक (ओ पी ई सी) तेल, उत्पादक देशों का उदाहरण हैं। वे उत्पादन और विपणन का नियंत्रण करते हैं। स्वदेशी किसानों अर्थात् इन नकदी फसलों को उगाने वाले साधारण, छोटे, मध्यम दर्जे के, किसानों की सहायता करने के लिए सरकार को वर्तमान परिदृश्य में, विश्व व्यापार संगठन आयात व्यवस्था में इन देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते करने के संबंध में विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय कृपया मुझे एक मिनट और दें, मैं हमेशा ही अन्त में बोलता हूं और मैं अधिक समय भी नहीं लेता हूं।

सरकार ने चाय बागानों के लिए ऋण सुधार योजना घोषित की है लेकिन कोई ब्यौरा नहीं दिया है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी बागान उद्योग के सामने आ रही इस गम्भीर और परेशानी भरी समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त कदम उठाएगें।

महोदय, मंत्रीजी ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दो योजनाओं की घोषणा की है। छह राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्तर के छह अस्पताल स्थापित किए जाने हैं। हम जो देखते हैं, वह यह है कि पूरे दक्षिण भारत की उपेक्षा की गई है। जब इन छह संस्थानों पर विचार किया जा रहा था या इनकी स्थापना की जा रही है तो यदि यह सरकार इस देश को समान रूप से देखती तो कम से कम एक संस्थान की स्थापना दक्षिण राज्यों में की जानी चाहिए थी। छह मेडिकल कालेजों का विकास या उनके स्तर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्तर तक उन्नमानित किया जा रहा है। आन्ध्र प्रदेश और 'तमिलनाडु में से प्रत्येक में एक स्थापित हो रहा है क्योंकि वहां भा.ज.पा. के सहयोगी है और शायद इसके आवंटन का यही मानदंड हो। केरल का स्वास्थ्य क्षेत्र में रिकार्ड है लेकिन यह उपेक्षित है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने हेतु हमें इन लाभों से वंचित किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब समाप्त करें।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, मुझे अपना भाषण पूरा करने दीजिए। कृपया मुझे दो मिनट का और समय दीजिए क्योंकि मुझे बोलने का अवसर नहीं मिलता है।

महोदय, यह क्या है? मैं भी इस सभा का सदस्य हूं। अन्त में होने के कारण हमें सामान्यत: बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्रीजी ने सायं 6 बजे वाद-विवाद का उत्तर देना है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: मैं दो मिनट में ही समाप्त कर दूंगा। महोदय सरकार ने गोवा और राजस्थान कन्वेशन सेन्टरों की स्थापना की घोषणा की है। यह बहुत अच्छी बात है जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस संबंध में जिस मानदंड का उल्लेख किया है वह है पर्यटन की सम्भावना के प्रयोजनार्थ। केरल ने भी त्रिवेन्द्रम के निकट अनुकलम में कन्वेशन सेन्टर की स्थापना का प्रस्ताव भेजा था। हर कोई जानता है और मुझे इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है कि देश में केरल ही एक मात्र राज्य है जिसके पास पर्यटन की सबसे अधिक सम्भावना है। लेकिन हमारे अनुरोध की उपेक्षा की गई है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राज्य द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर द्वारा किए गए योगदान के अनुसार धन वितरित किया जाना है, केरल भी एक ऐसा राज्य है जो कि इस कोष में सबसे अधिक धनराशि का योगदान दे रहा होगा। लेकिन हमें क्या मिला? हमें 20 करोड़ से 25 करोड़ रुपये हर वर्ष मिलता है। यह सारी कहानी है।

मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान लघु उद्योग क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उद्योगों से संबंधित स्थायी समिति को जिसका मैं भी सदस्य हूं, लघु उद्योग क्षेत्र से काफी शिकायतें और अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। माननीय मंत्री जी लघु उद्योग क्षेत्र के लिए क्रेटिड कार्ड सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन अकेले क्रेडिट कार्ड से कुछ नहीं होने वाला है। इस देश में हमारे पास इस्पात की कमी है, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए यह प्रमुख कच्चा माल है। जो हो रहा है वह यह है कि सेल, आर.आई.एन.एल., टिस्को जैसी प्रमुख कंपनियां इस्पात का निर्यात भारत में बाजार मूल्यों से भी कम मूल्यों पर कर रहे हैं और डी.ई.पी.बी. योजना का लाभ उठा रहे हैं। हमारे देश में लघु उद्योग क्षेत्र इस महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री की कमी से जूझ रहा है। वित्त मंत्री को इस विशेष समस्या पर विचार करना चाहिए क्योंकि लघु उद्योग क्षेत्र देश में सर्वाधिक रोजगार प्रदाता क्षेत्र है, हम अपने लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देने की बात करते हैं। यदि लघु उद्योग क्षेत्र ढह जाता है तो सरकार अधिक रोजगार पाने के लक्ष्य को हासिल करने का सपना कैसे देख सकती है?

अन्त में, सुखद अहसास के बारे में, मैं नहीं जानता कि इस देश में कौन सा वर्ग गत चार वर्षों से हो रही सभी चीजों के बारे में सुखद अहसास करता है। शायद संघ परिवार के कट्टर तत्व सुखद अहसास कर रहे हों। मुझे पूरा विश्वास है कि जसवंत सिंह जी जैसे सुंसस्कृत और सभ्य आदमी भी जो घटनाएं गुजरात और झाबुआ में हुई उनके बारे में बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे। हाल ही में झाबुआ में क्या हुआ? अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित लोगों को एक माह तक आतंकित किया गया और माननीय गृह मंत्री सभा में आए और उन्होंने आज ही इसके बारे में रिपोर्ट दी। गत एक माह से सरकार इस समस्या के बारे में किसी भी तरह से परेशान नहीं है।

प्रधान मंत्री कहते है कि अगले चुनाव का एजेंडा विकास होगा। चुनाव के लिए एजेंडा इस देश के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ढांचे को अक्षुण्ण रखना होना चाहिए। यदि इस ढांचे की सुरक्षा नहीं की जाती है तो देश का विकास नहीं हो सकता है।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, माननीय अटलजी के नेतृत्व में यह अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं इसके लिए पुन: वित्त मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं। इस बजट में समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। भारत के किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी है, भारत का दलित समुदाय जो इस देश की रीढ़ हड्डी है, चाहे कर्मचारी हों या लघु उद्यमी हों-सभी वर्गों का ध्यान इस बजट में रखा गया है। इसके साथ ही बीपीएल का दायरा डेढ़ करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ किया गया है और इस मद में राशि को भी 1500 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किया गया है। इससे गरीबों को सामाजिक और आर्थिक उत्थान मिलेगा। इसके साथ ही इस बजट में किसानों को सुविधायें देने के लिए बहुत से पैकेजेज की घोषणा की गई है। चार करोड़ किसानों को इस वर्ष मार्च तक क्रैडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन सबके बावजूद मैं वित्त मंत्रीजी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो प्राइवेट शुगर मिलें हैं। केन्द्रीय मिल को 107 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना मिल रहा है और जो प्राइवेट मिल को गन्ना मिल रहा है, उसका अन्तर 18 रुपए है। केन्द्रीय सरकार ने 800 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, लेकिन राज्य सरकारें उस पैकेज को लेने से इन्कार कर रही हैं। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकारें उस पैकेज को स्वीकार करें। मेरे क्षेत्र में नारायणपुर और यमुनानगर में जो चीनी मिलें हैं, उस क्षेत्र में किसानों की सहायता की आवश्यकता है।

महोदय, इस बजट में बेरोजगारी दूर करने, गरीबी उन्मूलन, सैकेंड ग्रीन-रिवोल्यूशन को प्राथमिकतायें दी गई हैं। उसी कारण भारत दुनिया में दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर आ गया है।

सायं 6.00 बजे

आज सुबह मुंशी जी अपने भाषण में कह रहे थे कि इस सरकार ने कोई अच्छे काम नहीं किए लेकिन युद्ध की तस्वीरें बिल्कुल खींच चुकी हैं। एक तरफ माननीय अटल जी का नेतृत्व है और दूसरी तरफ श्रीमती सोनिया गांधी का नेतृत्व होगा। देश की जनता दो महीने में यह फैसला कर देगी। हमारी बात सिद्ध होगी। आप अन्दर अपनी मीटिंगों में बातें करते हैं। ''खेलना जब उनको तूफानों से आता न था, तो फिर क्यों हमारी किश्ती के नाखुदा बन बैठे'' देखने को मिलेगा कि वाजपेयी जी की लहर चलेगी। फील गुड फैक्टर हिन्दुस्तान के गांव-गांव में देखा जा रहा है, सात लाख गांवों में इसका नजारा देखा जा रहा है, लोग सड़कें देख रहे हैं, टेलीफोन देख रहे हैं। आज भारत की छवि दुनिया के दूसरे मुल्कों में बहुत अच्छी बनी है। जिस भारत को मदारियों और सपेरों का देश कहा जाता था, जब वहां कोई फारेन डिग्निटरी आते थे, रैस्टोरेंट के बाहर जब मदारियों और सपेरों को देखते थे तो कहते थे कि ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छा शेर सुनाया है। मैं इसके जवाब में कहना चाहता हूं कि ''खुदा जिस का इलाज न कर पाया, मैं क्या कर पाऊंगा।''

श्री रतन लाल कटारिया: जिस भारत की तस्वीर थी, माननीय अटल जी ने अपने पांच साल के शासन काल में भारत को ऐसे लोगों का देश बना दिया कि आज एक मछुआरा भी समुद्र के बीच में जाकर मोबाइल से फोन करके मार्किट में पूछता है कि मैं कौन सी मछली पकडूं, मैं झींगा मछली पकडूं या डाल्फिन मछली पकडूं। आज दिल्ली में रिक्शा चलाने वाला मोबाइल फोन से यह पूछता है कि संसद के बाहर सवारी मिलेगी या दिल्ली गेट पर मिलेगी। यह अटल जी का जादू है। आज हिन्दुस्तान के गांवों का नजारा ही अलग है। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारत के गरीबों की तकदीर को बदला गया। शेडयूल्ड कास्ट्स के 18 लाख बच्चों को लगभग एक हजार करोड़ रुपये स्कालरशिप दी गई। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को दो कारपोरेशन बना कर हजारों करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। आज भारत की तूती दुनिया में बोल रही है। भारत का कोई भी नेता जब विदेशों में जाता है तो अपने आप को अच्छा महसूस करता है। कांग्रेस के शासन काल में अखबारों में कार्टून छपते थे कि ''दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, इंटरनेशनल फकीर आए हैं'' वे कहते थे कि ये अनाज और पैसा मांगने आए होंगे। माननीय वाजपेयी जी की डायनमिक लीडरशिप ने देश के किसानों के साथ मिलकर इतना अनाज पैदा किया कि आज हमारे पास 6 करोड़ मीट्रिक टन अनाज जमा है। आज हमारे पास 103 बिलियन फारेन रिजर्व्स हैं। आज सारा देश इस बात को जान गया है। बहुत पुरानी बात नहीं है। आज से 12 साल पहले की बात है। जब चन्द्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही थी उस समय देश का सारा सोना गिरवी रख दिया गया। भारत माता के लाल श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न केवल उस सोने को छुड़वाया बल्कि भारत के फारेन रिजर्व को 103 बिलियन तक पहुंचा कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। आज देश की जनता इस बात को महसूस कर रही है। पिछली बार देश की जनता ने हमें पूरा समर्थन दिया। अब की बार भी देश की जनता ने हमारी सरकार को जीत दिलाने का मन बनाया है। देश की जनता दो महीने बाद यह फैसला कर देगी। जो हमारी नीतियां रही हैं, वह उनका समर्थन कर रही है। आज फील गुड़ फैक्टर केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया में देखा जा रहा है। आज अटल जी का जलवा सारी दुनिया में देखने को मिल रहा है।

अभी रक्षा के क्षेत्र की बात आई। जो 20 प्रयास माननीय अटल जी ने देश के लिए किए कांग्रेस पार्टी उनकी आलोचना कर रही है। आज सारी दुनिया इस बात को देख रही है कि माननीय अटल जी के नेतृत्व में जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरियां मिटी हैं, आने वाले एक दशक में 90 हजार करोड़ रुपया दोनों देश अपने मिलिट्री बजट में कम कर सकते हैं और वह पैसा देश के अन्य इनफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो सकता है। इतना ही मुझे कहना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. महेन्द्र सिंह पाल को सभा पटल पर अपना भाषण रखने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

***डा. महेन्द्र सिंह पाल** (नैनीताल): अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें नव गठित राज्य उत्तरांचल की बहुत ही अनदेखी की गयी है। बजट में जिन मूल समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया है वह निम्न है।

टिहरी विस्थापितों के पुनर्वास के लिए कोई धन का प्रावधान इस बजट में नही किया गया है, जबकि टिहरी डैम में करोड़ों का खर्चा भारत सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय मदद द्वारा कर रही है और उत्तरांचल सरकार उसमें पूरा सहयोग कर रही है।

उत्तरांचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा के कारण भारी नुकसान हुआ है। नदियों द्वारा कटाव एवं बादल फटने से बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं लेकिन उनके लिए कोई आर्थिक प्रावधान नहीं किया गया है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डा. महेन्द्र सिंह पाल]

उत्तरकाशी में पहाड़ टूटने तथा ज्वालामुखी की तरह विस्फोट होने के कारण उत्तरकाशी शहर पूरी तरह धवस्त हो गया है। वहां से विस्थापित नागरिकों के लिए तथा शहर को नये सिरे से बसाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

उत्तरांचल नया राज्य बनता है, उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है। विशेष रूप से नान प्लान खर्चे करने में तथा उत्तरांचल में पढ़े-लिखे लोग तथा कम पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। नान प्लान एक्सपेन्डिचर मे भी केन्द्र सरकार द्वारा कोई धनराशि आबंटित नहीं किया गया है। अत: केन्द्र सरकर द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज का प्रावधान करना न्यायसंगत होगा। मेरी पुरजोर मांग है कि उत्तरांचल राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाये। विशेषकर सीमांत जिलों को जैसे पिथौरागढ़, जिला चम्पावत् उधमसिंह नगर, चमोली को मिलने वाली सीमांत क्षेत्र की आर्थिक सहायता भी नहीं दिया गया।

इस बजट में बेरोजगारों को नौकरी देने का प्रावधान भी नहीं किया गया है। अत: जब तक बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त नहीं होता, तब तक उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान इस बजट में ही किया जाना चाहिए।

पूरे देश में शुगर उद्योग की स्थिति बहुत खराब है। विशेषकर उत्तरांचल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इस बजट में शुगर उद्योग को बचाने तथा किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा इस दिशा में कोई ठोस कार्य शुगर उद्योग को बचाने तथा किसानों को आर्थिक स्थिति सुधारने तथा इससे जुड़े मजदूरों की स्थिति में सुधार करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अत: उत्तरांचल शुगर उद्योग के रखरखाव तथा उसे बचाने के लिए विशेष धनराशि का प्रावधान इसी बजट में किया जाये।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): महोदय, मैं माननीय सदस्यों जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया का बहुत आभारी हूं। इसमें कई मुद्दे उठाए गए, मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं सभी का समाधान करूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि प्रत्येक माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का समाधान करना सम्भव नहीं है। मुझे सभी भाग लेने वाले माननीय सदस्यों का धन्यवाद करते हुए शुरू करना चाहिए। कतिपय मुद्दे उठाए गए हैं।

यह अच्छा होता कि उस नकारात्मक पराजयवाद जो कि विपक्ष में व्याप्त है कि बजाय हमें उनसे कई अच्छे सुझाव मिलते। विपक्ष के नेता ने सुझाव दिया कि वास्तव में 'फील गुड' फैक्टर नहीं है और उनकी पार्टी अच्छा महसूस नहीं कर रही है। यह पूरी तरह सम्भव है कि वे अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन इससे भी अधिक, यहां असली-नकली का जिक्र किया गया है। मुझे इस बात से आघात पहुंचा कि इस पर चर्चा करने में कठिनाइयां हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

यह सही है कि असली और नकली में बहुत फर्क होता है। मैं वास्तव में लीडर आफ अपोजीशन की इस बात से सहमत हूं कि असली और नकली में फर्क होता है। माननीय अध्यक्ष जी, शायद आपने सुना होगा-

'हकीकत छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से'

लेकिन उसके बाद का याद नहीं आ रहा ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: 'कि खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से'

श्री जसवंत सिंह: नहीं कागज के फूलों से नहीं बल्कि वह कुछ ऐसा है:

'कि खुशबू आ नहीं सकती दूसरों के लिखे भाषणों से'

यहां यह दिक्कत खड़ी हुई है कि वह कितनी देर रहेगी? वास्तव में यह सही बात है और एक पुरानी उक्ति भी है-

'जाकि रहि भावना जैसी, प्रभू मूरति देखि तिन तैसी'

[अनुवाद]

विपक्ष के नेता द्वारा उठाए गए मुद्दों में मौटे तौर पर चार पहलू शामिल है। एक तो किसानों पर ऋणभार और आत्महत्या की घटनाओं से संबंधित है, मैं इन सभी मुद्दों पर चर्चा करूंगा।

दूसरा गन्ना किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न दिए जाने का था।

तीसरा सुझाव था कि सर्वशिक्षा अभियान जो कि अब संकट में है के लिए सरकार में प्रतिबधता का अभाव है।

एक बात यह भी कही गई कि सरकार ने एफ.आर.बी.एम. एक्ट के उद्देश्यों से समझौता कर लिया है।

क्या मैं कह सकता हूं ये उनके विचार हैं, और हर किसी का यह विचार हो सकता है लेकिन इससे संबंधित तथ्य इसके विपरीत है? तथ्य अलग हैं। यह सुझाव दिया गया कि कृषि पर

ध्यान नहीं दिया गया है। वास्तव में, कृषि के लिए आवंटन को 4752 करोड़ से बढ़ाकर 6823 करोड़ किया गया है जो कि 44 प्रतिशत की वृद्धि है, जैसा कि मैंने अपने भाषण में कहा था कि प्रायोगिक आधार पर 20 जिलों में पूर्व में आरम्भ की गई कृषि आय बीमा योजना का अब 100 जिलों में विस्तार किया जा रहा हैं। जहां कहीं भी ऋण भार है किसानों की बात तो छोड़े यह तो हर किसी के लिए कष्टकारक है।

वित्त मंत्रालय द्वारा की गई घोषणाओं में एक प्रमुख मुद्दा फसल ऋण पर ब्याज दर है और इसके बाद सुझाव दिया गया कि ब्याज दरें बहुत ऊंची हैं! हमने बैंकों को सलाह दी है कि हर मामले में पूरी की पूरी कृषि भूमिजोत को बंधक रखने पर जोर न दिया जाए, यह भी घोषणा की जा रही है।

मैं एक मिनट में किसान क्रेडिट कार्डस् के विस्तार के बारे में तथ्य और आंकड़े दे सकता हूं। मैं कार्डस् सभी पात्र कृषिकों को इस वित्तीय वर्ष के आखिर तक अर्थात् 3 मार्च, 2004 से पहले दिए जाएगें। क्या मैं कह सकता हूं कि वास्तव में गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य—गन्ने का कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य न होने के बारे में सुझाव देने के बजाए—को 64.50 रुपये से बढ़ाकर 73.80 रुपये किया गया है। इसलिए, यह कहना कि ऐसा नहीं किया गया है तो यह इस तथ्य के बिल्कुल विपरीत है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): 73 रुपये के बावजूद उत्तर प्रदेश में 95 और 100 रुपये दो साल पहले से मिल रहे हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को दो साल पहले से इतने पैसे मिल रहे हैं, कहते हैं कि कम से कम जब 80 रुपये क्विंटल स्टेचुटरी मिनिमम प्राइस होगा, तब उसके बराबर गन्ना मूल्य मिलेगा। जबकि पिछले साल भी कम मिला है। न्यायालय ने जो आदेश दिया है, उसमें केन्द्र की जिम्मेदारी है कि न्यूनतम सांविधिक मूल्य तय करे। न्यायालय ने फैसला दिया है कि केन्द्र जो न्यूनतम सांविधिक मूल्य करेगा, वही मूल्य गन्ना मिल मालिकों द्वारा दिया जायेगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये। आप डिसिप्लिन से बाहर जाने की कोशिश मत कीजिए। आपको जो कुछ भी पूछना है, आप भाषण के बाद पूछिये। यह कौन सा तरीका है। आप बैठिये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी आप बोलिये। कुंवर अखिलेश सिंह का कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जायेगा। यह कौन सा तरीका है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको डिसिप्लिन आब्जर्व करना पड़ेगा। यह कोई तरीका नहीं है, प्लीज आप बैठिये अखिलेश जी, आप कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं, यह गलत तरीका है। आप जानते हैं कि सदन के कुछ नियम हैं, नियम के अनुसार आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपको बाद में प्रश्न पूछने की इजाजत दूंगा। लेकिन अभी मत पूछिये।

...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट बोलना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका नम्बर आया था, लेकिन आप हाउस में नहीं थे। अभी आप कैसे भाषण कर सकते हैं, अभी मंत्री जी का भाषण हो रहा है। मंत्री जी आप बोलिये।

श्री जसवंत सिंह: वैसे मैं जानता हूं कि चीनी मीठी है, लेकिन चीनी की राजनीति कड़वी हो रही है, यह बड़ी दिक्कत है। एफ.आर.बी.एम. टारगेट्स के बारे में यहां उल्लेख था कि सरकार ने एफ.आर.बी.एम. के टारगेट्स मीट नहीं किये हैं। मुझे खेद है नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा, क्योंकि अगर अपने आपमें देखें तो आंकड़े बिल्कुल भिन्न हैं।

[अनुवाद]

वास्तव में एफ.आर.वी.एम. के स्वयं में प्रगति लक्ष्य से अधिक हुई है। गत वर्ष वित्तीय धारा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9 प्रतिशत था। मैंने तब यहीं इसी सभा में कहा था कि हम इसे 5.6 तक नीचे लाने का प्रयास करेंगे। सरकार वास्तव में इसे 5.9 से 4.8 तक कम करने में सफल रही है।

श्री रूपचन्द पाल: मेरे प्रश्न का क्या हुआ।

श्री जसवंत सिंह: प्रोफेसर महोदय मैं एक मिनट में आपके प्रश्न पर आऊंगा।

महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने सुझाव दिया था कि हमने सर्वशिक्षा अभियान छोड़ दिया है। वास्तव में मैं मानता हूं कि इस सरकार का सर्वशिक्षा अभियान, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समर्पण भाव के साथ चलाया गया है, सरकार की वस्तुतः बहुत

[श्री जसवंत सिंह]

प्रशंसनीय योजना है क्योंकि प्रत्येक को शिक्षा देने से बेहतर और क्या हो सकता है? यदि यह केवल आवंटन का प्रश्न है तो यदि मैं सर्वशिक्षा अभियान के लिए और आवंटन कर सकता तो मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत खुश होता। यह वास्तविकता है। परन्तु वित्त मंत्री को हमेशा संवेदनाओं की बहुत सीमाओं के भीतर रहकर कार्य करना पड़ता है। परन्तु उसके भीतर भी कृपया यह देखें कि प्रतिपक्ष की नेता द्वारा कही गई बात सर्वशिक्षा अभियान के बारे में यहां लगाए गए आरोपों के पूरी तरह से विपरीत है। इसके लिए आवंटन 2003-04 के बजट अनुमान में 1950 करोड़ रुपए से बढ़ाकर संशोधित अनुमान में 2732 करोड़ रुपए कर दिया गया है और अगले वर्ष के लिए 3057 करोड़ कर दिया गया है।

उसके बाद जब वे कहते हैं कि यह घपला हो रहा है तो मैं इस प्रकार के व्यापक पराजयवाद की बात करता हूं। सरकार की आलोचना करना, सरकार में दोष निकालना और सरकार को यह बताना कि क्या करना चाहिए बहुत अच्छा होता है। परन्तु सरकार की कमियां निकालने के बहाने देश में उदासी और निराशा फैलाना ऐसी चीज है जिसका मैं कदाचित समर्थन नहीं कर सकता।

महोदय, बुनकरों के संबंध में कहा गया था कि बुनकरों के लिए कुछ नहीं किया गया। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं हैं। वे पहले ही इस संबंध में 256 करोड़ रुपए के आवंटन का लाभ उठा रहे हैं। यही वास्तविकता है।

महोदय, मैं और अधिक क्या कर सकता हूं। इसके बावजूद यदि प्रतिपक्ष की नेता कहती हैं कि कोई 'फील गुड' फैक्टर नहीं है क्योंकि वह अथवा उनकी पार्टी अच्छा महसूस नहीं कर रही है तो फिर इसकी दवाई तो कहीं और ही मिलेगी।

महोदय, मैं प्रो. रूपचन्द पाल के प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करता हूं। मुझे कहना ही चाहिए कि मुझे उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा से धक्का लगा है। उन्होंने मेरे प्रयासों को धोखाधड़ी का कार्य कहा था। उन्होंने कहा, मैं लापरवाह हूं और मैं असत्य में लिप्त हूं। प्रोफेसर महोदय ने यह भी स्वीकार किया था कि उन्हें भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है।

श्री रूपचन्द पाल: केवल तीन प्रतिशत लोग ही अच्छा महसूस कर रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह: फिर अलग तरह की दवा की जरूरत है। मुझे आशा है कि प्रो. पाल मेरे खिलाफ ऐसे शब्द प्रयोग करते हुए थके नहीं हैं। मैं उन्हें वास्तविक व्यय प्रबंधन के बारे में तथ्य दूंगा। गैर-योजना व्यय में केवल दो प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होने की संभावना है जबकि योजना व्यय में 11 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम पर राज सहायता को युक्तिसंगत बताया गया है और इस राजसहायता, जो हमारे राजकोष से प्रमुख निकासी है, मैं वित्तीय अर्थों में वृद्धि वर्ष 2002-03 के दौरान हुई 20 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले में केवल एक प्रतिशत ही है। ब्याज के भुगतान में भी गत वर्ष के साढ़े छ: प्रतिशत की तुलना में पांच प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। सेक्टर का आवंटन के संबंध में क्या प्रो. पाल जानना चाहेंगे कि वास्तविक अवसंरचना में आवंटन पूर्व वर्ष में केवल पांच प्रतिशत के मुकाबले 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और सामाजिक क्षेत्र के लिए आवंटन में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके बावजूद भी हमने व्यय नियंत्रण के माध्यम से वित्तीय घाटे में कमी की है। यह कर के दायरे में बढ़ोत्तरी के माध्यम से है क्योंकि मात्रा के अर्थों में हमने नियंत्रण किया है। इस सबके बावजूद और अतिरिक्त आवंटन के साथ हमने नियंत्रित किया है और हम व्यय पर लगभग 11,000 करोड़ रुपए बचाने में सफल रहे हैं। कर के दायरे में बढ़ोत्तरी हुई है। करों में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वास्तव में कर और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में सकल घरेलू उत्पाद के 9.25 प्रतिशत से 9.50 प्रतिशत के बीच वृद्धि हुई है। हमें माननीय विनिवेश मंत्री के समर्पित और कठिन परिश्रम के कारण अतिरिक्त विनिवेश प्राप्तियां हुई हैं। गैर-कर राजस्व में भी वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि ऐसा आंकड़ा है जिसे मैंने जानबूझकर कम दर्शाया है। देश के अर्थशास्त्री अब 8+प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की बात कर रहे हैं जबकि हम वित्त मंत्रालय में रूढ़िवादी बने रहना चाह रहे हैं और साढ़े सात प्रतिशत से आठ प्रतिशत की वृद्धि की बात कर रहे हैं।

श्री रूपचन्द पाल: सम्पूर्ण अवधि का क्या औसत है?

श्री जसवंत सिंह: मैं राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की बात कर रहा हूं। यदि प्रो. पाल का राज्य लटक रहा है अथवा पिछड़ रहा है तो इसका समाधान राज्य को करना पड़ेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह कोई उत्तर नहीं है।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, सारे तथ्य देने के बाद भी मेरे आदरणीय और बड़े मित्र कहते हैं कि यह कोई उत्तर नहीं है। आपको निश्चय ही उदासी की भावना नहीं फैलानी चाहिए। आप जहां भी जाते हैं वहां हमेशा खुशी बांटते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: देश की अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी आप पर है। देश के लोगों को आपकी बात महसूस होनी चाहिए। यही बात है।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: वे महसूस कर रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह: हम इस विशेष भाग को समाप्त करते हैं। महोदय, मुझे पता है परन्तु मैं बताऊंगा नहीं। विनिवेश आय, जो कि लक्ष्यों से थोड़ा अधिक है, के साल बजट अनुमानों में वृद्धि करने वाली कर एकत्र करने की दरें उच्च गैर-कर आय तथा व्यय में कमी इस सभी ने हमारी वित्तीय स्थिति को सुधारने में योगदान दिया है। ये तथ्य हैं जिन पर आप विवाद नहीं कर सकते।

मैं कृषि संबंधी ऋण पर थोड़ा और समय लगाऊंगा क्योंकि यह एक ऐसा चिंता का विषय है जिसे माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया है। इस सरकार के कार्यकाल के प्रथम वर्ष 1998-99 में ऋण की मात्रा 36,860 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2003-04 में यह बढ़कर 80,000 करोड़ रुपए हो गई है। जब इसकी तुलना 1998-99 और 2003-04 के बीच की अवधि से करे तो आप पायेंगे कि यह वृद्धि 100 प्रतिशत से अधिक है।

श्री रूपचन्द पाल: आप आदान की लागत की गणना कर सकते हैं।

श्री जसवंत सिंह: आदान की लागत के संबंध में मैं बहुत कम ब्याज दरों पर किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने की बात कर रहा हूं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, तुलना सटीक आंकड़ों में होनी चाहिए ...*(व्यवधान)* जब हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो इन सभी अनुपातों को जोड़ा जाता है। जब उनके अनुकूल होता है तो वह सटीक आकंड़ों का जिक्र करते है। यह सही रवैया नहीं है।

श्री जसवंत सिंह: मेरे लिए लगातार अपने मित्र श्री रेड्डी के अनुकूल विचार रखना कठिन है। मुझे नहीं लगता कि यह पूरा दिन चलने वाली बहस का उत्तर देने में मुझे गलत बताया जा सकता है। यदि मुझे केवल उनके अनुकूल बाते हीं कहनी थीं तो मुझे वहां बैठना चाहिए था ...*(व्यवधान)* परन्तु कृषक समुदाय को ऋण देने का एक पहलू है जिस पर हमने विचार करने का प्रयास किया और वह ब्याज की ऊंची दर के बारे में है। हमें यह स्वीकार्य नहीं है कि जब औद्योगिक क्षेत्र की बात आती है तो ऋण 4 से 5 प्रतिशत पर दिया जा सकता है जबकि कृषक समुदाय को लगातार 14 से 15 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता है। इसलिए, हमने इसे नौ प्रतिशत तक नीचे लाकर शुरू किया था और मुझे भरोसा है कि बैंकों के पीछे पड़े रहने से और नाबार्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक के परिचालन से हम इसे और नीचे ला पाएंगे क्योंकि स्टेट बैंक आफ इंडिया इसे पहले ही नौ प्रतिशत से नीचे ले आया है और 8.75 प्रतिशत पर ऋण दे रहा है। सेंट्रल बैंक ने भी ऐसा ही किया है।

हमने भू-जोत अथवा ट्रैक्टरों को बंधक बनाने की प्रथा को समाप्त कर दिया है। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। परन्तु 18 प्रतिशत लक्ष्य ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: बैंकों के प्रपोजल और बैंकों की बात आप मानते नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह: माननीय सदस्य श्री बंसल कृपया मुझे समाप्त करने दें। अक्सर यह पूछा जाता है कि क्या यह पूरे देश में समान रूप से फैला है। अभी नहीं। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि संघ के राज्य हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा और इसकी जरूरत भी नहीं है कि कहां बैंकों का प्रसार अपेक्षा के अनुसार नहीं है। ग्रामीण ऋण का वहां प्रसार नहीं हुआ है। क्या ग्रामीण ऋण का 18 प्रतिशत का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। नहीं। यह पूरा नहीं हो रहा है।

वित्त मंत्रालय इससे संतुष्ट नहीं है। यह ऐसा सुझाव नहीं है कि हमने जो किया और कृषक समुदाय या किसानों के लिए जो घोषणा की वहीं यहीं पर सब समाप्त है। बात यहीं समाप्त नहीं होती यह एक प्रक्रिया है और इस सरकार ने इसे लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है। हमें उन 70 प्रतिशत नागरिकों की दशा में अवश्य सुधार लाना चाहिए जो ग्रामीण भारत में रहते हैं और जिनका हमारे सकल घरेलू उत्पाद में एक चौथाई योगदान है। हमने यह प्रतिबद्धता व्यक्त की थी और हमें इसका पालन करना है।

मैं उन सब पर विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि यह दुहराने वाली बात होगी, मैं कृतक बल का थोड़ा उल्लेख करूंगा। गत वर्ष हमे लघु सिंचाई संबंधी कृतक बल की घोषणा की थी उस कृतक बल की रिपोर्ट, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में काम कर रहा था, प्रधानमंत्री को प्राप्त हो गई है। इसे उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। "जल की प्रत्येक बूंद पर अधिक फसल" आह्वान ही इस रिपोर्ट के पीछे प्रमुख कारक के रूप में काम कर रहा था। किसी को भी इस पर आपत्ति नहीं है। अब कृषि मंत्रालय इस रिपोर्ट की जांच कर रहा है। मुझे यकीन है यह अपनी सिफारिशें जल्द ही सौंप देगा। इसके बाद सरकार इन सिफारिशों को लागू करने के बारे में उचित कार्रवाई करेगी। मेरे विचार में जो मैंने कहा, वह जरूरी था।

मैं बागान उद्योग के बारे में कुछ उल्लेख करना चाहूंगा। मैंने बागान उद्योग की ओर विशेष ध्यान दिया था क्योंकि यह बहुत ही मूल्यवान उद्योग है। यह देश का करीब 150 वर्ष पुराना कृषि

[श्री जसवंत सिंह]

उद्योग है। इसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं। बड़े पैमाने पर काफी या चाय उगाने वालों के हाथ में सभी बागान नहीं है। इसलिए, गत वर्ष, मैंने सोचा, यदि मैं प्रधानमंत्री के निर्देश को ठीक-ठीक याद करूं हमने एक मूल्य स्थिरीकरण कोष गठित किया था जो कि चाय पर लगाए जाने वाले 1 रु. उपकर के अतिरिक्त था। यह अलग था। अब यह मूल्य स्थिरीकरण कोष, काम कर रहा है। यह रबर, काफी और चाय के लिए था।

मैं यह देखकर बहुत खुश हूं कि काफी के मोर्चे पर कुछ सकारात्मक विकास हुआ है। काफी के मूल्य में अंतर्राष्ट्रीय प्रगति हुई है। गत तीन महीनों में बागान उद्योग के लोगों ने मुझसे तीन बार मुलाकात की। मैं लगातार उनसे सम्पर्क में हूं। हालांकि, यदि काफी के लिए इस 500 करोड़ कोष से अतिरिक्त आवंटन की जरूरत पड़ती है, तो मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि इसे उपलब्ध कराया जाएगा। काफी या रबर को दयनीय स्थिति से नहीं गुजरने दिया जाएगा। ...*(व्यवधान)* पहले मुझे अपनी बात समाप्त करने दें। तब, आप अवश्य प्रश्न पूछ सकते हैं।

दसवीं योजना के दौरान चाय के लिए करीब 250 करोड़ रुपए के आरंभिक कोष से विशेष निधि गठित की गई थी। यह चाय उद्योग के आधुनिकीकरण और पुनरूद्धार के लिए था। ऐसा इसलिए कि मुझे विश्वास है कि पूरे चाय बागान उद्योग में जिस तरह से चाय के पौधों का पूनर्रोपण हुआ, चाहे दक्षिण में, असम में या उत्तरी बंगाल में हुआ, वह समय पर नहीं हो सका। अभी यह बताना अच्छा नहीं है। हमें इसका हल ढूढ़ना पड़ेगा। इसलिए, यह 250 करोड़ रु. की निधि गठित की गई थी। लेकिन इन कदमों के बावजूद विशेषकर चाय उगाने वाले छोटे तबके के लोग लगातार कष्ट झेल रहे हैं।

इसलिए, प्रधानमंत्री ने हमें यह घोषणा करने का निर्देश दिया है कि शुरू के चार महीनों की अवधि के लिए भारत के उत्तरी और दक्षिणी दोनों क्षेत्रों के छोटे चाय उत्पादकों को विशेष मूल्य की राजसहायता प्रदान की जाएगी। यह राजसहायता उत्तर या दक्षिण भारत में प्राप्त होने वाले विभिन्न मूल्यों पर आधारित अधिकतम आठ रुपए प्रति किलोग्राम होगी। यह आठ रु. की सहायता शीघ्र देय होगी। यह नीलामी मूल्य पर निर्भर होगा, इसलिए देश के एक क्षेत्र में यह थोड़ा ज्यादा हो सकती है। निश्चित रूप से नीलामी मूल्य आदि हम चाय बोर्ड (टी बोर्ड) के साथ बैठकर कुछ हल निकालेंगे। मुझे पक्का यकीन है कि इससे चाय उद्योग को शीघ्र मदद पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी।

डा. नीतिश सेनगुप्ता: चाय निर्यात के बारे में आपका क्या कहना है।

श्री जसवंत सिंह: एक बार जब यह 8 रुपए प्रति किलोग्राम की राजसहायता दी जाती है, तो मेरा मानना है कि चाय का निर्यात भी प्रतिस्पर्धात्मक होगा।

हम ऐसा चार महीने के लिए परीक्षण के तौर पर करेंगे। पहले भी किया गया था। हम इसे पुनः करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि इस रिपोर्ट से परंपरागत कृषि उद्योग जो हमारी प्रमुख कृषि निर्यात मदों में से एक है, वह पुनः गति हासिल करेगा।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: बंद पड़े बागान उद्योग का क्या होगा? कई चाय बागान बंद पड़े हैं। प्रबंधन ने उन चाय बागानों को छोड़ दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उनके भाषण के बाद आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी कृपया बैठिए।

श्री जसवंत सिंह: क्या मैं यह कह सकता हूं कि ऐसा करना संभव नहीं है? मैं माननीय सदस्य की बात समझता हूं। उनका प्रश्न है: ''उन बागानों का क्या होगा जो बंद पड़े हैं?'' यह सिर्फ केन्द्र सरकार ही नहीं है जिसे बागान उद्योगों के प्रबंधन में भूमिका निभानी है। हम हस्तक्षेप कर रहे हैं। वस्तुतः इसमें राज्य सरकार को पहल करके इन सब चीजों को करना चाहिए राज्य सरकारें ही चाय पर कर लगा रही हैं। मैं उन राज्यों का नाम नहीं लेना चाहता जहां यह किया जा रहा है। वहां बहुत अधिक कर लगाया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले: अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के 11 डिस्ट्रिक्ट सूखे की चपेट में हैं। महाराष्ट्र की मांग को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अभी नहीं, बाद में प्रश्न पूछें, अभी प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं है।

श्री जसवंत सिंह: माननीय सदस्य को शायद मालूम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: मैं उनसे बात करूंगा, आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री जसवंत सिंह: प्रधानमंत्री जी अभी हाल ही में वहां गये थे।

श्री रामदास आठवले: वहां खाली 50 करोड़ रुपये दिये हैं, हमारी मांग है ...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: यह गलत है। ...*(व्यवधान)* मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं। केवल 11 जिलों की बात है। आप जरा तशरीफ रखिये, आप तो मुम्बई के हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप तशरीफ रखिये, ताकि मैं अपनी बात कह सकूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडू, आप उनके भाषण के बाद अपना स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं, अभी कृपया बैठिए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: एक और प्रश्न। माननीय मंत्री ने मूल्य स्थिरीकरण कोष का उल्लेख किया। मंत्री महोदय, मैं इसके बारे में नहीं जानता। आपके तथ्य सही हो सकते हैं। लेकिन हमें जो पता है, स्थिति यह है कि लघु और मध्यम किसान इसे समझ नहीं पाये हैं। यह थोड़ा कठिन है। यदि आप रबड़ बोर्ड से बात कर सकें तो आप हल तलाश कर सकते हैं। इस पर फिर से कार्य किया जाना है।

श्री जसवंत सिंह: जो आप कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं। मैं सम्पूर्ण उद्योग की पूरी समस्या को सम्बोधित कर रहा हूं। यह भूमिका राज्य सरकारों को निभानी है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि कठिनाइयां छोटी हों, बड़ी हों अथवा किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र की समस्याएं हों, एक चीज तो करनी ही होगी।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: मैं किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री जसवंत सिंह: जब छोटी, बड़ी समस्याओं की बात है तो यदि किसी विशेष बैंक ने कार्य नहीं किया है और यदि माननीय सदस्य ने हमें लिखा तो हम इस पर ध्यान देंगे और इसे ठीक करेंगे।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: पूरी योजना के बारे में कि वह कैसे चलती है इस बारे में अनेक प्रश्न और सन्देह हैं। साधारण किसान इसको समझ नहीं पा रहे हैं। यही मैंने कहा है। यदि आप इसे पुन: चालू करें। इससे किसानों को लाभ होगा।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह: आप बैठिए। मैं सूखे की बात कह देता हूं। महाराष्ट्र के 11 जिलों में सूखा पड़ा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आप अपना भाषण जारी रखिए। यदि आप अपना उत्तर देते रहेंगे तो इसका कोई अन्त नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह: उसमें हमने दो लाख टन गेहूं दिया है, दो लाख टन धान दिया हैं, यह प्रधानमंत्री जी ने दिया है। 1500 करोड़ रुपए की मार्केट बोरोइंग दी है, वह उससे पहले दिया है। यह होता है कि सिर भी काटकर दे दो तो कहा जाता है कि टेढ़ा काटकर दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडू, उनके भाषण समाप्त करने के पश्चात् आप प्रश्न कर सकते हैं।

श्री जसवंत सिंह: मैं अब उद्योग पूंजी पर आऊंगा ...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): यदि आप अनुमति दे तो मैं स्पष्टीकरण मांगूगा। हैदराबाद एक सुन्दर और तेजी से विकसित होता शहर है। इसीलिए आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद में कांवेंशन सेंटर की स्थापना करने हेतु आपसे अनुरोध किया है।

श्री जसवंत सिंह: मैंने, इस पर माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की है। यह चर्चा कांवेंशन केन्द्र के प्रश्न पर है। मैं माननीय सदस्य को अपने राज्य के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं। किन्तु मैं पहले ही इस पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से चर्चा कर चुका हूं।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी: वह तो होगा ही, उसकी क्या बात है। मुंह जबानी तो हो गया, लेकिन इम्पलीमेंट कभी नहीं होगा। अगर आप मांग करेंगे तो हां बोल देंगे।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह: इसे स्वयं उन्होंने शुरू किया है ...*(व्यवधान)*

मैं एक नई पहल की घोषणा करना चाहता हूं। यह पहल उद्यमी पूंजी के बारे में है। मेरा यह विश्वास है कि उद्यम पूंजी स्वरोजगार प्रदान करने के लिए बहुत लाभदायक, बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है। मोटे तौर पर प्रतिवर्ष लगभग तीन लाख युवा स्नातक बन जाते हैं। यह बात नही है कि वे सभी स्नातक तकनीकी शिक्षा प्राप्त स्नातक हैं। ...*(व्यवधान)* तीन लाख स्नातक ही नहीं इन स्नातकों की संख्या तीन करोड़ से भी अधिक हैं।

महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलु है। सरकार रोजगार के मुद्दे से पूर्ण रूप से सम्बद्ध है। रोजगार की समस्या को

[श्री जसवंत सिंह]

बहुआयामी उपायों के द्वारा हल किया जाना है। यह खेल सरकारी नौकरियों में वृद्धि करने का प्रश्न नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है *...(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: मैंने उत्तर दिया है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

फिर वही बात आती है कि ''जाकी रहि भावना जैसी, प्रभु मूरति देखि तिन तैसी।'' हम जवाब भी दे देंगे तब भी आप नहीं समझेंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: पिछले छह माह के दौरान संगठित क्षेत्र में आठ लाख नौकरियों की कमी हुई है *...(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: महोदय, उद्यम पूंजी कोष और-नवीनता और प्रौद्योगिकी पर आधारित उच्च जोखिम वाले और उच्च लाभ वाले उद्यमों हेतु इक्विटी सहायता के बारे में मैंने सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्यमों के बारे में प्रमुख रूप से ध्यान देते हुए पहले ही अनेक उद्यम पूंजी निधियों की घोषणा की है। उदाहरणार्थ, सिडबी उद्यम पूंजी फंड भी इंडियन एडवांटेज फंड है जिसे आई सी आई सी आई ने प्रोमोट किया है। हमने एक सौ करोड़ रुपए की प्रारम्भिक धनराशि से सिडबी विकास कोष की स्थापना करने हेतु सिडबी से सिफारिश की है। इससे लघु इकाईयों पर ध्यान दिया जाएगा चाहे वे भेषजीय क्षेत्र में हो, जैव प्रौद्योगिकी, प्रकाध अभियांत्रिकी, ज्ञान आधारित उद्योगों, साफ्टवेयर अथवा अन्य विकास आधारित क्षेत्रों को हों और इस कोष को अप्रैल 2004 तक प्रचालित किया जाएगा। इस कोष की धनराशि को यथासमय 500 करोड़ रु. तक करने का प्रस्ताव है। मुझे विश्वास है कि इससे लघु उद्योगों की सहायता होगी।

अब मैं प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों के बारे में एक अथवा दो मुद्दे स्पष्ट करना चाहता हूं। चूंकि यह अन्तरिम बजट के क्षेत्र के भीतर नहीं है और औचित्य के अनुसार नहीं है, इसलिए मैंने अपने भाषण में प्रत्यक्ष कर के प्रावधानों के संबंध में विधायी संशोधनों को शामिल नहीं किया। किन्तु मैंने सरकार अभिशंसाओं, उन भविष्यगत निर्देशों, जो नीति में होने चाहिए, के बारे में नहीं बताया और मुझे इसे विशेषरूप से स्पष्ट करने की जरूरत है क्योंकि प्रेस और कुछ दूरदर्शन चैनलों के मुझसे मिलने के बाद ऐसा लगता है कि गलत अवधारणा बन गई है। मैंने उल्लेख किया था कि 1 मार्च 2003 अथवा इसके बाद प्राप्त सूचीबद्ध इक्विटियों को दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ कर से मुक्त रखा जा रहा है, की अवधि तीन वर्ष और बढ़ाई जानी चाहिए ताकि स्थिरता लाई जा सके। मैं अपनी बात को दोहराता हूं कि इसे प्रावधान को जारी रखा जाए क्योंकि इससे इक्विटी में निवेश करना सुविधाजनक हुआ है। मैं निवेशकों को आश्वासन देना चाहता हूं कि जब सरकार उपयुक्त विधायी संशोधन के द्वारा इस लाभ को बढ़ाना चाहती है तो यह एक मार्च 2004 अथवा इसके बाद अर्जित सूचीबद्ध इक्विटी हेतु पूरे एक वर्ष तक उपलब्ध होगी।

इसी प्रकार, लाभांश पर कर व्यवस्था की स्थिति के बारे में कुछ अटकलबाजी भी हुई है।

[अनुवाद]

लाभांश वितरण (कर) संबंधी व्यवस्था में कोई परिर्वतन नहीं किया गया है और वर्तमान में ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड फंड के लिए लाभांश वितरण कर की लेवी की छूट प्राप्त है। हमारी यह दृढ़ धारणा है कि यह छूट जारी रहनी चाहिए और यह लाभ पूरे साल के लिए या 1 मार्च, 2004 के बाद भी मिलता रहेगा।

महोदय, मुझे प्रत्यक्ष कर जो कि वुड-फ्री पार्टिकल तथा फाइबर बोर्ड से संबंधित है, के बारे में घोषणा करनी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: अध्यक्ष महोदय उन्होंने कहा कि उनकी मर्यादा इस समय कर संबंधी उपाय करने की इजाजत नहीं देती।

श्री जसवंत सिंह: यह एक अप्रत्यक्ष कर है और इसके लिए अधिनियम में संशोधन की जरूरत नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: इसलिए कल आप नीति संबंधी घोषणाएं और उनका कार्यान्वयन कर सकते हैं?

श्री जसवंत सिंह: इसे अधिसूचना के माध्यम से किया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, कल से उनकी कार्यवाहक सरकार होगी। ऐसा लगता है *...(व्यवधान)* हो सकता है कल के बाद प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कार्यवाहक वित्त मंत्री होंगे। एक कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में क्या नए कदम उठाये जा सकते हैं? *...(व्यवधान)* इसका तात्पर्य है कि क्या आप लोक सभा भंग नहीं करना चाहते? *...(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: मैं इसका उत्तर दूंगा।

मैं माननीय मित्र से अपील करता हूं कि इस मुद्दे पर किसी आंदोलन अथवा क्रोध को न भडकाएं।

मैं गुस्सा होने का बहाना किए बिना भी उनकी संतुष्टि के लिए उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। लगभग सभी अप्रत्यक्ष करों की अधिसूचना के द्वारा व्यवस्था की जाती है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मूझे आशा है आप इस बात को समझेंगे। दैनिक उपयोग की एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है खाना पकाने के लिए वनस्पति तेल। हमारा दुनिया में अकेला देश है जो सभ्यता के कारणों से पशुओं की चरबी का प्रयोग नहीं करता। इसलिए तेल के मूल्यों की व्यवस्था करना चीनी और अन्य चीजों के साथ-साथ सम्पूर्ण मूल्य संरचना की व्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है।

हम पामोलीन के आयात पर बहुत निर्भर है। यदि पामोलीन की कीमत बढ़ती है तो हमें एक अध्यादेश के माध्यम से पामोलीन का आयात करना जारी रखना होगा। उदाहरण के लिए यदि हम शुल्क को अधिक घटाते हैं तो केरल के मेरे सारे मित्र विद्रोह कर देंगे ...*(व्यवधान)* अब आप विद्रोह न करें।

अध्यक्ष महोदय: अभी ऐसा न करें।

श्री जसवंत सिंह: मैंने यहां ऐसा नहीं किया है।

अत: उसी प्रकार से अप्रत्यक्ष करों को रखा गया है। सभी सरकारों को ऐसा करना था। सभा के भंग होने के बाद निश्चित रूप से हम ऐसी चीजें नहीं करेंगे। महोदय निश्चिन्त रहें हम चर्चा का उपयोग करेंगे और इस बात का निग्रह करेंगे।

इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि पिछले बजट में (वुड फ्री पार्टिकल) और फाइबर बोर्ड पर 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया गया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी: वादों पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर नहीं लगता है।

श्री जसवंत सिंह: वादों पर बहुत भारी शुल्क अदा करना पड़ता है।

मुझे छूट को पुन: बहाल करने हेतु अभ्यावेदन मिला है। पर्यावरण की दृष्टि से इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है। तदनुसार, ऐसे पार्टिकल और फाइबर बोर्ड पर उत्पाद शुल्क से छूट को पुन: बहाल किया जा रहा है।

आज और इससे पूर्व चर्चा के दौरान सेवा शुल्क के बारे में कुछ मुद्दे उठाए गए थे। अब माननीय सदस्य को आशंकित होने का कोई कारण नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कोई गंभीर आशंका नहीं है।

श्री जसवंत सिंह: ठीक है, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: मैं यहां पर हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: वे नियंत्रण में हैं।

श्री जसवंत सिंह: टूर आपरेटरों पर सेवा शुल्क लगाने का मुद्दा था। टूर आपरेटरों के सामने आ रही कठिनाइयों पर विचार करते हुए ऐसे आपरेटरों को 99 प्रतिशत छूट दी जाएगी। उनके द्वारा यात्रियों से ली गई सकल राशि पर केवल 10 प्रतिशत सेवा शुल्क लिया जाएगा।

यह अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी। मैं यह भी कह सकता हूं कि वास्तव में अगले आदेशों तक बकाया धनराशि की वसूली पर जोर न देने के लिए पहले ही अनुदेश जारी किए गए हैं।

टूर आपरेटरों पर यात्री कर और पथ कर के संबंध में एकाधिक लेवियों के बारे में इन मुद्दों का संबंध वास्तव में संबंधित राज्य सरकारों से है। तथापि, क्योंकि यहां यह मुद्दा उठाया गया है, मेरा राज्य सरकारों से अनुरोध है कि इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक जांच की जाए।

तीसरा मुद्दा खाद्यान्न के धूमन के लिए कुछ धनराशि के आवंटन और भारतीय खाद्य प्राधिकरण के लिए कुछ धनराशि उपलब्ध कराने के बारे में था। इस प्रयोजनार्थ एक प्रावधान पहले से विद्यमान है। हमारे खाद्यान्न के भण्डारण में सुधार करने वाले किसी प्रस्ताव अथवा योजना का वित्त मंत्रालय द्वारा पूर्ण समर्थन किया जाएगा। इसीलिए कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना की गई है।

बाजार के बारे में कतिपय टिप्पणियां की गई थीं। वास्तव में जैसाकि हम वित्त मंत्रालय में करने का प्रयास करते हैं, हमारे पास निश्चित रूप से विनियामक तंत्र है। बाजार में जो कुछ हो रहा है उसकी हम पूर्ण रूप से सूचना रखते हैं और इससे पूर्ण रूप से परिचित रहते हैं। माननीय सदस्यों के लिए यह उपयुक्त नहीं है कि वे बाजारों के अध्ययन में अति व्यस्त न रहें जिससे कि हमें दैनिक आधार पर बाजार के उतार-चढ़ावों का अध्ययन करना पड़े। बाजार की प्रवृत्तियां हमारी चिन्ता का कारण होनी चाहिए। देश का विनियामक तंत्र और वित्त मंत्रालय इस विषय पर दोनों सयुंक्त संसदीय समितियों से लाभ उठाया है।

सम्पूर्ण विनियामक तंत्र को और दोनों संयुक्त संसदीय समितियों की सलाह से और अनुभव से भी फायदा हुआ है।

श्री अनिल बसु (आरामबाग): बाजार पूंजीकरण से तीन हजार करोड़ रु. कम!

श्री जसवंत सिंह: नहीं। मैं इस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि यदि आपको उदाहरणार्थ, बाजार के आज के चढ़ाव पर विचार करना हो तो यह विचार दैनिक आधार पर नहीं होना चाहिए।

श्री अनिल बसु: किन्तु यह फील गुड फैक्टर नहीं है।

श्री जसवंत सिंह: हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने कल कहा, देश का आर्थिक प्रबंधन बाजार द्वारा संचालित अथवा सेन्सेक्स अथवा स्टाक एक्सचेंज द्वारा संचालित नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: विज्ञापन द्वारा संचालित!

श्री जसवंत सिंह: विज्ञापन इसका एक अति महत्वपूर्ण अंग है। कतिपय तथ्य निर्विवाद है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं चाहे वह विनिर्माण क्षेत्र हो अथवा सेवा क्षेत्र। पन्द्रह सौ निगमों ने दिसम्बर 2003 में समाप्त होने वाली तिमाही के लिए अपने परिणामों की घोषणा कर दी है। 1500 निगमों ने, जिनके आंकड़े यहां उपलब्ध हैं इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक निवल लाभ में वृद्धि दिखाई है।

गत वर्ष के दौरान बाजार में रिकार्ड धनराशि का निवेश हुआ है। दूसरा और संभवत: अधिक महत्वपूर्ण कारण प्रणालियों का चुस्त-दुरुस्त होना है और पूंजी बाजार की वे प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हम दो संयुक्त संसदीय समितियों द्वारा दी गयी सलाह पर लागू कर पाये। अब हमने सेवी (एस.ई.बी.आई.) अधिनियम में संशोधन, यूनिट ट्रस्ट अधिनियम का निरसन, टी+2 रोलिंग सेटलमैन्ट लागू किया है जो विश्व में सबसे तेज है और हमने अपने देश में लागू किया है। गत एक वर्ष के दौरान हमने एक केन्द्रीय सूचीकरण प्राधिकरण (सैन्ट्रल लिस्टिंग प्राधिकरण) की स्थापना की है। साथ में, आज भारतीय बाजार अपनी ओर अन्तर्राष्ट्रीय रुचि खींच रहा है और अन्य देश वास्तव में निपटान, जोखिम प्रबंधन, इकाई की हमारी प्रणालियों को अपने-अपने देशों में अपनाने के लिए हमारी ओर देख रहे हैं।

हम स्थिति के प्रति जागरूक हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमारे माननीय सदस्य यहां बाजार के उभरने की बात करते हैं, तो उन्हें बाजार के कार्यों की गुप्त सूचना अवश्य होगी! सरकार और विनियामक के पास जो बेतुके आंकड़े उपलब्ध हैं, ऐसा जरा-सा भी प्रमाण नहीं मिलता कि माननीय सदस्यों की आशंकाएं उचित हैं।

मैं एक और घोषणा करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने मुझे यह निर्देश दिया है कि नागपुर विमानपत्तन, जो पहले से एक बहु-आदर्श अन्तर्राष्ट्रीय यात्री और कारगो केन्द्र है, इसे एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाए। कुछ समय पहले सरकार द्वारा इस परियोजना को आरंभ किया गया था और स्थिति का विश्लेषण यह दर्शाता है कि क्षेत्र के रूप में विदर्भ और इस क्षेत्र के केन्द्र के रूप में नागपुर को कतिपय लाभ प्राप्त हैं ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने दें। मुझे बहुत खुशी है कि इससे पश्चिम बंगाल बहुत खुश है।

इसलिए, नागपुर इस क्षेत्र का केन्द्र है और वे स्थानों का चयन पहले ही कर चुके हैं। जब रक्षा मंत्रालय का प्रभार मुझ पर था, हमने उस तरह से कई चीजें सुविधाजनक बनायी जैसे हमने रक्षा मंत्रालय से पश्चिम बंगाल सरकार के लिए कई सुविधाएं दी थीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: वह रक्षा मंत्रालय में वापस क्यों नहीं चले जाते? हम कतिपय कार्य करा सकते हैं।

श्री जसवंत सिंह: मैं देखता हूं।

महोदय, विदर्भ एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इस संबंध में पहले ही काफी काम किया जा चुका है। इसलिए, प्रधानमंत्री जी ने यह निर्देश दिया है कि उन अन्य विमानपत्तनों के अतिरिक्त जिनकी घोषणा की जा रही है, के साथ, नागपुर हवाई अड्डा जो पहले ही हज के कारण अन्तर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानों के लिए चालू हो चुका है, तत्काल प्रयास से एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी: नागपुर का कैंडिडेट कौन है?

श्री चन्द्रकांत खैरे: उनके दोनों भी नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस समय कांग्रेस से हैं।

श्री चन्द्रकांत खैरे: अब शिवसेना और बी.जे.पी. के आएंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह: महोदय, माननीय श्री दासमुंशी ने रक्षा मंत्रालय से संबंधित कतिपय टिप्पणियां की हैं। अन्य प्रणालियों, एक व्यापक प्रणाली अथवा अन्य के मौलिक के प्रश्न पर बोलना मेरा काम नहीं है।

यह पूर्णत: एक अलग जांच है। लेकिन, वे माननीय सदस्य जिन्होंने यह सुझाव दिया था कि वित्तीय घाटे को कम करने के लिए रक्षा बचतों का उपयोग किया जा रहा है और इसीलिए रक्षा

आधुनिकीकरण का काम पिछड़ रहा है, वह संभवत: मामले को बढ़ा-चढ़ाकर कह रहे है। पुर्व 2003-2004 का आर.ई. में रक्षा परिव्यय 63,300 करोड़ है जो वर्ष के वास्तविक व्यय से अधिक था। वस्तुत: इसमें 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वर्ष, यह 66,000 करोड़ रुपये है। जैसे कि पहले घोषणा की जा चुकी है, साथ में, 25,000 करोड़ रुपये का आधुनिकीकरण कोष स्थापित किया जा रहा है।

मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों पर बोल चुका हूं। मैं माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। फिर भी पुन: मुझे एक बात यह कहनी है कि हमारी गलती जरूर निकालें। जहां भी आप समझें हमारी गलती है अथवा सुधार की जरूरत है, आप हमें अवश्य ठीक करें। किन्तु लगातार क्रोध भड़काना, पराजयवाद, निराशा का अवसाद वस्तुत: स्वयं को पराजित करने वाली बातें हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री रूपचन्द पाल: मेरा एक प्रश्न खराब होती रोजगार की स्थिति से संबंधित है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको यह बता दूं कि सामान्य प्रक्रिया यह है कि माननीय मंत्री जी के भाषण के पश्चात कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते। केवल एक अथवा दो सदस्य स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्व व्यापार संगठन की शर्तों को स्वीकार करने के पश्चात् भारतीय खेती पर लगातार मार पड़ती जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अमेरिका और यूरोप जिस तरह से कृषि क्षेत्र को राज सहायता दे रहे हैं, उनकी तुलना में भारत के वित्त मंत्री जी कृषि क्षेत्र को कितनी राज सहायता उपलब्ध करा रहे हैं?

श्री जसवंत सिंह: अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन, है कि, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप हमें निर्देश देंगे। दूसरी बहस शुरू न हो जाए इसलिए अच्छा है कि माननीय सदस्यों को जो स्पष्टीकरण चाहिए, वे एक बार पूछ लें, जैसे अभी कृषि के बारे में पूछा है और फिर मैं सबका एक साथ जवाब दे दूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। जब मैंने अपना भाषण दिया था, तब आप सदन में मौजूद नहीं थे। आपके सहयोगी ने सारे नोट आपको दिए होंगे, लेकिन मैंने जो तीन प्रश्न अपने भाषण में पूछे थे, उनमें से एक का भी जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था कि अटल जी के नेतृत्व में इस सरकार ने पांच साल काम किया, उसकी जिम्मेदारी थी कि नौंवी पंचवर्षीय योजना की परिकल्पना को रूपायन करने की, नौंवी पंचवर्षीय योजना की एचीवमेंट्स को हर सेक्टर में क्यों दिखाया गया है? आपने खुद अपने भाषण में कहा कि क्वार्टरली रिपोर्ट ...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कोई अन्य चर्चा नहीं होगी। आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: नहीं महोदय, मेरा प्रश्न बहुत ही खास है। यदि आप मुझे थोड़ा सा भी संरक्षण नहीं दे सकते हैं तो यहां बैठने का क्या अर्थ है? मेरा प्रश्न यह है कि दिसम्बर 2003 के वित्त मंत्रालय के आर्थिक बुलेटिन में वह नहीं कहा गया है जो मंत्री जी कह रहे हैं। इसमें कहा गया है-मैं केवल दो वाक्य कहूंगा: "रूझान यह दर्शाता है कि अप्रैल-अक्तूबर 2002-2003 की तुलना में अप्रैल-अक्तूबर 2003-2004 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में गिरावट आई हैं। अप्रैल-अक्तूबर 2003-2004 के दौरान वित्तीय घाटे में 23.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।" दिसम्बर-जनवरी में क्या जादू हुआ जिसका आपने खुलासा किया। यदि यह आपका समाचार है तो दिसम्बर 2003 तक दो महीनों में क्या जादूगरी हुई? यदि वह दो महीने की जादूगरी एक तिमाही रिपोर्ट है तो उसे सारे वर्ष की आर्थिक वृद्धि नहीं माना जा सकता है। मेरा यही कहना है। आप हमें बताइए।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, मैंने इन दो सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति देने का वादा किया था। और प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। कृपया बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न पूछने में कोई प्राथमिकता नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: उन्होंने रोजगार के अवसरों के बारे में नहीं बताया है। यह काफी गंभीर समस्या है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने दो प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। कृपया बैठिए। और कोई चर्चा शुरू नहीं की जा रही है।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, हरेक यह मानता है कि बेरोजगारी एक समस्या है। माननीय मंत्री ने केवल उद्यम पूंजी का उल्लेख किया है और किसी का नहीं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय आप बेरोजगारी के बारे में भी कह सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, बेरोजगारी के बारे में उनका क्या उत्तर है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उनसे बेरोजगारी पर भी बोलने को कहा है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, मैं दूसरे प्रश्न एडमिट नहीं कर रहा हूं

[अनुवाद]

अन्यथा इस सभा में दूसरी चर्चा शुरू हो जाएगी जिसकी मैं अनुमति नहीं दे सकता।

...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, बेरोजगारी की स्थिति में तेजी से गिरावट आई है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी आपकी बात का पूरा उत्तर देंगे। कृपया बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, वे गंभीर नहीं हैं। उन्होंने रोजगार खत्म कर दिए हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने मंत्री जी से बेरोजगारी पर भी बोलने का अनुरोध किया है।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, कृपया मुझे एक स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि मैं आपको अनुमति दूंगा तो मुझे अन्य सदस्यों को भी अनुमति देनी पड़ेगी। कृपया बैठिए।

अब, माननीय मंत्री जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह: माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य ने जानना चाहा था कि अमरीका और यूरोप की तुलना में क्या भारत जो कृषि में सब्सिडी देता है, वह बराबर है या नहीं है। यह अलग-अलग देशों की सब्सिडियां हैं और उनको कई बार हम स्पष्ट कर चुके हैं। भारत कृषि में जो सब्सिडी देता है उसको घटाएगा नहीं, क्योंकि जो हम फूड में, फर्टिलाइजर में सब्सिडी देते हैं या मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मैकेनिज्म है, ये सब सब्सिडी के साधन हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी के आदेश पर कई बार हम इसे स्पष्ट कर चुके है। मसलन अमरीका में एक गाय पर रोज की सब्सिडी तीन डालर है या एक मक्का के खेत में मक्का नहीं उगाने के लिए दो साल में आपको 3 लाख 60 हजार डालर सब्सिडी मिलती है या यूरोप और अमरीका का टोटल सब्सिडी बिल एक साल का 360 बिलियन डालर है यानी एक बिलियन डालर रोज का है। उसके बाद कृषि में भारत को उपदेश देना कृषि पर सब्सिडी कम की जाए, यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है और भारत इसे नहीं करेगा। भारत में कृषि मात्र जीविकोपार्जन का साधन ही नहीं है बल्कि यह एक जीवनशैली है। कृषि के बारे में जब हम बात करते हैं तो भारत की आत्मा गांवों में बसती है और वहीं से जीवनशैली उत्पन्न होती है। इसलिए एनडीए की सरकार का स्पष्ट विचार है कि आपको इसके बारे में किसी भी प्रकार की शंका, दुविधा या भ्रांति करने की आवश्यकता नहीं है।

कुंवर अखिलेश सिंह: मैंने प्रश्न किया था कि यूरोप और अमरीका की तुलना में आप कितनी सब्सिडी दे रहे हैं। इस प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय: आपको जो उत्तर चाहिए, उतना थोड़े ही मिल सकता है।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह: महोदय, माननीय सदस्य, श्री दासमुंशी ने एक स्पष्टीकरण मांगा है। मैं इसका उत्तर अंग्रेजी में देता हूं। उन्होंने पूछा है, 'आपने ऐसा कौन सा जादू किया है कि जब आपने पिछले वर्ष की तिमाही के आंकड़ों और पूरे वर्ष के आंकड़ों का अनुमान दिया था तब आपने राजस्व वृद्धि की एक कतिपय अनुमान दिया था।'' महोदय, यह सर्व-विदित तथ्य है कि राजस्व संग्रहण एक चक्रीय प्रक्रिया है। यह चक्रीय इसलिए है

क्योंकि आप किसी भी सरकार के अंतर्गत राजस्व संग्रहण की पद्धति का अध्ययन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पहली तिमाही के राजस्व संग्रहण आंकड़े गत तिमाही से काफी भिन्न है। राजस्व संग्रहण आंकड़े ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: पकड़े गए। देखिये, अपने ही दस्तावेज से पकड़े गए।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह: मुझे यह नहीं लगता कि माननीय सदस्य ...*(व्यवधान)* महोदय, राजस्व संग्रहण आंकड़े, ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, इसलिए मैंने यह कहा था कि वे उत्तर देने में गंभीर नहीं है ...*(व्यवधान)*

सायं 7.00 बजे

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, सरकारी दस्तावेज जारी करने के बाद कहते हैं कि यह सही नहीं है मंथली बुलेटिन उन्होंने ही दिया है।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह: महोदय, वास्तव में इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। यह कोई मुददा नहीं है। यह तथ्य आनुभाविक रूप से सही है। जब कर की अदायगी होती है तो राजस्व संबंधी आंकड़ों में उतार-चढ़ाव होता है। जब अग्रिम नहीं दिया जाता तो उसमें उतार-चढ़ाव होगा। यह बिल्कुल स्पष्ट है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब मैं कटौती प्रस्तावों पर आता हूं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: किसानों के सवाल पर सरकार देश को गुमराह कर रही है। इसलिए मैं और मेरी पार्टी सदन का बहिष्कार करते हैं।

सायं 7.01 बजे

[तत्पश्चात कुंवर अखिलेश सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।]

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय अध्यक्ष महोदय, हम वित्त मंत्री के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

सायं 7:01$^1/_2$ बजे

(इस समय श्री प्रियरंजन दासमुंशी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों ने वर्ष 2004-05 की लेखानुदान संबंधी अनुदानों की मांगों के बारे में कई कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। मैं सभा की सहमति से सभी कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: महोदय, किसानों और गरीब लोगों के बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया है। इसलिए मैं सदन से बहिष्कार करता हूं।

सायं 7.02 बजे

(तत्पश्चात् श्री रामदास आठवले सभा भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं वर्ष 2004-2005 के लिए लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 33, 35, 36, 38, से 62, 64 से 70, 72, 73 और 75 से 103 में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 34-अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य) का निपटान करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 87, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102 और 103 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से, राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सायं 7.04 बजे

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2004*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2004 को लेगी, अब माननीय मंत्री महोदय विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, सुबह आपने कहा था कि जो लोग कटौती प्रस्ताव का नोटिस देना चाहते है उन्हें इन नोटिसों को 15 मिनट के भीतर दे देना चाहिए। हमने प्रत्येक शीर्ष पर उन्हें अलग-अलग नोटिस दिया है। कैसे हटाये जा सकते है?

अध्यक्ष महोदय: उन्हें हटाया नहीं गया है। उन्हें अस्वीकार किया गया है। सभा की सहमति से मैं उन्हें पढ़ता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह अलग मामला है कि कटौती प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया गया है लेकिन उन पर अभी चर्चा नहीं की गई है।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 4.2.04 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें चर्चा के लिए एक साथ रखा गया और सभा ने उन्हें अस्वीकृत कर दिया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप उन्हें चर्चा के लिए एक साथ कैसे रख सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय: मैंने सभा की सहमति से उन्हें चर्चा के लिए एक साथ रखा था।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या सरकार को हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए?

अध्यक्ष महोदय: इनको एक साथ रखने का यही तरीका है। यदि आप उनको अलग-अलग रखना चाहते थे तो वर्हिगमन करने के बजाय आपको सभा को याद दिलाना चाहिए था और इसका विरोध करना चाहिए था।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, अनुपूरक अनुदान मांगों को लेने से पहले हम इस स्थिति में थे कि अपने मुद्दों को उठा सकते थे *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आप बाद में आए

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं विनियोग विधेयक के पुर:स्थापना पर आता हूं

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जो सदस्य अपने नोटिस देना चाहते थे उन्हें सभा में उपस्थित रहना चाहिए था।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह तरीका नहीं है *...(व्यवधान)* मुझे यह कहते हुए खेद है कि *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कल और आज हर प्रक्रिया का पालन किया गया है

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह सभा विपक्ष का सम्मान नहीं करती है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, यह सभा विपक्ष का पूरा सम्मान करती है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सत्र के अन्तिम दिन आप यह क्या कर रहे हो। यहां तक कि बहिर्गमन करने से विपक्ष की आवाज ...*(व्यवधान)* मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं ...*(व्यवधान)* आपने आदेश दिया कि जिन्होंने नोटिस दिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैंने 'एक साथ' कहा था और किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। मैंने सभा की अनुमति ली थी।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आपने सुबह आदेश दिया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने सभी कटौती प्रस्तावों को एकसाथ रखने का सुझाव दिया था इस पर किसी ने भी विरोध नहीं किया।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): हम संक्षिप्त चर्चा के लिए सहमत थे। हम कतिपय नियमों की अनदेखी करने के लिए भी सहमत थे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: जो कन्क्लूजन था, वह हमने ले लिया है।

[अनुवाद]

अब मैं विनियोग विधेयक को विचारार्थ और पारित किए जाने के लिए लेता हूं। श्री जसवंत सिंह

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बिल्कुल नहीं। कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप पूरी व्यवस्था को ध्वस्त नहीं कर सकते। नियम पुस्तिका और सूचना की प्रक्रिया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पूरी तरह इसका पालन किया जा रहा है। कल भी हमने यही किया था और आज भी हमने वही किया है। श्री जसवंत सिंह।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मुझे खेद है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं कभी ऐसा नहीं करता। मैं पूरी व्यवस्था को ध्वस्त नहीं करता। श्री जसवन्त सिंह अब आप बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: परन्तु चीजों को इस तरह करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: नहीं महोदय, हम सहमत नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: हमें पता है कि हमने कब वाक आउट किया था। ...*(व्यवधान)* हमें पता है कि हमने कब वाक आउट किया और हमें प्रक्रिया की जानकारी है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक पर विचार करेगी।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, रचनात्मक और सहयोगपूर्ण विरोध के इस जबरदस्त उदाहरण के पश्चात् मैं यह विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2004-05 के एक भाग के सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

> "कि वित्तीय वर्ष 2004-05 के एक भाग के सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, मैं विधेयक* पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी अब विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव करेंगे।

श्री जसवन्त सिंह: महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि वित्तीय वर्ष 2004-05 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि वित्तीय वर्ष 2004-05 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैंने एक सूचना दी है। मुझे अनुमति दी जाए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जी हां, आप बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: मैं केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक मुद्दा उठा रहा हूं। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सांविधिक देयों के भुगतान पर विचार करने हेतु वर्ष 2002 में मंत्रियों के समूह का गठन किया गया था। सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से कम 58 वर्ष करने के पश्चात् समस्या और गम्भीर हो गई है। गत कई वर्षों से पांच या छ वर्ष से इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपदान तथा भविष्य निधि की राशि नहीं मिली है और कई महीनों से वेतन और मजदूरी भी नहीं मिली है। मेरे पास अनेकों सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की पूरी सूची है जहां से बकाया देय 2,500 करोड़ रुपए से अधिक हैं। एंड्रयू यूल के मामले में सांविधिक देय 9,47,00,000 हैं।

मैसर्स भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लिमिटेड को दो वर्ष पूर्व बंद कर दिया गया था बंदी के बाद भी इस कंपनी के दो कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे उन्हें अपने सांविधिक देय नहीं मिले हैं। देय राशि 23 करोड़ रुपए है। मैसर्स भारत आपथाल्मिक ग्लास लि. को अभी तक बंद नहीं किया गया है। इस मामले में सांविधिक देय चार करोड़ रुपए से अधिक हैं। मैसर्स भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड को तीन वर्ष पहले बंद कर दिया गया था। इस मामले में सांविधिक देय 59 लाख रुपए हैं। यही बात मैसर्स ब्रदर्स, जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लि. के मामले में है जिसे दो वर्ष पूर्व बंद कर दिया गया था *...(व्यवधान)* ब्रेथवेट एण्ड क. लि. के मामले में देय राशि 26 करोड़ रुपए है और हिंदुस्तान केबल्स लि. के मामले में राशि 81 करोड़ रुपए; हिंदुस्तान कापर लिमिटेड के मामले में यह 24 करोड़ रुपए है; हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन के मामले में यह 83 करोड़ है। *...(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): पश्चिम बंगाल का क्या हुआ? *...(व्यवधान)*

कोयला और खान मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): उन्होंने बंगाल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद कर दिया है *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: मेरे पास महाराष्ट्र की भी सूची है। वहां हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, मझगांव डाक लिमिटेड, मुम्बई, एन टी सी (एसएम) लिमिटेड, मुम्बई और एनटीसी (एसएम) लिमिटेड, मुम्बई कम्पनियां हैं। और दिल्ली की बात करें तो यहां भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सीमेन्ट कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल्स कार्पोरेशन, हास्पिटल सर्विसेज कन्स. लिमिटेड, इत्यादि कंपनियां हैं। मेरे पास सरकारी क्षेत्र की पूरी सूची है *...(व्यवधान)* मैं आपको एक प्रति भेजूंगा।

महोदय, मैं एक बात जानना चाहूंगा। जब इस विषय पर विचार करने के लिए एक मंत्रियों के समूह का गठन किया गया था तो दो वर्ष के बाद भी सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बकाया राशि के भुगतान हेतु कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया है। इन कर्मचारियों को आज सांविधिक बकाया राशि नहीं मिल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि ये सांविधिक बकाया राशि है। हमारे पास अधिनियम है। महोदय, आप भारी उद्योग मंत्री थे; आप इन सब केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की समस्याएं जानते हैं। चूंकि कर्मचारियों को वर्षों से अपनी बकाया राशि नहीं मिली है अत: वे आज भुखमरी का शिकार हो रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, इस समय आपको केवल विशिष्ट बातों का ही उल्लेख करना है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, कुछ कर्मचारियों ने तो आत्महत्या भी की है। हावड़ा के बर्न स्टैण्डर्ड वर्क्स के छह कर्मचारी जिन्हें छह महीनों से तनख्वाह नहीं मिली थी, और सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्हें उनकी सांविधिक बकाया राशि नहीं मिली थी, ने आत्महत्या कर ली *...(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री से इस विषय में जानना चाहूंगा *...(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, बंगाल में कम से कम राज्य सरकार के 30 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बंद घोषित किए गए हैं। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि भारत सरकार क्या कर रही है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, मैं आपकी जानकारी के लिए क्या नियम पढ़ूं? नियम बहुत स्पष्ट है। इस मुद्दे पर आपको बहुत संक्षेप में बोलना है।

श्री बसुदेव आचार्य: जी हां, महोदय। मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्त बकाया राशि, जो लगभग 2500 करोड़ रु. है को कब जारी किया जाएगा और इसका कर्मचारियों को भुगतान कब किया जाएगा। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: श्री संतोष मोहन देव, आपका नोटिस समय से प्राप्त नहीं हुआ था। किन्तु चूंकि आपने नोटिस दिया है अत: आप एक या दो मिनट बोल सकते हैं।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका उत्तर दूं? ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष ने मुझे अनुमति दी है।

मंत्री जी, छोटे चाय बागानों के लिए 8 रु. प्रति किलो की राजसहायता की घोषणा करने के लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। किन्तु, वास्तव में, असम, पश्चिम बंगाल और केरल के मझोले चाय बागान अब बंद हैं। मालिकों ने अवैध रूप से तालाबन्दी घोषित कर दी है और भाग गए हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): तीन स्टेट्स में कांग्रेस का रोल रहा है।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, पश्चिम बंगाल में, सी पी आई (एम) श्रमिक संघों के अन्तर संघ झगड़ों के कारण चाय उद्योग में हाल ही में एक भयावह घटना हुई है ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव: मैं उस विवाद में पड़ना नहीं चाहता। मंत्री जी, मैं आपका आभारी हूं। आपने समस्या की ओर ध्यान दिया है। इस तथ्य के मद्देनजर कि ये मझोले चाय बागान भी बंद है और मजदूर कष्ट झेल रहे हैं और मौतें हो रही हैं और कई बिमारियां हैं, आप कृपया पुनर्विचार कीजिए कि क्या आप इसमें मझोले चाय बागानों को भी शामिल कर सकते हैं। यह मेरी आपसे विनम्र अपील है। धन्यवाद।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, मैं पहले दूसरे भाग-चाय बागानों के बारे में उत्तर दूंगा। मैंने उल्लेख नहीं किया था, किन्तु ऐसे उद्देश्यों के लिए ही हमने 500 करोड़ रु. की निधि स्थापित की है। हाल की घोषणा छोटे बागानों के विषय में है क्योंकि वे इससे बुरी तरह प्रभावित हैं। हम पूरे चाय उद्योग पर ध्यान दे रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, मैंने उस क्षेत्र का दौरा करने के लिए विशेषत: एक दल को भेजने का निर्णय लिया था किन्तु दुर्भाग्यवश, विभिन्न कारणों से, उस समय यह नहीं हो सका, किन्तु महोदय, मैं आश्वासन देता हूं कि हम इस समस्या पर भी ध्यान देंगे।

दूसरे पहलू के बारे; जो जल-प्रताड़ना जैसा था, महोदय, मैं कहूंगा कि सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों का वैधानिक बकाया संबंधी मंत्रियों के समूह की सिफारिश स्वीकार कर ली गयी है। अब इसे संबंधित मंत्रालयों को भेजा गया है और जैसे ही मंत्रालय अपनी सिफारिशें भेजेंगे, यह सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। किन्तु जहां तक सांविधिक देनदारियों का सवाल है, यह आवश्यक है कि राज्य सरकार भी उचित कार्रवाई करे। तदनुसार प्रावधान किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2004-05 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय अब इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करें।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.18 बजे

विनियोग विधेयक, 2004*

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2003-2004 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2003-2004 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री जसवंत सिंह: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2003-2004 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2003-2004 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय अब विधेयक पारित करने का प्रस्ताव करें।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.20 बजे

वित्त विधेयक, 2004

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह: महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए आय-कर की विद्यमान दरों और कतिपय मदों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता सीमाशुल्क के उद्ग्रहण को जारी रखने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए आय-कर की विद्यमान दरों और कतिपय मदों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता सीमाशुल्क के उद्ग्रहण को जारी रखने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 04.2.04 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

अध्यक्ष महोदयः अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जसवंत सिंहः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदयः अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.21 बजे

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 5 फरवरी 2004/16 माघ, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।